IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO.200 OF 2014

IN THE MATTER OF:

M.C. Mehta .....Applicant

Versus

Union of India &Ors .... Respondent

STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT GANGA PROTECTION COMMITTEE, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHAND THROUGH DISTRICT MAGISTRATE, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 05.09.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED MATTER

P A P E R - B O O K

INDEX

Srl	Particulars	Pages
1.	Status Report by way of Affidavit on behalf of District Ganga Protection Committee, Tehri Garhwal, Uttarakhand through District Magistrate, Tehri Garhwal, Uttarakhand in compliance of orders dated 05.09.2023 passed by this Hon'ble Tribunal in the above mentioned matter	5-22
2.	ANNEXURE-1: A true copy of the order dt.05.09.2023 passed by this Hon'ble Tribunal.	23-33
3.	ANNEXURE-2: A copy of the Compliance Report along with its Annexures.	34-381

K. P. Gautam
Advocate
Supreme Court of India
Reg. No. D/1196/18

Filed by:

[KAUSHAL GAUTAM]
Additional Advocate General for the State of Uttarakhand /
Respondent
C-203, LGF,
Defence Colony, N. Delhi-110024
Mobile No. 9811101934
Email- officeofkaushalgautam@gmail.com

S. NO	DOCUMENT PAERICULARS	PAGE NO.
1.	ANNEXURE-2-(01) Gazette notification dated 07.10.2016 vide which District Ganga Protection Committee in District Tehri Garhwal was constituted.	35 - 81
2.	ANNEXURE-2-(02) Constitution of District Ganga Protection Committee as per para 53(2) of the 2016 order with district magistrate as chairperson, ex-officio members and nominated members vide letter dated 06.07.2015.	83 - 88
3.	ANNEXURE-2-(03) Minutes of the meeting held under the District Ganga Committee till date.	89 - 345
4.	ANNEXURE-2-(04) Order dated 31.10.2023 regarding appointment of nodal officers as per the notification no. 2458 dated 07.10.2023	346 - 349
5.	ANNEXURE-2-(05) Training cum workshop conducted by the NMCG from 16-17 October 2023 for preparation of District Ganga Plan (DGP)	350 -
	ANNEXURE-2-(06) Report regarding segregation, processing and selling of solid waste	351 - 352
	ANNEXURE-2-(07) Compliance filed by the District Tourism Development Officer, Tehri Garhwal	353
	ANNEXURE-2-(08)	354 - 355

	Compliance report filed by the Executive Officer, Municipal Council (Nagar Palika Parishad), Narendra Nagar, Tehri Garhwal	
	ANNEXURE-2-(09) Compliance filed by the Executive Officer, Nagar Panchayat Ghansali, Tehri Garhwal	356 - 357
	ANNEXURE-2-(10) Compliance filed by the GM(Planning) THDCIL, Tehri, regarding the Bhagirathi Basin and regarding the Catchment Area Treatment.	358 - 359
	ANNEXURE-2-(11) Report filed by the Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan, New Tehri, Tehri Garhwal regarding the STP/ETP, DPR, etc.	360 - 361
	ANNEXURE-2-(12) Report filed by the Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan, Ghansali, Tehri Garhwal	362
	ANNEXURE-2-(13) Report filed by the Assistant Engineer, Maintenance Branch(Ganga), Uttarakhand Jal Sansthan of manu ki reti area and tapovan area, District-Tehri garhwal	363 - 364
	ANNEXURE-2-(14) Compliance filed by the District Agriculture Officer, Tehri Gharwal, Narendra Nagar regarding non-usage, limited usage of pesticides in District Tehri Garhwal.	365
	ANNEXURE-2-(15) Compliance report filed by the Deputy District Officer, Keerti Nagar regarding the disposal of	366 - 377

	MSW done by the concerned ULBs as per the waste disposal rules.	
	ANNEXURE-2-(16) A detailed gap analysis (Capacity Vs Generation of sewarage) report submitted by the Project Manager, Construction and Maintenance Unit (Ganga), Uttarakhand Peyjal Nigam, Srinagar	378 - 379
	ANNEXURE-2-(17) Compliance filed by the Executive Officer, Municipal Council, muni-ki-reti, Dhalwala, Tehri Garhwal	380
	ANNEXURE-2-(18) Report submitted by the General Manager, District Industrial Center, Narendra Nagar, Tehri Garhwal	381

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO.200 OF 2014
IN THE MATTER OF:

M.C. Mehta .....Applicant

Versus

Union of India &Ors .... Respondent

STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT GANGA PROTECTION COMMITTEE, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHAND THROUGH DISTRICT MAGISTRATE, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 05.09.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED MATTER

I, Mayur Dixit S/o Shri U.C.Dixit aged about 36 years, presently posted as District Magistrate, Tehri Garhwal, District Tehri Garhwal, Uttarakhand , do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my above mentioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent to file present Status Report by way of Affidavit on behalf of District Ganga Protection Committee, Tehri Garhwal, Uttarakhand through District Magistrate, Tehri Garhwal, Uttarakhand.

2. That the above mentioned matter was listed on 05.09.2023 before this Hon'ble Tribunal and after hearing, this Hon'ble

District Magistrate
Tehri Garhwal

Tribunal was pleased to pass a detailed order, the relevant portion of the same is quoted below:-

".....

".....

2. The matter relating to Uttarakhand was taken up on 04.09.2023. By the order dated 04.09.2023, Counsel for the applicant was permitted to produce city/district-wise environment issue concerning the pollution of river Ganga in the State of Uttarakhand in a chart form.

3. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has issued the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016. In terms of clause 53 of the said order, the District Ganga Protection Committees are to be constituted in each of the District abetting river Ganga. Clause 54 of the order vest the power relating to Superintendence, Direction and Control of District Ganga Committee in National Mission for Ganga. The functions and powers of District Ganga Committee has been specified in Clause 55. Clause 56 requires the District Ganga Committee to nominate the Nodal Officer for the purpose of achieving the object of the order. As per Clause 57, District Ganga Committee is required to prepare its plan for protection of river Ganga and Clause 58 relates to preparation of budget and maintenance of accounts. Clause 59 provides for monthly and annual report. The relevant

NOTARY Bhanu Prasad Paul Advocate & Notary Tehri Garhwal (U.K.) GOVT. OF UTTARAKHAND

District Magistrate
Tehri Garhwal

clauses 53, 54, 55, 56 and 57 of the order are reproduced as under:-X XXXXXXXX

4. A perusal of the above order reveals that proper machinery has been set up to prevent, control and abatement of environmental pollution in River Ganga. The report submitted by the National Mission for Clean Ganga (NMCG) in compliance of order of the Tribunal dated 22.07.2022 reveals that in the main stream of river Ganga in Uttarakhand, there are 7 Districts and in its tributaries, there are 6 Districts. Thus, there are total 13 Districts abetting river Ganga or its tributaries. These Districts are as under:-

Ganga

i. Chamoli
ii. Dehradun
iii. Haridwar
iv. PauriGarhwal
v. Rudraprayag
vi. Tehri
vii. Uttarkashi

Tributaries

viii. Nainital
ix. Almora
x. Pithoragarh
xi. Champawat

NOTARY ★ UTTARAKHAND

District Magistrate
Tehri Garhwal

xii. Bageshwar

xiii. Udham Singh Nagar

5. We have been informed that the requisite Notification constituting the District Ganga Protection Committee (DGPC) in terms of Clause 53 of the order have already been issued and the DGPCs in the State of Uttarakhand were constituted in the year 2017. Hence, it is the responsibilities of those DGPCs to carry out the functions which have been entrusted upon them under the order of 2016. 6 6. Learned Counsel for the applicant in her written submission filed today has divided the entire stretch of river Ganga in the State of Uttarakhand in three parts:- I. Upper Himalayas (from source till Devprayag) II. Middle range (Devprayag till Rishikesh) III.Plains (Rishikesh to Roorkee) 7. The Counsel for the applicant in her submissions have raised the following issues relating to the above three stretches of Ganga and tributaries in the State of Uttarakhand:-X xxxxxxxx



10. The District Collector is the Ex-Officio Chairman of the District Ganga Protection Committee. At the first instance, we call for the report from each of the 13 District Ganga Protection Committees notified in the State of Uttarakhand, in respect of the issues which have been pointed out by Counsel for the applicant and noted above as also in respect of implementation of the provisions of the 2016 Order. Separate

District Magistrate
Tehri Garhwal

report by each of the 13 District Ganga Protection Committee set up in the State of Uttarakhand will be submitted within 8 weeks. Counsel for the State of Uttarakhand is directed to convey this order to the District Collectors of each of the 13 District Ganga Protection Committee of State of Uttarakhand for compliance. Additionally, the Notice be issued by the Registry of the Tribunal to each of the 13 District Ganga Protection Committees through their ex-officio Chairman.

11. List this matter on 24.11.2023."

A copy of the order dated 05.09.2023 is annexed hereto and marked as ANNEXURE-1.

3. That in compliance of the above mentioned directions passed by this Hon'ble Tribunal, the following steps were taken by the District Ganga Protection Committee, Tehri Garhwal, as far as District Tehri Garhwal is concerned:-

NOTARY

District Magistrate
Tehri Garhwal

10

Implementation and Compliance Report

Sr.No.	Key paras of 2016 order pertaining to District Ganga Committee's	Implementation of order by District Ganga Committee
1	53. Constitution of District Ganga Protection Committees	**(1)** In exercise of power conferred by sub-sections (1) and (3) of Environment Protection Act 1986 and para 53 of the 2016 order, Central Government constituted District Ganga Protection Committee in District Tehri Garhwal vide order S.O. 2249(E) [F. No Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol.-II) dated 18th July 2017. **(Annexure – 2-(01))** (2) The constitution of District Ganga Protection committee has been done as per para 53(2) of the 2016 order with District Magistrate as Chairperson, ex-officio members and nominated members.**(Annexure-2-(02))** **(3)** District Ganga Committees have been meeting regularly since the constitution of DGPCs in 2017. More than 53 DGC meetings have been convened and various aspect of control, abatement and management of pollution in river Ganga and its tributaries have been discussed in holistic manner. All the minutes of the meetings held under DGC till date have been attached with the report in-**(Annexure -2-(03))** (4) As per directions given by NMCG, District Ganga Committee, District Tehri Garhwal has been conducting their Monthly, Mandated, Monitored, Minutes meetings (4M meeting) with the minutes uploaded on digital dashboard - Ganga District performance monitoring system (GDPMS).

NOTARY ★ STATE OF UTTARAKHAND ★

District Magistrate
Tehri Garhwal

2	54. Superintendence, direction, and control of District Ganga Committee	The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee is being exercised by National Mission for Clean Ganga through State Programme Management Group (SPMG), Namami Gange, Dehradun Uttarakhand. Meetings of Supervisory Committee and Executive Committee with Chairman of DGCs and representatives of different departments have been regularly convened under the Chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand and Principal Secretary, Forest and Environment, Govt of Uttarakhand.
3	55. Function and powers of District Ganga Committees.	1- Every district Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of river Ganga and its tributaries. 2-Identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the river Ganga for protection of river Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof; 3-Taking remedial action at its own end for protection of river Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District. 4- In the event of its inability to take remedial

NOTARY ★ GOVT. OF UTTARAKHAND

District Magistrate
Tehri Garhwal

		action, reporting to the National Mission for Clean Ganga and concerned state Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial actions. 5-Taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this order so as to prevent the environmental pollution in the river Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force. 6-In case the District Ganga Committee is of the opinion that any contravention has been made of any other law for the time being in force or in respect of provisions of this order, it shall take appropriate action in accordance with the law for the time being in force. 7-The district Ganga committee shall take all the such emergency measures as specified in paragraph 7. **(Annexure -2**-(01)) All the minutes of the meetings held under DGC till date have been attached with the report in – **(Annexure-2**-(03))
4	56. Designation of Nodal Officer.	District Ganga Committee through Chairman, DGC has nominated as Nodal Officer for the purposes of this Order –

District Magistrate
Tehri Garhwal

		(a) Gram Pradhan of Gram Sabha of 30 revenue villages in the areas abutting the River Bhagirathi, Bhilangana and Alaknanada. (b) Chairperson of 5 Nagar Panchayat and Nagar Palika Parishads covering various revenue villages/wards abutting the river Bhagirathi, Bhilangana and Alaknanada. The nodal officers have been entrusted with responsibilities as per para 56 of 2016 order. It includes responsibilities and power to take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area. He/she shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action. **(Annexure-2-(04))**
5	57. Preparation of plans.	As per directions of NMCG and State Programme Management Group, Namami Gange, a tributary wise plan/presentation has been prepared by DGC and submitted to SPMG, Namami Gange. Preparation of District Ganga Plan is underway. NMCG has conducted training cum workshops for preparation of District Ganga Plan (DGP) which has been attended by members of DGC. **(Annexure-2-(05))**

District Magistrate
Tehri Garhwal

Report on issues raised by the Applicant

Sr. No.	Cities/ Panchayats	Issues raised pertaining to the District Tehri Garhwal	Action taken/initiated
1	Bhagirathi Basin i. Ghansali ii. Narendra Nagar iii. Tehri	1. Unregulated Tourism leads to traffic congestion, inadequate MSW waste management (Plastic is a menace) 'sewage 'Faulty construction' loss of biodiversity and water resources as well. Sewage from hotels /dharamshalas and residences has increased with the high tourist footfall in these areas	Discharge of sewage has been managed by the sewer system and STP established in New Tehri. Tourism department has made it mandatory for hotels/homestay owner having more than 20 rooms to establish a STP to eradicate the flow of untreated sewage in water bodies. Door to door waste collection is done by ULB Narendra Nagar, Tehri and Ghansali and processed as per rules at the designated zones. Penal actions and awareness activities are also undertaken to eradicate usage of plastics. It has been ensured that no drains in Muni ki Reti and Tapovan area dispose their waste water into river Ganga.**(Annexure-2-((06,07,08,09,11,12,13))**
		2. Ecological flow not	At Tehri Garhwal, Tehri Dam and

NOTARY * ONKAR

District Magistrate
Tehri Garhwal

			maintained at upper stretch of river basin on going to dams / barrages and erratic rainfall pattern and drying of natural springs. Deforestation may also be a reason for drying up of small /local streams	Koteshwar Dam are established in Bhagirathi River basin. THDCIL is always releasing water from its Tehri Hydro Power complex consisting of Tehri HPP and Koteshwar HEP adhering to e- flow gazette notification and guidelines issued on 10.10.2018. Further, CWC provides discharge to be released, considering requirement of irrigation and drinking water in the downstream from Tehri/Koteshwar HEPs which is more than the flow requirement. Several water body rejuvenation projects and afforestation drives are being undertaken to rejuvenate streams, ponds and rivers in the district. Water conservation plans are reviewed regularly by DGC. **(Annexure-2**-(10))
		3.	Agricultural run- off and contaminatio n of Rivers and streams with pesticides and other	Schemes for promotion of organic farming like Namami Gange and Paramparagat Krishi Vikas Yojna (PKVY) and Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY) are being

NOTARY * GOVT. OF UTTARAKHAND

District Magistrate
Tehri Garhwal

		chemicals.	implemented under which use of chemicals is prohibited and organic inputs are being provided to farmers. Villages in five km periphery of river Ganga and its tributaries are selected under natural farming schemes. Under these schemes manure, Vermi compost production and plant protection processes have been done by using only organic products.**(Annexure-2-**(14))
		Narendra Nagar and Tehri – MSW disposal and legacy waste	MSW is disposed in Mukri(New Tehri) which is located in ward 2 in the ULB. All the waste collected from the city is brought to Murki processing plant after source segregation from each household. DPR is being made for the process of treatment of legacy waste of Tehri. At Narendra Nagar MSW Disposal in ward No. 1 Kumar Kheda, Narendara Nagar.all the waste collected from the city is brought to ULB processing plant after source segregation from each

NOTARY

District Magistrate
Tehri Garhwal

			household, later the waste is further segregated by the segregation worker, the wet waste is then sent to composting pits for making compost and dry waste send to compacting center. This compact and compost are later sold by the ULB. For the treatment of legacy waste cluster based approach has been made by Urban Development Department, in which 4 ULB's are grouped; Nagar Nigam Rishikesh, Nagar Palika Parishad Munikireti , Nagar Palika Parishad Narendra Nagar and Nagar Panchayat Swargashram-Jonk. **(Annexure-2**-(06,08))
2	Alaknanda Basin i. Kirtinagar	1. Untapped Sewage	Under Namami Gange programme, this unit is tapping two drains in kritinagar and treated their effluent through two STPs of 50 KLD and 10 KLD respectively. The scheme is being operated and maintained by Uttarakhand Jal sansthan, Devprayag.

NOTARY * GHANSHYAM * U.K.

District Magistrate
Tehri Garhwal

			(Annexure-2-(15))
		2. MSW disposal High tourist influx at all prayags leading to pollution	Disposal of MSW is done by concerned ULBs as per the waste disposal rules. Awareness activities are undertaken to ensure that incoming tourists are educated about waste management practices. **(Annexure-2-(15))**
		3. Agricultural run- off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals	Schemes for promotion of organic farming like Namami Gange and Paramparagat Krishi Vikas Yojna (PKVY) and Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY) are being implemented under which use of chemicals is prohibited and organic inputs are being provided to farmers. Villages in five km periphery of river Ganga and its tributaries are selected under natural farming schemes. Under these schemes manure, Vermi compost

District Magistrate
Tehri Garhwal

			production and plant protection processes have been done by using only organic products.**(Annexure-2-(14))**
3	Ganga basin i. Devprayag ii. Rishikesh	Devprayag- Sewage /fc Status of STP operating and proposed	There are three STP's existing in the town having 1.40 MLD - soil biotechnology (Bah bazar), 0.150MLD - SBR technology (Sangam Bazar) and 0.075 MLD - SBR technology (Santi Bazar) capacity respectively. At present 0.100 MLD, 0.140MLD and 0.050 MLD sewage is being treated in 1.40 MLD STP, 0.150 MLD STP and 0.075MLD STP respectively. Co-treatment of 5.0 KLD has been taken into tendering work and accordingly additional unit as mentioned in

District Magistrate
Tehri Garhwal

			the sanctioned DPR for co-treatment of septage in existing 1.4 MLD STP at Devprayag.**(Annexure -2**-(16))
		Industrial estate at Muni ki Reti	Industrial estate is located within the Nagar Palika Parishad area of Muni ki Reti – Dhalwala. The above-mentioned area is managed by SIDCUL administration. The dry waste from the above said area is collected and processed by the ULB as per rules. All the industrial units have constructed their own individual septic tanks and therefore no polluted water is being discharged into rivers or water streams.**(Annexure-2**-(17,18))

The detailed Compliance Report by District Ganga Protection Committee, Tehri Garhwal, Uttarakhand, along with Annexures, is annexed hereto and marked as ANNEXURE-2.

District Magistrate
Tehri Garhwal

21

4. In view of the facts and circumstances as explained hereinabove sincere efforts are taken by the District Ganga Protection Committee, District Tehri Garhwal, in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal, the same may kindly be accepted by this Hon'ble Tribunal and the deponent hereby undertakes to comply with every direction passed by this Hon'ble Tribunal.



DEPONENT

District Magistrate
Tehri Garhwal

VERIFICATION

22

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above Status report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified by me at New Tehri, Uttarakhand on this **16th** day of November, 2023.

NOTARY * GOVT. OF UTT. * KHAND

Sworn Solemnly Affirmed by
Deponent...Mamma Dixit
S/o, W/o, D/o...U.C. Dixit
Identified by.....on dt.
16-11-23
(Bijendra Prasad Pant)
Advocate/NOTARY
Tehsil-Jakhnidhar
Tehri Garhwal (U'k)

District Magistrate
Tehri Garhwal
DEPONENT

Filed by:

K. P. Gautam
Advocate
Supreme Court of India
Reg. No. D/1199/98

[KAUSHAL GAUTAM]
Additional Advocate General for the State of Uttarakhand / Respondent
C-203, LGF,
Defence Colony, N. Delhi-110024
Mobile No. 9811101934
Email- officeofkaushalgautam@gmail.com

24747

ANNEXURE-1

Item No. 09

Court No. 1 23

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(BY HYBRID MODE)

Original Application No. 200/2014
(C.W.P. No. 3727/1985)
(I.A. No. 340/2022)

M.C. Mehta — Applicant

Versus

Union of India & Ors. — Respondent(s)

Date of hearing: 05.09.2023

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Ms. Katyayni, Adv. for Applicant

Respondent: Mr. Gigi C. George, Adv. for NMCG
Mr. Rahul Verma, AAG for the State of Uttarakhand & SIDCUL
Mr. Mukesh Verma, Adv. for UKPCB

ORDER

1. This Original Application, registered after transfer of the CWP No. 2737/1985 from the Hon'ble Supreme Court, involves the issue of prevention, control and abatement of pollution of river Ganga. The Tribunal vide order dated 28.08.2023, had expressed that the matter will be heard State-wise/city-wise involving the State of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal.

2. The matter relating to Uttarakhand was taken up on 04.09.2023. By the order dated 04.09.2023, Counsel for the applicant was permitted to produce city/district-wise environment issue concerning the pollution of river Ganga in the State of Uttarakhand in a chart form.

3. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has issued the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order 2016. In terms of clause 53 of the said order, the District Ganga Protection Committees are to be constituted in each of the District abetting river Ganga. Clause 54 of the order vest the power relating to Superintendence, Direction and Control of District Ganga Committee in National Mission for Ganga. The functions and powers of District Ganga Committee has been specified in Clause 55. Clause 56 requires the District Ganga Committee to nominate the Nodal Officer for the purpose of achieving the object of the order. As per Clause 57, District Ganga Committee is required to prepare its plan for protection of river Ganga and Clause 58 relates to preparation of budget and maintenance of accounts. Clause 59 provides for monthly and annual report. The relevant clauses 53, 54, 55, 56 and 57 of the order are reproduced as under:-

> *"53. Constitution of District Ganga Protection Committees.- (1) The Central Government shall immediately after the commencement of this Order, in consultation with concerned State Ganga Committee, by notification constitute, in every specified District abutting River Ganga and its tributaries in the States mentioned in paragraph 2, the "District Ganga Committees" for the prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga.*

(2) Every District Ganga Committee in each specified District shall consist of the following members, namely:-
(a) the District Collector in the specified District; - Chairperson, ex-officio;
(b) not more than two nominated representatives from Municipalities and Gram Panchayats of the specified District nominated by the State Government. - Members;
(c) one representative each of the Public Works, Irrigation, Public Health Engineering, and Rural Drinking Water Departments, and State Pollution Control Board working in the specified District abutting River Ganga to be nominated by the District Collector - Member, ex-officio;
d) two environmentalists associated with River Ganga protection activities and one representative of local industry association in the specified District to be nominated by the District Collector - Members,;

(e) one Divisional Forest Officer of the specified District - Member, ex-officio
(f) one District official to be nominated by the District Collector. - Member;

(2) The District Collector shall be the Chairperson of the District Ganga Committee and the Divisional Forest Officer shall be the Convener of the District Ganga Committee.

(3) The District Ganga Committees shall meet at such times and at such places as the Chairperson of that Committee may decide and exercise such powers and functions as may be conferred under this Order: Provided that at least one meeting of the District Ganga Committee shall be held every three months.

(4) A non ex-officio member may resign his office by giving notice in writing thereof to the Central Government or to the District Collector concerned, as the case may be, and shall cease to be a member on his resignation being accepted by the Government or the District Collector concerned, as the case may be."

54. Superintendence, direction and control of District Ganga Committee.- The superintendence, direction and control of the management of the-District Ganga Committee (including financial and administrative matters) shall, notwithstanding anything contained in this Order, vest in the National Mission for Clean Ganga which may be exercised by it either directly or through the State Ganga Committee or any of its officer or any other authority specified by it.

55. **Functions and powers of District Ganga Committees.**- (1) Every District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of River Ganga and its tributaries in each specified District as laid out in paragraph 6 and 7 as per the principles specified in paragraph 4.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1) for rejuvenation and protection and restoration or rehabilitation of degraded areas abutting River Ganga and its tributaries and subject to other provisions of this Order and rules made thereunder, every District Ganga Committee shall have the following powers and functions in relation to River Ganga and its tributaries abutting in the area in specified District, namely:-

(a) identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the River Ganga for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof;

(b) taking remedial action at its own end for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District (excluding enforcement of the provisions of this Order.

(c) in the event of its inability to take remedial action, reporting (electronically as well as by sending written communication in hard copy) to the National Mission for Clean Ganga and concerned State

Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial actions.

(d) taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this Order so as to prevent the environmental pollution in the River Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force.

(3) In case, the District Ganga Committee is of the opinion that any contravention has been made of any other law for the time being in force or in respect of provisions of this Order, it shall take appropriate action in accordance with the law for the time being in force.

(4) The District Ganga Committee shall take all such emergency measures as specified in paragraph 7.

56. Designation of Nodal Officer.-

(1) Every District Ganga Committee shall nominate as Nodal Officer for the purposes of this Order –
(a) the Sarpanch of Gram Sabha of every village in the areas abutting the River Ganga and its tributaries;

(b) in case of an area, not being village abutting the River Ganga, the Chairperson of Municipality Planning Committee or Metropolitan Planning Committee or Chairperson of any local authority, as the Chairperson of the District Ganga Committee.

(2) Every Nodal Officer nominated under sub-paragraph (1) shall take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area, as the case may be, of which he is the Nodal Officer and in case of his failure to do so, he shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action.

(3) After receipt of the report under sub-paragraph (2), the Chairperson of the District Ganga Committee shall take remedial action for protection of River Ganga or its River bed abutting the specified District.

57. Preparation of plans.-

(1) Every District Ganga Committee shall prepare its plan for protection of River Ganga and its tributaries and their River bed abutting the specified District and submit the same to the National Mission for Clean Ganga for its approval.

(2) The plan under sub-paragraph (1) shall include the activities to be undertaken by the District Ganga Committee for protection, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries and their River Bed area abutting the specified District which may be recommended by the State Government, State Ganga Committees, the National Mission for Clean Ganga, any other

authority or Board and the expenditure involved for such plan and time within which such activities shall be completed."

4. A perusal of the above order reveals that proper machinery has been set up to prevent, control and abatement of environmental pollution in River Ganga. The report submitted by the National Mission for Clean Ganga (NMCG) in compliance of order of the Tribunal dated 22.07.2022 reveals that in the main stream of river Ganga in Uttarakhand, there are 7 Districts and in its tributaries, there are 6 Districts. Thus, there are total 13 Districts abetting river Ganga or its tributaries. These Districts are as under:-

Ganga

i. Chamoli
ii. Dehradun
iii. Haridwar
iv. Pauri Garhwal
v. Rudraprayag
vi. Tehri
vii. Uttarkashi

Tributaries

viii. Nainital
ix. Almora
x. Pithoragarh
xi. Champawat
xii. Bageshwar
xiii. Udham Singh Nagar

5. We have been informed that the requisite Notification constituting the District Ganga Protection Committee (DGPC) in terms of Clause 53 of the order have already been issued and the DGPCs in the State of Uttarakhand were constituted in the year 2017. Hence, it is the responsibilities of those DGPCs to carry out the functions which have been entrusted upon them under the order of 2016.

6. Learned Counsel for the applicant in her written submission filed today has divided the entire stretch of river Ganga in the State of Uttarakhand in three parts:-

I. Upper Himalayas (from source till Devprayag)

II. Middle range (Devprayag till Rishikesh)

III. Plains (Rishikesh to Roorkee)

7. The Counsel for the applicant in her submissions have rasied the following issues relating to the above three stretches of Ganga and tributaries in the State of Uttarakhand:-

I. UPPER HIMALAYAS (from source till Devprayag)

#	Cities / Panchayats	Issues
1.	**Bhagirathi Basin** i. Chirbasa ii. Gangotri iii. Dharali iv. Harshil v. Dharasu vi. Uttarkashi vii. Ghanshali viii. Narendra Nagar ix. Tehri	1. Receding glaciers which serves as the main source of fresh water supply for the Himalayan Rivers and their tributaries. Glacier retreat will directly impact- Food security, water security and energy security of the Northern part of the country. 2. Unregulated Tourism leads to traffic congestion, inadequate MSW waste management (plastic is a menace), sewage, faulty construction, loss of biodiversity and water resources as well. **Gangotri-** Scientists from Wadia Institute of Himalayan Geology, (WIHG), an autonomous institution under Department of Science & Technology, in a study conducted at Chirbasa station near Gangotri Glacier, for the Year 2016, found that black carbon (BC) concentration in this region has changed drastically during summer. **Black carbon** is emitted as a result of incomplete combustion of fossil fuels, the use of brick kilns, household cooking with firewood and the burning of animal dung and coal briquettes. The combustion of fossil fuels in motor vehicles and aircrafts also contributes to the emission of black carbon. It was revealed by investigating the occasional high values of black carbon extricated, that the seasonal cycle of increase was significantly influenced by the emissions resulting from agriculture burning (in western part of the country), forest fires

#	Cities / Panchayats	Issues
		(along the Himalayan slopes) in summer, and to some extent by the contribution from long-range transport of pollutants in winter, depending the prevailing meteorological conditions. (As reported by WIHG, Ministry of Science & Tech, March 2020, PIB) 3. Ecological Flow not maintained at the upper stretches of River basins owing to Dams/ weirs/ barrages and erratic rainfall patterns and drying of natural springs. Deforestation may also be a reason for drying up of small/ local streams. 4. Sewage from Hotels/ dharmshalas and residences has increased with the high tourist footfall in these areas. 5. Agricultural run- off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals. 6. Narendra Nagar and Tehri- MSW disposal and legacy waste.
2.	**Alaknanda Basin** i. Mana village ii. Badrinath iii. Govindghat iv. Vishnuprayag v. Joshimath vi. Pipalkoti vii. Chamoli viii. Gopeshwar ix. Nandprayag x. Kaleshwar xi. Karnprayag xii. Gauchar xiii. Rudrapraya g xiv. Srinagar xv. Kirtinagar	1. Untapped Sewage 2. Municipal solid waste 3. High Tourist influx at all Prayags and Badrinath temple, leading to pollution (same as mentioned above) 4. Joshimath and Chamoli- are experiencing serious landslides and land subsidence problems. State government had to evacuate many villages owing to land sinking. 5. Srinagar- River Alaknanda runs dry during lean season (after the HEP) Sand mining at riverbed is also very rampant and unregulated (impacting river ecology, ground water in long run and availability of resource for inter- generational usage). 6. Agricultural run- off and contamination of Rivers and streams with pesticides and other chemicals.
3.	**Mandakini Basin** i. Kedarnath ii. Sonprayag iii. Phata iv. Ukhimath v. Augustmuni	1. High tourist footfall at Kedarnath and sonprayag. 2. MSW disposal- burning of waste (dumping in the valley) 3. Sewage disposal 4. Plastic waste and bottles 5. Donkey/ horse dung disposed in the valley 6. Floods/ landslides and avalanche- indicative of fragility of the region. 7. Phata- Landslide zone, unstable slope.
5.	**Yamuna Basin** i. Badkot	1. Mostly clean at Yamunotri.

30

#	Cities / Panchayats	Issues
	ii. Naugaon iii. Nainbagh iv. Vikasnngar v. Dhakrani	2. STP needed for towns/ panchayats with hotels and commercial buildings. 3. MSW disposal needed

II. **MIDDLE RANGE** (Devprayag till Rishikesh)

#	Cities/Panchayats	Issues
	Ganga Basin i.Devprayag ii.Kaudiyala iii. Singtali iv. Byasi v.Shivpuri vi.Rishikesh Tributary cities i. Almora ii. Haldwani iii. Kashipur iv. Sitarganj	1. Devprayag- Sewage/ FC. Status of STP operating and proposed. 2. Kaudiyala- Rishikesh: lots of hotels, tourists and related footprints, eg solid waste and sewage. Rishikesh also has SIDC Industrial Estate at Muni ki Reti. Tributaries cities- industrial and municipal/ legacy waste. Almora also witnesses mining issues. Agricultural run- off: Agricultural practices on the river bank may have considerable impact on contribution of pesticide residues such as total Endosulfan, Dieldrin and DDT.

III. **PLAINS** (Rishikesh to Roorkee)

#	Cities/Panchayats	Issues
	Ganga Basin i. Dehradun ii. Haridwar iii. Roorkie	1. Forest fires 2. water scarcity 3. sewage 4. MSW disposal 5. construction demolition waste 6. Industrial effluent discharge 7. Legacy waste 8. water consumption and waste water generation by Industries/ STPs and CETPs. 9. Mining

	Yamuna Basin i. Dehradun	1. Sewage 2. Industrial effluent discharge 3. MSW disposal 4. Assan river sand mining

8. The written submission also discloses the list of drains in Ganga River Rejuveation in Uttarakhand which is as under:-

LIST OF DRAINS IN GANGA RIVER REGION

Uttarkashi & Devprayag	1. Storm Water Drain Uttarkashi 2. Kodia nala Devprayag
Rishikesh	3. Triveni Drain/ Saraswati Nala 4. Rambha River 5. Lakkar Ghat STP Drain 6. IDPL- STP Drain 7. Swarg Ashram STP Drain 8. Gadhi Shyampur Drain
Haridwar	9. Jagjeetpar STP Drain 10. Kassavan Drain 11. Pandey wala Drain 12. Matri Sadan Drain
Laksar	13. Laksar Drain
Dehradun	

https://cpcb.nic.in/wqm/pollution-assessmnt-ganga-2013.pdf

9. According to the information catered by the applicant, following industrial estates have been set up in the Ganga basin:

INDUSTRIAL ESTATE IN GANGA BASIN

Integrated Industrial Estate	SIDCUL	Private Industrial Estate
• Integrated Industrial Estate, IIE Haridwar • Integrated Industrial Estate, Pantnagar • Integrated Industrial Estate, Kotdwar • Integrated Industrial Estate, Dehradun (IT Park) • Integrated Industrial Estate, Selaqui (Pharma City) • Integrated Industrial Estate, Kashipur (Escort Farm) • Integrated Industrial Estate, Sitarganj Phase II	• SIDC, Tatasu Mazadi, Karnaprayag • SIDC, Muni Ki Reti (Rishikesh) • SIDC, Selaqui (Dehradun) • Textile Park, Kashipur • SIDC Kashipur • SIDC-Haridwar-Site-II	• Dev Bhoomi Industrial Estate, Bantakhedi, Roorkee. • M/S Omega Industrial Estate, Dabhora, Ahatmali, Kashipur. • Raipur Co-operative Industrial Area, Raipur-Bhagwanpur, Roorkee. • M/S Mool Chand Industrial Estate PVt. Ltd, • M/S Gangapur Kashipur Industrial Area, Kashipur. • M/S Rajpur-Bhagwanpur Industrial Area, Bhagwanpur, Roorkee. • M/S Sara Industrial Estates Ltd. Shankarpur-Hukmatpur, Dehradun (Joint venture between IEL and SIIDCUL).

INDUSTRIAL & CETP PROFILE

Total Number of Industries, 2023	Total CETPs, 2023
12728 (890 water polluting)	3 CETPs- 1 CETP Pantnagar & 1 CETP US Nagar- non-compliant.

10. The District Collector is the Ex-Officio Chairman of the District Ganga Protection Committee. At the first instance, we call for the report from each of the 13 District Ganga Protection Committees notified in the State of Uttarakhand, in respect of the issues which have been pointed out by Counsel for the applicant and noted above as also in respect of implementation of the provisions of the 2016 Order. Separate report by each of the 13 District Ganga Protection Committee set up in the State of Uttarakhand will be submitted within 8 weeks. Counsel for the State of Uttarakhand is directed to convey this order to the District Collectors of each of the 13 District Ganga Protection Committee of State of Uttarakhand

for compliance. Additionally, the Notice be issued by the Registry of the Tribunal to each of the 13 District Ganga Protection Committees through their ex-officio Chairman. 33

11. List this matter on 24.11.2023.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

September 05, 2023
Original Application No. 200/2014
(C.W.P. No. 3727/1985)
(I.A. No. 340/2022)
SN

ANNEXURE-2 34

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF DISTRICT GANGA ACTION COMMITTEE, DISTRICT TEHRI, GARHWAL

24759 ANNEXURE-2(01)

35

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2458] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 7, 2016/आश्विन 15, 1938
No. 2458] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2016/ASVINA 15, 1938

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2016

का.आ. 3187(अ).—गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन और जल का सतत पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के उपाय करने तथा इससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर प्राधिकरणों का गठन करना जरूरी है, जिससे गंगा नदी का पुनरूद्धार करके इसे इसकी प्राकृतिक एवं मूल स्थिति में लाया जा सके।

जहां, गंगा नदी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारणों से अद्वितीय महत्व की है जो इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देता है;

और जहां, गंगा नदी तेजी से हो रहे शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण सीवेज, औद्योगिक बहिस्राव एवं अन्य प्रदूषकों के बढ़ने के कारण गंभीर स्थिति में है;

और जहां, प्रतिस्पर्धी मांग को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, अवसंरचना विकास में वृद्धि के कारण सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक उपयोग एवं जल विद्युत के लिए गंगा नदी के जल की मांग बढ़ रही है;

और जहां, अविलंब निम्नलिखित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है----------

(ए) व्यापक आयोजना एवं प्रबंधन के लिए इस अंतर्राज्यीय एवं अंतर्क्षेत्रीय समन्वय को प्रोत्साहित करने के लिए नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी में प्रदूषण में प्रभावी कमी तथा नदी का संरक्षण सुनिश्चित करना;

(बी) नदी की पूरी लंबाई के क्षेत्र में सतत प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में पारिस्थितिकीय प्रवाह बनाए रखना जिससे इसकी पारिस्थितिकीय समग्रता को पुनः स्थापित किया जा सके और यह स्वयं अपना पुनरूद्धार करने में सक्षम हो सके;

(सी) गंगा नदी के आस-पास के क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाना जहां उद्योग, प्रचालन अथवा प्रक्रियाएं अथवा उद्योगों का वर्ग, प्रचालन अथवा प्रक्रियाएं नहीं की जाएंगी अथवा कुछ सुरक्षा उपायों के साथ की जाएंगी;

(डी) किसी भवन, संयंत्र, उपकरणों, मशीनों, निर्माण अथवा अन्य प्रक्रियाओं, सामग्री अथवा पदार्थों के निरीक्षण का प्रावधान करनों और ऐसे प्राधिकरणों, अधिकारियों तथा व्यक्तियों को गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी लाने के लिए कदम उठाने के निर्देश देना जैसा कि यह आवश्यक समझे।

(ई) गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या से संबंधित अन्वेषण एवं अनुसंधान करना एवं प्रायोजित करना और पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने वाली संभावित निर्माण प्रक्रियाओं, सामग्री तथा पदार्थों की जांच करना;

(एफ) गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित मामलों के संदर्भ में सूचना एकत्रित एवं प्रसारित करना और पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी लाने के संबंध में मैनुअल, कोड अथवा गाइड तैयार करना;

और जहां, गंगा के पुनरुद्धार के लिए समान रूप से उत्तरदायी होने के कारण संबंधित राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर नदी संरक्षण क्रियाकलापों का समन्वय एवं कार्यान्वयन करना होगा और उनके राज्य में गंगा नदी के व्यापक प्रबंधन के लिए कदम उठाने होंगे;

और जहां, गंगा नदी में प्रदूषण को समाप्त करने और संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए इस आदेश के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा प्राधिकरणों के सामूहिक प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजना, वित्त पोषण, निगरानी और समन्वय की आवश्यकता होगी।

अब, इसलिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 तथा 4, 5, 9,10, 11,19, 20 और 23 की उपधारा (2) तथा (3) के अनुच्छेद (i), (ii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xii) तथा (xiii) के साथ उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्ववर्ती पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में भारत सरकार की 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1111(अ), 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2539(अ), 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2493(अ), 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2494(अ), 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2495(अ) और 8 फरवरी 2010 की का.आ. 287(अ) और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण में 29 सितंबर 2014 की का.आ. संख्या 2539(अ) का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, केन्द्र सरकार एतद्वारा-

(i) ऐसी शक्तियों तथा कार्यों को करने के उद्देश्य से इस आदेश में उल्लिखित नामों से प्राधिकरण गठित करती है (उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति के साथ और इस आदेश में उल्लिखित मामलों के संदर्भ में उपाय करने के लिए) ;

(ii) केन्द्र सरकार के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण और इस आदेश के प्रावधानों के शर्तांधीन इस आदेश में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों को निर्देश देती है कि वे इस आदेश में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग अथवा कार्यों का निष्पादन अथवा उपाय करेंगे जैसे कि इन प्राधिकारियों को उक्त अधिनियम द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करने, इन कार्यों का निष्पादन करने अथवा ऐसे उपाय करने का अधिकार दिया गया है;

(iii) यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत गंगा नदी और उससे जुड़े मामलों के संबंध में इसकी सभी शक्तियों एवं कार्यों (धारा 3 की उपधारा (3) के तहत किसी प्राधिकरण के गठन की शक्ति और उक्त अधिनियम की धारा 6 और 25 के तहत नियम बनाने को छोड़कर) का प्रयोग इस आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं सीमाओं के शर्तांधीन इस आदेश द्वारा गठित प्राधिकरणों और इस आदेश में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकेगा।

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ- (1) इस आदेश को गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. आदेश को लागू करने का क्षेत्र- यह आदेश गंगा नदी में प्रदूषण की प्रभावी कमी तथा संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के उद्देश्य से गंगा नदी बेसिन वाले राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड,

हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ऐसे अन्य राज्य जिनमें गंगा नदी की प्रमुख उपनदियां स्थित हैं, पर लागू होगा, जैसा कि गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद निर्णय ले।

3. परिभाषाएं, यदि संदर्भ में अन्य रूप में अपेक्षित न हो-

(ए) "अधिनियम" का अर्थ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) होगा।

(बी) "बेसिन" का अर्थ क्षेत्र में मृदा, जल, वनस्पति तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित जल निकाय अथवा जल मार्ग के संपूर्ण आवाह क्षेत्र से है और इसमें आवाह आधार पर भूमि, जल, वनस्पति एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन शामिल है।

(सी) "बफर क्षेत्र" का अर्थ उस क्षेत्र से है जो नदी के बाढ़ मैदान से आगे है।

(डी) "आवाह" अथवा "आवाह क्षेत्र" में वह संपूर्ण भूमि क्षेत्र शामिल है जिसमें वर्षा, हिम अथवा बर्फ का अपवाह जल मार्ग के गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों में मिलने अथवा गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों में जल छोड़ने से पहले एक जल निकाय अथवा जल मार्ग में गिरता है।

(ई) "व्यावसायिक मछली पालन" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों में नेट, जहर अथवा अन्य आधुनिक फिशिंग गेयर अथवा पद्धतियों द्वारा व्यावसायिक प्रयोजन से बड़े पैमाने पर मछली पालन से है।

(एफ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ केन्द्र सरकार से है।

(जी) "वनकटाव" का अर्थ विशेष रूप से गंगा नदी के आवाह क्षेत्र में वन क्षेत्र में कमी, विशेषतौर पर मानवजनित क्रियाकलापों द्वारा अथवा वन के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए नियोजित रूप से इस हटाने को छोड़कर वन में पेड़ों अथवा वनस्पति को हटाने से है।

(एच) "अवक्रमित वन" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के आस-पास आवाह क्षेत्र में मूल वन क्षेत्र अथवा वनस्पति घनत्व में कमी वाले वन से है।

(आई) "निर्देश" का अर्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी निर्देश से है और "निर्देश देने" का अर्थ इसी के अनुसार होगा।

(जे) "जिला गंगा समिति" का आशय, पैराग्राफ 53 में उल्लिखित जिला गंगा सुरक्षा समिति से है।

(के) "इंजीनियर्ड डायवर्जन" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के जल को नहरों अथवा अन्य इंजीनियरिंग संरचनाओं में अंतरित करने के लिए बनाई गई अथवा संस्थापित संरचना अथवा यंत्र से है।

(एल) "बाढ़ मैदान" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के ऐसे क्षेत्र से है जो इसके अधिकतम प्रवाह के संगत बाढ़ अथवा 100 वर्ष में एक बार आने वाली बाढ़ के समान बाढ़ के कारण दोनों ओर जल के अंदर आ जाता है।

(एम) "घाट" का अर्थ गंगा अथवा इसकी उपनदियों के तट पर ढलान वाले भाग से है जिसमें कृत्रिम रूप से निर्मित सीढ़ियां और गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के जल तक मानव की सरल पहुंच के लिए प्रयुक्त भूमि के ढलान वाले क्षेत्र शामिल है और धार्मिक अथवा अन्य संबंधित प्रयोजन से ऐसे भागों का प्रयोग शामिल है।

(एन) "स्थानीय प्राधिकरण" में पंचायती राज संस्थाएं, नगरपालिकाएं, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर नियोजन प्राधिकरण अथवा जिला परिषद अथवा अन्य कोई निकाय अथवा प्राधिकरण, जिस भी नाम से जाना जाता हो, जिसे एक विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं देने हेतु अथवा नागरिक सेवाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए कानून द्वारा मान्यता दी गई हो।

(ओ) "राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन" का अर्थ पैराग्राफ 31 में उल्लिखित प्राधिकरण है।

(पी) "अधिसूचना" का अर्थ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है और "अधिसूचित करने" का अर्थ इसी के अनुसार होगा।

(क्यू) "प्रदूषित पदार्थ" में ठोस अपशिष्ट शामिल होगा जिसमें पशुओं के शव, रसोई अथवा अस्तबल का अपशिष्ट, गोबर, कचरा, सड़ी हुई अथवा दुर्गंधयुक्त सामग्री और किसी भी प्रकार की गंदगी शामिल है जो सीवेज में नहीं आती।

(आर) "व्यक्ति" में निम्नलिखित शामिल है-

(i) एक व्यक्ति अथवा समूह अथवा व्यक्तियों का संघ शामिल किया गया हो अथवा नहीं;

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत स्थापित कंपनी;

(iii) किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निगम;

(iv) एक स्थानीय प्राधिकरण;

(V) उपर्युक्त उपखंडों में से किसी में भी न आने वाला प्रत्येक न्यायिक व्यक्ति।

(एस) "नदी तल" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के क्षेत्र के सूखे हिस्से से है और इसमें वह स्थान शामिल है जहां गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियां बहती हैं जब वे जल से भर जाती हैं और गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के किनारे स्थित भूमि शामिल है जो जल का सर्वाधिक प्रवाह होने पर अपने प्राकृतिक चैनल में जल को बनाए रखती है।

(टी) "नदी तल खेती" में जल के कम प्रवाह के समय गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के नदी तल पर मौसमी कृषि अथवा खेती से है।

(यू) "गंगा नदी" धारा का अर्थ उत्तराखंड राज्य में 6 प्रमुख धाराओं की संपूर्ण लंबाई अर्थात अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी से है जो अपने मूल ग्लेशियर से विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग में उनके संबंधित संगम तक है और नदी की मुख्य धारा भी इसमें शामिल है और उसके बाद प्रयागराज सहित गंगा सागर तक और इसकी सभी उपनदियां शामिल हैं।

(वी) "कूड़ा करकट" का अर्थ राख, टूटी हुई ईंटों, गारे, टूटे हुए कांच, धूल अथवा किसी प्रकार के अपशिष्ट और गंदगी से है।

(डब्ल्यू) "मिट्टी के खनन" का अर्थ सूखे चैनल बेल्ट, बाढ़ मैदान अथवा गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के भाग से नदी में बड़े पैमाने पर मिट्टी को हटाने से है।

(एक्स) "सीवेज अपशिष्ट" का अर्थ किसी सीवरेज प्रणाली अथवा सीवेज निपटान कार्य के बहिस्राव से है और इसमें खुले नालों का सीवेज शामिल है।

(वाई) "सीवरेज स्कीम" का अर्थ ऐसी स्कीम से है जो एक स्थानीय प्राधिकरण भूमिगत बंद सीवर के माध्यम से जल को फ्लश करके सीवेज हटाने की प्रक्रिया शुरू करें।

(जेड) "अनुसूची" का अर्थ इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची है।

(जेडए) "विनिर्दिष्ट जिले" का अर्थ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ऐसे अन्य राज्य जिनमें इस आदेश में उल्लिखित गंगा नदी की प्रमुख उपनदियां स्थित हैं, में गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के 15 किमी. के क्षेत्र में गंगा नदी के आस-पास स्थित प्रत्येक जिले के क्षेत्र से है।

(जेडबी) "राज्य गंगा समिति" का अर्थ पैरा 2 में उल्लिखित राज्यों में से प्रत्येक राज्य के लिए इस आदेश के तहत गठित राज्य गंगा संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति से है।

(जेडसी) राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अर्थ प्रत्येक राज्य में अधिनियम के तहत पूर्व गठित प्राधिकरण से है अर्थात:-

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 8 फरवरी, 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 287(अ) द्वारा गठित बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।

(ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 30 सितंबर, 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2495(अ) द्वारा गठित झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।

(iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 30 सितंबर, 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1111(अ) द्वारा गठित उत्तराखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।

(iv) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 30 सितंबर, 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2493(अ) द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।

(v) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 30 सितंबर, 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2494(अ) द्वारा गठित पश्चिम बंगाल राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।

(जेडडी) "धारा" में नदी, जल मार्ग (प्रवाहित हो रहे हों अथवा कुछ समय के लिए सूखे हों), अंतर्देशीय जल (प्राकृतिक अथवा कृत्रिम) और उपक्षेत्र जल शामिल है।

(जेडई) "गंगा नदी की उपनदियों" का अर्थ उन नदियों अथवा धाराओं से है जो गंगा नदी में प्रवाहित होती हैं और इनमें यमुना नदी, सोन नदी, महानंदा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी और महाकाली नदी तथा उनकी उपनदियां अथवा ऐसी अन्य नदियां जिन्हें राष्ट्रीय गंगा नदी संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन परिषद इस आदेश के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट करे, शामिल हैं।

2. इस आदेश में प्रयुक्त किए गए तथा परिभाषित नहीं किए गए शब्दों एवं पदों का अर्थ यदि पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) में परिभाषित किया गया है तो उनका अर्थ वही समझा जाएगा जो उक्त अधिनियम में दिया गया है।

4. **गंगा नदी की सुरक्षा, प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए उपाय करने हेतु अपनाए जाने वाले सिद्धांत-** (1) गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए उपाय करने हेतु निम्निलिखित सिद्धांत अपनाए जाएंगे अर्थात:-

(i) गंगा नदी को एक एकल प्रणाली के रूप में प्रबंधित किया जाएगा;

(ii) गंगा नदी के जल की रासायनिक, भौतिक एवं जीव विज्ञानीय गुणवत्ता को पुनःस्थापित करने एवं इस बनाए रखने का कार्य समयबद्ध ढंग से किया जाएगा;

(iii) गंगा नदी को पारिस्थितिकीय ढंग से सतत पद्धति में प्रबंधित किया जाएगा;

(iv) गंगा नदी में प्राकृतिक मौसमी विविधता में परिवर्तन किए बिना नदी में प्रवाह बनाए रखा जाएगा;

(v) गंगा नदी के देशान्तरीय, लेटरल तथा ऊर्ध्वाधर आयाम (कनेक्टिविटी) नदी प्रबंधन प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों में शामिल किए जाएंगे;

(vi) सतही प्रवाह तथा उपसतही जल (भूजल) के बीच समग्र संबंध को पुनःस्थापित किया जाएगा एवं बनाए रखा जाएगा;

(vii) आवाह क्षेत्र में खोई प्राकृतिक वनस्पति को पुनः सृजित किया जाएगा एवं बनाए रखा जाएगा;

(viii) गंगा नदी बेसिन में जलीय एवं तटीय जैव-विविधता को पुनः सृजित एवं संरक्षित किया जाएगा;

(ix) प्रदूषण के स्रोत, दबाव को कम करने और इसके प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण विशेषताओं को बनाए रखने के लिए गंगा नदी के तट और इसके बाढ़ मैदान को निर्माण मुक्त जोन बनाया जाएगा;

(x) संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन में जनता की भागीदारी, किसी विनियम, मानक में संशोधन करना एवं लागू करने, संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए बहिस्राव न्यूनीकरण योजना अथवा कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाए और गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन की प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा;

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन देश के लोगों की आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकी में उन्नयन तथा लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय संयुक्त संस्तुति की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए उपपैरा (1) के तहत विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के अतिरिक्त सिद्धांत विनिर्दिष्ट कर सकता है।

5. **गंगा नदी में जल का पारिस्थितिकीय प्रवाह बनाए रखा जाए-** (1) प्रत्येक राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि पैरा के उप पैरा (iv) में दिए गए अनुसार गंगा नदी में हर समय जल का अबाधित प्रवाह बनाए रखा जाए।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार भी गंगा नदी में इसकी पारिस्थितिकीय समग्रता को बनाए रखने के लिए विभिन्न मौसम में जल का पर्याप्त प्रवाह बनाए रखने के प्रयास करेगी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित प्राधिकरण समयबद्ध ढंग से उचित कार्रवाई करेंगे।

(3) इस पैरा के प्रयोजन में जल के औसत प्रवाह का निर्धारण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा गंगा नदी पर विनिर्दिष्ट बिन्दुओं पर विनिर्दिष्ट जल वैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रों द्वारा किया जाएगा।

बशर्ते कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए गंगा नदी पर विभिन्न बिन्दुओं के लिए नदी में जल का औसत प्रवाह निर्धारित किया जाए।

6. गंगा नदी और उसकी उप नदियों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी लाना

(1) कोई व्यक्ति गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों अथवा इसके तटों पर प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अशोधित अथवा शोधित सीवेज अथवा सीवेज कीचड़ नहीं डालेगा;

बशर्ते कि जहां किसी स्थानीय प्राधिकरण के पास इस आदेश के लागू होने की तारीख को सीवेज अथवा कीचड़ के एकत्रण, भंडारण, ले जाने और निपटान के लिए सीवरेज स्कीम अथवा अवसंरचना नहीं है अथवा गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के आस-पास के क्षेत्र में उपर्युक्त तारीख तक ऐसी अवसंरचना प्रचालन में न हों, ऐसा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण इस आदेश के लागू होने की तारीख से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में स्थानीय प्राधिकरण के क्षेत्र में सीवेज के एकत्रण, भंडारण, ले जाने एवं निपटान के लिए ऐसी अवसंरचना विकसित करेगा अथवा ऐसी अवसंरचना प्रचालन में लाएगा।

(2) कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों अथवा इनके तटों पर अशोधित अथवा शोधित व्यावसायिक बहिस्राव, औद्योगिक अपशिष्ट नहीं छोड़ेगा;

बशर्ते यह भी कि जहां किसी उद्योग अथवा औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन के पास इस आदेश के लागू होने की तारीख को औद्योगिक बहिस्राव शोधन स्कीम अथवा अवसंरचना न हो अथवा गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के आस-पास के क्षेत्र में उपर्युक्त तारीख को ऐसी अवसंरचना प्रचालन में न हो, ऐसा प्रत्येक उद्योग अथवा औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन उद्योग अथवा औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन के कार्यक्षेत्र में इस आदेश के लागू होने की तारीख से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में व्यावसायिक बहिस्राव, औद्योगिक अपशिष्ट के एकत्रण, भंडारण, ले जाने एवं निपटान के लिए अवसंरचना विकसित करेगा अथवा ऐसी अवसंरचना प्रचालन में लाएगा।

(3) कोई व्यक्ति गंगा नदी में अथवा गंगा नदी या इसकी उपनदियों के तट अथवा इनके सक्रिय बाढ़ मैदानी क्षेत्र में आवासीय अथवा वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक अथवा अन्य किसी प्रयोजन से स्थायी अथवा अस्थायी संरचना का निर्माण नहीं करेगा;

बशर्ते कि, अपवाद की स्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा अथवा पारंपरिक स्थलों पर धार्मिक आयोजनों के लिए राज्य गंगा समिति और जिला गंगा समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की पूर्व अनुमति से अस्थायी संरचनाएं बनायी जा सकती है;

बशर्ते यह भी कि इस आदेश के लागू होने से पहले गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के तट अथवा सक्रिय बाढ़ मैदान में यदि कोई ऐसी संरचना बनाई गई है तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ऐसी संरचनाओं की समीक्षा करेगा ताकि यह जांच की जा सके कि ऐसी संरचनाएं गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों में जल के सतत प्रवाह को बाधित नहीं कर रही अथवा नदी में प्रदूषण नहीं फैला रही और यदि ऐसा है तो यह उन्हें हटाने की कार्रवाई कर सकता है।

(4) कोई व्यक्ति ऐसा कोई क्रियाकलाप अथवा किसी परियोजना अथवा प्रक्रिया अथवा क्रियाकलाप नहीं करेगा अथवा जारी रखेगा। जिससे गंगा नदी में प्रदूषण हो, चाहे यह क्रियाकलाप इस आदेश में उल्लिखित हो या न हो।

(5) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अथवा विनिर्दिष्ट जिला गंगा संरक्षण समिति, स्थानीय प्राधिकरण और सभी अन्य प्राधिकरण तथा व्यक्ति गंगा नदी और इसकी उपनदियों के आस-पास के प्रत्येक गांव/नगर, शहर तथा अन्य क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में रिपोर्टों में दी गई सूचना तथा उपर्युक्त उपायों का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार करेंगे तथा जनता के ध्यान में लाएंगे।

7. गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के प्रदूषण के मामले में आपातकालीन उपाय- किसी दुर्घटना अथवा अनदेखे कार्य अथवा घटना के कारण गंगा नदी में कोई भी विषैला हानिकारक अथवा प्रदूषक कारक पाया जाता है अथवा प्रवेश किया है, और तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे कार्यों को करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करनी होगी अथवा

विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अथवा विनिर्दिष्ट जिला गंगा समिति अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम द्वारा ऐसे कार्यों को करने हेतु निर्देश दिया जाएगा, चूंकि इसे निम्नलिखित सभी अथवा किसी उद्देश्य के लिए आवश्यक समझा जाए। अर्थात्

(क) प्रदूषक की उपस्थिति के कारण किसी प्रदूषण के उपशमन अथवा निपटान के लिए इस ढंग से जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया है, गंगा नदी से प्रदूषक सामग्री को हटाने की पद्धति और निपटाना के साथ साथ ऐसे कार्यों को करने के लिए यथा उपयुक्त समझा जाता है।

(ख) गंगा नदी में किसी भी विषैले, हानिकारक अथवा प्रदूषक सामग्री को छोड़ने से किसी व्यक्ति अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा संबंधित अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम को नियंत्रित करने अथवा निषेध करने संबंधी निर्देश जारी करना।

(ग) इस प्रकार की आपातकालीन समस्या के समाधान के लिए कोई अतिरिक्त कार्य अथवा कार्य पद्धति शुरू करना जैसा भी आवश्यक हो।

8. निर्देश जारी करने की शक्ति- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इस आदेश के तहत अपनी शक्तियों और निष्पादन अथवा अपने कार्य पद्धतिवों का प्रयोग कर सकता है, जिसे प्रदूषण का निवारण और गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक समझा जाए। संबंधित प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरणों अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा व्यक्ति को लिखित में अधिनियम के तहत ऐसे निर्देश जारी करना और वे ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

व्याख्या- संदेह के निवारण के लिए एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि इस धारा के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति शामिल की जाती है लेकिन निर्देश देने की शक्ति को सीमित नहीं किया जाता है-

(क) किसी उद्योग, प्रचालन अथवा प्रक्रिया को बंद करना, निषेध अथवा विनियमन; अथवा

(ख) विद्युत अथवा जल की आपूर्ति अथवा अन्य किसी सेवा को रोकना अथवा विनियमन

(ग) इस आदेश अथवा उल्लिखित अधिनियम अथवा बनाए गए नियम अथवा इसके तहत जारी निर्देशों के विरोधी किसी कार्य को रोकना अथवा बंद करना।

(घ) इस आदेश अथवा उल्लिखित अधिनियम में विनिनिर्देष्ट उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन

9. गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा- प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिला गंगा समिति वार्षिक समग्र ढांचा के भीतर और ऐसे जिला के लिए गंगा नदी के क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रोटोकॉल के अनुसार गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा करवाई जाएगी और विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को इस संबंध में शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाई सहित इस सुरक्षा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित करेगी, जिस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी, यदि आवश्यक हो।

10. गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की निगरानी किया जाना- (1) गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की निगरानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा स्वयं अथवा उपग्रह के चित्रों तथा अन्य दूरसंवेदी प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा विभिन्न राज्य और केन्द्र सरकारी अभिकरणों के साथ-साथ इसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले आवधिक आधार पर वास्तविक केन्द्रों, ऑनलाइन निगरानी और स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से निर्देशों द्वारा की जाएगी।

(2) उप-पैराग्राफ के प्रावधानों के बावजूद (1) केन्द्र सरकार गंगा तथा इसकी सहायक नदियों में ऊपर उल्लिखित प्रदूषण की निगरानी के लिए किसी अन्य तकनीक अथवा पद्धति, जिसे निर्देशों में विनिर्दिष्ट किया जा सके, को अपनाकर गंगा तथा इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की निगरानी के कार्य को किसी अन्य अभिकरण अथवा निकाय अथवा सीधे, प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने के उद्देश्य से, सौंप सकती है।

11. गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परिषद का गठन - इस आदेश को लागू करने की तिथि से अधिनियम के उद्देश्यों तथा इस आदेश और उल्लिखित अधिनियम के तहत यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का उपयोग करने तथा कार्यों को करने के लिए गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा, प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परिषद के नाम से (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् राष्ट्रीय गंगा परिषद कहा जाएगा) एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

W

12. राष्ट्रीय गंगा परिषद की संरचना- राष्ट्रीय गंगा परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः-	
(क) प्रधानमंत्री	अध्यक्ष, पदेन
(ख) केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री	उपाध्यक्ष, पदेन
(ग) केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री	सदस्य, पदेन
(घ) केन्द्रीय वित्त मंत्री	सदस्य, पदेन
(ङ) केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री	सदस्य, पदेन
(च) केन्द्रीय विद्युत मंत्री	सदस्य, पदेन
(छ) केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री	सदस्य, पदेन
(ज) केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री	सदस्य, पदेन
(झ) केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री	सदस्य, पदेन
(ञ) केन्द्रीय पोत परिवहन मंत्री	सदस्य, पदेन
(ट) केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री	सदस्य, पदेन
(ठ) उपाध्यक्ष, नीति आयोग	सदस्य, पदेन
(ड) मुख्यमंत्री, बिहार	सदस्य, पदेन
(ढ) मुख्यमंत्री, झारखंड	सदस्य, पदेन
(ण) मुख्यमंत्री, उत्तराखंड	सदस्य, पदेन
(त) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य, पदेन
(थ) मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य, पदेन
(द) सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय-	सदस्य, पदेन
(ध) महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य-सचिव, पदेन

(2) राष्ट्रीय गंगा परिषद सदस्य के रूप में राष्ट्रीय गंगा परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले ऐसे राज्य के एक अथवा एक से अधिक मुख्यमंत्रियों को शामिल कर सकती है जहां गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां है, जिससे गंगा नदी के जल की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना है।

(3) राष्ट्रीय गंगा परिषद यदि आवश्यक समझे तो एक अथवा अधिक केन्द्रीय मंत्रियों को भी शामिल कर सकती है।

(4) राष्ट्रीय गंगा परिषद नदी संरक्षण, नदी पारिस्थितिकी और नदी प्रबंधन, जल विज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिकी, सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा विशेषज्ञ संगठनों अथवा संस्थानों के साथ परामर्श कर सकती है।

(5) राष्ट्रीय गंगा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान पर होगा, जैसा निर्धारित किया जाए।

(6) राष्ट्रीय गंगा परिषद का सचिवालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में होगा।

(7) केन्द्र सरकार में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा।

13. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का विघटन- (1) पैराग्राफ 11 में राष्ट्रीय गंगा परिषद के गठन की तिथि को और से, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना का.आ. 2539(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा गठित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को विघटित माना जाएगा।

(2) विघटन से पहले राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण द्वारा किए गए अथवा छोड़े गए सभी कार्य अथवा शुरू की गई कार्रवाई अथवा खर्च की गई अथवा खर्च किए जाने हेतु प्राधिकृत किसी राशि को इस आदेश के समान प्रावधानों के तहत किया हुआ अथवा शुरू किया जाना माना जाएगा।

14. गंगा नदी के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य राष्ट्रीय गंगा परिषद को सौंपना- गंगा नदी के पर्यवेक्षण, निर्देशन, विकास और नियंत्रण तथा गंगा नदी में पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण, रोकथाम, नियंत्रण और निवारण के लिए संपूर्ण नदी बेसिन (वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों सहित) तथा इसकी प्राकृतिक और मूल स्थिति का संरक्षण नदी में जल के पर्याप्त बहाव की निरंतरता और इसके साथ जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय गंगा परिषद, इस आदेश में शामिल किसी भी चीज के बावजूद, संपूर्ण रूप से जिम्मेवार मानी जाएगी।

15. राष्ट्रीय गंगा परिषद का क्षेत्राधिकार- गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परिषद का क्षेत्राधिकार पैराग्राफ 2 में दिए गए क्षेत्र तक होगा।

16. गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परिषद की बैठक-

(1) राष्ट्रीय गंगा परिषद अपनी बैठकों सहित अपने कार्य को करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विनियमन कर सकती है।

(2) राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे और इसके कार्यव्यवहार को आगे बढ़ाएंगे।

(3) उपाध्यक्ष के पास अगली बैठक में संपुष्टि के अधीन परिषद की दो बैठकों के आयोजन के बीच में परिषद के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय गंगा परिषद के लिए आवश्यक निर्णय लेने की शक्ति होगी।

(4) राष्ट्रीय गंगा परिषद अपने विवेक से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक अथवा अधिक बैठकें आयोजित कर सकती है।

17. प्राधिकरण के रूप में गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल का गठन- (1) इस आदेश को जारी करने की तिथि से अधिनियम के उद्देश्यों तथा इस आदेश और उल्लिखित अधिनियम के तहत यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का उपयोग करने तथा कार्यों को करने के लिए गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल के नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

2 गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल में निम्नलिखित शामिल हैं, नामतः-	
(क) केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री	अध्यक्ष, पदेन
(ख) केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष, पदेन
(ग) सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण सदस्य, पदेन	
(घ) सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)	सदस्य, पदेन
(ङ) सीईओ, नीति आयोग	सदस्य, पदेन
(च) मुख्य सचिव, उत्तराखंड राज्य	सदस्य, पदेन
(छ) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य	सदस्य, पदेन
(ज) मुख्य सचिव, बिहार राज्य	सदस्य, पदेन
(झ) मुख्य सचिव, झारखंड राज्य	सदस्य, पदेन
(ञ) मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल राज्य	सदस्य, पदेन
(ट) महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य, सचिव

(3) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल, एक अथवा एक से अधिक केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों अथवा संबंधित अन्य किसी राज्य के मुख्य सचिव को सदस्य के रूप में शामिल कर सकती है, यदि आवश्यक समझा जाए।

4/

(4) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल अपने विवेकानुसार कम से कम प्रत्येक तीन महीने में एक अथवा इससे अधिक बैठकें आयोजित करेगा।

(5) केन्द्र सरकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में गंगा संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी और यह मंत्रालय ऐसी प्रशासनिक और तकनीकी सहायता देने के उद्देश्य हेतु नोडल मंत्रालय होगा।

(18) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल के कार्य और शक्तियां-

(1) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों में समन्वय करेगा और सलाह देगा।

(2) खासकर और उप-पैराग्राफ (1) के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल के कार्य और शक्तियों में गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित मामलों में से सभी अथवा किसी एक के संबंध में उपायों को शामिल किया जा सकता है। अर्थात्-

(क) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित मंत्रालय, विभागों और राज्य सरकारों के पास-

(i) गंगा नदी के संरक्षण और परिरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए खास गतिविधियों, उद्देश्यों और समयबद्धता सहित एक कार्य योजना है

(ii) इसकी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक तंत्र है

(ख) समयबद्ध आधार पर इसकी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय।

(ग) कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी, बाधाओं को को दूर करना, शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुझाव और निर्णय लेना।

(घ) घरेलू और विदेशी सहायता के माध्यम से वित्त पोषित परियोजनाओं सहित नमामि गंगे

(ङ) गंगा नदी के संरक्षण और संरक्षा तथा प्रबंधन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यथा आवश्यक समझे गए ऐसे अन्य कार्यों को करना अथवा यथा आवश्यक समझी गई शक्तियों का प्रयोग करना अथवा केन्द्र सरकार द्वारा सौंपा गया हो अथवा राष्ट्रीय गंगा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों को करना।

19. एक हजार करोड़ रुपए के मूल्य से अधिक की परियोजनाओं के लिए अनुमोदन

(1) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल, एक हजार करोड़ रुपए के मूल्य से अधिक की प्रत्येक परियोजना के अनुमोदन हेतु जिम्मेवार होगा, समय-समय पर यथा संशोधित।

(2). गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल उप-पैराग्राफ (1) के उद्देश्य हेतु इनके सदस्यों के बीच एक अधिकारियों की उप-समिति गठन कर सकता है।

20. विनिर्दिष्ट राज्य गंगा संरक्षण संरक्षा एवं प्रबंधन समितियों का प्राधिकरणों के रूप में गठन तथा इनका संघठन- इस आदेश के लागू होने की तारीख से पैरा 2 में दिए गए अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्य गंगा संरक्षण, संरक्षा एवं प्रबंधन समिति नामक एक प्राधिकरण गठित किया जाएगा। जिसमें इस आदेश तथा अधिनियम विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्यों का निष्पादन करने के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार एक अध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे।

21. राज्य गंगा समिति की बैठकें– (1) प्रत्येक विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अपनी बैठकों सहित अपने कार्यों को करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विनियमन कर सकती है।

(2) प्रत्येक राज्य गंगा समिति 3 महीने की अवधि में कम से कम अपनी एक बैठक करेगी।

(3) विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति के अध्यक्ष इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उल्लिखित समिति अपना उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जो विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और इसके कार्य व्यवहार को आगे बढ़ाएंगे।

22. समिति का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण- गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में संरक्षण, संरक्षा पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी लाने के उद्देश्य से इस आदेश में किए गए किसीभी प्रावधान के बावजूद जिला गंगा समितियों का अधीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण राज्य गंगा समिति के पास होगा जिससे गंगा नदी प्राकृतिक एवं मूल स्थिति का संरक्षण किया जा सके और संबंधित राज्यों में गंगा नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए गंगानदी में जल का सतत एवं पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

23. राज्य समिति के निर्णय बाध्यकारी होंगे--- विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति की बैठकों में लिए गए निर्णय इस आदेश में निहित किसी भी मामले के बावजूद प्रत्येक जिला गंगा समिति और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा ऐसे निर्णय में संदर्भित व्यक्ति पर लागू होंगे और वे राज्य गंगा समिति के निर्णयों का अनुपालन करेंगे।

24. राज्य गंगा समितियों के अधिकार, कर्तव्य और कार्य- (1) प्रत्येक राज्य गंगा समिति को इस अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा उसके तहत जारी निर्देशों तथा इस आदेश के प्रावधानों में निर्धारित नियमों के शर्ताधीन पैरा 6, 7 और 8 में उल्लिखित उपायों सहित ऐसे सभी उपायों जो वह गंगा नदी में प्रभावी प्रदूषण निवारण और नदी के संरक्षण हेतु तथा राष्ट्रीय गंगा परिषद तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निर्णयों को लागू करने हेतु आवश्यक अथवा अनिवार्य समझे, को करने का अधिकार होगा।

(2) राज्य गंगा समिति राष्ट्रीय गंगा परिषद और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाएं कार्यान्वित करेगी।

(3) विशेषकर और उप-पैरा (1) और (2) के प्रावधानों की सामान्यता के पूर्वाग्रह के बिना इन उपायों में निम्नलिखित सभी अथवा इनमें से कोई मामला शामिल किया जा सकता है अर्थात्:-

(क) सीवरेज अवसंरचना के संवर्धन, आवाह क्षेत्र सुधार, बाढ़ मैदानों की सुरक्षा, जन जागरूकता फैलाने तथा राज्य स्तरीय अन्य उपायों और गंगा नदी में उसकी जल गुणवत्ता बरकरार करने के लिए उसमें प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और कम करने सहित गंगा नदी के संरक्षण संबंधी कार्यों का समन्वय और कार्यान्वयन, तथा नदी इकोलॉजी और संबंधित राज्य में प्रबंधन संबंधी अन्य उपाय करना;

(ख) संबंधित राज्य में नदी बेसिन प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन

(ग) संबंधित राज्य में गंगा नदी में न्यूनतम इकोलॉजी प्रवाह को बरकरार रखना और तत्संबंधी कार्य।

(घ) इस आदेश के तहत अपने अधिकारों के प्रयोग और कार्यों के निष्पादन हेतु अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत प्रवेश एवं निरीक्षण तथा धारा 11 के अंतर्गत नमूना लेने का अधिकार;

(4) राज्य गंगा समिति को पैरा 7 में रेखांकित मुद्दों पर निर्देश देने का अधिकार होगा।

(5) राज्य गंगा समिति को पैरा समिति को अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्देश देने का अधिकार होगा।

(6) राज्य गंगा समिति के अधिकार और कार्य अधिनियम, के प्रावधानों के अनुरूप न होते पर, किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के तहत राज्य सरकार को सौंपे गए किसी अधिकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होंगे।

25. जिला गंगा समितियों की योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन की निगरानी- प्रत्येक विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अपनी सभी जिला गंगा सुरक्षा समितियों तथा अन्य प्राधिकारियों की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी करेगी और तत्संबंधी प्रगति रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपेगी।

26. सभी जिला गंगा समितियों की समेकित रिपोर्ट तैयार करना और तत्संबंधी सुधारात्मक उपाय करना--- (i) प्रत्येक राज्य गंगा समिति सभी जिला गंगा सुरक्षा समितियों, स्थानीय प्राधिकरणों अथवा अन्य प्राधिकरणों अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक तिमाही की समेकित रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सीमा में आने वाले प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले का उल्लेख होगा।

(क) उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की स्थिति और उनके द्वारा किए गए उपाय तथा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की दशा के विषय में कोई अन्य कार्य;

(ख) प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता तथा तत्संबंधी सुधारात्मक कार्रवाई;

(ग) प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी में प्रवाह में कोई अवरोध तथा तत्संबंधी कारण;

(घ) जिला गंगा समिति अथवा स्थानीय प्राधिकरणों अथवा अन्य प्राधिकारियों को की गई शिकायतों के समाधान के लिए किए गए उपाय;

(ङ) प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले में गंगा सुरक्षा लेखापरीक्षा द्वारा की गई कोई प्रतिकूल रिपोर्ट;

(च) गंगा नदी उसकी सहायक नदियों की दशा के संबंध में कोई अन्य सूचना।

(2) उप-पैरा (1) में उल्लिखित रिपोर्ट तत्संबंधी सुधारात्मक उपायों सहित वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपी जाएगी।

27. गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा का आयोजन और राज्य समितियों द्वारा ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना--- (1) राज्य गंगा समितियों का यह कर्तव्य होगा कि वे जिला गंगा सुरक्षा समितियों द्वारा गंगा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तत्संबंधी की गई सुधारात्मक कार्रवाई सहित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को प्रस्तुत करें तथा उसे सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध भी कराएं और अपनी वेबसाइट पर भी दर्शाएं।

(2) गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा में वे विवरण शामिल किए जाएंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विनिर्दिष्ट अंतरालों (इस आदेश में उल्लिखित अन्यथा सुरक्षित) पर यथा निर्धारित ढंग से लेखा परीक्षा की जाएगी।

28. राज्य गंगा समिति का नोडल अभिकरण होना--- राज्य गंगा समिति, राज्य में इस आदेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण के प्रभावी निवारण तथा नदी का संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए राज्य व्यापी नोडल अभिकरण होगी।

29. राष्ट्रीय गंगा परिषद तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निर्देश राज्य गंगा समिति पर बाध्यकारी होंगे---- प्रत्येक राज्य गंगा समिति इस आदेश के प्रावधानों को अनदेखा करने के पूर्वाग्रह के बिना इस आदेश के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग अथवा कार्यों का निष्पादन करते समय वह ऐसे निर्णयों अथवा निर्देशों (तकनीकी और प्रशासनिक मामलों से संबंधित होने वाले निर्देशों सहित) जो राष्ट्रीय परिषद तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन समय-समय पर गंगा नदी में प्रदूषण निवारण तथा उसके संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए उसे लिखित में दिए जाएं, का पालन करेगी।

30. राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरणों और राज्य कार्यकारी समितियों का विघटन— (1) राज्य गंगा समितियों के गठन की तारीख से, इस आदेश के लागू होने से पहले गठित संबंधित गठित संबंधित राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरणों के साथ-साथ राज्य कार्यकारी समितियों को विघटित हो गया माना जाएगा।

(2) ऐसे विघटन से पहले, उप-पैराग्राफ (1) के अंतर्गत प्राधिकरणों और समितियों द्वारा किए गए अथवा हटा दिए जाने वाले सभी कार्यों अथवा की गई कार्रवाई अथवा खर्च की गई राशि अथवा खर्च के लिए प्राधिकृत राशि को निष्पादन कर लिया माना जाएगा अथवा इस आदेश के संगत प्रावधानों के तहत ले लिया गया माना जाएगा।

31. एक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन- (1) इस आदेश के लागू होने के तारीखसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अधिनियम के उद्देश्य से और इस आदेश तथा अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों अथवा जारी किए गए निर्देशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्यों का निष्पादन के करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत इसी नाम से गठित एक प्राधिकरण होगा।

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का संघटन पैरा 35 में दिए गए अनुसार होगा।

32. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रचालन का क्षेत्र- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रचालन का क्षेत्र पैराग्राफ 2 में रूपरेखा दिया गया क्षेत्र होगा।

33. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नोडल एजेंसी होगा --- इस आदेश के प्रावधानों के राष्ट्र व्यापी कार्यान्वयन तथा प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और गंगा नदी तथा उसकी उप-नदियों के पुनरूद्धार, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एक नोडल एजेंसी होगा।

34. एक अधिकार प्राप्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन दो स्तरीय प्रबंधन के साथ एक अधिकार प्राप्त संगठन होगा जिसके पास इस आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रशासनिक, मूल्यांकन एवं अनुमोदन की शक्तियां होंगी और कर्तव्य कार्य तथा शक्तियां होंगी।

35. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का संघटन:- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन टू-टीयर निगरानी संरचना होगी और इसमें गवर्निंग परिषद और कार्यकारी समितियां शामिल होंगी

(1) गवर्निंग परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे नामत:

(क)	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महा निदेशक	अध्यक्ष पदेन
(ख)	संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य पदेन
(ग)	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य पदेन
(घ)	संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य पदेन
(ङ)	संयुक्त सचिव, व्यय विभाग	सदस्य पदेन
(च)	नीति आयोग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से कम कम न हो)	सदस्य पदेन
(छ)	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य पदेन
(ज)	प्रधान सचिव, शहरी विकास, बिहार सरकार	सदस्य पदेन
(झ)	प्रधान सचिव, शहरी विकास, झारखंड सरकार	सदस्य पदेन
(ञ)	प्रधान सचिव, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य पदेन
(ट)	प्रधान सचिव, पेयजल, उत्तराखंड सरकार	सदस्य पदेन
(ठ)	प्रधान सचिव, शहरी विकास, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य पदेन
(ड)	ऐक्जीक्यूटिव ऑफिसर (डिप्टी डीजी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य पदेन
(ढ)	ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (तकनीकी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य पदेन
(ण)	ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (वित्त), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य पदेन
(त)	ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (परियोजना), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य पदेन
(थ)	ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (प्रशासन), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य-सचिव

(2) गवर्निंग परिषद में से गठित की गई कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे नामत:-

(क) महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन-अध्यक्ष पदेन

(ख) संयुक्त सचिव, व्यय विभाग-सदस्य पदेन

(ग) नीति आयोग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर का) -सदस्य पदेन

(घ) संबंधित राज्य (राज्यों) के प्रधान सचिव-सदस्य पदेन

(ङ) ऐक्जीक्यूटिव अधिकारी (डिप्टी डीजी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन - सदस्य पदेन

(च) ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (वित्त) -सदस्य पदेन

(छ) ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (तकनीकी) -सदस्य पदेन

(ज) ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (परियोजनाएं) -सदस्य पदेन

(3) महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यदि आवश्यक समझते हैं तो कार्यकारी समिति, गवर्निंग परिषद के अन्य कोई सदस्य के साथ काम कर सकते है।

(4) गवर्निंग परिषद अपने सदस्यों में से एक उप-समिति का गठन कर सकती है और परियोजना के मूल्यांकन हेतु कुछ तकनीकी विशेषज्ञों के साथ भी कार्य कर सकते हैं।

(5) संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि उप-समिति के सदस्य होंगे।

(6) गवर्निंग काउंसिल के पास आधे सदस्यों का कोरम होना चाहिए।

36. (1) 1000 करोड़ रूपये तक के सभी अनुमोदन ईसी में निहित होंगे। इसके बदले में ईसी तीन महीने में कम से कम एक बार जीसी को रिपोर्ट करेंगे।

(2) तकनीकी विशेषज्ञों/या मान्यता प्राप्त संस्थाना या भारतीय तकनीकी संस्थानों के कंसोर्टियम द्वारा परियोजना के तृतीय पक्ष मूल्यांकन के पूर्ण होने के पश्चात जीसी की उप समिति परियोजना का मूल्यांकन करेगी।

(3) तृतीय पक्ष, तकनीकी मूल्यांकन उनके मूल्य को ध्यान में न रखते हुए सभी परियोजनाओं के लिए होगा।

37. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक और कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति

(1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी। महानिदेशक का पद भारत सरकार के अपर सचिव अथवा सचिव के समकक्ष होगा। नियुक्ति की शर्तें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(2) कार्यकारी निदेशक, वित्त की नियुक्ति निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार की संगठित लेखा सेवाओं के अधिकारियों में से की जाएगी जिसका पद भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष होगा।

(3) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में प्रशासन और परियोजनाओं के लिए अलग-अलग कार्यकारी निदेशक का कम से कम एक पद होगा जिसका ओहदा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष।

(4) कार्यकारी निदेशको में से एक को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को उप महानिदेशक के रूप में पदनामित किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।

(5) कार्यकारी समिति को कोई भी मनोनीत सदस्य का स्तर भारत सरकार के संयुक्त सचिव की श्रेणी से कम नहीं होगा।

38. (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कर्त्तव्य : राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे-

(i) इस आदेश के पैराग्राफ 5 में दिए गए सिद्धांतों और उसमें दिए गए प्रावधानों का अनुसरण करना,

(ii) राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णयों और निदेशों का अनुपालन करना और इसके द्वारा अनुमोदित गंगा बेसिन प्रबंधन योजना का राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्देशानुसार कार्यान्वयन करना,

(iii) समयबद्ध तरीके से नदी गंगा परिषद के पुनरूद्धार और संरक्षण के लिए सभी कार्यकलापों को समन्वित करना।

(iv) सभी अन्य कार्य करना अथवा कुछ कार्यों को नहीं करना जो गंगा नदी और इसकी उप नदियों के पुनरूद्धार और संरक्षण के लिए आवश्यक हों।

39. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्य..... (1) इस आदेश के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन निम्नलिखित की पहचान करेगी अथवा पहचान का कारण बनेगी ।

(क) सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट, शवों को जलाने और गाड़ने तथा पशुओं के अवशेषों के निपटान और वाणिज्यिक, मनोरंजन और धार्मिक कार्यकलापों से खतरे सहित गंगा और उसकी उप नदियों के पास जिले के प्रत्येक गांव और कस्बे में गंगा नदी के लिए विशिष्ट खतरे ।

(ख) गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के पास ऐसे सभी जिलों के प्रत्येक गांव और कस्बे में प्रत्येक गांव में ऐसे खतरों का सामना करने के लिए अपेक्षित उपायों के प्रकार ।

(ग) वे विशिष्ट क्षेत्र जहां गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण और संरक्षा के लिए ऐसे उपचारात्मक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है ।

(घ) वे उपाय, जो शोधित जल के पुन: उपयोग के लिए आवश्यक होंगे तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों जैसे रेलवे, पॉवर और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि राज्य सरकारों, केन्द्र और राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों, मान्यता प्राप्त संस्थानों और सभी अन्य संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन करना, जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन सही समझे ।

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के पास ऐसे विनिर्दिष्ट जिलों के प्रत्येक गांव और कस्बे में गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण और संरक्षा के लिए अन्य वस्तुओं में लागत, समयबद्धता और उत्तरदायित्वों के आवंटन के साथ गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना बनाएगा अथवा बनाने का कारण, बनेगा और इसके लिए परियोजनाओं का कार्यान्वयन करेगा।

(3) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन निम्नलिखित कार्य करेगा :-

(क) जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण रूप से स्थायी संरक्षण, गंगा नदी और उसकी उप-नदियों का संरक्षण और प्रबंधन और इसे अधिसूचित करना तथा पर्याप्त पारिस्थितिकीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी उपायों को लेने अथवा निर्देशित करने के लिए सभी समयों पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बिंदुओं पर रखे जाने के लिए अपेक्षित गंगा नदी और उसकी उप-नदियों में पारिस्थितिकीय प्रवाह और परिणाम के निर्धारण का कारण बनेगा ।

(ख) ऐसे स्थानों को पहचानने का कारण बनना; जहां गंगा नदी के जल के पर्यावरणीय प्रवाह को आलोडित किया गया है तथा इसके सुधार के लिए उपाय करना ताकि गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के लिए जल के सतत प्रवाह को बनाए रखा जा सके ।

(ग) जल के इंजीनियर्ड डाइवर्जन अथवा जल के भंडारण अथवा किसी अन्य साधन के कारण गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में जल के अंतराल के स्थान पहचानना और इनके संबंध में योजनाएं लागू करना अथवा इसके लिए उपचारात्मक कार्रवाई करना ।

(घ) गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में जल के प्रवाह और प्रदूषण के स्तर की लगातार निगरानी करने के लिए एक प्रणाली तैयार करना ।

(ड.) ऐसे सभी उपाय करना, जो राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक हों ताकि गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में पर्याप्त पारिस्थितिकीय प्रवाह बनाये रखा जा सके ।

(च) राज्य सरकारों, विशिष्ट राज्य गंगा समितियों, विनिर्दिष्ट जिला गंगा समितियों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा किसी व्यक्ति अथवा निकाय, किसी प्राधिकरण, बोर्ड या निगम को प्रदूषण के उपशमन और संरक्षण गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने अथवा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी एजेंसी द्वारा सहायता प्रदान करना अथवा सहायता का कारण बनना ।

4/

(छ) प्रदूषण के उपशमन तथा गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के संबंध में ज्ञान आधार तथा विश्लेषणात्मक उपकरणों के शोध, विकास और प्रसार के लिए एक या अधिक मौजूदा केंद्रों की स्थापना करना या स्थापना को सुकर बनाना अथवा नामोद्दिष्ट और निर्देशित करना ।

(ज) कोई अन्य उपाय करना, जो जल के सतत प्रवाह और गंगा और इसकी उप-नदियों में प्रदूषण के उपशमन के लिए आवश्यक हो ।

(4) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पैराग्राफ 7 में बताए गए सभी ऐसे अन्य आपात उपाय करेगा ।

40. गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के किनारे किसी उपयुक्त स्थान पर गंगा नदी मॉनीटरिंग केन्द्र की स्थापना----- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी बेसिन से स्थानों को पहचानेगा अथवा ऐसे स्थानों पर स्थापना करेगा अथवा किसी मौजूदा प्रयोगशाला अथवा केन्द्र अथवा संस्थान को केन्द्र के रूप में नामोद्दिष्ट करेगा जिसे 'रिवर गंगा मॉनीटरिंग सेंटर' कहा जाएगा, जो अन्य बातों में इस आदेश के अंतर्गत यथापेक्षित जल के लगातार प्रवाह और प्रदूषण के स्तर को मॉनीटर करेंगे और वहां उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को तुरंत रिपोर्ट करेंगे ।

41. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शक्तियां-------- (1) राष्ट्रीय गंगा परिषद के पर्यवेक्षण और निदेश के अंतर्गत गंगा नदी और उसकी उप-नदियों के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के कार्य को सुकर बनाने की भूमिका, उत्तरदायित्व और शक्तियों से युक्त राष्ट्रीय एजेंसी होने के कारण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद अथवा केन्द्र सरकार को सिफारिश करेगा अथवा स्वयं ही राज्य गंगा समितियों अथवा जिला गंगा समितियों अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण अथवा किसी व्यक्ति संस्था, समूह अथवा एजेंसी को अपने निर्णयानुसार निदेश जारी करेगा तथा इसके पास ऐसे सभी उपाय करने और कार्य करने की शक्तियां होंगी, जो यह गंगा नदी तथा इसकी उप-नदियों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निषेध, नियंत्रण और उपशमन के लिए आवश्यक अथवा उचित समझे, जिनसे गंगा नदी को इसकी प्राकृतिक तथा पुरातन स्थिति तक संरक्षित किया जा सके तथा गंगा नदी तथा इससे संबंधित मामलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए गंगा नदी में जल के सतत तथा पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके ।

2. विशेष रूप से तथा उप-पैराग्राफ 1 के प्रावधानों की सामान्यतया के पूर्वाग्रह के बिना तथा इस आदेश में यथा अन्यथा उपबंधित ऐसे निदेश गंगा नदी के प्रबंधन के सभी अथवा किसी मामले को शामिल कर सकती है, नामत:-

(क) पैराग्राफ 4 में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार में इस आदेश के पैराग्राफ 55 में उल्लिखित कार्यों को पूरा करना;

(ख) केन्द्र सरकार के अनुमोदन से प्रदूषण के उपशमन तथा गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति बनाना ।

(ग) गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में संरक्षण, संरक्षा, प्रदूषण के निषेध, नियंत्रण और उपशमन के लिए गंगा बेसिन प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन से किसी देश अथवा विदेशी एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन करना ।

(घ) आशोधनों के साथ अथवा उसके बिना नदी गंगा बेसिन प्रबंधन योजना को अनुमोदित करना और सीधे संशोधन, यदि कोई हो, उस पर करना;

(ड.) प्रगति रिपोर्ट का पर्यवेक्षण करना, समीक्षा करना और राज्य गंगा समितियों, जिला गंगा संरक्षण समितियों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों को बुनियादी प्रबंधन योजना और गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के मामलों से संबंधित किसी अन्य मामले पर निर्देश जारी करना ।

(च) सीवरेज के बढ़ने और बहिस्राव शोधन अवसंरचना, आवाह क्षेत्र उपचार, बाढ़ मैदानों के संरक्षण, जन-जागरूकता सृजन करना, जलीय और राइपेरियन जीवन और जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरणीय रूप से स्थायी नदी संरक्षण के संवर्धन के लिए ऐसे अन्य उपायों सहित गंगा नदी में प्रदूषण के उपशमन के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन अनुमोदित करना ।

(छ) प्रदूषण के निषेध, नियंत्रण और उपशमन तथा गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों के कार्यान्वयन का समन्वय, मॉनीटरिंग और समीक्षा करना ।

(ज) नदी की पारिस्थितिकी को पुन: बहाल करने और नदी गंगा बेसिन राज्यों के प्रबंधन से संगत उपायों को करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण को निर्देश देना ।

(झ) स्पेशल पर्पज वेहिकल के सृजन के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करना (चाहे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के अधीन एक न्यास के रूप में) जैसाकि इस आदेश अथवा उक्त आदेश के प्रयोजन के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त हो ।

(ञ) प्रदूषण के प्रभावी निषेध, नियंत्रण और उपशमन, गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में संरक्षण और संरक्षा और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए नीति और कार्य के बेहतर समन्वय के लिए ऐसे उपाय करना, जिसे आवश्यक समझा जाए ।

(ट) परियोजनाओं के उपयुक्त तथा शीघ्र कार्यान्वयन के लिए किसी संगत व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को ऐसे निदेश जारी करना अथवा ऐसी परियोजनाओं को निरस्त करना अथवा निधियों के जारी रखने को रोकना अथवा पहले से जारी की गई धनराशि को सीधे रिफंड करना और किसी अन्य व्यक्ति अथवा बोर्ड अथवा कॉरपोरेशन को इसे शीघ्र कार्यान्वयन हेतु सौंपना ।

(ठ) पहले से जारी किसी भी कानून के प्रति पूर्वाग्रह रखे बिना लेखों या अन्य दस्तावेजों के रख-रखाव से किसी संबंधित या प्राधिकरण को निर्देश देना जैसा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ड) ऐसे अन्य उपाय करना जो कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण के बचाव, नियंत्रण और उपशमन की उपलब्धि, संरक्षण और निवारण और प्रबंधन के लिए आवश्यक है;

(3) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को मुद्दों पर निर्देशों को जारी करने की शक्ति होगी जोकि अधिनियम की धारा 5 में निर्धारित किए गए हैं।

(4) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपने निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु तथा राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णयों के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार करे।

(42) कतिपय मामलों में पूर्व अनुमोदन देना---- प्रत्येक व्यक्ति राज्य गंगा समितियां, जिला गंगा संरक्षण समितियां और स्थानीय प्राधिकरण तथा अन्य प्राधिकारी गंगा नदी से संबंधित तथा गंगा नदी या इसकी सहायक नदियों के दायरे में आने वाले क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित मामलों पर, यदि राष्ट्रीय गंगा नदी के निर्णयों को कार्यान्वित करना अपेक्षित है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। नामत:-

(क) गंगा नदी के डाउन स्ट्रीम जल के प्रवाह को प्रभावित किए बिना गंगा नदी में जल के भण्डारण के डाइवर्जन की प्रणाली;

(ख) गंगा नदी या नदी के तट पर या इसके बाढ़ योजना क्षेत्रों पर पुलों और सहायक सड़कों तथा तटों का निर्माण;

(ग) घाटों का निर्माण अथवा किसी भी मौजूदा घाट का विस्तार;

(घ) घाटों का निर्माण;

(ङ.) जल के संग्रह अथवा डाइवर्जन या नियंत्रण के लिए स्थायी जलीय संरचनाओं का निर्माण अथवा गंगा नदी अथवा इसकी सहायक नदियों का चैनलीकरण;

(च) पहाड़ी ढलानों और अधिसूचित वन तथा अन्य पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदी क्षेत्रों का वन कटाव;

(छ) कोई अन्य कार्यकलाप जो कि पैराग्राफ 4 में सिद्धांतों के विपरीत निर्धारित किए गए हैं उन्हें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

W

43. वित्तीय ढांचा ---- (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा वजटीय आवंटन अपने कार्यों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने से संबंधित व्यय तथा स्थापना व्यय को वहन करने हेतु उपयोग किया जाएगा। इसके लिए शर्त यह है कि अनुदान, ऋण और उधार के रूप में प्राप्त धन उन्हीं में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए वहन किया जाएगा जिनके लिए यह अनुदान, ऋण और उधार प्राप्त हुआ है।

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन लेखों तथा अन्य संबद्ध रिकार्डों का उपयुक्त रूप से रख-रखाव रखेगा और वार्षिक व्यय विवरण तैयार करेगा।

(3) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लेखों की सांविधिक लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी और वार्षिक लेखा परीक्षा पूरी होने के पश्चात लेखा परीक्षा एजेंसी वार्षिक लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र भेजेगी।

(4) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्य केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नियंत्रण में हैं और सतर्कता संबंधी मामलों की देख रेख के लिए एक सतर्कता अधिकारी होगा।

(5) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक व्यय विवरण प्रति वर्ष अधिकार प्राप्त कार्यबल को भेजा जावेगा और केन्द्र सरकार इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेगी।

44. कानून विशेषज्ञों को कार्य पर लगाना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पास एक उपयुक्त विधायी व्यवस्था होगी जिसके लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कानूनी विशेषज्ञ परामर्शदाता और विधायी फर्म की सेवाएं लेगी जो कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को विधायी मामलों पर सलाह देने के लिए तथा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सहयोग प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

45. रिपोर्टों की समीक्षा इसके कार्यकलापों से संबंधित सभी रिपोर्टें तथा राज्य गंगा समिति, जिला गंगा समिति या स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त रिपोर्टों की राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा समीक्षा की जावेगी और इन रिपोर्टों में बताए गए मामलों पर अपने विचारों के साथ यह रिपोर्ट राष्ट्रीय गंगा परिषद के सम्मुख दिशा-निर्देश हेतु प्रस्तुत की जायेगी, यदि ऐसा आवश्यक है।

46. गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा रिपोर्टों का समेकन ------ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी की गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा की समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे राष्ट्रीय गंगा परिषद को उन पर उपचारात्मक कार्रवाई के साथ प्रस्तुत करेगा तथा इसे सार्वजनिक क्षेत्र में भी उपलब्ध कराया जायेगा और इसे वेबसाइट पर दर्शाया जायेगा।

47. सूचना, निरीक्षण आयोजित करने , रिपोर्टें प्रकाशित करने इत्यादि के संबंध में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शक्तियां ---- ----- (1) जहां राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अधिनियम की धारा 5 के तहत इसे आवश्यक समझें उसे वह लिखित में आदेश देकर वह कह सकता है-----

(ए) किसी भी राज्य गंगा समितियों, जिला गंगा संरक्षण समितियों या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या व्यक्ति जिसे भी किसी भी परियोजना के कार्यनिष्पादन या ऐसी परियोजना से संबंधित कोई कार्य सौंपा गया है या किसी भी समय निधियों के उपयोग के बारे में सूचना या परियोजना के कार्य निष्पादन के लिए आवंटित ऐसी परियोजना से संबंधित स्पष्टीकरण या कार्यनिष्पादन या आवंटित निधि के उपयोग के बारे में सूचना को लिखित में या सार्वजनिक रूप से प्रचार-प्रसार करने हेतु पूछा जा सकता है जैसा भी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपेक्षित समझे; अथवा

(बी) एक या एक से अधिक व्यक्ति या किसी प्राधिकरण को नियुक्त करना जो कार्य करने अथवा कार्यनिष्पादन के लिए आवंटित परियोजना तथा आवंटित निधि के उपयोग के संबंध में पूछताछ कर सके।

(सी) अपने किसी भी अधिकारी या कर्मचारी अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी आवंटित परियोजना के कार्यकरण अथवा कार्यनिष्पादन अथवा निधि के उपयोग के संबंध में राज्य गंगा समितियों, जिला गंगा संरक्षण समितियों अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा संबंधित व्यक्ति से उनके लेखों और अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु निर्देश देना।

(डी) ऐसा कोई व्यक्ति, अधिकारी, राज्य सरकार या प्राधिकरण अपेक्षित है जो इसे संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट, रिटर्न, सांख्यिकी और अन्य सूचना भेजे और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी, राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण को यह कार्य करना बाध्य होगा।

48. वित्त पोषण और कार्यान्वयन मॉडल – (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का विकास होगा और यह निरंतर अपने वित्तीय मॉडलों को संशोधित करेगा जिससे परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन और सततता में सुधार होगा और जिसे प्रदूषण के उपशमन और गंगा नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए राज्य गंगा समितियों, जिला गंगा संरक्षण समितियों अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा व्यक्ति द्वारा अपनाया जा सकता है।

49. समेकित रिपोर्टों को तैयार करना --- (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समितियों, विनिर्दिष्ट जिला गंगा समितियों, स्थानीय प्राधिकरणों, अन्य प्राधिकरण, बोर्ड, निगम अथवा व्यक्ति द्वारा भेजी गयी रिपोर्टों और अन्य सूचना के आधार पर एक समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें प्रत्येक जिले के द्वारा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के आस-पास के क्षेत्रों के संबंध में सूचना दी जायेगी।

(ए) उनके द्वारा कार्यनिष्पादित की जा रही योजनाओं की स्थिति और उनके द्वारा किए गए उपाय तथा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की स्थिति से संबंधित अन्य कार्यकलाप की स्थिति;

(बी) गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में जल की गुणवत्ता और इस संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई;

(सी) गंगा नदी में जल की किसी भी रूप में रुकावट और उसके कारण;

(डी) विनिर्दिष्ट जिले में नदी तट और बाढ़ मैदान और आवास की स्थिति;

(ई) जिला गंगा समिति या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जनता से प्राप्त शिकायतों पर किए गए उपचारात्मक उपाय;

(एफ) प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई के साथ आने वाले शेष बाधाओं का पता लगाना;

(जी) रिपोर्ट यदि कोई है, जैसा कि गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा सूचित किया गया है;

(एच) गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की दशा के बारे में संबंधित अन्य सभी सूचना;

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उपपैराग्राफ -1 में उल्लिखित समेकित रिपोर्ट की समीक्षा करने के पश्चात कार्यबल को उपचारात्मक कार्रवाई के साथ उसे प्रस्तुत करेगा।

50. वार्षिक रिपोर्ट------ (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अगले वर्ष से तुरंत पहले अपने द्वारा और गंगा नदी के संबंध में अधिकार प्राप्त कार्यबल, विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समितियों, विनिर्दिष्ट जिला गंगा संरक्षण समितियों, संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी कार्यों की समेकित वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के अंत के 3 माह में तैयार करेगा।

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपने द्वारा किए गए तथा गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल, राज्य सरकारों, विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समितियों, विनिर्दिष्ट जिला गंगा संरक्षण समितियों, संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी कार्यों उपपैरा-1 में उल्लिखित इसकी समेकित वार्षिक रिपोर्ट में अलग-अलग भागों के तहत शामिल करेगी और इस समेकित वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रीय गंगा परिषद और केन्द्रीय सरकार को प्रेषित करेगी तथा इसे सार्वजनिक क्षेत्र में भी उपलब्ध कराया जायेगा। इसे वेबसाइट पर भी दर्शाया जायेगा।

51. समितियों का गठन – राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपने सदस्यों में से एक या ज्यादा गंगा नदी प्रबंधन समितियां बनाना' और नदियों अथवा जल के क्षेत्र में ऐसे विशेषज्ञ इस आदेश के तहत अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

52. मार्गदर्शन प्राप्त करना- राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णयों अथवा इस आदेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन में यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रीय गंगा परिषद का मार्ग दर्शन प्राप्त करें और तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई करें।

53. जिला गंगा संरक्षण समितियों का गठन –(1) केन्द्र सरकार गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए इस आदेश के प्रारम्भ से एक निश्चित समय के भीतर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति के परामर्श से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा ऐसे अन्य राज्यों में , जहां गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, प्रत्येक जिले में (इस आदेश में इसके बाद विनिर्दिष्ट जिला कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा(3) के अंतर्गत " जिला गंगा संरक्षण समितियों" के नाम से एक प्राधिकरण का गठन करेगी।

(2) प्रत्येक विनिर्दिष्ट गंगा जिले में प्रत्येक जिला गंगा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामत: –
(ए) विनिर्दिष्ट जिले में जिला कलेक्टर। अध्यक्ष, पदेन
(बी) विनिर्दिष्ट जिले नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों से राज्य सरकार द्वारा नामित दो से अधिक प्रतिनिधि सदस्य
(सी) राष्ट्रीय नदी गंगा के साथ लगने वाले विनिर्दिष्ट जिले में कार्यरत लोक निर्माण, सिंचाई, जन स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और ग्रामीण पेयजल विभाग, और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रत्येक का एक प्रतिनिधि जो जिला कलेक्टर द्वारा नामित किया जाएगा। सदस्य, पदेन
(डी) विनिर्दिष्ट जिले में जिला कलेक्टर द्वारा नामित गंगा संरक्षण कार्यकलापों से संबद्ध दो पर्यावरणविद और स्थानीय उद्योग संघ का एक प्रतिनिधि। सदस्य
(ई) विनिर्दिष्ट जिले का एक डिविजनल वन अधिकारी । सदस्य, पदेन
(एफ) एक जिला अधिकारी जिसे जिला कलेक्टर लिए नामित करे। सदस्य

(2) जिला कलेक्टर जिला गंगा समिति के अध्यक्ष होंगे और डिवीजनल वन अधिकारी जिला गंगा समिति के संयोजक होंगे।

(3) जिला गंगा समितियों की बैठक का समय और स्थान का निर्धारण उस समिति के अध्यक्ष करेंगे और इस आदेश के तहत प्रदत्त की गई शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेंगे।

बशर्ते कि जिला गंगा समिति की कम से कम एक बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाएगी।

(4) कोई गैर पदेन सदस्य सरकार को अथवा संबंधित जिला कलेक्टर के, जैसा भी मामला हो, लिखित नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और सरकार द्वारा अथवा जिला कलेक्टर द्वारा , जैसा भी मामला हो, उसका त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के बाद सदस्य नहीं रहेगा।

54. जिला गंगा संरक्षण समिति का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण – जिला गंगा संरक्षण समिति के प्रबंधन (वित्तीय और प्रशासनिक मामलों सहित) प्रबंधन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण इस आदेश में किसी बात के होते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में विहित होगा, जो इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अथवा इसके किसी अधिकारी अथवा इसके द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य किसी प्राधिकारी के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा।

55. जिला समितियों के कार्य और शक्तियां- (1) प्रत्येक जिला गंगा समिति पैराग्राफ चार में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार पैराग्राफ छः और सात में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण, मरम्मत और पुनर्वासन के लिए कार्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(2) विशेष रूप से गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के साथ लगने वाले डिग्रेडेड क्षेत्रों के पुनरुद्धार, संरक्षण, मरम्मत और पुनर्वासन के लिए उप-पैराग्राफ 1 के सामान्य प्रावधानों के अलावा और इस आदेश और अधिनियम के अन्य प्रावधानों तथा इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन प्रत्येक गंगा समिति को विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के संबंध में निम्नलिखित शक्तियां और अधिकार प्राप्त होंगे नामत :-

(ए) गंगा नदी अथवा इसकी सहायक नदियों अथवा रिवर बेड के संरक्षण के लिए गंगा नदी के साथ लगने वाले विनिर्दिष्ट जिले के क्षेत्रों में संभावित खतरों की पहचान करना और उसके संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की योजना बनाना और कार्रवाई करना।

(बी) विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों अथवा इसके रीवर बेड के संरक्षण के लिए अपनी ओर से सुधारात्मक कार्रवाई करना (इस आदेश के प्रावधानों को छोड़कर)।

(सी) उपचारात्मक कार्रवाई करने की स्थिति में सक्षम न होने पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और संबंधित राज्य सरकार, गंगा राज्य समिति, जैसा भी मामला हो, को गंगा नदी के बचाव के लिए निर्देश जारी करने हेतु रिपोर्टिंग (इलैक्ट्रोनिक और लिखित में हार्ड कापी भेजकर) और उपयुक्त प्रबंधन अथवा उपचारात्मक कार्रवाई तैयार करना।

(डी) इस आदेश के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक और अन्य उपाय करना ताकि इस आदेश के प्रावधानों से अलग न होते हुए या किसी भी कानून को कुछ समय के लिए लागू करने की बजाए गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोका जा सके।

(3) यदि जिला गंगा संरक्षण समिति का यह मत है कि इस अधिनियम के तहत विसंगतियां की गयी हैं या कोई अन्य कानून कुछ समय के लिए लागू किया जा रहा है या इस आदेश के प्रावधानों से अलग है तो इसे कुछ समय के लिए कानून के अनुरूप करके उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

(4) जिला गंगा संरक्षण समिति पैराग्राफ 7 में विनिर्दिष्ट ऐसे सभी आपातकालीन उपाय करेगी।

56. नोडल अधिकारी का पदनाम----- (1) प्रत्येक जिला गंगा समिति निम्नलिखित को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेगी--

(ए) गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में प्रत्येक गांव के ग्राम सभा के सरपंच

(बी) ऐसे मामले में जो गांव गंगा नदी से सटे हुए नहीं हैं, नगरपालिका योजना समिति या महानगर योजना समिति के अध्यक्ष या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस आदेश के प्रयोजनों हेतु, जिला गंगा संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जा सकता है।

(2) प्रत्येक नोडल अधिकारी जो उप-पैराग्राफ के तहत मनोनीत हुआ है (1) गंगा नदी की और उसकी सहायिकाओं में प्रदूषण को रोकने हेतु कदम उठा सकते और स्वयं गंगा नदी और उसकी सहायिकाओं के संरक्षण हेतु उपचारात्मक उपाय कर सकते या उनके नदी तटों जो ऐसे गांवों के साथ सटे हुए हैं या अन्य क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, जिसके लिए वह नोडल अधिकारी है और यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वे इस आदेश की अवहेलना को उपचारात्मक कार्रवाई हेतु जिला गंगा समिति के अध्यक्ष के ध्यान में ला सकते हैं।

(3) उप-पैराग्राफ (2) के तहत रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात जिला गंगा समिति का अध्यक्ष गंगा नदी या इसके नदी तटों से सटे विनिर्दिष्ट जिलों के संरक्षण हेतु उपचारात्मक कदम उठा सकते हैं।

57. योजनाओं की तैयारी--- (1) प्रत्येक जिला गंगा संरक्षण समिति गंगा नदी और उसकी सहायिकाओं और उनके नदी तटों से सटे विनिर्दिष्ट जिलों के संरक्षण हेतु अपनी आयोजना की तैयारी करेगा और उक्त को उसके बाद एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-पैराग्राफ (1) के तहत योजना में विनिर्दिष्ट जिला गंगा संरक्षण समिति द्वारा गंगा नदी और उसकी सहायिकाओं और उनके नदी तटों से सटे विनिर्दिष्ट जिलों में पर्यावरणीय प्रदूषण से संरक्षण, नियंत्रण और उसे हटाने हेतु उठाए गए कार्यकलाप शामिल होंगे, जिसे राज्य सरकार, राज्य गंगा समितियों या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या कोई अन्य प्राधिकरण या बोर्ड और ऐसी योजना हेतु शामिल व्यय संस्तुत किया जा सकता है और समय जिसमें ऐसे कार्यकलापों को पूर्ण किया जाएगा।

(58) बजट की तैयारी और लेखों का रखरखाव---- प्रत्येक जिला गंगा संरक्षण समिति प्रत्येक वित्त वर्ष में अपेक्षित फंडों को और उन उद्देश्यों जिसके लिए फंड खर्च किया जाएगा, और समय सीमा जिसके भीतर बजट में उल्लेख किए गए कार्यकलाप को पूरा किया जाएगा को दर्शाते हुए अपने बजट को तैयार करेगी और संबंधित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सूचना देते हुए संबंधित राज्य गंगा समिति को प्रस्तुत करेगी और वह समिति, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा अथवा सीएजी द्वारा नियुक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा लेखा परीक्षा के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा निर्धारित लेखों का उपयुक्त रखरखाव सुनिश्चित करेगी और यह लेखे राष्ट्रीय गंगा परिषद, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन राज्य गंगा समिति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी संस्था द्वारा निरीक्षण के शर्ताधीन होंगे।

(59) मासिक और वार्षिक रिपोर्टें--- (1) प्रत्येक गंगा संरक्षण समिति, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राज्य समितियों जैसा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्धारित किया गया है, राष्ट्रीय गंगा परिषद को मासिक और वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी।

(2) उप पैरा (1) में उल्लेख की गई वार्षिक रिपोर्ट के अतिरिक्त जिला गंगा संरक्षण समिति राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को ऐसे समय और ऐसे फोर्म और तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिससे विनिर्दिष्ट जिले में उसके आसपास के क्षेत्र में गंगा नदी बेसिन योजना हेतु अन्य रिटर्न, विवरण और कोई प्रस्तावित या मौजूदा कार्यक्रम के संबंध में अन्य ब्यौरे हेतु निर्देश दें।

60. बजट आवंटन---- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन बजट आवश्यकता को समेकित और तैयार कर सकता है और उक्त जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत कर सकता है।

61. केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देश--- इस आदेश में दी गई किसी भी बात के बावजूद, केंद्रीय सरकार के लिए यह विधिपूर्ण हो कि वे मंत्रालय या भारत सरकार के विभागों या राज्य सरकारों तथा राज्य गंगा समितियों, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या जिला गंगा समितियों या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण तथा सांविधिक निकायों या उनके अधिकारी या कर्मचारी, जैसा भी मामला हो लिखित में निर्देश जारी करे जिससे वे गंगा नदी और उसके सहायिकाओं के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन में सहायता प्रदान कर सके और ऐसा मंत्रालय या विभाग या प्राधिकरण या मिशन या बोर्ड या सरकार और सांविधिक निकाय, अधिकारी या कर्मचारी ऐसे निर्देशों के अनुपालन हेतु बाध्य होंगे।

62. अधिनियम की धारा 19 के तहत शिकायत करना--- इस आदेश के तहत गठित सभी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरणों द्वारा प्राधिकृत किए गए उनके अधिकारी कोर्ट के समक्ष उक्त धारा के अंतर्गत किसी उल्लंघन को संज्ञान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत शिकायत कर सकते हैं।

63. अन्य दायित्वों के अतिरिक्त आदेश—इस आदेश के प्रावधान किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या कॉरपोरेशन या किसी व्यक्ति द्वारा गंगा नदी में कुशल प्रदूषण नियंत्रण और पुनरुद्धार के प्रयोजन से उपाय करने हेतु अपने कार्यों के निर्वाह में और उसके संरक्षण और प्रबंधन और अभी लागू कोई अन्य कानून में अपने कार्यों के बिना किसी पक्षपात के है।

अनुसूची

(पैराग्राफ 20 देखें)

राज्य और प्रबंधन समितियों की संरचना

क्र.सं.	विनिर्दिष्ट राज्य गंगा संरक्षण और प्रबंधन का नाम	राज्य गंगा संरक्षण और प्रबंधन समितियों की संरचना
(1)	(2)	(3)
1.	(नाम) राज्य गंगा संरक्षण और प्रबंधन समिति	(क) मुख्य सचिव, राज्य सरकार (नाम) पदेन सदस्य
		(ख) प्रधान सचिव, वित्त विभाग राज्य सरकार (नाम) सदस्य, पदेन
		(ग) प्रधान सचिव, शहरी विकास और आवास विभाग, (नाम) सरकार- सदस्य, पदेन
		(घ) प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, राज्य सरकार (नाम)- सदस्य, पदेन
		(ङ) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, राज्य सरकार (नाम)- सदस्य, पदेन

		(च) प्रधान सचिव, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, राज्य सरकार (नाम) सदस्य, पदेन
		(छ) अध्यक्ष (नाम) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य, पदेन
		(ज) (नाम) राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी के चीफ ऐक्जीक्यूटिव अधिकारी- सदस्य, पदेन
		(झ) वनों के प्रधान मुख्य संरक्षक, राज्य सरकार (नाम) -सदस्य, पदेन
		(ट) सरकार (नाम) द्वारा संबंधित क्षेत्रों से पांच विशेषज्ञों से अधिक मनोनीत नहीं किए जाएंगे।-सदस्य

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी]

संजय कुंडू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT, AND GANGA REJUVENATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2016

S.O. 3187(E).—Whereas it is necessary to constitute authorities at Central, State and District levels to take measures for prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and to ensure continuous adequate flow of water so as to rejuvenate the River Ganga to its natural and pristine condition and for matters connected therewith or incidental thereto;

And whereas the River Ganga is of unique importance ascribed to reasons that are geographical, historical, socio-cultural and economic giving it the status of a National River;

And whereas the River Ganga has been facing serious threat due to discharge of increasing quantities of sewage, trade effluents and other pollutants on account of rapid urbanisation and industrialisation;

And whereas, the demand for water of River Ganga is growing for irrigation, drinking water supplies, industrial use and hydro-power due to increase in population, urbanisation, industrialisation, infrastructural development and taking into account the need to meet competing demands;

And whereas there is an urgent need-

(a) to ensure effective abatement of pollution and rejuvenation of the River Ganga by adopting a river basin approach to promote inter-State and inter-sectoral co-ordination for comprehensive planning and management;

(b) to maintain ecological flows in the River Ganga with the aim of ensuring continuous flows throughout its length so as to restore its ecological integrity that enables it to self rejuvenate;

(c) for imposing restrictions in areas abutting the River Ganga in which industries, operations or processes, or class of industries, operations or processes shall not be carried out or shall be carried out subject to certain safeguards;

(d) to make provision for inspection of any premises, plants, equipment, machineries, manufacturing or other processes, materials or substances and giving direction to the authorities, officers and persons as may be necessary to take steps, for prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga;

(e) for carrying out and sponsoring investigations and research relating to problems of environmental pollution in the River Ganga and examination of such manufacturing processes, material and substance as are likely to cause environmental pollution;

(f) for collection and dissemination of information in respect of matters relating to environmental pollution in the River Ganga and preparation of manual, codes or guide relating to the prevention, control and abatement of environmental pollution;

And whereas the State Governments concerned, being equally responsible for Ganga rejuvenation, are required to co-ordinate and implement the river conservation activities at the State level, and to take steps for comprehensive management of the River Ganga in their States;

And whereas it is required to have planning, financing, monitoring and coordinating authorities for strengthening the collective efforts of the Central Government and the State Governments and authorities under this Order for effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (i), (ii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xii) and (xiii) of sub-section (2) and (3) of section 3 and sections 4,5,9,10,11, 19, 20 and 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the Act) and in supersession of the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests numbers S.O.1111(E), dated the 30th September, 2009, S.O. 2493 (E), dated the 30th September, 2009, S.O. 2494 (E), dated the 30th September 2009, S.O. 2495 (E), dated the 30th September 2009, S.O. 287 (E) dated the 8th February, 2010 and in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation No. S.O. 2539 (E), dated the 29th September 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby------

(i)constitutes the authorities by the names mentioned in this Order for the purpose of exercising and performing such of the powers and functions (including the power to issue directions under section 5 of the Act and for taking measures with respect to the matters as mentioned in this Order;

(ii))directs, subject to the supervision and control of the Central Government and the provisions of this Order, such authority or authorities as specified in this Order that shall exercise the powers or perform the functions or take the measures so mentioned in this Order as if such authorities had been empowered by the Act to exercise those powers, perform those functions, or take such measures;

(iii)directs that all its powers and functions (except the power to constitute any authority under sub-section (3) of section 3 and to make rules under the sections 6 and 25 of the Act) under any provision of the Act shall, in relation to River Ganga and matters connected therewith, be exercisable and discharged also by the authorities constituted by this Order and by the officers specified in this Order, subject to such conditions and limitations and to the extent as specified in this Order.

1.Short title and commencement. – (1) This Order may be called the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Applicability.**- This Order shall apply to the States comprising River Ganga Basin, namely, Himanchal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Haryana, Rajasthan, West Bengal and the National Capital Territory of Delhi and such other States, having major tributaries of the River Ganga as the National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga may decide for the purpose of effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga.

3.Definitions.- (1) In this Order, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b)"Basin" means the entire catchment of a water body or water course including the soil, water, vegetation and other natural resources in the area and includes land, water, vegetation and other natural resources on a catchment basis;

(c)"Buffer Area" means an area which extends beyond the flood plain of a stream;

(d)"catchment" or ""catchment area "includes the entire land area whose runoff from rain, snow or ice drains into a water body or a water course, before the water course joins River Ganga or its tributaries or discharges water into River Ganga or its tributaries;

(e)"commercial fishing" means large scale fishing for commercial purposes by nets, poisoning, or other modern fishing gear or methods in River Ganga or its tributaries;

(f) Competent authority means "Central Government"

(g)"deforestation" means removal or reduction of forest cover, especially when caused by anthropogenic activities or removal of trees and other vegetation of a forest excluding a planned clearance for scientific management of forest in particular in the catchment area of River Ganga;

(h)"degraded forest" means a forest having loss or reduction of native forest cover or vegetation density in the catchment area abutting River Ganga or its tributaries;

(i)"direction" shall mean direction issued under section 5 of the Act and the expression "direct" shall be construed accordingly;

(j) "District Ganga Committee" means the District Ganga Protection Committee mentioned in paragraph 53;

(k)"engineered diversion" means a structure or device constructed or installed to transfer the water of River Ganga or its tributaries into canals or other engineering structures;

(l)"flood plain" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years;

(m)"Ghat" means sloping part at Bank of River Ganga or its tributaries with artificially constructed steps or sloping piece of land used for providing easy human access to water of River Ganga or its tributaries and includes usage of such parts for religious or other related purposes;

(n)"local authority" includes Panchayati raj institutions, municipalities, a district board, cantonment board, town planning authority or Zila Parishad or any other body or authority, by whatever name called, for the time being invested by law, for rendering essential services or with the control and management of civic services, within a specified local area;

(o)"National Mission for Clean Ganga" means the authority mentioned in paragraph 31.

(p) "notification" means a notification published in the Official Gazette and the expression 'notifying' shall be construed accordingly;

(q)"offensive matter" consists of solid waste which includes animal carcasses, kitchen or stable refuse, dung, dirt, putrid or putrefying substances and filth of any kind which is not included in the sewage;

(r)"person" include ----

(i)an individual or group or association of individuals whether incorporated or not;

(ii)a company established under the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(iii)any corporation established by or under any Central or State Act;

(iv)a local authority;

(v) every juridical person not falling within any of the preceding sub-clauses;

(s)"River Bed" means the dried portion of the area of River Ganga or its tributaries and includes the place where the River Ganga or its tributaries run its course when it fills with water and includes the land by the side of River Ganga or its tributaries which retains the water in its natural channel, when there is the greatest flow of water;

(t) "River Bed Farming" includes seasonal agriculture or farming on the River Bed of River Ganga or its tributaries during low flows of water;

(u)"River Ganga" means the entire length of six head-streams in the State of Uttarakhand namely, Rivers Alakananda, Dhauli Ganga, Nandakini, Pinder, Mandakini and Bhagirathi starting from their originating glaciers up to their respective confluences at Vishnu Prayag, Nand Prayag, Karn Prayag, Rudra Prayag, and Dev Prayag as also the main stem of the river thereafter up to Ganga Sagar including Prayag Raj and includes all its tributaries;

(v) "rubbish" means ashes, broken brick, mortar, broken glass, dust or refuse of any kind and includes filth;

(w) "sand mining" means large scale removal of river sand from the dried channel belt, flood plain or a part of River Ganga or its tributaries;

(x) "sewage effluent" means effluent from any sewerage system or sewage disposal works and includes sewage from open drains;

(y) "sewerage scheme" means any scheme which a local authority may introduce for removal of sewage by flushing with water through underground closed sewers;

(z) "Schedule" means Schedule appended to this Order;

(za) "specified District" means an area of every District abutting the River Ganga, being within a radius of fifteen kilometers of the Ganga River Bank or its tributaries in the States of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Haryana, Rajasthan, West Bengal and the National Capital Territory of Delhi and such other States, having major tributaries of the River Ganga as referred to in this Order;

(zb) "State Ganga Committee" means the State Ganga Rejuvenation, Protection and Management Committee constituted under this Order for each of the States mentioned in paragraph 2.

(zc) State Ganga River Conservation Authority means an authority earlier constituted in each State under the Act as follows, namely:-

(i) the Bihar State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O287 (E), dated 8th February 2010;

(ii) the Jharkhand State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O2495(E), dated 30th September 2009;

(iii) the Uttarakhand State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O 1111 (E), dated 30th September 2009;

(iv) the Uttar Pradesh State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O2493 (E), dated 30th September 2009; and

(v) the West Bengal State Ganga River Conservation Authority constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O2494 (E), dated 30th September 2009.

(zd) "stream" includes river, water course (whether flowing or for the time being dry), inland water (whether natural or artificial) and sub-terrain waters;

(ze) "tributaries of River Ganga" means those rivers or streams which flow into River Ganga and includes Yamuna River, Son River, Mahananda River, Kosi River, Gandak River, Ghaghara River and Mahakali River and their tributaries or such other rivers which National Council for Rejuvenation Protection and Management of River Ganga may, by notification, specify for the purposes of this Order.

2. The words and expressions used herein and not defined but defined in the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Principles to be followed for rejuvenation, protection and management of River Ganga. – (1) The following principles shall be followed in taking measures for the rejuvenation, protection and management of River Ganga, namely:-

(i) the River Ganga shall be managed as a single system;

(ii) the restoration and maintenance of the chemical, physical, and biological quality of the waters of River Ganga shall be achieved in a time bound manner;

(iii) the River Ganga shall be managed in an ecologically sustainable manner;

(iv) the continuity of flow in the River Ganga shall be maintained without altering the natural seasonal variations;

(v) the longitudinal, lateral and vertical dimensions (connectivities) of River Ganga shall be incorporated into river management processes and practices;

(vi) the integral relationship between the surface flow and sub-surface water (ground water) shall be restored and maintained;

(vii) the lost natural vegetation in catchment area shall be regenerated and maintained;

(viii) the aquatic and riparian biodiversity in River Ganga Basin shall be regenerated and conserved;

(ix) the bank of River Ganga and its flood plain shall be construction free Zone to reduce pollution sources, pressures and to maintain its natural ground water recharge functions;

(x) the public participation in rejuvenation, protection and management,revision and enforcement of any regulation, standard, effluent limitation plan, or programme for rejuvenation, protection and management shallbe encouraged and made an integral part of processes and practices of

River Ganga rejuvenation, protection and management.

(2)National Mission for Clean Ganga may, having regard to the needs of the people of the country, advances in technology and socio economic conditions of the people and to preserve the rich heritage of national composite culture, specify additional principles in addition to the principles specified under sub-paragraph (1).

5.Ecological flow of water in River Ganga to be maintained. – (1) Every State Government, shall endeavor to ensure that uninterrupted flows of water are maintained at all times in River Ganga as required under clause (iv) of paragraph (4).

(2) Every State Government shall also endeavor to maintain adequate flow of water in River Ganga in different seasons to enable River Ganga to sustain its ecological integrity and to achieve the goal, all concerned authorities shall take suitable actions in a time bound manner.

(3) For the purposes of this paragraph, the average flow of water shall be determined by such Hydrology Observation Stations at such points of the River Ganga, as may be specified by the National Mission for Clean Ganga:

Provided that the average flow of water in River Ganga may, having regard to ecology, be determined by the National Mission for Clean Ganga for different points of River Ganga.

6. Prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries.- (1) No person shall discharge, directly or indirectly, any untreated or treated sewage or sewage sludge into the River Ganga or its tributaries or its banks:

Provided that where a local authority does not have, on the date of commencement of this Order, sewerage scheme or infrastructure for collection, storage, transportation and disposal of sewage or sewage sludge or such infrastructure is not functional on the said date in an area abutting the River Ganga or its tributaries, every such local authority shall, within a period, specified by National Mission for Clean Ganga from the date of commencement of this Order, develop such infrastructure or make such infrastructure functional, as the case may be, for collection, storage, transportation and disposal of sewage in the territorial area of the local authority.

(2) No person shall discharge, directly or indirectly, any untreated or treated trade effluent and industrial waste, bio-medical waste, or other hazardous substance into the River Ganga or its tributaries or on their banks:

Provided further that where an industry or industrial area management does not have, on the date of commencement of this Order, industrial effluent treatment scheme or infrastructure for collection, storage, transportation and disposal of trade effluents industrial waste, bio-medical waste, or other hazardous substance, etc. or such infrastructure is not functional on the said date in an area abutting the River Ganga or its tributaries, every such industry or industrial area management shall, within a period so specified by the National Mission for Clean Ganga from the date of commencement of this Order, develop such infrastructure or make such infrastructure functional, as the case may be, for collection, storage, transportation and disposal of trade effluent and industrial waste, bio-medical waste, or other hazardous substance in the jurisdiction of the industry or industrial area management.

(3) No person shall construct any structure, whether permanent or temporary for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries:

Provided that in exceptional circumstances like natural calamities or religious events at traditional locations, temporary structures can be raised after prior permission of the National Mission for Clean Ganga acting through the State Ganga Committee and the District Ganga Committee:

Provided further that in case any such construction has been completed, before the commencement of this Order, in the River Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries, the National Mission for Clean Ganga shall review such constructions so as to examine as to whether such constructions are causing interruption in the continuous flow of water or pollution in River Ganga or its tributaries, and if that be so, it shall cause for removing them.

(4) No person shall do any act or carry on any project or process or activity which, notwithstanding whether such act has been mentioned in this Order or not, has the effect of causing pollution in the River Ganga.

(5) It shall be the duty of the National Mission for Clean Ganga, every Specified State Ganga Committee or specified District Ganga Protection Committee, local authority and all other authorities and persons to disseminate widely and bring to public notice, using various means, information captured in reports and the aforesaid measures in the local language in every village, town, city and other areas abutting River Ganga and its tributaries.

7. Emergency measures in case of pollution of River Ganga or its tributaries — If any poisonous, noxious or polluting matter is present or has entered into the River Ganga due to any accident or other unforeseen act or event, and it is necessary or expedient to take immediate action, the National Mission for Clean Ganga shall take immediate action for carrying out such operations or direct for carrying out such operations by the specified State Ganga Committee or specified District Ganga Committee or local authority or any other authority or Board or Corporation, as it may consider necessary for all or any of the following purposes, namely; -

(a)the manner of removing the matter from River Ganga and disposing it off in such a manner as it may specify, as also, for carrying out such operations as is considered appropriate for mitigation or removal of any pollution caused by such matter;

(b) issuing directions restraining or prohibiting any person concerned from discharging any poisonous, noxious or polluting matter in the River Ganga;

(c) undertaking any additional work or functions as may be necessary to address such emergency.

8. Power to issue directions. - The National Mission for Clean Ganga shall, in the exercise of its powers and performance or its functions under this Order, issue such directions in writing as it may consider necessary for abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga to the concerned authority or local authority or other authorities or Board or Corporation or person and they shall be bound to comply with such directions.

9. Ganga safety audit.- Every District Ganga Committee shall cause the Ganga safety audit to be carried out by such Ganga Safety Auditors within such time frame and in accordance with such protocols as may be specified by the

National Mission for Clean Ganga for the area of the River Ganga abutting such district and forward the copy of the report of such safety audit along with remedial action taken thereon to the concerned State Ganga Committee and the National Mission for Clean Ganga, which shall take appropriate action thereon, if required.

10. Pollution in River Ganga and its tributaries to be monitored.- (1) The pollution in River Ganga and its tributaries shall be monitored by the National-Mission for Clean Ganga on its own or by directions through various State and Central Government agencies by use of satellite imagery and other remote sensing technologies as well as physical stations, online monitoring and independent agencies at a periodicity to be specified by it.

(2) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (1), the Central Government may assign the function of monitoring of pollution in River Ganga and its tributaries to any other agency or body or direct, having regard to advances in technology, to monitor the aforesaid pollution in River Ganga and its tributaries by adopting any other technique or method, as may be specified in the direction.

11. Constitution of National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga. - With effect from the date of commencement of this Order, there shall be constituted an authority by the name to be called the National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga, (hereinafter in this Order called as the National Ganga Council) for the purposes of the Act and to exercise powers and discharge functions as specified in this Order and the Act.

12.Composition of National Ganga Council.-The National Ganga Council shall consist of the following members, namely:-	
(a)Prime Minister	-*Chairperson ,ex-officio*
(b) Union Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	- *Vice-Chairperson, ex-officio*
(c)Union Minister for Environment, Forests and Climate Change	- *Member, ex-officio;*
(d)Union Minister for Finance	- *Member, ex-officio;*
(e)Union Minister for Urban Development	- *Member, ex-officio;*
(f) Union Minister for Power	- Member, *ex-officio;*
(g)Union Minister for Science and Technology	- Member, *ex-officio;*
(h)Union Minister for Rural Development	- Member, *ex-officio;*
(i)Union Minister for Drinking Water and Sanitation	- Member, *ex-officio;*
(j) Union Minister for Shipping	- Member, *ex-officio;*
(k) Union Minister of State for Tourism	- Member, *ex-officio;*
(l) Vice Chairman, NITI Aayog	- Member, *ex-officio;*
(m)Chief Minister, Bihar	- Member, *ex-officio;*
(n) Chief Minister, Jharkhand	- Member, *ex-officio;*
(o) Chief Minister, Uttarakhand	- Member, *ex-officio;*
(p) Chief Minister, Uttar Pradesh	- Member, *ex-officio;*
(q) Chief Minister, West Bengal	- Member, *ex-officio;*
(r) Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	- Member, *ex-officio;*
(s)Director General, National Mission for Clean Ganga	– Member Secretary, *ex-officio.*

(2) The National Ganga Council may co-opt one or more Chief Ministers from the States not represented in the National Ganga Council having major tributaries of River Ganga, which are likely to affect the water quality in the River Ganga, as Member.

(3) The National Ganga Council may also co-opt one or more Union Ministers, if it considers necessary, as Member.

(4) The National Ganga Council may consult experts and expert organisations or institutions in the field of river rejuvenation, river ecology and river management, hydrology, environmental engineering, social mobilisation and other relevant fields.

(5) The Headquarter of the National Ganga Council shall be at New Delhi or at such other place as it may decide.

(6) The National Ganga Council shall have its Secretariat in the National Mission for Clean Ganga.

(7) The Central Government in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation shall serve as the nodal Ministry.

13. Dissolution of National Ganga River Basin Authority — (1) On and from the date of constitution of the National Ganga Council in paragraph 11, the National Ganga River Basin Authority constituted by Notification of the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, number S.O 2539 (E), dated the 29th September 2014 shall stand dissolved.

(2) All things done or omitted to be done or actions taken or any money spent or authorised to be spent by the National Ganga River Basin Authority before such dissolution shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Order.

14.Superintendence, direction and control of management of River Ganga to vest in National Ganga Council.- The National Ganga Council shall, notwithstanding anything contained in this Order, be overall responsible for the superintendence, direction, development and control of River Ganga and the entire River Basin (including financial and administrative matters) for the protection, prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its rejuvenation to its natural and pristine condition and to ensure continuous adequate flow of water in the River Ganga and for matters connected therewith.

15. Jurisdiction of National Ganga Council.- The jurisdiction of the National Ganga Council shall extend to the areas mentioned in paragraph 2.

16. Meetings of National Ganga Council.- (1) National Ganga Council may regulate its own procedure for transacting its business including its meetings.

(2) The Chairperson of the National Ganga Council shall preside over its meetings and in his absence, its Vice-Chairperson shall, preside over the meetings of the National Ganga Council and conduct its business.

(3) The Vice-Chairperson shall have the power to take decisions necessary for the National Ganga Council to achieve its objectives, in between the conduct of the two meetings of the Council subject to ratification in the next meeting.

(4) The National Ganga Council shall meet at least once every year or more as it may deem necessary.

17. Constitution of Empowered Task Force on River Ganga as authority.- (1) With effect from the date of commencement of this Order, there shall be constituted an authority by the name to be called the Empowered Task Force on River Ganga for the purposes of the Act and to exercise powers and discharge functions as specified in this Order and the Act.

(2) The Empowered Task Force on River Ganga shall consist of the following members, namely:-
(a)Union Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Chairperson, *ex-officio*;
(b) Union Minister of State for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Vice-Chairperson, *ex-officio*;
(c)Secretary in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member, *ex-officio*
(d) Secretary in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) - Member, ex-officio;
(e) Chief Executive Officer, Niti Ayog - Member, ex-officio;
(f) Chief Secretary, State of Uttrakhand - Member, ex-officio;
(g) Chief Secretary, State of Uttar Pradesh - Member, ex-officio;
(h)Chief Secretary, State of Bihar - Member, ex-officio;
(i) Chief Secretary, State of Jharkhand - Member, ex-officio;
(j) Chief Secretary, State of West Bengal - Member, ex-officio;
(k) Director General , National Mission for Clean Ganga - Member-Secretary

(3) The Empowered Task Force on River Ganga may also co-opt one or more Secretary in the Union Ministries or the Chief Secretary of any other State concerned, if it considers necessary, as member

(4) The Empowered Task Force on River Ganga shall meet at least once every three months or more as it may deem necessary.

(5) The administrative and technical support to the Empowered Task Force on River Ganga shall be provided by the Central Government in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation which shall be the nodal Ministry for the purposes of such administrative and technical support.

18. Functions and powers of Empowered Task Force on River Ganga. –

(1) The Empowered Task Force on River Ganga shall co-ordinate and advise on matters relating to rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1), the functions and powers of the Empowered Task Force on River Ganga may include measures with respect to all or any of the following matters in rejuvenation, protection and management of River Ganga, namely:-

(a) ensuring that the Ministries, Departments and State Governments concerned have -

(i) an action plan with specific activities, milestones, and timelines for achievement of the objective of rejuvenation and protection of River Ganga;

(ii) a mechanism for monitoring implementation of its action plans;

(b) co-ordination amongst the Ministries and Departments and State Governments concerned for implementation of its action plans in a time bound manner;

(c) to monitor the implementation process, address bottlenecks, suggest and take such decisions as may be necessary to ensure speedy implementation;

(d) all projects under the ambit of Namami Gange including ongoing projects funded domestically and through external assistance;

(e) discharge of such other functions or exercise of such powers as may be considered necessary for achievement of the objective of rejuvenation, protection and management of River Ganga or as may be assigned to it by the Central Government or specified by the National Ganga Council;

19. Approval for projects exceeding value of rupees one thousand crore.-

(1) The Empowered Task Force on River Ganga shall be responsible for the approval of every project exceeding a value of rupees one thousand crore, as amended from time to time.

(2) The Empowered Task Force on River Ganga may constitute a sub-committee of officials amongst its members for the purpose of sub-paragraph (1)

20. Constitution and Composition of Specified State Ganga Rejuvenation, Protection and Management Committees as authorities.– With effect from the date of commencement of this Order, there shall be constituted, in each State as specified in paragraph 2, an authority to be called the State Ganga Rejuvenation, Protection and Management Committee, which shall consist of a Chairperson and other members as specified in the Schedule to exercise powers and discharge functions as specified in this Order and the Act.

21. Meetings of State Ganga Committee. – (1) Every State Ganga Committee may regulate its own procedure for transacting its business including its meetings.

(2)Every State Ganga Committee shall convene its meetings at least once in every three months' time.

(3) The Chairperson of the State Ganga Committee shall preside over its meetings and in his absence, the said Committee shall elect its Vice-Chairperson who shall, preside over the meetings of the State Ganga Committee and conduct its business.

22. Superintendence, direction and control over Committee.- The superintendence, direction and control of the District Ganga Committees shall, notwithstanding anything contained in this Order, vest in the State Ganga Committee, for the purposes of rejuvenation, protection, prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries so as to rejuvenate the River Ganga to its natural and pristine condition and ensure continuous and adequate flow of water in River Ganga and for protection and management of River Ganga in the States concerned.

23. Decisions of State Ganga Committee to be binding.- The decision taken at the meetings of the State Ganga Committee shall, notwithstanding anything contained in this Order, be binding upon every District Ganga Committee and every local authority or other authority or Board or person referred to in such decision and they shall comply with the decisions of the State Ganga Committee.

24. Powers, duties and functions of State Ganga Committees.– (1) Every State Ganga Committee shall, subject to the provisions of the Act and rules made or directions issued thereunder, have the power to take all such measures, including those in paragraphs 6, 7 and 8, as it deems necessary or expedient for effective abatement of pollution and conservation

of the River Ganga and for implementing the decisions or directions of the National Ganga Council and National Mission for Clean Ganga.

(2) The State Ganga Committee shall implement various programmes and projects of the National Ganga Council and National Mission for Clean Ganga.

(3) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraphs (1) and (2), such measures may include all or any of the following matters, namely:-

(a) coordination and implementation of the conservation activities relating to River Ganga including augmentation of sewerage infrastructure, catchment area treatment, protection of flood plains, creating public awareness and such other measures at the State level and regulation of activities aimed at the prevention, control and abatement of pollution in the River Ganga to maintain its water quality, and to take such other measures relevant to river ecology and management in the State concerned;

(b) implementation of the river basin management plan in the concerned State;

(c) maintenance of minimum ecological flows in the River Ganga in the concerned State and actions thereon;

(d) entry and inspection under section 10 and power to take sample under section 11 of the Act for the purpose of exercising and performing its functions under this Order.

(4) The State Ganga Committee shall undertake all the emergency measures mentioned in paragraph 7.

(5) The State Ganga Committee shall have the powers to issue directions under section 5 of the Act.

(6) The powers and functions of the State Ganga Committee shall be without prejudice to any of the powers conferred upon the State Government under any Central or State Act, being not inconsistent with the provisions of the Act.

25. Monitoring execution of plans and programmes of District Ganga Committees.- Every State Ganga Committee shall monitor the execution of plans, programmes, and projects of all their District Ganga Protection Committees and those of other authorities and submit progress in respect thereof to the National Mission for Clean Ganga.

26. Preparation of consolidated reports of all District Ganga Committees and taking remedial measures in respect thereof.- (1) Every State Ganga Committee shall prepare a consolidated report of all District Ganga Protection Committees, local authorities or other authorities or Board or Corporation or person for every quarter indicating therein in respect of each specified District abutting River Ganga and its tributaries, ----

(a) the status of the plans being executed and measures taken by them and any other activity relating to the health of River Ganga and its tributaries;

(b) the quality of water in River Ganga and its tributaries in each specified District and remedial action in respect thereof;

(c) any interruption of flow in the River Ganga in each specified District and reasons therefor;

(d) remedial measures taken on the complaints made to the District Ganga Committee or local authorities or other authorities;

(e) adverse report as reported by Ganga safety auditors in each specified District;

(f) any other information relevant to the health of River Ganga and its tributaries.

(2) The report referred to in sub-paragraph (1) shall be submitted within one month at the end of each year to the State Ganga Committee and National Mission for Clean Ganga along with remedial action thereof.

27. Conducting of Ganga safety audit and submission of such audit reports by State Ganga Committees.- (1) It shall be the duty of the State Ganga Committees to conduct or causes to be conducted, through the District Ganga Committees, the Ganga safety audit and submit report of the Ganga safety audit to the National Mission for Clean Ganga along with the remedial action taken thereon and also make available the same in public domain and exhibit the same at its website.

(2) The Ganga safety audit shall include such particulars and be done at such intervals (save as otherwise provided in this Order) and in such manner as may be specified, by notification, by the National Mission for Clean Ganga.

28. State Ganga Committee to be nodal agency.- The State Ganga Committee shall be the State-wide nodal agency in the State for the implementation of the provisions of this Order and for effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga and its tributaries.

29. State Ganga Committees to be bound by direction of National Ganga Council and National Mission for Clean Ganga.- Every State Ganga Committee, without prejudice to the foregoing provisions of this Order, shall, in exercise of its powers or the performance of its functions under this Order, be bound by the decisions or such directions (including those relating to technical and administrative matters) as the National Ganga Council and the National Mission for Clean

Ganga may give in writing to it from time to time for abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga.

30. Dissolution of State Ganga River Conservation Authorities and State Executive Committees.- (1) With effect from the date of constitution of the State Ganga Committees, the respective State Ganga River Conservation Authorities and the respective State Executive Committees constituted before the commencement of this Order shall stand dissolved.

(2)All things done or omitted to be done or actions taken or any money spent or authorised to be spent by the authorities and committees under sub-paragraph (1) before such dissolution shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Order.

31. Constitution of National Mission for Clean Ganga as an authority.-(1) With effect from the date of commencement of this Order, the National Mission for Clean Ganga, a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), shall be an authority constituted under the Act, by the same name for the purposes of the Act and to exercise powers and discharge functions as specified under this Order and the Act and the rules made or directions issued thereunder.

(2) The composition of the National Mission for Clean Ganga shall be as specified in paragraph 35.

32. Area of operation of National Mission for Clean Ganga.- The area of operation of the National Mission for Clean Ganga shall be the areas mentioned in paragraph 2.

33. National Mission for Clean Ganga to be nodal agency.- The National Mission for Clean Ganga shall be the nodal agency for the nationwide implementation of the provisions of this Order and for effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga and its tributaries.

34. National Mission for Clean Ganga to be an empowered organization.- The National Mission for Clean Ganga shall be an empowered organisation with two tier management having administrative, appraisal and approval powers and duties, functions and powers as specified in this Order.

35. Composition of National Mission for Clean Ganga.- The National Mission for Clean Ganga shall have a two-tier management structure and it shall comprise of the Governing Council and the Executive Committee.

(1) The Governing Council shall consist of the following members, namely:-

(a)	Director General of National Mission for Clean Ganga	Chairman, ex-officio
(b)	Joint Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Member, *ex-officio*
(c)	Joint Secretary, Ministry of Urban Development	Member, *ex-officio*
(d)	Joint Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Member, *ex-officio*
(e)	Joint Secretary, Department of Expenditure	Member, *ex-officio*
(f)	Representative of NITI Aayog (not below Joint Secretary)	Member, *ex-officio*
(g)	Chairman, Central Pollution Control Board	Member, *ex-officio*
(h)	Principal Secretary, Urban Development, Government of Bihar	Member, *ex-officio*
(i)	Principal Secretary, Urban Development, Government of Jharkhand	Member, *ex-officio*
(j)	Principal Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh	Member, *ex-officio*
(k)	Principal Secretary, Peyjal, Government of Uttarakhand	Member, *ex-officio*
(l)	Principal Secretary, Urban Development, Government of West Bengal	Member, *ex-officio*
(m)	Executive Director(Deputy Director General), National Mission for Clean Ganga	Member, *ex-officio*
(n)	Executive Director (Technical),National Mission for Clean Ganga	Member, *ex-officio*

(o)	Executive Director (Finance), National Mission for Clean Ganga	Member, *ex-officio*
(p)	Executive Director (Projects), National Mission for Clean Ganga	Member, *ex-officio*
(q)	Executive Director(Administration), National Mission for Clean Ganga	Member- Secretary.

(2) The Executive Committee constituted out of the Governing Council, shall consist of the following members, namely:-

(a) Director General, National Mission for Clean Ganga – Chairperson, ex-officio;
(b) Joint Secretary, Department of Expenditure – Member, ex-officio;
(c) Representative of NITI Aayog (not below Joint Secretary) – Member, ex-officio;
(d) Principal Secretary of the State concerned – Member, ex-officio;
(e) Executive Director (Deputy Director General)
National Mission for Clean Ganga – Member, ex-officio;
(f) Executive Director (Finance)
National Mission for Clean Ganga – Member, ex-officio;
(g) Executive Director (Technical)
National Mission for Clean Ganga – Member, ex-officio;
(h) Executive Director (Projects)
National Mission for Clean Ganga – Member, ex-officio;
(i) Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga – Member, ex-officio;

(3) The Director General, National Mission for Clean Ganga may, if he considers necessary, may associate with the Executive Committee, any other member from the Governing Council.

(4) The Governing Council may constitute a sub-committee from out of its members and also by associating some technical experts for appraisal of the projects.

(5) The representative of the State concerned shall also be one of the members of sub-committee.

(6) Half of the members of the Governing Council shall form the quorum.

36. (1) All approvals up to one thousand crores rupees shall be granted by the Executive Committee and it shall report to the Governing Council at least once in three months.

(2) The Sub-Committee of the Governing Council shall appraise the project only after completion of Third Party Appraisal of the project by technical experts or consortium of recognized institutes or Indian Institutes of Technology, as the case may be.

(3) The Third Party Appraisal shall be for all projects irrespective of their value.

37. Appointment of Director General and Executive Directors of National Mission for Clean Ganga.-

(1) Director General, National Mission for Clean Ganga shall be appointed by the Central Government who shall be equivalent to the rank of Additional Secretary or Secretary to the Government of India and his terms and conditions of services shall be determined by Central Government.

(2) The Executive Director (Finance) shall be appointed on deputation from any of the organised accounts services in the Central Government in the rank equivalent to Joint Secretary to Government of India in accordance with the recruitment rules of the said services.

(3) National Mission for Clean Ganga shall have at least one position for each of the Executive Directors in the rank of Joint Secretary to Government of India.

(4) One of the Executive Directors shall be designated as Deputy Director General of the National Mission for Clean Ganga and he shall be appointed by the Central Government.

(5) None of the nominated members of the Executive Committee shall be below the rank of Joint Secretary in Government of India.

38. Duty of National Mission for Clean Ganga.- It shall be the duty of the National Mission for Clean Ganga to -

(i) follow the principles laid down in paragraph 4

(ii) comply with the decisions and directions of the National Ganga Council and implement the Ganga Basin Management Plan approved by it;

(iii) co-ordinate all activities for rejuvenation and protection of River Ganga in a time bound manner as directed by the National Ganga Council;

(iv) do all other acts or abstain from doing certain act which may be necessary for rejuvenation and protection of River Ganga and its tributaries.

39. Functions of National Mission for Clean Ganga.- (1) Without prejudice to the provisions of this Order, the National Mission for Clean Ganga shall identify or cause to be identified -

(a) the specific threats to the River Ganga in areas in each village and town of such specified District abutting River Ganga and its tributaries, including sewerage and industrial waste, cremation and burial of corpses and disposal of animal carcasses, and threats from commercial, recreational and religious activities;

(b) the type of measures required to address such threat in each village and town of all districts abutting River Ganga and its tributaries;

(c) the specific areas where such remedial actions are required to be taken for rejuvenation and protection of River Ganga and its tributaries.

(d) the measures which may be necessary for reuse of treated water and enter in to Memorandum of Understanding in this regard with the Ministries of the Central Government like Railways, Power, Petroleum and Natural Gas etc., State Governments, autonomous bodies at the Central and State level, recognized Institutes and organizations which the National Mission for Clean Ganga may deem fit.

(2) The National Mission for Clean Ganga shall make or cause to make the River Ganga Basin Management Plan along with cost, timelines and allocation of responsibilities, among other things, for rejuvenation and protection of River Ganga and its tributaries in each village and town of specified District abutting River Ganga and its tributaries and execute projects there for.

(3) The National Mission for Clean Ganga shall ----

(a) cause to be determined the magnitude of ecological flows in the River Ganga and its tributaries required to be maintained at different points in different areas at all times with the aim of ensuring water quality and environmentally sustainable rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries and notifying the same and take or direct all such measures necessary to maintain adequate ecological flows;

(b) cause to be identified places where the environmental flow of water of River Ganga has been modified and take measures for correction thereof to maintain the continuous flow of water for rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries;

(c) identify places of discontinuity of water in River Ganga and its tributaries due to engineered diversion of water or storage of water or by any other means and execute plans in respect thereof or take remedial action therefor;

(d) devise a system to be put in place for continuous monitoring of flow of water and pollution levels in River Ganga and its tributaries;

(e) take all such measures which may be necessary to give effect to the decisions of the National Ganga Council so as to maintain adequate ecological flows in the River Ganga and tributaries;

(f) render assistance or cause them to be rendered by any agency for preparation of detailed project reports or execution of projects for abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga and its tributaries to the State Governments, the State Ganga Committees, District Ganga Committees or local authorities or any person or body, any authority, Board or Corporation;

(g) set up or facilitate setting up or designate and direct one or more existing centers to research, develop and disseminate knowledge base and analytical tools on abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries;

(h) take any other measures which may be necessary for continuous flow of water and abatement of pollution in River Ganga and its tributaries

(4)The National Mission for Clean Ganga shall take all such other emergency measures as outlined in paragraph 7.

40. Establishment of River Ganga Monitoring Centres at suitable locations along River Ganga and its tributaries.- The National Mission for Clean Ganga may identify the places in the River Ganga Basin and establish at such places or designate any existing laboratory or station or institute as Centres to be called the "River Ganga

Monitoring Centre" for monitoring amongst other things, continuous flow of water and pollution levels as required under this Order and such Centre shall report immediately to the National Mission for Clean Ganga for taking remedial action therefor.

41. Powers of National Mission for Clean Ganga.- (1) The National Mission for Clean Ganga being the national agency charged with the role, responsibility and powers to facilitate the task of rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries, under the supervision and direction of the National Ganga Council, shall recommend to the National Ganga Council or Central Government for issuing directions or issue directions itself, to the State Ganga Committees or District Ganga Committees or local authority or any other authority or any person, institution, consortium or agency, as it may decide, for the rejuvenation, protection and management of River Ganga and have the power to take all such measures and discharge such functions as it may deem necessary or expedient for prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries so as to rejuvenate the River Ganga to its natural and pristine condition and ensure continuous and adequate flow of water in River Ganga and for protection and management of River Ganga and for matters connected therewith.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1), and save as otherwise provided in this Order, such directions may include all or any of the following matters in the management of River Ganga, namely:-

(a) fulfillment of the functions mentioned in paragraph 55 in accordance with the principles in paragraph 4;

(b) formulate, with the approval of the Central Government, the National policy for effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of River Ganga;

(c) enter into memorandum of understanding, with the approval of the Central Government, with any country or foreign agency for effective implementation of the River Ganga Basin Management Plan for rejuvenation, protection, prevention, control and abatement of pollution in the River Ganga and its tributaries;

(d) approve, with or without modifications, the River Ganga Basin Management Plan and direct amendments, if any, to be made therein;

(e) supervise and review the progress reports, and issue directions to the State Ganga Committees, District Ganga Committees or local authorities and other authorities in the implementation of the River Ganga Basin Management Plan and any other matter connected with affairs of the River Ganga and its tributaries;

(f) approve the planning, financing and execution of programmes for abatement of pollution in the River Ganga including augmentation of sewerage and effluent treatment infrastructure, catchment area treatment, protection of flood plains, creating public awareness, conservation of aquatic and riparian life and biodiversity and such other measures for promoting environmentally sustainable river rejuvenation;

(g) coordination, monitoring and review of the implementation of various programmes or activities taken up for prevention, control and abatement of pollution and protection and management in the River Ganga and its tributaries;

(h) direct any person or authority to take measures for restoration of river ecology and management in the River Ganga Basin States;

(i) recommend to the Central Government, for creation of special purpose vehicles (whether as a company under the companies Act, 2013(18 of 2013) or Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or a Trust under the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882)), as may be considered appropriate, for implementation of this Order and for the purposes of the Act;

(j) take such measures as may be necessary for the better co-ordination of policy and action to ensure effective prevention, control and abatement of pollution, rejuvenation and protection and management in the River Ganga and its tributaries;

(k) issue such directions to any person or authority, as it may consider necessary, for proper or prompt execution of the projects or cancel such projects or stop release of funds or direct refund of amount already released and assign the same to any other person or authority or Board or Corporation for prompt execution thereof;

(l) direct any person or authority to maintain such books of account or other documents, without prejudice to any law for the time being in force, as may be specified by the National Mission for Clean Ganga;

(m) take such other measures which may be necessary for achievement of prevention, control and abatement of pollution, rejuvenation and protection and management in the River Ganga and its tributaries;

(3)The National Mission for Clean Ganga shall have the power to issue directions mentioned under section 5 of the Act.

(4)The National Mission for Clean Ganga may evolve an appropriate mechanism for implementation of its decisions and the decisions of the National Ganga Council.

2479470

42. Giving of prior approval in certain matters.- Every person, the State Ganga Committees, District Ganga Protection Committees, local authorities and other authorities shall obtain prior approval of the National Mission for Clean Ganga, on the following matters, relating to River Ganga and any area abutting River Ganga or its tributaries, if required to implement the decisions of the National Ganga Council, namely:-

(a) engineered diversion and storage of water in River Ganga without affecting the flow of water downstream of the River Ganga;

(b) construction of bridges and associated roads and embankments over the River Ganga or at its River Bank or its flood plain area;

(c) construction of Ghats or extension of any existing Ghat;

(d) construction of jetties;

(e) construction of permanent hydraulic structures for storage or diversion or control of waters or channelisation of River Ganga or its tributaries;

(f) deforestation of hill slopes and notified forest and other eco-sensitive areas;

(g) any other activity which contravenes the principles laid out in paragraph 4 which the National Mission for Clean Ganga may specify.

43. Financial framework.- (1) The budgetary allocation shall be utilised by the National Mission for Clean Ganga for meeting expenses in connection with the discharge of its functions, objects and purposes and establishment expenditure: Provided that the money received by way of grants, loans and borrowings shall be expended for the specific purpose for which such grants, loans and borrowings have been received.

(2) The National Mission for Clean Ganga shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual expenditure statement.

(3)The audit of National Mission for Clean Ganga accounts shall be done by the Comptroller and Auditor-General of India and after completion of annual audit, the audit agency shall furnish annual audit certificate.

(4)The affairs of National Mission for Clean Ganga shall be subject to the control of Central Vigilance Commission and there shall be a Vigilance Officer to look after vigilance related matters.

(5) The annual expenditure statement with the audit report shall be forwarded annually to the Empowered Task Force, and the Central Government for being laid before each House of Parliament.

44. Engagement of legal experts.- The National Mission for Clean Ganga shall have proper legal set up for which it may engage legal experts, consultants and legal firms as may be necessary for advising it on legal matters and providing support for discharging its duties.

45. Scrutiny of reports.- All the reports relating to its activities and reports received from the State Ganga Committees, District Ganga Committees, local authority, Board, Corporation or any person shall be scrutinised by the National Mission for Clean Ganga and placed by it along with its views on the matters mentioned in such report before the National Ganga Council for soliciting its guidance thereon, if required.

46. Consolidated report of Ganga Safety audit.- The National Mission for Clean Ganga shall prepare and submit a consolidated report of the Ganga safety audits of River Ganga to the National Ganga Council along with the remedial action taken thereon and also make available the same in public domain and exhibit the same at its website.

47. Powers of National Mission for Clean Ganga to call for information, conduct inspection, publish reports, etc.- (1) Where the National Mission for Clean Ganga considers it expedient so to do under section 5 of the Act, it may, by order in writing,-

(a) call upon any State Ganga Committees, District Ganga Protection Committees, local authority, other authority, Board, Corporation or person, who has been allotted any project for execution or connected with such project or utilisation of funds, at any time, to furnish in writing or make public for dissemination such information or explanation relating to such project allotted for execution or executed or utilisation of fund allotted as the National Mission for Clean Ganga may require; or

(b)appoint one or more persons or any authority to make an inquiry in relation to project allotted for execution or executed or utilisation of fund allotted; or

(c) direct any of its officers or employees or the officers or employees of the Central Government or State Government or any other authority to inspect the books of account or other documents of the State Ganga Committees, District Ganga

Committees, local authority, other authority, Board, Corporation or person related to any project allotted for execution or executed or utilisation of funds; or

(d) require any person, officer, State Government or authority to furnish to it any reports, returns, statistics, accounts and other information and such person, officer, State Government or other authority shall be bound to do so.

48. Financing and implementation model.– The National Mission for Clean Ganga shall develop and constantly refine financial models that would improve the performance and sustainability of projects, and which can be adopted by the State Ganga Committees, District Ganga Committees, local authority, other authority or person for abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga.

49. Preparation of consolidated reports.- (1) The National Mission for Clean Ganga shall, on the basis of the reports and other information forwarded by the State Ganga Committees, District Ganga Committees, local authorities, other authorities, Board, Corporation or person, prepare a consolidated report every year indicating therein in respect of each specified District abutting River Ganga and its tributaries.-

(a) the status of the plans being executed and measures taken by them and any other activity relating to the health of River Ganga and its tributaries;

(b) the quality of water in River Ganga and its tributaries and remedial action in respect thereof;

(c) any interruption of water in the River Ganga and reasons therefor;

(d) condition of River Bed and flood plains and habitat in the specified District;

(e) remedial measures taken on the complaints received from public by the District Ganga Committee or local authorities;

(f) threats remaining to be addressed by then with remedial action proposed therefor;

(g) report if any as reported by Ganga safety auditors;

(h) all other information relevant about the health of River Ganga and its tributaries.

(2) The National Mission for Clean Ganga shall submit a consolidated report referred to in sub-paragraph (1) after review thereof to the Empowered Task Force along with remedial action thereof.

50. Annual report.- (1) The National Mission for Clean Ganga shall, within three months of the end of every year, prepare an annual report of all work undertaken by it and by the Empowered Task Force on River Ganga, the State Ganga Committees, District Ganga Committees, concerned local authorities, other authorities, Board, Corporation or persons during the immediately preceding year.

(2) The National Mission for Clean Ganga shall include under separate parts in its annual report referred to in sub-paragraph (1), all works undertaken by it and the Empowered Task Force on River Ganga, the State Governments, the State Ganga Committees, District Ganga Committees, concerned local authorities, other authorities, Board, Corporation or person, and forward the said annual report to the National Ganga Council and the Central Government and also make available in public domain and exhibit at its website.

51. Constitution of Committees.- The National Mission for Clean Ganga may, constitute one or more River Ganga Management Committees from amongst its members and such experts in the field of rivers or water as it may consider appropriate for the efficient discharge of its functions under this Order.

52. Soliciting guidance.- In case any difficulty arises in implementing decisions of the National Ganga Council or the provisions of this Order, it shall be duty of the National Mission for Clean Ganga to solicit the guidance of the National Ganga Council and take appropriate action accordingly.

53. Constitution of District Ganga Protection Committees.- (1) The Central Government shall immediately after the commencement of this Order, in consultation with concerned State Ganga Committee, by notification constitute, in every specified District abutting River Ganga and its tributaries in the States mentioned in paragraph 2, the "District Ganga Committees" for the prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga.

(2) Every District Ganga Committee in each specified District shall consist of the following members, namely:-
(a) the District Collector in the specified District; - Chairperson, ex-officio;
(b) not more than two nominated representatives from Municipalities and Gram Panchayats of the specified District nominated by the State Government. - Members;

24796 72

(c) one representative each of the Public Works, Irrigation, Public Health Engineering, and Rural Drinking Water Departments, and State Pollution Control Board working in the specified District abutting River Ganga to be nominated by the District Collector - Member, ex-officio;
(d) two environmentalists associated with River Ganga protection activities and one representative of local industry association in the specified District to be nominated by the District Collector - Members,;
(e) one Divisional Forest Officer of the specified District - Member, ex-officio
(f) one District official to be nominated by the District Collector. - Member;

(2) The District Collector shall be the Chairperson of the District Ganga Committee and the Divisional Forest Officer shall be the Convener of the District Ganga Committee.

(3) The District Ganga Committees shall meet at such times and at such places as the Chairperson of that Committee may decide and exercise such powers and functions as may be conferred under this Order:

Provided that at least one meeting of the District Ganga Committee shall be held every three months.

(4) A non ex-officio member may resign his office by giving notice in writing thereof to the Central Government or to the District Collector concerned, as the case may be, and shall cease to be a member on his resignation being accepted by the Government or the District Collector concerned, as the case may be.

54. Superintendence, direction and control of District Ganga Committee.- The superintendence, direction and control of the management of the District Ganga Committee (including financial and administrative matters) shall, notwithstanding anything contained in this Order, vest in the National Mission for Clean Ganga which may be exercised by it either directly or through the State Ganga Committee or any of its officer or any other authority specified by it.

55. Functions and powers of District Ganga Committees.- (1) Every District Ganga Committee shall discharge functions and exercise powers for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of River Ganga and its tributaries in each specified District as laid out in paragraph 6 and 7 as per the principles specified in paragraph 4.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-paragraph (1) for rejuvenation and protection and restoration or rehabilitation of degraded areas abutting River Ganga and its tributaries and subject to other provisions of this Order and rules made thereunder, every District Ganga Committee shall have the following powers and functions in relation to River Ganga and its tributaries abutting in the area in specified District, namely:-

(a) identifying activities which may be threats in the area of specified District abutting the River Ganga for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed and making a plan for remedial action and take remedial action in respect thereof;

(b) taking remedial action at its own end for protection of River Ganga and its tributaries or its River bed abutting in the specified District (excluding enforcement of the provisions of this Order)

(c) in the event of its inability to take remedial action, reporting (electronically as well as by sending written communication in hard copy) to the National Mission for Clean Ganga and concerned State Government, the State Ganga Committee, as the case may be, for issue of direction for protection of River Ganga and to formulate appropriate management or remedial actions.

(d) taking suitable administrative and other measures, to give effect to the provisions of this Order so as to prevent the environmental pollution in the River Ganga and its tributaries, not being inconsistent with the provisions of this Order, or any law for the time being in force.

(3) In case, the District Ganga Committee is of the opinion that any contravention has been made of any other law for the time being in force or in respect of provisions of this Order, it shall take appropriate action in accordance with the law for the time being in force.

(4) The District Ganga Committee shall take all such emergency measures as specified in paragraph 7.

56. Designation of Nodal Officer.- (1) Every District Ganga Committee shall nominate as Nodal Officer for the purposes of this Order -

(a) the Sarpanch of Gram Sabha of every village in the areas abutting the River Ganga and its tributaries;

(b) in case of an area, not being village abutting the River Ganga, the Chairperson of Municipality Planning Committee or Metropolitan Planning Committee or Chairperson of any local authority, as the Chairperson of the District Ganga Committee.

(2) Every Nodal Officer nominated under sub-paragraph (1) shall take measures to prevent the pollution of River Ganga and its tributaries and take remedial action for protection of River Ganga and its tributaries or their River bed abutting in such village or other area, as the case may be, of which he is the Nodal Officer and in case of his failure to do so, he shall report the violation of this Order to the Chairperson of the District Ganga Committee for remedial action.

(3) After receipt of the report under sub-paragraph (2), the Chairperson of the District Ganga Committee shall take remedial action for protection of River Ganga or its River bed abutting the specified District.

57. Preparation of plans.- (1) Every District Ganga Committee shall prepare its plan for protection of River Ganga and its tributaries and their River bed abutting the specified District and submit the same to the National Mission for Clean Ganga for its approval.

(2) The plan under sub-paragraph (1) shall include the activities to be undertaken by the District Ganga Committee for protection, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries and their River Bed area abutting the specified District which may be recommended by the State Government, State Ganga Committees, the National Mission for Clean Ganga, any other authority or Board and the expenditure involved for such plan and time within which such activities shall be completed.

58. Preparation of budget and maintenance of accounts.- Every District Ganga Committee shall prepare its budget for every financial year indicating therein the funds required and purposes for which such funds shall be spent and the time limit within which the activity mentioned in the budget shall be completed and submit to concerned State Ganga Committee under intimation to National Mission for Clean Ganga and such Committee shall ensure proper maintenance of accounts as directed by National Mission for Clean Ganga, for audit by the Comptroller and Auditor-General of India or any other agency appointed by the Comptroller and Auditor-General of India and such accounts shall be subject to inspection by National Ganga Council, National Mission for Clean Ganga, State Ganga Committee or any of their appointed entities.

59. Monthly and annual reports.- (1) Every District Ganga Committee shall, submit monthly and annual reports to the National Ganga Council, National Mission for Clean Ganga and State Ganga Committee as directed by National Mission for Clean Ganga within specified timelines.

(2) In addition to the annual report referred to in sub-paragraph (1), the District Ganga Committee shall furnish to the National Mission for Clean Ganga at such time and in such form and manner it may direct to furnish such other returns, statements and other particulars in regard to any proposed or existing programme for the River Ganga Basin Plan for the abutting area in the specified District.

60. Budget allocation.- The National Mission for Clean Ganga shall consolidate and prepare the budget requirement and submit the same to the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.

61. Direction by Central Government.- Notwithstanding anything contained in this Order, it shall be lawful for the Central Government to issue directions in writing to the Ministries or Departments of the Government of India, or the State Government or the State Ganga Committees, the National Mission for Clean Ganga or District Ganga Committees, or local authority or other authority or statutory bodies or any of its officers or employees, as the case may be, to facilitate or assist in the rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries in such manner as it may direct, and such Ministry or Department or Authority or Mission or Board, Committee or Government or statutory body, officer or employee shall be bound to comply with such directions.

62. Making of complaint under section 19 of the Act.- All the authorities constituted under this Order or their officers authorised by such authorities may make complaint before the court under section 19 of the Act for taking cognizance of any offence under the said section.

63. Order to be in addition to other laws.- The provisions of this Order are without prejudice to the discharge of functions by any local authority or other authority or Board or corporation or any person for taking measures for the purposes of effective abatement of pollution and rejuvenation of the River Ganga and its protection and management and any other law for the time being in force.

24798 74

SCHEDULE

[See paragraph 20]

COMPOSITION OF STATE GANGA COMMITTEES

Serial No.	Name of the State Ganga Committee	Composition of the State Ganga Committees
(1)	(2)	(3)
1.	(Name) State Ganga Protection and Management Committee	(a)Chief Secretary, Government of State of (Name) - Chairperson, ex-officio;
		(b) Principal Secretary, Department of Finance, Government of State of (Name) - Member, ex-officio;
		(c) Principal Secretary, Department of Urban Development and Housing, Government of (Name) - Member, ex-officio;
		(d Principal Secretary, Department of Environment and Forests, Government of State of (Name) - Member, ex-officio
		(e)Principal Secretary, Department of Water Resources, Government of State of (Name) - Member, ex-officio;
		(f) Principal Secretary, Department of Public Health Engineering, Government of State of (Name) - Member, ex-officio
		(g) Chairman, (Name) State Pollution Control Board - Member, ex-officio;
		(h)Chief Executive Officer of executing agency in the State of (Name) - Member, ex-officio;
		(i)Principal Chief Conservator of Forests, Government of State of (Name) –Member, ex-officio;
		(j) not more than five experts from relevant fields to be nominated by the Government of (Name) - Members

[F. No. Estt-01/2016-17/111/NMCG]

SANJAY KUNDU, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.10.08 12:01:33 +05'30'

75

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1601] नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 2019/ज्येष्ठ 1, 1941
No. 1601] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 2019/JYAISTHA 1, 1941

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

आदेश

नई दिल्ली, 21 मई, 2019

का.आ. 1793(अ).—केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धाराओं (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है:-

1. (1) इस आदेश को गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण (संशोधन) आदेश, 2019 कहा जाएगा।
(2) यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) आदेश, 2016 के अनुच्छेद 56, उप अनुच्छेद (1) के खंड (वी) में लिखे शब्दों "किसी भी स्थानीय प्राधिकारी, जिला गंगा समिति के अध्यक्ष के रूप में" के स्थान पर शब्दों "किसी भी स्थानीय प्राधिकारी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. स्था. 01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)]
राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

नोट: प्रमुख आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), का.आ. 3187 (अ), दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(National Mission for clean Ganga)

ORDER

New Delhi, the 21st May, 2019

S.O.1793(E). — In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following Order to amend the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016, namely: —

1. (1) This Order may be called the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities (Amendment) Order, 2019.
   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016, in paragraph 56, in sub-paragraph (1), in clause (b), for the words "any local authority, as the Chairperson of the District Ganga Committee", the words "any local authority" shall be substituted.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG-Vol-III]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Admin.)

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.05.22 21:15:00 +05'30'

77

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2896] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2019/भाद्र 11, 1941
No. 2896] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2019/BHADRA 11, 1941

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

आदेश

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2019

का.आ. 3163(अ).—केंद्रीय सरकार, गंगा नदी में पर्यावरण, प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए उपाय करने का और निरंतर पर्याप्त जल प्रवाह को सुनिश्चित करने का आशय रखती है जिससे गंगा नदी का पुनरुद्धार करके इसे इसकी प्राकृतिक और पुरातन अवस्था में लाया जा सके;

और, जबकि उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विभिन्न प्राधिकरणों के गठन करने का विनिश्चय किया है।

और, जबकि केंद्रीय सरकार के तत्कालीन जल संशाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 7 अक्तूबर, 2016 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का. आ. 3187 (अ) तारीख 7 अक्तूबर, 2016 द्वारा गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 किया था ;

जबकि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए भारत सरकार (कार्य का आवंटन) तीन सौ और पचासवां संशोधन नियम, 2019 बनाया और एक नया मंत्रालय अर्थात " जल शक्ति मंत्रालय सृजित किया जिसको अन्य बातों के साथ-साथ, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण से संबंधित उन विषयों का आवंटन किया जिन्हे उक्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाए ;

और जबकि, जल शक्ति मंत्रालय के सृजन के परिणामस्वरूप, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में और उसमें अंतर्विष्ट गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 में आवश्यक परिणामी संशोधन करने का विनिश्चय लिया गया है ;

अतः, अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 के 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है और उसमे अंतर्विष्ट गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण के आदेश, 2016 का और संशोधन करती है, अर्थात ;

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण (दूसरा संशोधन) आदेश, 2019 है।

   (2) यह, राजपत्र में, इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उक्त अधिसूचना में, "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर "जल शक्ति मंत्रालय" शीर्षक रखा जाएगा।

3. गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 में (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है), प्रस्तावना के अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 तथा 4,5,9, 10, 11,19,20 और 23 की उपधारा (2) तथा (3) के अनुच्छेद (i), (ii), (v), (vii), (viii), (ix), (x), (xii) तथा (xiii) के साथ उपधारा (i) द्वारा दी गयी शक्तियों के प्रयोग करते हुए शब्दों के साथ प्रारम्भ होने वाले है तथा "केंद्रीय सरकार एतदद्वारा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले पैरा में "जल संसाधन मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर , "तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त आदेश के पैरा 12 में,

   (क) उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

   (1) राष्ट्रीय गंगा परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

क)	प्रधान मंत्री	-अध्यक्ष, पदेन;
ख)	केंद्रीय जल शक्ति मंत्री	-उपाध्यक्ष, पदेन;
ग)	केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री	-सदस्य, पदेन
घ)	केंद्रीय वित्त मंत्री	-सदस्य, पदेन
ङ)	केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री	-सदस्य, पदेन
च)	केंद्रीय विद्युत मंत्री	-सदस्य, पदेन
छ)	केंद्रीय विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्री	-सदस्य, पदेन
ज)	केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री	-सदस्य, पदेन
झ)	केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री	-सदस्य, पदेन
ञ)	केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री	-सदस्य, पदेन
ट)	उपाध्यक्ष नीति आयोग	-सदस्य, पदेन
ठ)	मुख्य मंत्री, बिहार	-सदस्य, पदेन
ड)	मुख्य मंत्री, झारखंड	-सदस्य, पदेन
ढ)	मुख्य मंत्री, उत्तराखंड	-सदस्य, पदेन
ण)	मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	-सदस्य, पदेन
त)	मुख्य मंत्री, पश्चिमी बंगाल	-सदस्य, पदेन
थ)	सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	-सदस्य, पदेन
द)	सचिव, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	-सदस्य, पदेन
ध)	सचिव, आवास और शहरी कार्य	-सदस्य, पदेन
न)	सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	-सदस्य, पदेन
प)	महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	-सदस्य सचिव, पदेन

(ख) उप-पैरा (7) में, "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर , "जल शक्ति मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त आदेश के पैरा 17 में —

(ख) उप-पैरा (2) में, मद (क), (ख) और (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात;

(क) केंद्रीय जल शक्ति मंत्री	-अध्यक्ष, पदेन;
(ख) केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री	-उपाध्यक्ष, पदेन;
(ग) सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	सदस्य, पदेन;";

(ख) उप-पैरा (5) में, "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

6. उक्त आदेश के पैरा 35 के उप-पैरा (1) में, मद (ख) और मद (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात;

(ख) संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	-सदस्य, पदेन;
(ग) संयुक्त सचिव, आवास और शहरी कार्य विभाग	-सदस्य, पदेन;

7. उक्त आदेश के पैरा 60 में, "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग" शब्द रखे जाएंगे।

[फ्र. सं. स्था. 01/2016-17/0111/एनएमसीजी-खंड-तृतीय]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3187 (अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2016 और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ. 1793 (अ), तारीख 21 मई, 2019 द्वारा संशोधित किया गया था, द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

(NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA)

ORDER

New Delhi, the 2nd September, 2019

S.O. 3163(E).—Whereas, the Central Government intends to take measures for prevention, control and abatement of environmental pollution in river Ganga and to ensure continuous adequate flow of water so as to rejuvenate the river Ganga to its natural and pristine condition;

And whereas, to achieve the aforesaid objective, the Central Governmentdecided to constitute various authorities at Central, State and District levels;

And whereas, *vide* notification number S.O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 7th October, 2016, the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation made the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016;

And whereas, in exercise of the Powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President made the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Fiftieth Amendment Rules, 2019 and created a new Ministry, namely "Ministry of Jal Shakti (Jal Shakti (Mantralaya), *inter alia*,

4/

allocating the subject matters relating to water resources, river development and Ganga rejuvenation to be administered by the said Ministry;

And whereas, consequent upon the creation of the Ministry of Jal Shakti, it has been decided by the Central Government to make necessary consequential amendments in the said notification and in the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016contained therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification and furtheramendments in the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 contained therein, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities (Second Amendment) Order, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the said notification, for the heading "MINISTRY OF WATER RESOUCES, RIVER DEVELOPMENT, AND GANGA REJUVENATION", the heading "THE MINISTRY OF JAL SHAKTI" shall be substituted.

3. In the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016 (hereinafter referred to as the said Order), in the preamble, in the paragraph beginning with the words "Now, therefore, in exercise of the powers" and ending with the words "the Central Government hereby", for the words "Ministry of Water Resources", the words "erstwhile Ministry of Water Resource" shall be substituted.

4. In the said Order, in paragraph 12,—

(a) for sub-paragraph (1), the following shall be substituted, namely: —

"(1) The National Ganga Council shall consist of the following members, namely:—

(a)	Prime Minister	Chairperson, ex-officio;
(b)	Union Minister for Jal Shakti	-Vice-Chairperson, ex-officio;
(c)	Union Minister for Environment, Forests and Climate Change	-Member, ex-officio;
(d)	Union Minister for Finance	-Member, ex-officio;
(e)	Union Minister for Housing and Urban Affairs	-Member, ex-officio;
(f)	Union Minister for Power	-Member, ex-officio;
(g)	Union Minister for Science and Technology	-Member, ex-officio;
(h)	Union Minister for Rural Development	-Member, ex-officio;
(i)	Union Minister for Shipping	-Member, ex-officio;
(j)	Union Minister of State for Tourism	-Member, ex-officio;
(k)	Vice Chairman, NITI Aayog	-Member, ex-officio;
(l)	Chief Minister, Bihar	-Member, ex-officio;
(m)	Chief Minister, Jharkhand	-Member, ex-officio;
(n)	Chief Minister, Uttarakhand	-Member, ex-officio;
(o)	Chief Minister, Uttar Pradesh	-Member, ex-officio;
(p)	Chief Minister, West Bengal	-Member, ex-officio;
(q)	Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	-Member ,ex-officio;
(r)	Secretary, Department of Drinking Water & Sanitation	-Member, ex-officio;

24805

(s)	Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs	-Member,ex-officio;
(t)	Secretary, Department of Agriculture and Farmers' Welfare	-Member,ex-officio;
(u)	Director General, National Mission for Clean Ganga	-Member Secretary, ex-officio.".

(b) in sub-paragraph (7), for the words "the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation", the words "the Ministry of Jal Shakti" shall be substituted.

5. In the said Order, in paragraph 17,—

(a) in sub-paragraph (2), for items (a), (b) and (c) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"(a) Union Minister for Jal Shakti	-Chairperson, *ex-officio*;
(b) Union Minister of State for Jal Shakti	-Vice-Chairperson, *ex-officio*
(c) Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	-Member, *ex-officio*;";

(b) in sub-paragraph (5), for the words "the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation", the words and brackets "the Ministry of Jal Shakti (Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)" shall be substituted.

6. In the said Order, in paragraph 35, in sub-paragraph (1), for items (b) and (c) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely—

"(b) Joint Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	-Member, ex-officio
(c) Joint Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs	-Member, ex-officio".

7. In the said Order, in paragraph 60, for the words "the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation", the words "the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation" shall be substituted.

[F. No. Estt.01/2016-17/0111/NMCG-Vol-III]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Admn.)

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 and last amended vide notification number S.O. 1793(E), dated the 21st May, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3007] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 14, 2019/भाद्र 23, 1941
No. 3007] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 14, 2019/BHADRA 23, 1941

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2019

का.आ. 3287(अ).—भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) के का. आ. 3163 (अ) तारीख 2 सितंबर 2019 की अधिसूचना में भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) पृष्ठ 2 पर 21 स्थान के पश्चात सन्निविष्ट करें -

"(घ.क)	केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री	-सदस्य, पदेन;"

[फा. सं. स्था. 01/2016-17/0111/एनएमसीजी-खंड-III]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

(NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th September, 2019

S.O. 3287(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Jal Shakti (Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation), number S.O. 3163(E) dated the 2nd September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), at page 4, after line 28, *insert*—

"(da)	Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare	-Member, ex-officio;".

[F. No. Estt. 01/2016-17/0111/NMCG-Vol-III]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Admn.)

4762 GI/2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA

ANNEX 24807(02)

83

–:: कार्यालय ज्ञाप ::–

कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप, नमामि गंगे के पत्रॉक–479/SPMG/NGRBA/S.G.C./22 दिनॉक 18.04.2017 के क्रम में जिला कार्यालय के पत्रॉक–17/21–47 (ग0स0स0)–17 दिनॉक 06.07.2015 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय जिला गंगा संरक्षण समिति, टिहरी गढवाल का गठन किया गया है।

जिला कार्यालय के पत्रॉक–17/21–47(ग0स0स0)–17 दिनॉक 06.07.2015 के अन्तर्गत गठित समिति में आंशिक संशोधन कर निम्नप्रकार जनपद स्तरीय जिला गंगा संरक्षण समिति, टिहरी गढवाल का गठन किया जाता है:–

01.	जिला अधिकारी/जिला कलेक्टर, टिहरी गढवाल	अध्यक्ष
02.	01.अधि0अधि0, न0पा0परिषद, मुनिकीरेती। 02.अधि0अधि0, न0पा0, देवप्रयाग/नगर पंचायत, कीर्तिनगर	सदस्य
03.	01. अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम देवप्रयाग । 02. अधिशासी अभियंता, जल संस्थान कीर्तिनगर । 03. सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून। 04. अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, नई टिहरी। 05. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर।	सदस्य
04.	01. श्रीमती मधु असवाल, अध्यक्ष, गंगा सुरक्षा समिति मुनिकीरेती 02. श्रीमती बिमला बडोला, सचिव, गंगा सुरक्षा समिति, मुनिकीरेती 03. श्री अनिल चन्दोला,भारतीय ग्रामोत्थान संस्था ढालवाला।	सदस्य
05.	प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर, वन प्रभाग, मुनिकीरेती	सदस्य/ संयोजक
06.	मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढवाल	सदस्य

जिला गंगा संरक्षण समिति द्वारा सहायक नदियों के पुनरूद्धार, संरक्षण, मरम्मत और पुनर्वासन के लिए कार्यो का निवर्हन कर संचालित परियोजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना दिनॉक 07.10.2016 में दिये गये दिशा–निर्देशो के अनुरूप कार्य सम्पादित करेगी।

(सोनिका)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढवाल।

पंजिका सं0–10
वर्ष 2017-2018
भाग XXI मिसल सं0 47
सिलसिला सं0
रजिस्ट्रर सं0 806 दिनांक 02/5/18

कार्यालय जिला अधिकारी, टिहरी गढवाल।
संख्या–155 /21– (2017–2018) दिनॉक, नई टिहरी, मई 02, 2018

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

01. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
02. कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्ध, नमामि गंगे, उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. समिति के उक्त नामित सदस्य।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को इस आशय से प्रेषित कि उक्त गठित समिति में संयोजक/सदस्य नामित होने के फलस्वरूप जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना दिनॉक 07.10.2016 में दिये गये निर्देशानुसार जिला गंगा समिति, टिहरी गढवाल की त्रैमासिक बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करेगें।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढवाल।

24808

84

आदेश

कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप, नमामि गंगे के पत्रांक–479/SPMG/NGRBA/S.G.C./22 दिनॉक 18.04.2017 के कम में जिला कार्यालय के संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या–155/21–47 (2017–18) दिनांक 02मई,2018 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय जिला गंगा संरक्षण समिति, टिहरी गढवाल का गठन किया गया है। उक्त आदेश में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वनप्रभाग, मुनिकीरेती को सदस्य/संयोजक नामित किया गया था। वर्तमान में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती का स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वनप्रभाग, नई टिहरी को सदस्य/संयोजक नामित किये जाने हेतु संशोधित आदेश जारी किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

जिका सं0–10
दि 20.17.18
कार्य XXI
47
505 6/18

(सोनिका)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढवाल।

कार्यालय जिला अधिकारी, टिहरी गढवाल।

संख्या– 197/21-47(2017–2018) दिनॉक, नई टिहरी, सितम्बर 06,2018

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
02. कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्ध, नमामि गंगे, उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. समिति के उक्त नामित सदस्य।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त गठित समिति में संयोजक/सदस्य नामित होने के फलस्वरूप जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना दिनॉक 07.10.2016 में दिये गये निर्देशानुसार जिला गंगा समिति, टिहरी गढवाल की त्रैमासिक बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करेगें।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढवाल।

24809

85

दिनांक 11.09.2018 को 3.00बजे अपरान्ह में आयोजित होने के सम्बन्ध में।

<table>
<tr><th>कमांक</th><th>एजेण्डा बिन्दु</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>1–</td><td><u>Tree Plantation status in Ganga Bank Villages</u>:
a) Districts are to proviode land for tree plantation in Ganga bank village
b) in drive mode, 1 crore saplings to be planted all Ganga bank vikkage in five</td><td>
<table>
<tr><th>टिहरी क्षेत्र /वर्ष</th><th>क्षेत्रफल हे0</th><th>सेपित क्षेत्र</th></tr>
<tr><td>2017–18</td><td>325</td><td>325000</td></tr>
<tr><td>2018–19</td><td>450</td><td>45000</td></tr>
<tr><td>योग–</td><td>775</td><td>77,5000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>टिहरी क्षेत्र /वर्ष</td><td colspan="2">घास टाप्स की संख्या</td></tr>
<tr><td>2017–18</td><td colspan="2">352000</td></tr>
<tr><td>2018–19</td><td colspan="2">97500</td></tr>
<tr><td>योग–</td><td colspan="2">449500</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2–</td><td>Status of SLWM DPR preparation and their approvals</td><td>जनपद टिहरी गढवाल से सम्बन्धित नही है ।</td></tr>
<tr><td>3–</td><td>Implementation satus SLWM activities</td><td>जनपद टिहरी गढ़वाल से सम्बन्धित नही है।</td></tr>
<tr><td>4–</td><td>Action plans to complete SLWM Work in Namami Gange Villages</td><td>जनपद टिहरी गढ़वाल से सम्बन्धित नही है।</td></tr>
<tr><td>5–</td><td>Status of progress in pilot Ganga Grams</td><td>
<table>
<tr><th>जनपद</th><th>गंगा ग्रमों का नाम</th><th>परिवारो की संख्या जिन्हे पौध वितरित की गयी</th><th>निःशुल्क वितरित पौधों की संख्या</th></tr>
<tr><td rowspan="4">टिहरी</td><td>बगवान</td><td>37</td><td>205</td></tr>
<tr><td>लक्षमोली</td><td>29</td><td>205</td></tr>
<tr><td>जाखणी बिल्डियालगांव</td><td>30</td><td>1980</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>96</td><td>600</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6–</td><td>Sustainability of Open Defecation Free Status in Ganga Bank Villages</td><td>
<table>
<tr><th>क0सं0</th><th>वर्ष</th><th>जनपद का नाम</th><th>हे0</th><th>पौधो की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2016–17</td><td rowspan="4">टिहरी</td><td>90</td><td>13500</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2017–18</td><td>100</td><td>15000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2018–19</td><td>40</td><td>6000</td></tr>
<tr><td></td><td>योग–</td><td>230</td><td>34,500</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7–</td><td>Status of plastic ban in Ganga bank GPs</td><td>
<table>
<tr><th>क0सं0</th><th>वर्ष</th><th>जनपद का नाम</th><th>पौधायलय की संख्या</th><th>पौधालय में उपलब्ध पौधो की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2016–17</td><td rowspan="3">टिहरी</td><td>09</td><td>900000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2017–18</td><td>10</td><td>650000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>योग</td><td>19</td><td>1,45,0000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

पेयजल निगम द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य

क0सं0	कार्यो का विवरण	लागत(लाख में)
1–	कीर्तिनगर आई एण्ड डी का STP का निर्माण	423.46
2–	10/GM?2017.18 का निर्माण	3777.42

सिंचाई विभाग के द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य :–

क0सं0	कार्यो का विवरण	लागत	क्षेत्रफल	भौतिक प्रगति
1–	कोटेश्वर महादेव में श्मशान घाट का निर्माण	479.90	1660.00	65%
2–	कोटेश्वर महादेव में स्नान घाट का निर्माण	202.72	10230.00	60%

नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती

1–	गंगा नदी में मिलने वाली नालो की सफाई तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट को रोकने की कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। जिसके कारण 02 जोन बनाये गये है	
2–	नगर पालिका डालवाला क्षेत्र में खुले में शौच मुक्त क्षेत्र है।	
3–	नगर पालिका क्षेत्र पॉलिथिन मुक्त क्षेत्र है पॉलिथिन प्रयोग करने वालो पर छापेमारी कर जुर्माना आदि की कार्यवाही की जा रही है ।	

नगर पालिका देवप्रयाग के अन्तर्गत कुल घाटों की स्थिति

1–	कुल घाटो की संख्या	10
2–	नमामि गंगे के तहत निर्मित घाटों की सूची	04
3–	देवप्रयाग के अन्तर्गत स्थित होटलों/धर्मशालाओं की संख्या	13
4–	सार्वजनिक शौचालय की संख्या–	07
5–	सामुदायिक शौचालयों की संख्या–	01

नगर पंचायत कीर्तिनगर

1–	कुल घाटो की संख्या	03
2–	नमामि गंगे के तहत निर्मित घाटों की सूची	02
3–	देवप्रयाग के अन्तर्गत स्थित होटलों/धर्मशालाओं की संख्या	03
4–	सार्वजनिक शौचालय की संख्या–	03

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.

5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt. 01/2016-17/111/NMCG (Vol-II)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration)
National Mission for Clean Ganga

आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2017

का.आ. 2543(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3- उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा उत्तराखंड राज्य के जिला टिहरी गढ़वाल के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क. पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल	- अध्यक्ष ;
(ii)	अधिशासी अधिकारी, उत्तराखंड पेय जल निगम, देव प्रयाग	- सदस्य;
(iii)	अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, कीर्तिनगर	- सदस्य;
(iv)	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी	- सदस्य;
(v)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, नरेंद्र नगर	- सदस्य;
(vi)	सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून	- सदस्य;
(vii)	प्रभागीय वन अधिकारी, वन प्रभाग, टिहरी गढ़वाल	- सदस्य व संयोजक.

ख. नामित सदस्यगण :

(i)	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी	- सदस्य;
(ii)	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुनि-की-रेती	- सदस्य;
(iii)	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, देव प्रयाग/नगर पंचायत, कीर्तिनगर	- सदस्य;
(iv)	श्री मधु अग्रवाल, अध्यक्ष, गंगा सुरक्षा समिति, मुनि-की-रेती	- सदस्य;
(v)	सुश्री विमला बदोला, सचिव, गंगा सुरक्षा समिति, मुनि-की-रेती	- सदस्य;
(vi)	श्री अनिल चंदोला, भारतीय ग्रामोत्थान संस्थान, धालवाला	- सदस्य.

2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।

4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।

5. अध्यक्ष, दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते है।

[फा. सं. स्था.-01/2016-17/111/एनएमसीजी (खंड-II)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

ORDER

New Delhi, the 9th August, 2017

S.O. 2543(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Tehri Garhwal of the State of Uttarakhand, comprising of the following members, namely:—

A. **Ex-officio Members:**

(a)	District Collector, Tehri Garhwal	-	Chairperson;
(b)	Executive Officer, Uttarakhand Peyjal Nigam, Devprayag	-	Member;
(c)	Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan, Kirtinagar	-	Member;
(d)	Superintending Engineer, Public Works Department, New Tehri	-	Member;
(e)	Executive Engineer, Irrigation Department, Narendra Nagar	-	Member;
(f)	Assistant Environment Engineer, Regional Office, Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board, Dehradun	-	Member;
(g)	Divisional Forest Officer, Narendra Nagar, Forest Division Tehri Garhwal	-	Member and Convenor.

B. **Nominated Members:**

(a)	Superintending Engineer, Public Works Department , New Tehri	-	Member;
(b)	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Muni-Ki-Reti	-	Member;
(c)	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Devprayag/Nagar Panchayat, Kirtinagar	-	Member;
(d)	Mr. Madhu Ashwal, Chairman, Ganga Suraksha Samiti, Muni-Ki-Reti	-	Member;
(e)	Mrs. Vimla Badola, Secretary, Ganga Suraksha Samiti, Muni-Ki-Reti	-	Member;
(f)	Mr. Anil Chandola, Bhartiya Garamothan Sansthan, Dhalwala	-	Member.

2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.

ANNEXURE-A (05)

24813

89

GDPMS

gdpms.mowr.gov.in/submitdata;component=dgcmeetingreports

National Mission for Clean Ganga

Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation Ministry of Jal Shakti, Government of India

नमामि गंगे

About DGC | What's New | Ganga District Performance Monitoring System(GDPMS)

Data Entry

Data Submission

Request for extension

Meeting Attendance Report

DGC Meeting Report

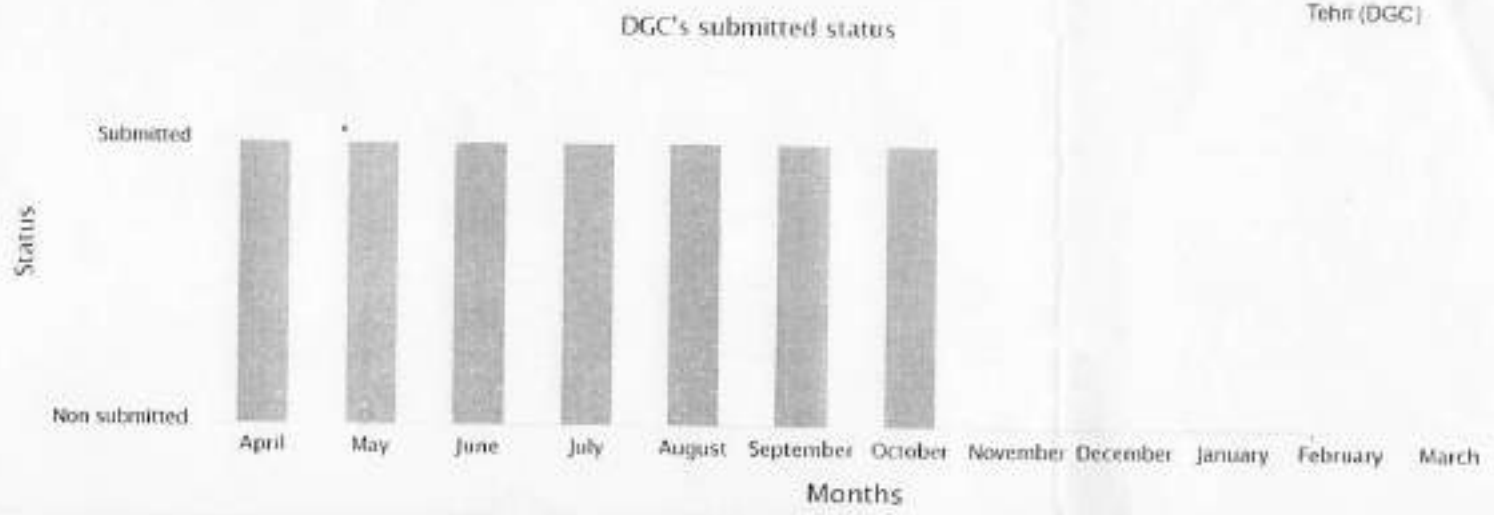
Assessment Year *

2023-2024 | View

Change Password

Logout

Tehri (DGC)



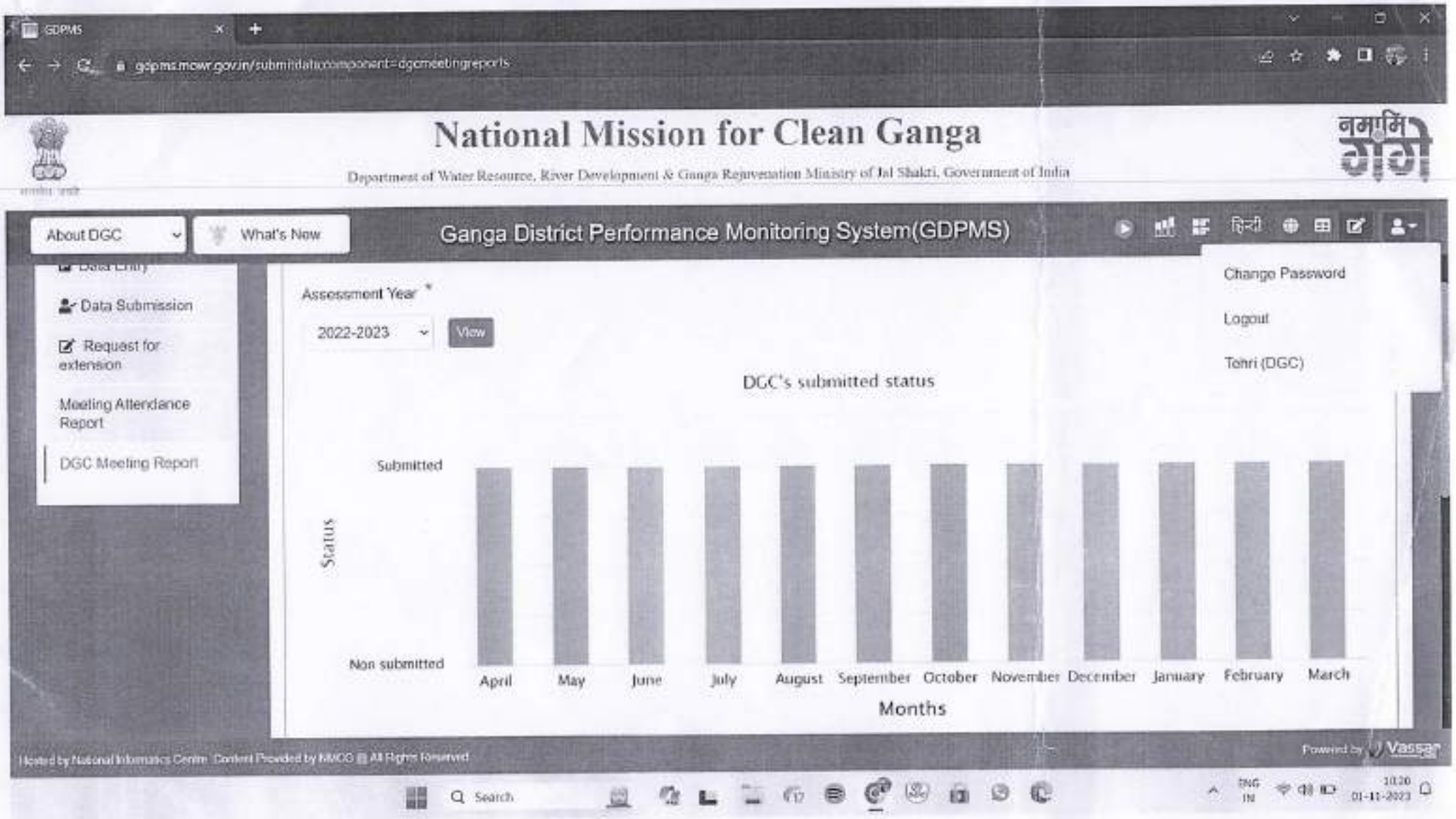
Hosted by National Informatics Centre. Content Provided by NMCG @ All Rights Reserved

Powered by Vassar

Search

ENG IN 18:23 01-11-2023

90


GDPMS
gdpms.mowr.gov.in/submitdata/component=dgcmeetingreports
National Mission for Clean Ganga
Department of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation Ministry of Jal Shakti, Government of India
नमामि गंगे
About DGC
What's New
Ganga District Performance Monitoring System(GDPMS)
हिन्दी
Change Password
Logout
Tehri (DGC)
Data Submission
Request for extension
Meeting Attendance Report
DGC Meeting Report
Assessment Year *
2022-2023
View
DGC's submitted status
Submitted
Non submitted
Status
April
May
June
July
August
September
October
November
December
January
February
March
Months
Hosted by National Informatics Centre. Content Provided by MMCG. All Rights Reserved.
Powered by Vassar
Search
ENG
IN
10:20
01-11-2023

24815

दिनांक 14.05.2018 को जिला कार्यालय में आहूत जिला स्तरीय गंगा समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति– संलग्न है।

जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन और जल का सतत पर्याप्त प्रभाव सुनिश्चित करने के उपाय एवं इससे संबंधित प्रासंगिक मामलों हेतु जिला स्तर पर गठित जिला गंगा संरक्षण समिति, टिहरी गढ़वाल की बैठक जिला कार्यालय में आहूत की गई।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–2458 दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के क्रम में जनपद में जिला गंगा संरक्षण समिति, टिहरी गढ़वाल की गठन किया गया है। इस संबंध में समिति के सदस्यों को अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 में दिये गये निर्देशों एवं समिति के कर्तव्यों से अवगत कराया गया। सर्वप्रथम गंगा नदी में सीवर के माध्यम् से हो रहे प्रदूषण पर विचार विमर्श किया गया है।

01. अधिशासी अधिकारी, कीर्तिनगर द्वारा अवगत कराया गया है, कि कीर्तिनगर नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत 02 नाले स्थित है। पेयजल निगम, श्रीनगर द्वारा एक नाले पर 10 एम0एल0डी0 का सफाई यंत्र लगाया जा रहा है व दूसरे नाले पर भी 10 एम0एल0डी0 सफाई यंत्र लगाया जाना है। नदी तट पर कूड़ा न डाला जाय, के संबंध में पूर्व ही व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कूड़ा फैलाने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर चालन की कार्यवाही की जा रही है।

अधिशासी अधिकारी, कीर्तिनगर को तत्काल पेयजल निगम से समन्वय स्थापित कर दोनों नालों में सफाई यंत्र की स्थापना हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही–नगर पंचायत, कीर्तिनगर/पेयजल निगम, श्रीनगर)

02. अधिशासी अधिकारी, देवप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि देवप्रयाग में बस अड्डे के पास नाला नदी में बहता है। सीवर की एस0टी0पी0 जल निगम के अधीन आती है तथा विभाग द्वारा इस ओर मानकों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप गन्दा पानी प्रवाहित हो रहा है। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी, देवप्रयाग को तत्काल इस ओर संज्ञान लेते हुए जल निगम के माध्यम् से उक्त स्थल पर प्रभावी कार्यवाही कर शूट अनुपालन से एक पक्ष भीतर अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया किया गया ।

(कार्यवाही–नगर पंचायत, देवप्रयाग/पेयजल निगम, श्रीनगर)

03. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती द्वारा अवगत कराया गया है, कि नगर पालिका, मुनिकीरेती क्षेत्रान्तर्गत 13 नाले हैं, जिसके सापेक्ष 09 नाले सीवर लाईन में टैप कर दिये गये हैं तथा अन्य 04 नालों पर पेयजल निगम द्वारा चन्द्रेश्वरनगर, ऋषिकेश में एस0टी0पी0 बनाये की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, जिसमें 7.5 एम0एल0डी0 क्षमता के सफाई यंत्र की स्थापना की जायेगी।

अधिशासी अधिकारी, मुनिकीरेती द्वारा यह भी अवगत कराया गया है, कि नमामि गंगा योजना के अन्तर्गत टैप किये गये नालों की 01 कि0मी0 तक की सफाई का दायित्व नगर पालिका तथा नगर पंचायत को सौंपा गया है, जिसके क्रम में उक्त प्रयोजनार्थ डी0पी0आर0 तैयार कर संबंधितों को प्राथमिकता आधार पर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती को पेयजल निगम, ऋषिकेश के माध्यम् से उक्त कार्य को प्राथमिकता आधार पर पूरा करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही–नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती/पेयजल निगम, ऋषिकेश)

04. "प्रदूषित पदार्थ" जिसमें पशुओं के शव, रसोई अथवा अस्तबल का उपशिष्ट, गोबर, कचरा, सडी हुई अथवा दुर्गंधयुक्त सामग्री और किसी भी प्रकार की गन्दगी शामिल है, जो सीवेज में नहीं आती है, के गंगा में प्रवाह को रोकने के लिए समस्त अधिकारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, टिहरी गढवाल को निर्देशित किया गया है, कि वे नदी तलों के निकट संचालित होटलों, अतिथि गृहों, ढाबों, फैक्ट्रियों तथा कम्पनियों के सीवरज लाईनों तथा उनके द्वारा उत्सर्जित कूडे–कचरे के निरस्तारण का निरीक्षण करें लें। निरीक्षण में जिन संस्थानों के सीवर एवं कूडे–कचरे के निस्तारण से गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

इसके अतिरिक्त गंगा नदी में नगर पालिका, मुनिकीरेती तथा नगर पंचायत, कीर्तिनगर/देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर तथा अन्य कारणों से हो रहे प्रदूषण को अभियान चलाकर चिन्हित करते हुए उनके रोकथाम के संबंध में एक पक्ष भीतर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी, ताकि आगामी बैठक में उक्त बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर तद्नुसार निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर/संबंधित नगर पालिका एवं नगर पंचायत)

05. वर्तमान में ऑल वेदर रोड निर्माण के फलस्वरूप पहाड कटिंग से उत्सर्जित मिट्टी आदि को निर्धारित डम्पिंग क्षेत्रों में ही डम्प किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय, कि उक्त उत्सर्जित मलबे को किसी भी दशा में नदी में

तट के समीप डम्प अथवा [illegible] सुनिश्चित न किया जाय। इस संबंध में भी निरीक्षण कर लिया जाय तथा यदि इस प्रकार का कृत्य प्रकाश में आता है, तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर/नरेन्द्रनगर)

06. उक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर प्राथमिकता आधार पर प्रभावी कार्यवाही हेतु सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया:–

01. कोई व्यक्ति गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों अथवा इसके तटों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अशोधित अथवा शोधित सीवेज अथवा सीवेज कीचड़ नहीं डालेगा।

02. कोई व्यक्ति ऐसा कोई कियाकलाप अथवा किसी परियोजना अथवा प्रक्रिया अथवा कियाकलाप नहीं करेगा अथवा जारी रखेगा, जिससे गंगा नदी में प्रदूषण हो।

03. गंगा तटों यथा स्नान घाट/राफ्टिंग क्षेत्रों तथा अन्य स्थान जहाँ पर जनसामान्य का अत्यधिक आवागमन है, में कूड़ा प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाय।

04. गंगा में स्नान करते समय साबुन, शैम्पू का प्रयोग वर्जित किया जाय।

05. गंगा में पूजन सामग्री, फूल, अगरबती, दिया, हवन की राख आदि प्रवाहित न की जाय।

06. गंगा तटों के निकट शौच इत्यादि को प्रतिबन्धित किया जाय।

07. पुराने कपडे, घर का कूड़ा तथा अन्य कचरा नदियों एवं नदी में मिलने वाले नालों में न बहाऐं।

08. मृत शवों को नदियों में प्रभावित न करें।

09. बची हुई भोजन सामग्री गंगा में न बहाएं।

10. नदी में कूड़ा–कचरा प्रवाहित करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार चालान तथा अन्य अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही–जिला पंचायत/नगर पालिका/नगर पंचायत)

07. गंगा नदी के तटों पर संचालित राफ्टिंग कैम्पों में आने वाले पर्यटकों के शौचालय की व्यवस्था, खाद्य सामग्री एवं कूड़े–कचरे के निस्तारण की जाँच की जाय। राफ्टिंग कैम्प संचालकों को नदी तट पर सफाई व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रोत्साहित किया जाय तथा अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही–डी0एफ0ओ0, मुनिकीरेती/उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर/नरेन्द्रनगर)

08. गंगा नदी के तटों पर संचालित होटलों, अतिथि गृहों, रेस्टोरेंट आश्रमों आदि में नदी से की जा रही जलापूर्ति/टेपिंग की स्थलीय जाँच की जाय तथा उनके द्वारा गन्दे पानी के निस्तारण की स्थिति स्पष्ट की जाय। जिन होट

के द्वारा नदी में प्रदूषण किया जा रहा है, कि विरुद्ध तत्काल कार्यवाही अमल लाई जाय।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर/नरेन्द्रनगर, नगर पालिका/नगर पंचायत)

09. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–2458 दिनॉक 07 अक्टूबर 2016 के पैरा 43 (03) में दिये गये निर्देशानुसार जिला गंगा समिति की कम से कम एक बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित करवाये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को निर्देशित किया गया। यह भी निर्देशित किया गया, कि बैठक का ऐजण्डा बिन्दु बैठक से एक पक्ष पूर्व सभी संबंधितों को उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे बैठक में एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर तदनुसार निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करवाई जा सके।

(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती)

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को गंगा नदी में प्रदूषण की निगरानी किये जाने तथा उक्त निर्देशों का प्राथमिकता आधार पर अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश के साथ बैठक में उपस्थिति सदस्यों का धन्यवाद कर बैठक का समापन किया गया।

(सोनिका)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 170 /21–47 (2017–2018) दिनॉक, नई टिहरी, मई 19, 2018

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:–

01. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
02. कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्ध, नमामि गंगे, उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
04. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल।
05. सदस्य, जिला गंगा संरक्षण समिति, टिहरी गढ़वाल।
06. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

94

दिनांक 06.06.2018 को जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में पॉलीथीन पूर्णतः प्रतिबन्धित करने एवं मानसून काल के दौरान नगर में साफ सफाई के सम्बन्ध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

जनपद टिहरी गढ़वाल के क्षेत्रान्तर्गत समस्त नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों के साथ दिनांक 06.06.2018 की बैठक में नगर क्षेत्रान्तर्गत सफाई, सड़क, नालियों की सफाई, नालियों की मरम्मत, वार्ड में कूड़ा सफाई, पानी, एल.ई.डी. बल्ब पार्क में कुर्सियां एवं आउट डोर जिम लगाये जाने पर चर्चा की गयी।

मा0मुख्यमंत्री जी के द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पॉलीथीन, प्लास्टिक ग्लास, दोने आदि का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित करने एवं पॉलीथीन प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाये जाने के निर्देश के क्रम में निर्गत किये गये है। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा/ विचार विमर्श किया गया, जो निम्न प्रकार से है:-

1- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत टिहरी गढ़वाल अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत पॉलीथीन पर दिनांक 30.06.2018 तक पूर्णतः प्रतिबन्धित करने हेतु सभी दुकान स्वामियों को अवगत करना सुनिश्चित करें। दिनांक 30.06.2018 के पश्चात् किसी भी दुकान पर या किसी भी व्यक्ति के द्वारा पॉलीथीन प्रयोग करने पर मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशानुसार रू0 5000.00(पॉच हजार रूपये) अर्थदण्ड/जुर्माना की कार्यवाही करेगी। नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत पॉलिथीन चैकिंग हेतु उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/ थानाध्यक्ष/प्रभारी चौकी इंचार्ज/अधि0अधि0 की एक टीम गठित करते हुए छापेमारी की कार्यवाही करेगी।

2- वर्तमान में मानसून सत्र के दौरान अधिशासी अधिकारी अपनी अपनी नगर निकायों के अन्तर्गत स्थित नालियों की सफाई नियमित कराना सुनिश्चित करें। निकाय क्षेत्रान्तर्गत जिस किसी भी नगर निकाय में नालियां बन्द पड़ी है, उन्हे तत्काल खोला जाय एवं जिस भी नगर निकाय के अन्तर्गत नालियां क्षतिग्रस्त हो रखी है, उक्त नालियों की मरम्मत तत्काल मानसून सत्र से पहले निर्माण/मरम्मत करवाना सुनिश्चित करें।

3- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत अपनी अपनी नगर निकायों में एक कम्पेक्टर मशीन का क्रय करते हुए स्थापित करें। नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत बेंच, कुर्सी तथा आउट डोर जिम स्थापित करें।

4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत अपने क्षेत्रान्तर्गत सड़कों एवं मुहल्लों में स्ट्रीट लाईट में एल.ई.डी. बल्ब शतप्रतिशत लगाना सुनिश्चित करें।

5- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका टिहरी साई चौक से संयुक्त चिकित्सालय नई टिहरी तक की सड़क की मरम्मत करवाये तथा नई टिहरी में जहां कहीं भी सड़कों पर गड्ढे पड़े हो उसे तत्काल ठीक किया जाय, अन्य अधिशासी अधिकारी भी अपने

(16)
95

अपने क्षेत्रान्तर्गत जहां कहीं भी सड़कें खराब हो रखी हो या सड़कों पर गड्ढे पड़े हो उसे तत्काल ठीक करवायें।

6— अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सम्बन्धित नगर क्षेत्र के कूड़े को गदेरे से अन्यत्र डालते हुए गदेरे में सफाई की व्यवस्था करना सुनिश्चित करे, तथा नगर में स्थित नालियों एवं सड़कों को साफ सुथरा बनाये रखते हुए, नगर क्षेत्र में पेयजल की आवश्यकता होने पर टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति करना सुनिश्चित करें।

7— अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गजा अपनी निकाय के अन्तर्गत पेयजल की व्यवस्था करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान नई टिहरी से संपर्क करे तथा पार्क, एवं नालियों में सफाई की उचित व्यवस्था की जाय एवं सड़कों में स्ट्रीट लाईट के रूप में एल0ई0डी0 बल्ब शतप्रतिशत लगवाना सुनिश्चित करें।

8— अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत चम्बियाला विद्युत कनेक्शन स्थापित करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग से संपर्क करते हुए तत्काल सड़क के किनारे स्ट्रीट लाईटों की व्यवस्था करें।

उपरोक्त सम्बन्ध में समस्त अधिशासी अधिकारी अपने नगर क्षेत्रान्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा प्रतिबन्धित पॉलीथीन के विरूद्ध एक टीम गठित करते हुए अभियान चला कर पॉलीथीन प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। वर्तमान मानसून सत्र को देखते हुए नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित नालियों में सफाई एवं कूड़ा निस्तारण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सोनिका)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।
संख्या- 951/21-18 (पूर्व) दिनांक, नई टिहरी, जून 6 ,2018

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, टिहरी गढ़वाल।
2-समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3-समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत टि0ग0।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

24821

96

दिनांक 04 अक्टूबर 2018 को जिला सभागार टिहरी में जिलाधिकारी, टिहरी जनपद की अध्यक्षता में आहूत जिला गंगा सुरक्षा समिति का कार्यवृत्त

सर्वप्रथम जिला सभागार में जिला गंगा सुरक्षा समिति की बैठक के अध्यक्ष/जिलाधिकारी, टिहरी द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को स्वागत किया गया तथा बैठक में विचार–विमर्श/चर्चा की गयी।

1. जिला गंगा सुरक्षा समिति की पूर्व बैठक में आहूत दिनांक 06.06.2018 में लिये गये सभी बिन्दुओं पर बिन्दुवार समीक्षा की गई तथा अद्यतनिक स्थिति की जानकारी ली गई। माo मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पॉलिथीन, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं आदि के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाने तथा इस सम्बन्ध में अवहेलना करने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु पुनः निर्देश दिये गये तथा अनुपालन आख्या से अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये।

2. उक्त के अतिरिक्त सभी अधिशासी अधिकारियों को मानसून के नगर निकायों में नालियों तथा अन्य स्थानों पर पड़े कूड़ा करकट को साफ करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. पूर्व बैठक में जारी अन्य सभी निर्देशों का अनुपालन कर अवशेष कार्यों को तत्काल पूर्ण करते हुये सभी कार्यों की अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये।

4. बैठक में जिला गंगा सुरक्षा समिति के सभी सदस्यों को उनके दायित्वों, अधिकारों, कर्तव्यों तथा क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से समय–समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराया गया।

5. गंगा नदी में पड़ने वाले सभी नालों, गदेरों का चिन्हीकरण कर उनमें जाली/प्रतिरोध लगाकर कूड़ा रोकने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

6. बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक माह के दूसरे व चतुर्थ शुक्रवार को (कार्य दिवस पर) अपरान्ह 1.00 बजे समिति की बैठक नियमित रूप से की जायेगी। जिला गंगा सुरक्षा समिति के सभी सदस्य उक्त नियत तिथियों तथा नियत समय पर पूर्ण तैयारी के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

अन्त में पुनः प्रतिबन्धित पॉलीथीन तथा कूड़ा करकट की समुचित व्यवस्था व किसी भी स्थिति में उसे नदी में जाने से रोकने हेतु आवश्यक प्रयासों को युद्धस्तर पर करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

24822

97

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी ।

पत्रांक 806 /21-18 नई टिहरी दिनांक 29/11/2018

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, नई टिहरी।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नई टिहरी।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद–टिहरी, नई टिहरी।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत, नई टिहरी।

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

दिनांक–26 अक्टूबर 2018 को जिला समागार टिहरी में जिलाधिकारी टिहरी गढवाल की अध्यक्षता में आहुत जिला गंगा सुरक्षा समिति का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के कार्यालय पत्रांक–155/21–47 दिनांक–02.05.2018 तथा 425/21–47, दिनांक–11.05.2018 के क्रम में जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के कार्यालय में आज दिनांक–26.10.2018 को गंगा सुरक्षा समिति की बैठक अध्यक्ष/जिलाधिकारी टिहरी गढवाल की अध्यक्षता में आहुत की गयी। यह बैठक प्रत्येक माह के द्वितीय शुक्रवार एवं चतुर्थ शुक्रवार को अपरान्ह 01 बजे आहुत की जाती है। आज दिनांक–26.10.2018 आहुत बैठक में अधिकांश अधिकारीगण एवं सिविल सोसायटी के लोग चुनाव कार्यों में व्यस्थता के कारण उपस्थित नही हो पाये।

अध्यक्ष/जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल के द्वारा गत बैठक में दिये गये निर्देशों की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के द्वारा इस बैठक में निम्न निर्देश जारी किये गये है:–

1. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत गंगा किनारे साफ–सफाई करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में पॉलीथीन, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने तथा इसको गंगा में सीधे प्रवाहित नही करने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में अवहेलना करने पर दोषी व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये।
2. सभी अधिशासी अधिकारियों को नगरीय तथा अपने अधिकारिता के क्षेत्रों में नालियों तथा अन्य स्थलों पर कूडे–करकट को साफ करने तथा गंदे अवशिष्ट पदार्थों को गंगा में सीधे प्रवाहित नही करने का निर्देश दिया गया।
3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के द्वारा सिविल सोसायटी के जिला गंगा सुरक्षा समिति के सभी सदस्यों से अपेक्षा की गयी कि वे लोग अपने आस–पास तथा स्थानीय परिवेश तथा पर्यावरण को साफ रखने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे।
4. गंगा नदी में पड़ने वाले सभी नालों, गदेरों का चिन्हीकरण कर उनमें जाली/प्रतिरोध लगाकार कूडा रोकने हेतु संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
5. अध्यक्ष/जिलाधिकारी टिहरी गढवाल के द्वारा सभी सदस्यों से अपेक्षा की गयी कि प्रत्येक माह के दूसरे व चतुर्थ शुक्रवार (कार्यदिवस पर) अपरान्ह 01 बजे समिति की बैठक में नियमित रूप से भाग लेंगे।

अन्त में पुनः प्रतिबन्धित पॉलीथीन तथा गंदे अवशिष्ट पदार्थों को नदी में जाने से रोकने के लिए आवश्यक प्रयास करने की आवश्यकता पर जिलाधिकारी टिहरी गढवाल द्वारा जोर दिया गया तथा सभी जिला गंगा सुरक्षा समिति के सदस्यों से अपेक्षा की गयी कि वह लोग अपने दायित्वा तथा अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हुए शासन द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप कार्य करते रहेंगे।

सोनिका,
जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

कार्यालय–जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पत्रांक– 72 / 21–18, नई टिहरी दिनांक–29/10/2018

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2–समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, नई टिहरी।
3–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नई टिहरी।
4–समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद–टिहरी, नई टिहरी।
5–समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत, नई टिहरी।

सोनिका,
जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

दिनांक–26–10–2018 को जिला अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में जिला गंगा सुरक्षा समिति की बैठक में उपस्थिति का विवरण। 99

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	कार्यालय का नाम	फोन न0	ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर

24825

100

दिनांक 09.11.2018 को जिला कार्यालय सभागार नई टिहरी में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में आहूत जिला गंगा सुरक्षा समिति का कार्यवृत्त।

जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल के निर्देशानुसार जिला कार्यालय सभागार नई टिहरी में दिनांक 09.11.2018 को एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया जो निम्न प्रकार से है :-

1- जिला गंगा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 26.10.2018 को आयोजित की गयी थी, जिसमें अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नई टिहरी, अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम नई टिहरी आदि उपस्थित हुये। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मुनिकीरेती/देवप्रयाग एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत जीतीनगर, टिहरी गढ़वाल को नगर निकाय चुनाव के मध्यनजर बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित नही किया गया, साथ ही नगर निकाय निर्वाचन आचार संहिता प्रभावी होने के कारण गंगा समिति के अन्य सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित नही किया गया।

2- दिनांक 26.10.2018 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देश की क्रम में अवगत कराया गया है कि मुनिकीरेती एवं देवप्रयाग में स्थिति नदियों/गधेरे में जालियां लगा दी गयी है।

3- नगर पंचायत क्षेत्र में एसटी प्लाट कीर्तिनगर में 02 नालों पर एसटीपी प्लाट का निर्माण पूर्ण हो चुका है, उक्त एसटीपी प्लाट पर आवासिय एवं व्यवसायिक कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

4- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग नई टिहरी के द्वारा अवगत कराया गया है कि कौडेश्वर महादेव में श्मशान घाट का निर्माण कार्य 80प्रतिशत निर्माण कार्य किया जा चुका है अधिशासी अभियन्ता, को निर्देशित किया जाता है, कि आगामी बैठक तक शतप्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाय।

5- जनपद में स्थित धर्मशालाओं के स्वामियों/प्रबन्धकों के द्वारा उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने होगें, इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी एवं समबन्धित उप जिलाधिकारी अपने स्तर से धर्मशाला प्रबन्धकों को सूचित करेगें। समस्त उप जिलाधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्रों में स्थित एसटीपी की साफ सफाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें।

7- प्रभागीय वनाधिकारी (लोहारा अधिकारी) वन प्रभाग नई टिहरी, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नई टिहरी एवं नरेन्द्रनगर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मुनिकीरेती, देवप्रयाग तथा नगर पंचायत जीतीनगर द्वारा समय पर उक्त कार्यों का निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करेगें।

(रोहित)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल

संख्या- R-67 /21-18 (गंगा/बैठक)-18 दिनांक, नई टिहरी नवम्बर 09,2018

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
2- समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
4- समस्त उप जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।
5- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत टिहरी गढ़वाल।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

24826

दिनांकः–09–11–2016 को जिला अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में जिला गंगा सुरक्षा समिति की बैठक में उपस्थिति का विवरण।

101

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	कार्यालय का नाम	फोन न0	ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	Amol Pawar	S.O. Roorkee	9760362965		
	[illegible]	उद्योग (एम.एस.एम.ई)	9410102074	dicteh@dairk.org	
	Deepak Kumar	Deepak N.P.P. Muzaffarnagar	7830777317		
	Avnish Kumar	S.E. NPP Muzaffarnagar	9720498070		

24827

दिनांक 22.11.2018 को पुलिस समागार नई टिहरी में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में आहूत जिला गंगा सुरक्षा समिति का कार्यवृत्त।

जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल के निर्देशानुसार जिला कार्यालय समागार नई टिहरी में दिनांक 22.11.2018 को एक बैठक आयोजित की गयी जिसमे उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। उक्त बैठक शुक्रवार दिनांक 23.11.2018 को आयोजित की जानी थी राजकीय अवकाश के कारण दिनांक 22.11.2018 को एक दिन पूर्व आयोजित की गयी । बैठक में उपस्थित अधिकारियों से निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया जो निम्न प्रकार से है :—

1— जिला गंगा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 09.11.2018 को आयोजित की गयी थी, उक्त बैठक में दिये गये निर्देशो के क्रम मे उपस्थित अधिकारियों के साथ विषय विमर्श किया गया। जिसमें अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नई टिहरी के द्वारा अवगत कराया गया है, कि कोटेश्वर महादेव मन्दिर मे बनाये जाने वाले स्नान घाटो का निर्माण माह नवम्बर,2018 तक पूर्ण हो जायेगा। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्य पूर्ण होने पर तत्काल सूचना उपलब्ध करायें।

2— जनपद मे स्थित औद्योगिक इकाइयो के द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी निरीक्षण कर आगामी बैठक मे रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

3— सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत किये जा रहे अईएनडी कार्यो की जांच कर जांच आख्या प्रस्तुत करेगें साथ ही यह भी जांच करेगें कि गन्दा/प्रदूषित पानी किसी के भी द्वारा गंगा नदी में तो नही बहाया जा रहा है।

4— सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत गन्दगी, मल एवं प्रदूषित पानी जो कॉमन सैप्टिटेंक, बायो डीईजेस्टर में इकट्ठा किया जा रहा है उसे नियमित रूप से खाली कर एसटीपी में उचित ट्रीटमेंट हेतु डाला जाय, साथ ही अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका चम्बा अपनी पालिका में उपलब्ध वैक्यूम सेप्टेज क्लीनिंग मशिन का पंजिकरण करना सुनिश्चित करें ।

5— अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मुनिकीरेती अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित 17 नालों एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवप्रयाग अपने क्षेत्रान्तर्गत 02 नालो एवं नगर पंचायत चंद्रिनगर मे स्थित 02 नालो पर लगाये गये जालियों की सफाई नियमितरूप से करवाना सुनिश्चित करें तथा उक्त जालियों की उचित देख भाल भी करना सुनिश्चित करे।

6— सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारियों को होटल, आश्रम एवं धर्मशालाओं के स्वामियो/प्रबन्धकों को माननीय हरित अधिकरण के द्वारा पारित दिशा निर्देशों के अनुपालन एवं जागरूकता अभियान चलाने हेतु पृथक से निर्देश पत्र जारी किया जाय।

7— दिनांक 22.11.2018 को नगर निकायो मे निर्वाचन के कारण आचार संहिता प्रभावी होने के कारण समिति के अन्य सदस्यों को बैठक मे नही बुलाया गया ।

8— गंगा समिति की आगामी बैठक दिनांक 07.12.2018 को नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती में नियत की जाती है।

([illegible])
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या— R-82 /21-18 (गंसस/बैठक)-18 दिनांक, नई टिहरी नवम्बर 22,2019

प्रतिलिपि—निम्नांकितो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— अपर प्रधान निदेशक, एसटीएचजीए, गंगोत्री गंगा टहरी-पूरा, उत्तराखण्ड।
2— समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
3— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
4— समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5— समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत टिहरी गढ़वाल।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

24828

103

दिनांक 04.12.2018 को तहसील कार्यालय नरेन्द्रनगर के सभागार में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा सुरक्षा समिति का कार्यवृत्त।

आज दिनांक 04.12.2018 को तहसील सभागार नरेन्द्रनगर में जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गंगा सुरक्षा समिति पालित बैठक आयोजित की गयी । उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। उपस्थित अधिकारियों से निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया जो निम्न प्रकार से है :-

1- जिला गंगा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 22.11.2018 को आयोजित की गयी थी, उक्त बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में उपस्थित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड निर्माण अनुरक्षण इकाई, जल संस्थान(गंगा) ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया है, कि अधिशासी अभियन्ता, पेयजल एवं जल संस्थान देवप्रयाग के पास गंगा सुरक्षा समिति से सम्बन्धित कोई कार्य नही है जिसके कारण उनके स्थान पर परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड निर्माण अनुरक्षण इकाई जल संस्थान(गंगा) ऋषिकेश/परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम ऋषिकेश/श्रीनगर एवं वाप्कोस कम्पनी श्रीनगर को बैठक में बुलाया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रबन्धक के सुझाव के अनुसार उपरोक्त अधिकारियों को अगली बैठक में बुलाया जाय।

2- जनपद में स्थित औद्योगिक इकाइयों के द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण पर कार्यवाही करने हेतु प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से सम्बन्धित अधिकारी/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल एवं उप जिलाधिकारी एक टीम बनाकर मुनिकेरेती तपोवन एवं नदी के किनारे वाले क्षेत्र का नियमानुसार निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करे।

3- सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत किये जा रहे आईएनडी वर्क्स की जांच कर जांच आख्या प्रस्तुत करेगें साथ ही यह भी जांच करेगें कि गन्दा/प्रदूषित पानी किसी के भी द्वारा गंगा नदी मे तो नही बहाया जा रहा है।

4- परियोजना प्रबन्धक, नमामि गंगे देहरादून के द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, उक्त सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, नई टिहरी को आगामी बैठक में बुलाया जाय तथा जनपद में स्थित बायो मेडिकल वेस्ट के सम्बन्ध में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय।

5- सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, परियोजना प्रबन्धक,जल संस्थान ऋषिकेश एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत गन्दगी, मल एवं प्रदूषित पानी जो कॉमन सैप्टिटैंक, बायो डॉईजेस्टर में इकट्ठा किये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लोगो के कनेक्शन एवं होटल आश्रम धर्मशालाओं के कनेक्शनों को जोड़े जाने हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

6- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मुनिकीरेती अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित 17 नालो एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवप्रयाग अपने क्षेत्रान्तर्गत 02 नालो एवं नगर पंचायत कीर्तिनगर में स्थित 02 नालों पर लगाये गये जालियों की सफाई नियमितरूप से करना सुनिश्चित करे तथा उक्त जालियों की उचित देख भाल भी समय समय पर करना सुनिश्चित करे।

7– परियोजना प्रबन्धक, अनुरक्षण शाखा उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती एवं अपर मुख्याधिकारी, जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित नालो में एसटीपी से जोडे जाने हेतु तत्काल कार्यवाही करते हुए अगली बैठक में प्रगति से अवगत करायें।

8– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नई टिहरी उपस्थित नही आये उनके द्वारा अपना प्रतिनिधि भेजा गया था, जिस पर कोटेश्वर महादेव मन्दिर में बनाये जाने वाले स्नान घाटों एवं शमशान घाटों का निर्माण के सम्बन्ध में पूछने पर पूर्ण जानकारी नही दी गयी । अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम आगामी बैठक में प्रगति से अगवत कराये ।

9– सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/पंचायत टिहरी गढ़वाल/जिला पर्यटन अधिकारी टिहरी गढ़वाल एवं अपर मुख्याधिकारी, जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थिति होटलो/आश्रमो /धर्मशालाओं का विवरण तत्काल प्रस्तुत करे तथा होटल, आश्रम एवं धर्मशालाओं के स्वामियों/प्रबन्धकों को मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा पारित दिशा निर्देशों के अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन न करने वाले प्रबन्धकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर अवगत करायें।

10– दिनांक 29.12.2018 को जिला अधिकारी महोदया, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार नई टिहरी में नियत है, सभी गणमान्य सदस्य उक्त बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

(सोनिका)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 388 /21–18 (मा0रा0बैठक)–18 दिनांक, नई टिहरी दिसम्बर 09 2018

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कार्यकम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
2– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
4– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल ।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5– परियोजना प्रबन्धक/सहायक अभियन्ता, निर्माण एव अनुरक्षण इकाई(गंगा) उ0पेयजल निगम ऋषिकेश/श्रीनगर।
6– सहायक अभियन्ता, निर्माण एव अनुरक्षण इकाई(गंगा)उत्तराखण्ड जल संस्थान ऋषिकेश।
7– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत टिहरी गढ़वाल।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

दिनांक 29.12.2018 को जिला कार्यालय समागार नई टिहरी में जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गंगा सुरक्षा समिति की आहूत बैठक का कार्यवृत्त। 24830

105

जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल के निर्देशानुसार जिला कार्यालय समागार, नई टिहरी में दिनांक 29.12.2018 को गंगा सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गयी। जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों से निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया जो निम्न प्रकार से है :–

बिन्दु संख्या–1 जनपद में स्थित नालों की स्थिति–

(I) मुनिकीरेती–जनपद में स्थित 17 नालो के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। जिसमें 13नाले नगर पालिका मुनिकीरेती क्षेत्रान्तर्गत स्थित है। अधिशासी अधिकारी मुनिकीरेती के द्वारा अवगत कराया गया है कि 09 नालो को टेप कर लिया गया है, 2नालों को 15दिनो के अन्तर्गत टेप किया जायेगा, 1नाला जो ढालवाला में स्थित है तथा चोरपानी वाले नाले का भी एसटीपी से तत्काल जोडे जाने की कार्यवाही गतिमान है। उस पर केवल वर्षात मे पानी आता है, तथा वह वर्तमान में सूखा हुआ होने के कारण टेप करने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। ढालवाला स्थित एक नाले पर टेप की कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अभियन्ता उक्त नालो को टेप करने की कार्यवाही 7 दिनों मे करना सुनिश्चित करें, तथा अधिशासी अधिकारी मुनिकीरेती उक्त नालो की नियमित सफाई व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करे।

(II) अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त 13नालो पर टेपिंग की कार्यवाही 15 दिनों के अन्दर समाप्त की जायेगी। अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम के द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थान ढालवाला में भी एक टैंक का निर्माण किया जा रहा है जिसमें कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, 15प्रतिशत कार्य किया गया है। पूर्व में उक्त कार्य में स्थानीय लोगों के द्वारा विवाद किये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो पाया था। एस0टी0पी0 कनेक्शन दिये जाने हेतु पाईप लाईन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 13 नालो की सफाई हेतु नालो पर जाले लगाये गये है। अधिशासी अभियन्ता के द्वारा अवगत कराया गया है उक्त नालो की साफ सफाई हेतु प्रत्येक नाले पर एक चैम्बर बनाया गया है, चैम्बर के पश्चात जाला लगाया गया है, उसके पश्चात मैनुअल कूडे का निस्तारण किया जाता है। नाले से निकलने वाले कूडे को नगर पालिका के द्वारा गाडियों से निस्तारण हेतु ले जाया जाता है। स्थान शिवपुरी में टैंक का निर्माण किया गया है, उक्त टैंक 3.5 MLD का है। उक्त टैंक कर कनेक्शन वहां के स्थानीय लोगों एवं होटलो के कनेक्शन जोडे गये है, जिसमें स्थान तपोवन में कुल 546में से 444कनेक्शन जोडे गये है, 102कनेक्शन जोडे जाने है 14कनेक्शनो की पीसीबी भेजी गयी है। वर्तमान में 1.5MLD आ रहा है। अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम एवं अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत स्थान मुनिकीरेती एवं शिवपुरी में शिविर एवं रौप्टी टैंक में स्थानीय लोगों एवं उक्त स्थान पर स्थित सभी होटल जिसमें 20 कमरा 20 से अधिक कमरे है उक्त होटलो के एस0टी0पी0 कनेक्शन जोडने का संयुक्त रूप से प्रयास करें तथा अगली बैठक में कार्य की प्रगति से अवगत करायें।

(कार्यवाही अधि0अ0ना0पा0प0मुनिकीरेती/अधि0अभि0 पेयजल निगम/ऋषिकेश)

(III) देवप्रयाग–नगर पालिका देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत 2 नाले स्थित है, उक्त नालो पर S.T.P (एस0टी0पी0) के माध्यम से टेपिंग की व्यवस्था की गयी है, जिसके लिए 2. S.T.P (एस0टी0पी0) टैंक बनाये गये है, उक्त कार्य उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पास है। स्थान देवप्रयाग में स्थित

2 नालो पर जाले लगाये गये है [illegible] देवप्रयाग के अन्तर्गत ट्रीटमेंट प्लान बना है।

(कार्यवाही–अ0अ0न0प0देवप्रयाग / अधि0अभि0,पेयजल निगम देवप्रयाग)

(IV) कीर्तिनगर–नगर पंचायत कीर्तिनगर में 2नाले है उक्त दोनो नालो को टेप किया गया है उक्त नालो के लिए 2.S.T.P(एस0टी0पी0) टैंक बने है, जिसमें नगर पंचायत स्थित नालो को टेप किया गया है। कीर्तिनगर में स्थित 2नालो पर जाले लगाये गये है। उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर के द्वारा अवगत कराया गया है कि कीर्तिनगर नगर में स्थित एक नाले को भी एस0टी0पी0 से जोडा जाना आवश्यक है। अधिशासी अधिकारी कीर्तिनगर तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर के द्वारा अवगत कराया गया है कि एक नाला जो छोटा है तथा छूटा हुआ है उसका भी कनेक्शन तत्काल जोडा जाय।

(कार्यवाही–अधि0अभि0न0प0कीर्तिनगर)

3–होटलो / आश्रमों / धर्मशालाओं की जांच–

जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थित नदी किनारे लगे हुये नगरों एव गांवों में अपने शोकपिट बनाये गये है या एसटीपी / एसएल / एसटी बनाये / जोडे गये है, उनका स्थलीय निरीक्षण कर उन्हें चिन्हित करने हेतु उक्त क्षेत्र के उप जिलाधिकारियो को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत जनपदीय अधिकारी जैसे जिला पर्यटक अधिकारी, टिहरी गढवाल / क्षेत्रीय अधि0अ0,नगर पालिका / पंचायत / अपर मुख्याधिकारी, जिला पंचायत / महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द, नरेन्द्रनगर / अधि0अभि0, उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश / प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी / क्षेत्रीय तहसीलदारो की एक टीम बनाकर अपने क्षेत्रों में स्थित सभी होटलों / आश्रमों / धर्मशालाओं को चिन्हित करेगें कि उनके द्वारा स्थापित एसटीपी / एसएल / एसटी या शोकपिट आदि का पंजीकरण किया जाय तथा अवगत कराये कि उनके होटल के अनुसार पर्याप्त है या नही? अगर नही है? तो उनका कनेक्शन एसटीपी से जोडने की कार्यवाही अमल में लाये।

(उप जिलाधिकारी, अपने क्षेत्रान्तर्गत जनपदीय अधिकारी जैसे जिला पर्यटक अधिकारी, टिहरी गढवाल / क्षेत्रीय अधि0अ0 नगर पालिका / पंचायत / अपर मुख्याधिकारी, जिला पंचायत टि0ग0 / महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द नरेन्द्रनगर / अधि0अभि0, उ0प0निगम(गंगा),ऋषिकेश, / प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी / क्षेत्रीय तहसीलदार)

बिन्दु संख्या 4 स्नान घाट / शमशान घाट

(I) अधिशासी अधिकारी, देवप्रयाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि देवप्रयाग में स्नान घाटो एवं शमशासन घाटों का निर्माण पूर्ण हो गया है। उक्त कार्य वाप्कोस कम्पनी के द्वारा किया गया है। अगली बैठक में वाप्कोस कम्पनी के अधिकारियों को भी बुलाया जाय जिससे स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके। (कार्यवाही–वाप्कोस कम्पनी श्रीनगर)

(II) अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड प्रथम नई टिहरी के द्वारा कोटेश्वर महादेव मन्दिर के निकट स्नान घाटों एवं शमशान घाटों का निर्माण किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता, उपस्थित नही होने के कारण स्थिति ज्ञात नही हो पायी। अधिशासी अभियन्ता, को उक्त घाटों के निर्माण कार्य अगली बैठक तक पूर्ण करे।

(कार्यवाही–अधि0अभि0सि0ख0प्र0नई टिहरी)

बिन्दु संख्या–5 प्लास्टिक कूडे का निस्तारण–

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मुनिकीरेती के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कम्पेक्ट मशीन लगायी गयी है। जिसमें प्लास्टिक कूडे का निस्तारण किया जाता है। समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका / पंचायत अपने अपने क्षेत्र में प्लास्टिक कूडे के निस्तारण हेतु कम्पेक्ट मशीन लगाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–समस्त अधि0अधि0न0प0 / प0टि0ग0)

बिन्दु संख्या–6 बायो मेडिकल वेस्ट

मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी गढ़वाल के द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनके क्षेत्रान्तर्गत बायो मेडिकल से सम्बन्धित बहुत ही कम मात्रा में कूडा होता है। उक्त कूडे को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है, तथा नगर पालिका के वाहन द्वारा उक्त कूडे को ले जाया जाता है। उक्त सम्बन्ध में सभी पीएचसी एवं सीएचसी को बायो मेडिकल के समस्त कूडे को एक ही स्थान पर एकत्रित कर निस्तारण करने के निर्देश दिये गये है।

7– उप जिलाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उनके क्षेत्रान्तर्गत स्थित होटल, आश्रम एवं धर्मशालाओं के स्वामियों/प्रबन्धकों के द्वारा मा0राष्ट्रीय हरित अभिकरण के द्वारा पारित दिशा निर्देशों के अनुपालन नियमानुसार नही किया जाता है, तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु नोटिस जारी करे तथा साफ सफाई रखे जाने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाय।

(उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर/कीर्तिनगर/अधि0अ0मुनिकीरेती/देवप्रयाग/कीर्तिनगर/अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत/महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र नरेन्द्रनगर/अधि0अभि0, उ0प्0निगम(गंगा),ऋषिकेश/प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, द्वारा नामित अधिकारी/क्षेत्रीय तहसीलदार)

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 967 /21–18 (मा0स0वै0)–18 दिनांक, नई टिहरी दिसम्बर 03 ,2018

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0आई0,नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
2– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
3– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
4– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत टि0ग0।
6– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम नई टिहरी।
7– अपर मुख्याधिकारी, पंचायत टिहरी गढ़वाल।
8– महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, नरेन्द्रनगर।
9– जिला पर्यटक अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
10– प्रबन्धक, वाप्कोस कम्पनी, श्रीनगर(गढ़वाल)।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

दिनांक 15.01.2019 को जिला कार्यालय सभागार नई टिहरी में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में आहूत जिला गंगा सुरक्षा समिति का कार्यवृत्त।

जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल के निर्देशानुसार जिला कार्यालय सभागार नई टिहरी में दिनांक 15.01.2019 को एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।

1– बैठक में केवल 09 अधिकारीगण उपस्थित थे जबकि अन्य अधिकारी उपस्थित नही हुये। जिलाधिकारी द्वारा अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुपस्थित अधिकारियों से बैठक में उपस्थित न होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात उपस्थित अधिकारियों के साथ दिनांक 29.12.2018 को आयोजित बैठक के बिन्दुओं पर चर्चा के साथ निम्न प्रकार बिन्दुवार विचार विर्मश किया गया :–

2– जिला गंगा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 29.12.2018 को आयोजित की गयी थी, उक्त बैठक में दिये गये निर्देशों के कम में उपस्थित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। जिसमें परियोजना प्रबन्धक, नमामि गंगा के द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनके क्षेत्रान्तर्गत देवप्रयाग में 02नाले का टेपिंग का कार्य पूर्ण किया गया है, तथा कीर्तिनगर में स्थित 01नाले का कार्य तत्काल पूर्ण किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। जिलाधिकारी द्वारा कार्यो में तेजी लाते हुये सभी कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–परियोजना प्रबन्धक, नमामि गंगा)

3– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, नई टिहरी के द्वारा अवगत कराया गया है, कि कोटेश्वर महादेव मन्दिर में बनाये जाने वाले स्नान घाटों एवं घाटों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, प्रथम, नई टिहरी उक्त निर्मित घाटों का सम्बन्धित विभाग को हस्तगत कराते हुए आगामी बैठक में आख्या प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, नई टिहरी)

4– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत टिहरी गढ़वाल अपने अपने क्षेत्रों में प्लास्टिक कूडा/अन्य सभी प्रकार के कूडा निस्तारण हेतु काम्पैक्ट मशीन लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, केवल अधिशासी अभियन्ता, मुनिकीरेती के द्वारा काम्पैक्ट मशीन लगाये जाने हेतु अवगत कराया गया है, अन्य अधिशासी अधिकारियों के द्वारा उक्त सम्बन्ध में आख्या नही दी गयी है, सभी अधिशासी अधिकारी, उक्त सम्बन्ध में तत्काल आख्या उपलब्ध कराना सुनश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत टिहरी गढ़वाल)

5– मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी अपने अधीनस्थ सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को निर्देशित करे, कि वायो मेडिकल वेस्ट से सम्बन्धित समस्त कूडे का निस्तारण उचित प्रकार से करें तथा आगामी बैठक में प्रगति से अवगत करायें।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी)

6– समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत किये जा रहे आईएनडी वर्क्स की जांच कर जांच आख्या प्रस्तुत करेगें साथ ही यह भी जांच करेगें कि गन्दा/प्रदूषित पानी किसी के भी द्वारा गंगा नदी में तो नही बहाया जा रहा है तथा इसकी सूचना अपने क्षेत्र से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/नोडल अधिकारी को नियमित रूप से उपलब्ध करायेगें।

(कार्यवाही– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत टिहरी गढ़वाल)

7— समस्त उप जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी टिहरी गढ़वाल को निर्देशित किया जाता है कि ये अपने–अपने क्षेत्रों में आई0एन0डी0 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो तथा एस0टी0पी0 कार्यो का भौतिक सत्यापन करते हुये उसकी प्रगति सूचना जिला गंगा सुरक्षा समिति को नियमित रूप से उपलब्ध करायेगें साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि अपने–2 कार्यक्षेत्रों में टैप किये गये नालों तथा उन पर लगायी गयी जाली आदि कार्यो का पूर्ण मूल्यांकन तथा अनुश्रवण कर इसकी सूचना भी जिला गंगा सुरक्षा समिति को उपलब्ध करायेगें।

उक्त के अतिरिक्त सभी होटलों, आश्रमों, धर्मशालाओं एवं निजी भवनों के दूषित पानी के चिन्हीकरण करते हुये उनके नदी में जाने से रोके जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक कर सम्बन्धितों को मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण के द्वारा पारित दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में जागरूक करें तथा उसके पश्चात भी मा0 अभिकरण के आदेशों का उल्लघन करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार नोटिस जारी कर तथा जुर्माना वसूलने की कार्यवाही कर प्रगति सूचना से जिला गंगा सुरक्षा समिति को अवगत करायेगें।

(कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी टिहरी गढ़वाल)

08— **गंगा स्वच्छता के सम्बन्ध में** अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका देवप्रयाग गंगा स्वच्छता एवं निर्मल बनाये रखने हेतु स्थान देवप्रयाग में एक कार्यशाला का आयोजन करना सुनिश्चित करें उक्त कार्यशाला के आयोजन हेतु व्यय की गयी धनराशि के वाउचर प्रस्तुत करने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्यशाला का आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करेंगें।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका देवप्रयाग)

09— गंगा समिति की आगामी बैठक दिनांक 31.01.2019 को 11.00बजे प्रातः जिला कार्यालय सभागार में नियत की जाती है।

(सोनिका)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 241 /21–18 (गं0स0बैठक)–18 दिनांक, नई टिहरी, जनवरी 25,2019

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1— कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
2— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
3— प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
4— मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5— समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6— समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
7— समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत टिहरी गढ़वाल।
8— अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, नई टिहरी।
9— अपर मुख्याधिकारी, पंचायत टिहरी गढ़वाल।
10— महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, नरेन्द्रनगर।
11— जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12— प्रबन्धक, वाष्कोस कम्पनी, श्रीनगर (गढ़वाल)।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

24835

110

दिनांक 30.01.2019 को जिला कार्यालय सभागार नई टिहरी में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में आहूत जिला गंगा सुरक्षा समिति का कार्यवृत्त।

जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल के निर्देशानुसार जिला कार्यालय सभागार नई टिहरी में दिनांक 30.01.2019 को एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।

जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि Axis Bank, नई टिहरी में गंगा सुरक्षा समिति हेतु खाता खोल दिया गया है जिसमें उक्त स्तर से 5.00 लाख रुपये आवंटित हुए हैं। उक्त समिति के समस्त क्रियाकलापों हेतु कार्यालय का सभन जिलाधिकारी कार्यालय, नई टिहरी के कक्ष संख्या 02 में किया गया है। उक्त भवन में गंगा सुरक्षा समिति का बोर्ड भी लगाया गया है।

आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों के साथ निम्न प्रकार बिन्दुवार विचार–विमर्श किया गया :–

01– जिला गंगा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 15.01.2019 को आयोजित की गयी थी, उक्त बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में उपस्थित अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया गया। जिसमें पेयजल निगम के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनके क्षेत्रान्तर्गत मुनिकीरेती में 2 एस0टी0पी0, जिनमें 15 नालों में टैपिंग का कार्य प्रस्तावित है, जिसमें से 10 नालों में टैपिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष 5 नालों में से 2 नालों का कार्य प्रगति पर है तथा सभी 5 नालों में जाली लगाकर कूड़ा प्रवाहित होने से रोका जा रहा है। तपोवन में 1 एस0टी0पी0, जिसमें 7 नालों में टैपिंग का कार्य है, जिसमें से 5 नालों में टैपिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष 02 नाले बरसाती प्रकृति के हैं। देवप्रयाग में 2 एस0टी0पी0, जिनमें से 2 नालों में टैपिंग का कार्य गतिमान है जिसमें जाली लगाकर कूड़ा प्रवाहित होने से रोका जा रहा है। कीर्तिनगर में 2 एस0टी0पी0, जिनमें से 3 नालों में टैपिंग का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 02 नालों में टैपिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है शेष 1 नाले में जाली लगाने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा टैपिंग कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम कीर्तिनगर को कार्यों में तेजी लाते हुये सभी कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही सबंधित उपजिलाधिकारी/नोडल अधिकारी को भी उक्त कार्यों की मूल्यांकन कर आख्या जिला गंगा सुरक्षा समिति को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम कीर्तिनगर)

02– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, नई टिहरी के द्वारा अवगत कराया गया है, कि कोटेश्वर महादेव मन्दिर में बनाये जाने वाले स्नान घाटों एवं श्मशान घाटों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

उक्त के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 27.01.2018 को सम्पन्न नमामि गंगे की समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिए गए कि पूर्ण एवं निर्माणाधीन घाटों के रख–रखाव हेतु व्यवस्था स्थानीय प्राधिकारियों तथा नगर निगम, नगर पालिका परिषद व ग्रामीण व ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत/ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं।

उक्त आदेश के अनुसार निर्मित घाटों को हस्तागत करने के निर्देश जिलाधिकारी स्तर से जारी किए जाएंगे।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, नई टिहरी)

03– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत टिहरी गढ़वाल अपने अपने क्षेत्रों में प्लास्टिक कूड़ा/अन्य सभी प्रकार के कूड़ा निस्तारण हेतु जनपद टिहरी के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा काम्पैक्ट मशीन लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसमें केवल अधिशासी अधिकारी चम्बा, मुनिकीरेती, देवप्रयाग एवं टिहरी के द्वारा काम्पैक्ट मशीन लगा दी गयी है अन्य अधिशासी अधिकारियों के द्वारा उक्त सम्बन्ध में आख्या नही दी गयी है, जनपद टिहरी के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी गजा, नरेन्द्रनगर, जौधाला, धनसाली एवं लम्बगाव उक्त सम्बन्ध में प्रगति से आगामी बैठक में अवगत करायें।

(कार्यवाही– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत टिहरी गढ़वाल)

Scanned by CamScanner

04- मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी अपने अधीनस्थ सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को निर्देशित करे, कि बायो मेडिकल वेस्ट से सम्बन्धित समस्त कूडे का निस्तारण उचित प्रकार से करे तथा आगामी बैठक में प्रगति से अवगत कराये।

(कार्यवाही- मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी)

05- जिलाधिकारी द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत किये जा रहे आईएनडी वर्क्स की जांच कर जांच आख्या प्रस्तुत करेगें साथ ही यह भी जांच करेगें कि गन्दा/प्रदूषित पानी किसी के भी द्वारा गंगा नदी में तो नही बहाया जा रहा है तथा इसकी सूचना अपने क्षेत्र से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/नोडल अधिकारी को नियमित रूप से उपलब्ध करायेगें।

(कार्यवाही- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत टिहरी गढ़वाल)

06- जिलाधिकारी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी, टिहरी गढ़वाल को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आई0एन0डी0 के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो तथा एस0टी0पी0 कार्यो का भौतिक सत्यापन करते हुये उसकी प्रगति सूचना जिला गंगा सुरक्षा समिति को नियमित रूप से उपलब्ध करायेगें। साथ ही उपजिलाधिकारी समय-समय पर अपने क्षेत्रान्तर्गत किए जा रहे कार्यो का मूल्यांकन/भौतिक सत्यापन कर इसकी सूचना भी जिला गंगा सुरक्षा समिति को उपलब्ध कराएंगे।

उक्त के अतिरिक्त सभी होटलों, आश्रमों, धर्मशालाओं एवं निजी भवनों के दूषित पानी के चिन्हीकरण करते हुये उनके नदी में जाने से रोके जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक कर सम्बन्धितों को मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण के द्वारा पारित दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में जागरूक करे तथा उसके पश्चात भी मा0 अभिकरण के आदेशों का उल्लघंन करने वालों के विरूद्व नियमानुसार नोटिस जारी कर तथा जुर्माना वसूलने की कार्यवाही कर प्रगति सूचना से जिला गंगा सुरक्षा समिति को अवगत करायेगें।

(कार्यवाही- समस्त उप जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी टिहरी गढ़वाल)

07- गंगा स्वच्छता के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका देवप्रयाग गंगा स्वच्छता एवं निर्मल बनाये रखने हेतु स्थान देवप्रयाग में एक जन जागरण कार्यशाला का प्रस्ताव तैयार कर जिला गंगा सुरक्षा समिति को प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका देवप्रयाग)

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

Scanned by CamScanner

24837

112

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या–R. 263/21–18 (ग0स0बैठक)–18 दिनांक, नई टिहरी, जनवरी 31 ,2019

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यकम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगें देहरादून, उत्तराखण्ड।
2– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
4– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
7– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत टिहरी गढ़वाल।
8– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम, नई टिहरी।
9– अपर मुख्याधिकारी, पंचायत टिहरी गढ़वाल।
10– महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, नरेन्द्रनगर।
11– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12– प्रबन्धक, वाप्कोस कम्पनी, श्रीनगर (गढ़वाल)।

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

Scanned by CamScanner

113

दिनांक 16.02.2019 को जिला कार्यालय सभागार नई टिहरी में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में आहूत जिला गंगा सुरक्षा समिति का कार्यवृत्त।

जिला अधिकारी टिहरी गढवाल के निर्देशानुसार जिला कार्यालय सभागार नई टिहरी में दिनांक 16.02.2019 को एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमे उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में 10 अधिकारीगण /कर्मचारीगण उपस्थित आये। उपस्थित अधिकारियों से निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया जो निम्न प्रकार से है :-

1- जिला गंगा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 30.01.2019 को आयोजित की गयी थी, उक्त बैठक में दिये गये निर्देशो के क्रम में उपस्थित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। जिसमें परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान(गंगा) ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनके क्षेत्रान्तर्गत होटल/ आश्रम/धर्मशालाओं के साथ ही घरेलू कनेक्शन भी आवंटित किये गये है। जिसमें कुल हाउस सर्विस कनेक्शन 117 में से 79 कनेक्शन आवंटित किये गये है तथा केवल 38 कनेक्शन आवंटित किये जाने शेष है तथा इसी प्रकार से होटल /आश्रम/धर्मशालाओं को एस0टी0पी0 से जोडे जाने की कार्यवाही गतिमान है। जिसमें स्थान देवप्रयाग में होटल/आश्रम/धर्मशालाओं कुल 546 मे से 444 कनेक्शन जोडे गये है, 102कनेक्शन जोडे जाने है 14 कनेक्शनों की डीसीवी भेजी गयी है।

(कार्यवाही-परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल संस्थान(गंगा) ऋषिकेश, अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिह0)

2- अधिशासी अधिकारी उत्तराखण्ड पेयजल निगम देवप्रयाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर पालिका देवप्रयाग एवं नगर पंचायत कीर्तिनगर में छोटे नाले सीधे नदी में गिर रहे है, उक्त नालों को रोके जाने हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी है, उक्त सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी नगर पंचात कीर्तिनगर एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कीर्तिनगर से पूछा गया तो उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य को परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड पेयजल निगम (गंगा) श्रीनगर (गढ0) के द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा स्थान देवप्रयाग की नालियों को जोड़ जाने हेतु कुछ स्थानो पर पाईप बिछाये गये है, तथा नालियों को एस0टी0पी0 से नही जोडा गया है। अधिशासी अधिकारी के द्वारा परियोजना प्रबन्धक को उक्त कार्य किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया था, परन्तु उनके द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नही की गयी है। परियोजना प्रबन्धक, गंगामि गंगे,उत्तराखण्ड देहरादून के द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी कृपया उपजिलाधिकारी

टिहरी डाक प्रभाग
रजिस्टर नं0 3680
फाइल नं0 25-1
दिनांक 08/03/2019

कीर्तिनगर से सम्पर्क कर स्थान देवप्रयाग एवं कीर्तिनगर का निरीक्षण करने का कष्ट करे। उप जिला अधिकारी, कीर्तिनगर उपरोक्त सम्बन्ध में तहसीलदार कीर्तिनगर/देवप्रयाग को परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा) श्रीनगर(गढ0), अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवप्रयाग एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कीर्तिनगर के साथ संयुक्त निरीक्षण करने का कष्ट करे तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये। परियोजना प्रबन्धक, को जिला गंगा समिति की बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिये जाने पर भी वे किसी भी बैठक में उपस्थित नही आये है, जो एक खेद जनक स्थिति है, उक्त सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा किसी भी बैठक में प्रतिभाग क्यों नही किया गया है। परियोजना प्रबन्धक, उ0पे0जल निगम (गंगा) श्रीनगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे नगर पालिका देवप्रयाग एवं नगर पचायत कीर्तिनगर की नालियों को नदी में प्रवाहित न होने दे, आपके द्वारा तत्काल कार्यवाही अमल में न लाये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया जायेगा जिसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगें। उक्त नालियों को तत्काल एस0टी0पी0 से जोडने तथा पिट में डालने की कार्यवाही करे तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–परियोजना प्रबन्धक,उ0पे0जल निगम(गंगा)श्रीनगर गढवाल, उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर/अधि0अधि0ग0पा0 देवप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कीर्तिनगर)

3– होटल/आश्रम/धर्मशालाओं एवं निजी आवासो भवनो के दूषित पानी नदी में जाने हेतु चिन्हिकरण करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु नोटिस जारी करने के सम्बन्ध में एव संयुक्त जांच कर शहरी क्षेत्र नगर पालिका/पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र के सम्बन्ध में अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढवाल को उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये गये थे, अभी तक सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा आख्या से अवगत नही कराया गया है। उक्त चिन्हीकरण हेतु पत्र संख्या–250/21–47 दिनांक 16.02.2019 के द्वारा टीम गठित की गयी है। उक्त गठित टीम अगली बैठक मे चिन्हीकरण की कार्यवाही करते हुए दोषियो के विरूद्ध नोटिस जारी कर आख्या प्रस्तुत करेगी ।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर/कीर्तिनगर, परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम (गंगा), मुनिकीरेती, सहायक अभियन्ता, उ0पेयजल संस्थान मुनिकीरेती, अधिशासी अभियन्ता, उ0पेयजल संस्थान देवप्रयाग, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मुनिकीरेती/देवप्रयाग, अधिशासी अभियन्ता, नगर पंचायत कीर्तिनगर, अपर मुख्याधिकारी, जिला पंचायत टिहरी गढवाल)

–3–

4— उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर स्थान देवप्रयाग में गंगा स्वच्छता एवं गंगा नदी को निर्मल बनाये रखने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन करना सुनिश्चित करें, उक्त कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद देवप्रयाग का सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रम का आयोजन माह–फरवरी,2019 के अन्तिम सप्ताह में करने का कष्ट करें। कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्राक्कलन पूर्व प्रस्तुत करे तथा कार्यक्रम के आयोजन हेतु किये गये व्यय की गयी धनराशि के वाउचर प्रमाणित कर प्रस्तुत करने पर व्यय की धनराशि का भुगतान किया जायेगा। उक्त कार्यक्रम का आयोजन के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर, पोम्पलेट आदि के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगें।

(कार्यवाही– उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर/
अधि0अधि0, न0पा0प0,देवप्रयाग)

5— समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका टिहरी गढ़वाल अपने अपने क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस प्रबन्धन की नियमावली के अनुसार एक प्रबन्धन योजना तैयार करेगें जो कि जिला स्तरीय गंगा सुरक्षा समिति द्वारा अनुमोदित की जायेगी, भविष्य में अनुमोदित प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। सभी नगर निकाय अपने क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत स्वच्छता से सम्बन्धित कार्यों एवं गतिविधियों के फोटोग्राफस जिला गंगा सुरक्षा समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें साथ ही दूषित नालियों की स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियों को निरन्तर रूप से करवाना सुनिश्चत करें। उक्त प्रबन्धन की कार्यवाही से SPMG एवं अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही–समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/
पंचायत टि0ग0, जिला पंचायत टिहरीगढ़वाल)

6— समस्त उपजिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को पूर्व में अपने–अपने कार्यक्षेत्रों में स्थित आश्रमों, होटलों तथा धर्मशालाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु आतिथि तक इस सम्बन्ध में किसी भी उपजिलाधिकारी द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है, यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। सभी उपजिलाधिकारी अगली बैठक तक इस सम्बन्ध में अनिवार्य रूप से कार्यवाही कर अवगत करायें साथ ही सभी सम्बन्धित विभागों की संयुक्त जांच कर आख्या भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–समस्त उपजिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल)

7— मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी अपने अधीनस्थ सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

24841

116

एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को निर्देशित करे, कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो एवं अतिरिक्त प्राथमिक केन्द्रों को वायो मेडिकल वेस्ट से सम्बन्धित समस्त कूडे का निस्तारण उचित प्रकार से करें तथा आगामी बैठक में प्रगति से अवगत करायें।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल)

8– गंगा समिति की आगामी बैठक दिनांक 28.02.2019 को 11.00 बजे प्रातः जिला कार्यालय सभागार में नियत की जाती है।

(सोनिका)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
संख्या–R-990/ 21–18(ग0स0बैठक)–18 दिनांक, नई टिहरी, फरवरी 20, 2019
प्रतिलिपि– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1–कार्यक्रम निदेशक,एस0पी0एम0जी0,नमामि गंगे देहरादून,उत्तराखण्ड।
2–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
3–प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
4–मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5–समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6–समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
7–समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत टिहरी गढ़वाल।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

दिनांक 12.06.2019 को जिला कार्यालय सभागार नई टिहरी में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में आहूत जिला गंगा सुरक्षा समिति का कार्यवृत्त।

जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल के निर्देशानुसार जिला कार्यालय सभागार नई टिहरी में दिनांक 12.06.2019 को एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में 08 अधिकारीगण /कर्मचारीगण उपस्थित आये। उपस्थित अधिकारियों से निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया जो निम्न प्रकार से है :-

1— राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के निर्देशानुसार जिला गंगा समिति टिहरी गढ़वाल के सदस्यों को वट्सअप ग्रुप से जोड़ा गया है।

2— जिला गंगा समिति की पूर्व बैठक दिनांक 05.03.2019 को आयोजित की गयी थी, उक्त बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में उपस्थित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा) श्रीनगर(गढ0), अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवप्रयाग एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कीर्तिनगर के साथ संयुक्त निरीक्षण करने हेतु निदेर्शित किया गया था, परन्तु परियोजना प्रबन्धक, को जिला गंगा समिति की बैठक में उपस्थिता होने के निर्देश दिये जाने पर भी वे किसी भी बैठक में उपस्थित नही आये हैं। उक्त सम्बन्ध में उनको अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निदेर्शित किया गया था, परन्तु उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया तथा न ही उपस्थित हुये, जो एक खेद जनक स्थिति है । उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर के द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना प्रबन्धक, उ0पे0निगत (गंगा) श्रीनगर के द्वारा स्थान कीर्तिनगर एवं देवप्रयाग में नालो की टेपिंग की कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है। परियोजना प्रबन्धक, उ0पे0जल निगम (गंगा) श्रीनगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे नगर पालिका देवप्रयाग एवं नगर पंचायत कीर्तिनगर की नालियों को नदी में प्रवाहित न होने दे, उक्त नालियों को तत्काल एस0टी0पी0 से जोडने तथा पिट में डालने की कार्यवाही करे तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर एवं उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर को निर्देशित किया जाता है कि वे भी अपने स्तर पर गंगा समिति के सदस्यों के साथ बैठक करते हुए अद्यतन स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करेगें ।

(कार्यवाही—परियोजना प्रबन्धक,उ0पे0जल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़वाल, उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर/अधि0अधि0न0पा0 देवप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कीर्तिनगर)

3– सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान अनुरक्षण शाखा गंगा (सब डिवीजन) ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया है, कि गत एक वर्ष में औसत 0.56 एम0एल0डी0 सीवेज प्राप्त हुआ है। वर्तमान में 0.90 एम0एल0डी0 सीवेज प्राप्त हो रहा है। स्लज प्रबन्धन के अन्तर्गत उक्त प्लान्ट में हस्तगत के समय से ही स्लज डम्पिंग बैड न होने के कारण स्लज लक्कड़घाट स्थित विभागीय एस0टी0पी0 पर एकत्रित किया जाता है। जहां से स्लज को स्थानीय लोगों को मिट्टी भराव हेतू निःशुल्क विपणन किया जा रहा है। एस0टी0पी0 की स्थापना वर्ष–2016 में की गयी थी, जिसकी क्षमता 3.5 एम.एल.डी. (तकनीक–श्रृखंला बद्ध प्रणाली एस0बी0आर0)(01नग) है, तथा बायोडाईजेस्टर/सेप्टिक टैंक के स्लज को एस0टी0पी0 में निस्तारण की कार्यवाही प्राइवेट ऑपरेटर को स्लज निस्तारण हेतु मेनहोल चैम्बर चिन्हित कर दिये गये है। (तपोवन में बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित लक्ष्मणझूला इनक्लेव सोसाईटी के सामने एस0टी0पी0 वाली रोड़ पर इसके द्वारा स्लज का निस्तारण इन मैनहोलों में किया जाता है, जिससे स्लज तपोवन एस0टी0पी0 पर निस्तारित की जा रही है। वर्तमान में मानसून को देखते हुए अपने अपने क्षेत्रों में एस0टी0पी0 की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाय।

(उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर/कीर्तिनगर, परियोजना प्रबन्धक,उ0प्रेयजल निगम (गंगा), मुनिकीरेती, सहायक अभियन्ता, उ0प्रेयजल संस्थान मुनिकीरेती, अधिशासी अधि0अधि0न0पा0 मुनिकीरेती, देवप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कीर्तिनगर)

4– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी को पूर्व में अपने अधीनस्थ सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को बायो मेडिकल वेस्ट से सम्बन्धित समस्त कूड़े का निस्तारण उचित प्रकार से करने तथा निस्तारण के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त सम्बन्ध में अभी तक आख्या अप्राप्त है। मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी तत्काल आख्या आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी गढ़वाल)

5– जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सभी उप जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रान्तर्गत सेप्टेज मैनेजमेंट कमेटी का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उप जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत सेप्टेज मैनेजमेंट कमेटी की बैठक बुलाते हुए व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक कनेक्शनों का निरीक्षण करवाते हुए मानचित्र में दर्शाते हुए अपने क्षेत्रों के सेप्टेज कनेक्शनों के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करेगें। नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत वैक्यूम क्लीनर्स के पंजीकरण के सम्बन्ध में अवगत करायेगे कि उनका पंजीकरण हुआ है या नही ?

(उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर/कीर्तिनगर, परियोजना प्रबन्धक, उ0प्रेयजल निगम (गंगा), मुनिकीरेती, सहायक अभियन्ता, उ0प्रेयजल संस्थान मुनिकीरेती, अधिशासी अधि0अधि0न0पा0 मुनिकीरेती, देवप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कीर्तिनगर)

24844

6— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण पर लगी रोक हटा दी गयी है जिसके कारण सभी नगर निकाय अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत राजस्व विभाग के साथ मिलकर ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के सम्बन्ध में भूमि का चयन कर वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सोनिका)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
संख्या–648 /21–18(ग0स0बैठक)–18 दिनांक, नई टिहरी, जून 24, 2019

प्रतिलिपि– निम्नांकितो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–कार्यक्रम निदेशक,एस0पी0एम0जी0,नमामि गंगे देहरादून,उत्तराखण्ड।
2–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
3–प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
4–मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5–समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6–समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
7–समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत टिहरी गढ़वाल।
8–परियोजना प्रबन्धक,उ0पे0जल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़वाल,
9–परियोजना प्रबन्धक,उ0पेयजल निगम(गंगा), मुनिकीरेती।
10–सहायक अभियन्ता, उ0पेयजल संस्थान मुनिकीरेती।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

120

दिनांक 15.07.2018 को जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में 24845 जिला गंगा सुरक्षा समिति टिहरी के अन्तर्गत नमामि गंगे कार्यक्रम हेतु आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारी / कर्मचारियो का विवरण निम्न है:—

क्र0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम / विभाग	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4
1	सर्व श्री कोथे रोसे	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी	9412076133
2	" बी0पी0भट्ट	अधिशासी अधिकारी, न0पा0प0 मुनिकीरेती।	9412921134
3	" सुरेश पन्त	लिपिक, न0पा0देवप्रयाग	—
4	" अरूण प्रकाश	डाटा इन्ट्री आपरेटर न0प0 कीर्तिनगर	—
5	" मनोज कुमार	अपर सहायक अभियन्ता, उ0जल संस्थान (गंगा) श्रीनगर (गढ़वाल)	9761212691
6	" जी0पी0 भट्ट	सहायक अभियन्ता, उ0जल संस्थान देवप्रयाग।	9412051390
7	"सी0पी0एस0रावत	परियोजना प्रबन्धक,पेयजल निगम (गंगा) श्रीनगर (गढ़वाल)	9456708631
8	ममता तिवारी	परियोजना अभियन्ता, उ0 पेयजल निगम ऋषिकेश	9927439261
9	" विनोद सेमवाल	अ0परियोजना अभियन्ता, पेयजल निगम ऋषिकेश	9412116217

सर्वप्रथम बैठक में सभी सम्मानित उपस्थित अधिकारियों / कर्मचारियों का स्वागत किया गया। उक्त अधिकारियों के साथ जिला गंगा स्वच्छता एवं गंगा सफाई के तहत चर्चा की गयी। उपस्थित अधिकारियों से निम्न बिन्दुओं पर विचार विर्मश किया गया जो निम्न प्रकार से है :—

1— परियोजना अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके क्षेत्रान्तर्गत 3 एस0टी0पी0 बनाये जाने है जिसमें एक ढालवाला में 7.50 एमएलडी का निर्माण किया जा रहा है, उक्त कार्य माह— फरवरी,2018 में प्रारम्भ कर दिया गया था। उक्त कार्य अभी तक 38प्रतिशत हुआ है। एस0टी0पी0 बनाये जाने हेतु देरी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पूर्व में जो डिजायन बनाया गया था, उसको परिवर्तित किया गया था, नया डिजायन रूडकी से प्राप्त होने पर उक्त कार्य प्रारम्भ किया गया है। उक्त एस0टी0पी0 माह—जनवरी,2020 तक पूर्ण हो जायेगा। एस0टी0पी0 कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु पूर्व में भी निर्देशित किया गया था, परन्तु एक वर्ष से अधिक समय होने पर भी केवल 38प्रतिशत ही हो पाया है, जो एक खेद जनक स्थिति है, जबकि स्वच्छ गंगा अभियान, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें गंगा नदी में गन्दा नाला जाने से रोके जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है, भारत सरकार एवं एन0जी0टी0 के निर्देशों के बावजूद भी एस0टी0पी0 का कार्य बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा है। उक्त कार्य में लगे अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही अमल

—2—

121

में लायी जानी आवश्यक है। एस0टी0पी0 निर्माण के लिए सामग्री हरिद्वार से लायी जा रही है जो सही नही है उसमें सामग्री खराब होने की प्रबल सम्भावना है, उक्त सम्बन्ध में परियोजना अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है, नाला टेपिंग की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करने हेतु प्रभावी कदम उठाये, जिससे कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जा सके। एस0टी0पी0 निर्माण कार्य हेतु किसी विज्ञ अधिकारी को दायित्व सौंपा जाना आवश्यक है। माह–जनवरी,2020 से पूर्व कोई वैकल्पिक व्यवस्था जैसे बायोडिजास्टर/बायोरेडेसन लगाये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जाय। परियोजना अभियन्ता के द्वारा अवगत कराया गया गया है कि दूसरा एस0टी0पी0 चोर पानी में बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता 5एमएल है, उक्त एस0टी0पी0 98प्रतिशत सिविल कार्य एवं मैकेनिक कार्य पूर्ण हो गया है। उक्त कार्य 3माह में कार्य पूर्ण हो जायेगा दिसम्बर–2019 तक पूर्ण होने के सम्भावना है।

कार्यवाही हेतु–(परियोजना अभियन्ता उ0पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश)

2– सहायक परियोजना अभियन्ता, उ0पेयजल संस्थान(गंगा)ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनके क्षेत्रान्तर्गत मुनिकीरेती में भवनो/परिवारों की कुल संख्या 1536 है उक्त में 459 (घरेलू/परिसर) सीवर सायोजन सम्भव नही है, ऐसे भवनो/परिसरो को जहां सीवर संयोजन दिये जा चुके है, जिसमें घरेलू 1037, अघरेलू 40 कुल 1077 कनेक्शन दिये जा चुके है तथा इसी प्रकार स्थान तपोवन में कुल 788 घरो/परिसरों में से 193 घरेलू 33 अघरेलू कुल 226 को सीवर संयोजन दिया जाना सम्भव नही है, तथा 22घरेलू 17अघरेलू कुल 39सीवर संयोजन दिया जा सकता है, परन्तु अब तक संयोजन नही हुये है, 316 घरेलू, 207 अघरेलू कुल 523सीवर संयोजन किये जा चुके है। अपर मुख्याधिकारी, जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित होटलों/धर्मशालाओं/आश्रमो की सूची तत्काल अगली बैठक से पूर्व उपलब्ध करायें। उक्त सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि नदी किनारे स्थित भवनों की भी जांच की जाय, कि उनके क्षेत्रान्तर्गत कितने भवन एवं होटल आदि हैं, जिनके अपने सेप्टी टैंक है तथा उनके द्वारा बनाये गये एस0टी0 सिंगल पिट है या डबल पिट है उनके भवन/होटल के अनुसार सक्षम है या नही की भी जांच की जानी आवश्यक है। उक्त क्षेत्र में जांच हेतु निम्न प्रकार से टीम गठित की जाती है। टीम में नायब तहसीलदार पावकी देवी, परियोजना अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश, अपर मुख्याधिकारी, जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर आख्या 10 दिन अन्दर उपलब्ध करायेगें ।

कार्यवाही हेतु–(ना0तहसीलदार पावकी देवी/परियोजना अभियन्ता उ0पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश /अपर मुख्याधिकारी, जिला पंचायत टिहरी /प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून)

–3–

not visible for connection

details by the establishment

788 - 226 = 562

List of hotels/dharmshala to be asked to be provided in next meeting.

3— सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान के द्वारा अवगत कराया गया कि देवप्रयाग में अलग अलग जोन बनाये गये है, नगर पालिका देवप्रयाग में 2 एस0टी0पी0 पूर्व में बनाये गये है जिसमें शान्ति बाजार, बाह बाजार एवं संगम बाजार के लोगों के धरेलू कनेक्शन दिये जाने है, बाह बाजार में 117 धरेलू कनेक्शन में से 79 कनेक्शन जोडे गये है 38 कनेक्शन जोडे जाने की कार्यवाही गतिमान है। संगम बाजार जोन में 309 घर में से 28 जोडे गये है तथा 88 को सीवर से जोडे जाने की कार्यवाही की जा रही है, 193 में सर्वे होना है। शान्ति बाजार में 74 घरो में से 37 घरो को जोडा जा सकता है, दिनांक 15.07.2019 से एस0टी0पी0 से जोडे जाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है, धरेलू कनेक्शनों को जोडे जाने का कार्य एक माह में पूर्ण हो जायेगा। पेट्रोल पम्प में 59 परिवार रहते है जिनका सेप्टी टैंक है सीवर लाईन नही बनाई गयी है इसे 1.4 एस0पी0एस0 से जोडे जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार धर्मपुर 72 परिवार पेट्रोल पम्प 59 परिवारों एवं शान्ति बाजार वाले कुछ घरों को 1.4 एस0पी0एस0 से जोडे जाने की कार्यवाही की जा रही है। एस0पी0एस0 पेट्रोल पम्प के पास बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 10.00लाख है। उक्त एस0पी0एस0 का स्टीमेट बनाया जा रहा है जो दो तीन दिन में पूर्ण हो जायेगा, जिसके पश्चात् एस0पी0एम0जी0 को भेजा जायेगा।

इस प्रकार नगर पालिका देवप्रयाग में कुल 642 भवन है जिसमें 11 भवन खण्डर है तथा 631 परिवार निवासरत है, इनमें से कुछ परिवार साल में एक दो बार ही गांव आते है। नगर पालिका देवप्रयाग में कुल 642 भवन है जिसमें 631 परिवार निवास करते है 11 भवन खण्ड हो चुके है। 631 परिवारो के विपरीत 107 परिवारों को जोडा गया है 163 परिवारों को जोडन की कार्यवाही एक माह के अन्दर किये जाने हेतु अवगत कराया गया है। नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत 14 होटल है जिनके अपने एस0टी0पी0 बनाये गये उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर पालिका देवप्रयाग में स्थित होटलों/धर्मशालाओं/आश्रमों/रेस्टोरेंट/ढाबो/कार्यालय/कालेज/स्कूल भवनो/सरकारी भवनो एवं निजी भवनो में बनाये गये शोक पिट की जांच करेगी, कि वे सिंगल पिट है या डबल पिट है, उक्त बनाये गये शोक पिट होटल/भवनो के लिए सक्षम है या नही ? उक्त जांच हेतु टीम गठित की जाती है जो निम्न प्रकार से होगी। तहसीलदार देवप्रयाग, अधिशासी अधिकारी उ0 पेयजल संस्थान देवप्रयाग, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवप्रयाग, एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा

नामित सदस्य की एक टीम गठित की जाती है। उक्त गठित टीम 10 दिन के अन्दर अपनी आख्या उपलब्ध करायेगी।

कार्यवाही हेतु–(तहसीलदार देवप्रयाग/अधिशासी अभियन्ता उ0पेयजल निगम(गंगा) देवप्रयाग/अधिशासी अधिकारी न0पा0देवप्रयाग/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून)

4– परियोजना प्रबन्धक, पेयजल निगम (गंगा) श्रीनगर गढ़वाल के द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निकाय कीर्तिनगर में 03 नाले टेप किये जाने है जिसमें 02 नालों को टेप किया जा चुका है, जिसके लिए 02 एस0टी0पी0 पूर्ण हो चुके है जो कमशः 50 केएलडी एवं 10 केएलडी के बनाये गये है, 01 नाला शेष है उक्त नाले की डी0पी0आर स्वीकृत नही है एस0पी0एम0जी0 से स्वीकृति प्रदान की जानी है। उक्त नाले की परियोजना प्रबन्धक के द्वारा एडवांस में टेण्डर प्रकिया पूर्ण कर टेण्डर खोला गया है, टेण्डर रू04.00 लाख का है जिसमें स्वीकृति हेतु एस0पी0एम0जी0 को पत्र प्रेषित किया गया है, जो लम्बित है। नगर निकाय में 800 भवन है सबके शोक पिट बने होने बताये गये, होटल ढावे नही होने बताये गये। उक्त सम्बन्ध में सर्व टीम तहसीलदार कीर्तिनगर, परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नामित अधिकारी की एक टीम गठित की जाती है। उक्त गठित टीम नगर पालिका कीर्तिनगर में स्थित होटलों/धर्मशालाओं/आश्रमों/रेस्टोरेंट /ढाबो/कार्यालय/कालेज/स्कूल भवनो/सरकारी भवनो एवं निजी भवनो में बनाये गये शोक पिट की जांच करेगी कि वे सिंगल पिट है या डबल पिट है, उक्त बनाये गये शोक पिट होटल/भवनो के लिए सक्षम है या नही ? उक्त जांच कर आख्या 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही हेतु–(तहसीलदारकीर्तिनगर/परियोजना अभियन्ता, उ0पेयजल निगम (गंगा) श्रीनगरगढ0/अधि0अधि0,न0पा0 कीर्तिनगर/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून)

5– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी के द्वारा नमामि गंगे कार्यकम के अन्तर्गत जनपद में पौधा रोपण कार्य किया जाना बताया गया है। उक्त सम्बन्ध में कितना कार्य किया गया है, तथा कितने हेक्टेयर भूमि पर कितने पौधो का रोपण किया गया है, पूर्ण विवरण दिया जाय।

कार्यवाही हेतु–(प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी)

6– बायोवेस्ट के अन्तर्गत कूडा निस्तारण हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी उपस्थित नही।नमामि गंगे के अन्तर्गत पूर्व बैठकों में उन्हें अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी अस्पतालों

24849

124

/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो मे होने वाले बायोवेस्ट कूडे के निस्तारण के सम्बन्ध में आख्या से अवगत कराये जाने हेतु अवगत कराया गया था, परन्तु कोई आख्या उनके द्वारा नही दी गयी है। मुख्य चिकित्साधिकारी 10दिनों में सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही हेतु–(मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी)

अतः उपरोक्तानुसार सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या 10दिनो के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें। उपरोक्त अधिकारिगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया। जिला गंगा समिति की आगामी बैठक दिनांक01.08.2019 को नियत की जाती है।

(डा0वी0षणमुगम)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या–R-585/21–47 (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, जुलाई 29, 2019

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून, उत्तराखण्ड।
2– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
4– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5– पर्यावरण अधिकारी, उ0प्र0पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
6– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम मुनिकीरेती/देवप्रयाग।
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़वाल।
9– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
9– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
10– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
11– समस्त अविशासी अधिकारी, नगर पालिका/पंचायत टिहरी गढ़वाल।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

दिनांक– 11.11.2022 को सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 44वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1	प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्साधिकारी, टि0ग0
2	प्रतिनिधि, उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून
3	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, ऋषिकेश
4	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश
5	सहायक अभियन्ता, उ0ज0सं0, ऋषिकेश
6	अधिशासी अभियन्ता, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती
7	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग
8	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर, चमियाला, लम्बगांव, घनसाली, टिहरी

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. **मुनिकीरेती क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–**

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके है।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई थी जिसकी धनराशि विभाग को प्राप्त हो गई है तथा टैंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं।

2. **तपोवन क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–**

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके है।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
918	0	0	0	226	403	289	692

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक के बाद से 01 घरेलू तथा 04 अघरेलू भवनों को सीवर से जोड़ा गया है। अवशेष 226 भवनों के सीवर

संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 1108.81 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40 / नगा0अनु0 नमामि गंगे / 01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3. <u>देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–</u>

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-
Break-up of Balance Households				
Sl. No.	**Description**	**No. of Connections**	**Progress**	
1	By shifting Toilets	10	Land required from Revenue department.	
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.	
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.	

(a) अवशेष भवनों में बिन्दु सं0– 1 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्तारण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है।

(b) बिन्दु सं0– 2 मे प्रदर्शित 05 भवनों में ए0टी0एम0 मशीन तथा दुकानें हैं जिनमें शौचालय की अवश्यकता नहीं है।

(c) बिन्दु सं0– 3 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी के सेप्टिक टैंक हैं जिन्हें सक्शन तकनीक से निस्तारित किया जा रहा है।

4. प्रतिनिधि, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, श्रीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त 75 के0एल0डी0 सीवर लाइन के मरम्मत हेतु उच्च स्तर को प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में विभाग को धनराशि प्राप्त हो गई है तथा उक्त क्षतिग्रस्त सीरव लाइन की मरम्मत कर ली गई है।

5. नगरपालिका परिषद् मुनिकीरेती, नगर पंचायत, देवप्रयाग तथा कीर्तिनगर द्वारा 24 बिन्दुओं की सूचना से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

Sl. No.	Activity/Head	Muni Ki Reti	Devprayag	Kirtinagar
1	Number of ghats	7	5	3
	Number of anti-littering signboards in the ghats	7	4	4
2	Encroachment on ghats	0	0	0

	Number of Nalas draining into the Ganga	4	2	3
	Nalas in which Jali has been fixed	4	2	3
	No. of challans for defecating in the open	0	34	40
	Fines realized (In Rs.)	0	39,000	24,800
5	No. of raids to enforce plastic ban	210	193	53
	Fines realized (In Rs.)	1,05,200	48,900	27,500
6	No. challans for littering	270	21	40
	Fines realized (In Rs.)	1,05,890	20,000	24,800
7	Distance of dumping ground from the river	1 km	300 m	3 km
	Currently used dumping ground is being used since	2005	2021-22	2018-2019
	Constitution of new dumping ground	DPR approved by Directorate. First installment of Rs. 64 Lakh Rupees received.	Tenders have been floated.	Construction work ha been started in new dumping zone
8	No. of wards	11	4	4
9	No. of wards in which door to door collection of waste is on	11	4	4
10	User charges realized	67,73,880 Rs	2,23,694 Rs.	2,37,000 Rs.
11	Status of segregation of waste at source	100 %	100 %	100 %
12	Solid waste generated per day	10 – 12 Tonnes	5 Qtl.	9 Qtl
13	Composting of waste in %	Composting being done. Rs. 120042 revenue from sale. Rs. 2232450 from sale of waste	65 % अब तक निकाय को कम्पोस्टर से 1,78,700 रू० की आय प्राप्त हुई है।	85 %
14	Inert waste generated	1-2 tonne per day	0	1.5 %
15	Untreated waste	2-3 tonne per day	6050 (Income from recyclable waste)	1.0 %
16	Status of compactors	1	1	1
17	Shredder	1	0	0
18	Conveyor belt for segregation	Available	0	0
19	Mechanical Composting machine	1	0	0
20	Construction and Demolition waste	No site identified yet	No site identified yet	No site identified y
21	Public toilets	15	8	24 toilets and 13 ur
22	Sewer suction tanker	1	1	1
23	Septage mgmt. cell by-laws	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed	Septage managem committee has be formed
24	Slaughter houses/meat shops	0	0	1 (Under construct

6. प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जनपद स्थित सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों का यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण के सम्बन्ध में निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

क्र0 सं0	जनपद स्थित कुल चिकित्सालय	सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति	गैर सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति

1	457	कुल चिकित्सालय– 410 सहमति/प्राधिकार निर्गत– 345 वैधता अवधि समाप्त– 70 लम्बित आवेदन– 02	कुल चिकित्सालय– 40 सहमति/प्राधिकार निर्गत– 38 वैधता अवधि समाप्त– 02

24853

उक्त के सम्बन्ध में प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्साधिकारी, टि0ग0 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त लम्बित आवेदनों हेतु सभी संस्थानों से सम्पर्क किया जा रहा है तथा जनपद अन्तर्गत पशुचिकित्सालयों द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन किया जाना है जिसपर कार्यवाही गतिमान है।

7. सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत कृपया अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत कृपया सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के सम्बन्ध में जन–जागरूकता अभियानों का आयोजन समय–समय पर करें तथा अवैध कूड़ा निस्तारण आदि पर किए गए चालानों की सूचना प्रति माह 24 बिन्दुओं की सूचना के साथ अद्यतन करते हुए जिला गंगा समिति को सूचित करें।

अन्त में समस्त अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 1240 / (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 26/11 सितम्बर, 2022

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
3– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
4– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम/जल संस्थान, ऋषिकेश।
6– अधिशसी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी।
7– प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
8– सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, मुनिकीरेती।
9– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नई टिहरी।
10– जिला परियोजना अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

दिनांक– 10.12.2022 को सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 45वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1	प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्साधिकारी, टि0ग0
2	प्रतिनिधि, उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून
3	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, ऋषिकेश
4	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश
5	सहायक अभियन्ता, उ0ज0स0, ऋषिकेश
6	अधिशासी अभियन्ता, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती
7	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग
8	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर, चमियाला, लम्बगांव, धनसाली, टिहरी

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके है।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई थी जिसकी धनराशि विभाग को प्राप्त हो गई है तथा टेंडर आमन्त्रित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके है।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
918	0	0	0	226	403	289	692

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋशिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक के बाद से 01 घरेलू तथा 04 अघरेलू भवनों को सीवर से जोड़ा गया है। अवशेष 226 भवनों के सीवर

130

संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 1106.81 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नगo0अनु0 नमामि गंगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3. <u>देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–</u>

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-

Break-up of Balance Households

Sl. No.	Description	No. of Connections	Progress
1	By shifting Toilets	10	Land required from Revenue department.
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.

(a) अवशेष भवनों में बिन्दु सं0– 1 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्तारण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है।

(b) बिन्दु सं0– 2 में प्रदर्शित 05 भवनों में ए0टी0एम0 मशीन तथा दुकाने हैं जिनमें शौचालय की अवश्यकता नहीं है।

(c) बिन्दु सं0– 3 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी के सेप्टिक टैंक हैं जिन्हें सक्शन तकनीक से निस्तारित किया जा रहा है।

4. प्रतिनिधि, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, श्रीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त 75 के0एल0डी0 सीवर लाइन के मरम्मत हेतु उच्च स्तर को प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में विभाग को धनराशि प्राप्त हो गई है तथा उक्त क्षतिग्रस्त सीवर लाइन की मरम्मत कर ली गई है।

5. नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती, नगर पंचायत, देवप्रयाग तथा कीर्तिनगर द्वारा 24 बिन्दुओं की सूचना से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

Sl. No.	Activity/Head	Muni Ki Reti	Devprayag	Kirtinagar
1	Number of ghats	7	5	3
	Number of anti-littering signboards in the ghats	7	4	4
2	Encroachment on ghats	0	0	0
3	Number of Nalas draining into the	4	2	3

	Ganga			
	Nalas in which Jali has been fixed	4	2	3
4	No. of challans for defecating in the open	0	34	40
	Fines realized (In Rs.)	0	39,000	24,800
5	No. of raids to enforce plastic ban	210	193	53
	Fines realized (In Rs.)	1,05,200	48,900	27,500
6	No. challans for littering	270	21	40
	Fines realized (In Rs.)	1,05,890	20,000	24,800
7	Distance of dumping ground from the river	1 km	300 m	3 km
	Currently used dumping ground is being used since	2005	2021-22	2018-2019
	Constitution of new dumping ground	DPR approved by Directorate. First installment of Rs. 64 Lakh Rupees received.	Tenders have been floated.	Construction work has been started in new dumping zone
8	No. of wards	11	4	4
9	No. of wards in which door to door collection of waste is on	11	4	4
10	User charges realized	67,73,880 Rs	2,23,694 Rs.	2,37,000 Rs.
11	Status of segregation of waste at source	100 %	100 %	100 %
12	Solid waste generated per day	10 – 12 Tonnes	5 Qtl	9 Qtl
13	Composting of waste in %	Composting being done. Rs. 120042 revenue from sale. Rs. 2232450 from sale of waste	65 % अब तक निकाय को कॉम्पैक्टर से 1,78,700 रु० की आय प्राप्त हुई है।	85 %
14	Inert waste generated	1-2 tonne per day	0	1.5 %
15	Untreated waste	2-3 tonne per day	6050 (Income from recyclable waste)	1.0 %
16	Status of compactors	1	1	1
17	Shredder	1	0	0
18	Conveyor belt for segregation	Available	0	0
19	Mechanical Composting machine	1	0	0
20	Construction and Demolition waste	No site identified yet	No site identified yet	No site identified yet
21	Public toilets	15	8	24 toilets and 13 urinal
22	Sewer suction tanker	1	1	1
23	Septage mgmt. cell by-laws	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed
24	Slaughter houses/meat shops	0	0	1 (Under construction)

6. प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जनपद स्थित सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों का यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण के सम्बन्ध में निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

क्र0 सं0	जनपद स्थित कुल चिकित्सालय	सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति	गैर सरकारी चिकितसालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति
1	457	कुल चिकित्सालय– 417 सहमति/प्राधिकार निर्गत– 345 वैधता अवधि समाप्त– 70 लम्बित आवेदन– 02	कुल चिकित्सालय– 40 सहमति/प्राधिकार निर्गत– 38 वैधता अवधि समाप्त– 02

132

7. सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत कृपया अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत कृपया सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के सम्बन्ध में जन–जागरूकता अभियानों का आयोजन समय–समय पर करें तथा अवैध कूड़ा निस्तारण आदि पर किए गए चालानों की सूचना प्रति माह 24 बिन्दुओं की सूचना के साथ अद्यतन करते हुए जिला गंगा समिति को सूचित करें।

अन्त में समस्त अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 1435 / (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, (26-1) दि० 20/12/~~सितम्बर~~, 2022

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
3– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
4– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम/जल संस्थान, ऋषिकेश।
6– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी।
7– प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
8– सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, मुनिकीरेती।
9– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नई टिहरी।
10– जिला परियोजना अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

DISTRICT GANGA COMMITTEE, TEHRI GARHWAL DISTRICT

24858

133

Number of meetings of the District Ganga committee held till date: **45 (last was on 10/12/2022)**
Ganga priority towns falling in the District: **3 (Muni Ki Reti, Devprayag and Tapovan)**

1 – I&D and STP works

Status of laying of sewer lines:

Location	Length of sewer line laid (as reported by jal nigam)	Status of approval	Sewer line already laid	Remarks
Muni Ki Reti	3.872 Km laid	Approved	3.872 Km laid	Raising main
Tapovan	11.05 Km laid (6.5 Km length proposed in the estimate for 220 connections)	Approved	11.05 Km	DPR of Rs. 1108.81 for rest 226 HH (6.5 Km) connections has been sent for approval.
Devprayag	5.361 Km laid	Approved	5.361 Km laid	Sewer line/Rising main

Sl. NO.	Name of work	Quantity/ Units	% of work completed	Quantum of Sewage received	Expected date of completion	Remarks
1	Muni Ki Reti (Being constructed by Peyjal Nigam Rishikesh Div)					
	7.50 MLD STP at Dhalwala (Chandreshwar Nagar)	1	Completed	0	Completed	Operational
	5 MLD STP at Chorpani	1	Completed	0	Completed	Operational
2	Tapovan (Maintained by UK Jal sansthan, Haridwar Division)					
	3.50 MLD STP	1	Completed	1.08 MLD	Completed	Online monitoring system is operational. Treated water is released into the Ganga. Sludge is sent to Lakargad STP for dumping and part of it is distributed to locals free of cost and part if also used for gardening at site of STP.
3	Devprayag (Maintained by UK Peyjal Nigam, Srinagar)					
	75 KLD STP	1	Completed	10 KLD	Completed	Operational.
	150 KLD STP	1	Completed	130 KLD	Completed	Very little sludge generated and used onsite in gardening. Treated water is discharged into the Bhagirathi river
	1.4 MLD	1	Completed	0.04	completed	Very little sludge generated and used onsite. Treated water is discharge into the Ganga.
4	Kirtinagar (Maintained by UK Peyjal Nigam, Srinagar)					

	50 KLD STP	1	Completed	40 KLD	Completed	Treated water discharged into the Alaknanda. Very little sludge generated and used onsite.
	10 KLD STP	1	Completed	10 KLD	Completed	Treated water discharged into the Alaknanda. Very little sludge generated and used onsite.

Status of I&D works and STP works:

*In all operational STPs, water sample from point of discharge and 500 m upstream and downstream are collected every 15 days and quality testing and reports are being submitted to the committee.

*Solid waste from Tapovan and Muni Ki Reti are disposed off at the solid waste disposal plant run by the Clean Himalaya Society at Muni Ki Reti.

NOTE: All STPs have obtained Consent to establish and operate from the UEPPCB.

2. Information related to house connections:

Sl. NO.	Location	Houses viable to be connected			Households connected			Households unconnected			Remarks
		Houses	Hotels/ guest houses	Total	Houses	Hotels/ guest houses	Total	Houses	Hotels/ guest houses	Total	
1	Muni Ki Reti	4738	53	4791	2108	53	2161	2630	0	2630	शेष 2630 households हेतु नमामि गंगे द्वारा, Rs. 12639.21 रुo की धनराशि आवंटित कर दी गई है जिसके सापेक्ष टेंडर आमंत्रित किए जा चुके है।
2	Tapovan	629	286	915	403	286	689	226	0	226	DPR of Rs. 1108.81 for rest 226 HH (6.5 Km) connections has been sent for approval.

3. Devprayag:

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-

Break-up of Balance Households

Sl. No.	Description	No. of Connections	Progress

24860

1	By shifting Toilets	10	Land required from Revenue department.
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.

3. Status of Tapping of drains:

Sl. NO	Location	Total number of Nalas	Number of nalas tapped	Number of nalas untapped	Remarks
1	Muni Ki Reti (Maintained by Jal sansthan, Rishikesh)	13	13	0	-
2	Tapovan (Maintained by Jal sansthan, Rishikesh)	7	5	0	2 Nalas are seasonal monsoon nalas and do not require intervention
3	Devprayag (1 nala maintained by Jal sansthan, Devprayag and rest 3 nalas maintained by UK Peyjal, Srinagar)	4	4	0	-
4	Kirtinagar (Maintained by UK Peyjal Srinagar)	3	3	0	-

4 – River front development (Construction of ghats and crematoria)

- Construction of Bathing Ghat and Cremation Ghat at Koteshwar have been completed and have been handed over to Nagar Pallika Tehri.
- Proposal for Rs. 66.19 Lakh for the construction of electric crematoria near Koti colony in Tehri municipality has been sent from the letter no. 703/3-2, 04-09-2021 of the divisional forest office, Tehri Forest Division, New Tehri. A letter has been sent to WAPCOS Lts., Gurugram for submitting feasibility report for electric crematoria at aforesaid location by SPMG.
- Regarding construction of one crematoria at Munikireti, the DPR for Poornanand cremation ghat was prepared by irrigation department and the same has already submitted to NMCG wide SPMG letter no. 502/SPMG/Namami Gange/EFD dated 26-06-2019.

5 – Forestry Intervention (In Ha)

(In Hectares)

Landscape intervention	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020-21	2021-22	Total
Plantations (In Ha)	0	325	567	595	295	701	2483

SMC (In Ha)	80	45	80	0	0	325	530
Agril. Landscape (In Ha)	80 (12000)	110 (16500)	24861	50 (7500)	20 (3000)	20 (3000)	320 (48000)

136

- As per GoI approved DPR, a Ganga Vatika was established at Rishikesh.
- Plantation in 2019-2020 includes 128 Ha done in 11 Ganga Gram villages on the banks of the River Ganga.

6 - Status of solid waste management in 15 priority towns located along the Ganga by Urban Development Department (UDD)

Sl. No.	Activity/Head	Muni Ki Reti	Devprayag	Kirtinagar
1	Number of ghats	7	5	3
	Number of anti-littering signboards in the ghats	7	4	4
2	Encroachment on ghats	0	0	0
3	Number of Nalas draining into the Ganga	4	2	3
	Nalas in which Jali has been fixed	4	2	3
4	No. of challans for defecating in the open	0	34	40
	Fines realized (in Rs.)	0	39,000	24,800
5	No. of raids to enforce plastic ban	210	193	53
	Fines realized (in Rs.)	1,05,200	48,900	27,500
6	No. challans for littering	270	21	40
	Fines realized (in Rs.)	1,05,890	20,000	24,800
7	Distance of dumping ground from the river	1 km	300 m	3 km
	Currently used dumping ground is being used since	2005	2021-22	2018-2019
	Constitution of new dumping ground	DPR approved by Directorate. First installment of Rs. 64 Lakh Rupees received.	Tenders have been floated.	Construction work has been started in new dumping zone
8	No. of wards	11	4	4
9	No. of wards in which door to door collection of waste is on	11	4	4
10	User charges realized	67,73,880 Rs	2,23,694 Rs.	2,37,000 Rs.
11	Status of segregation of waste at source	100 %	100 %	100 %

12	Solid waste generated per day	10 – 12 Tonnes	5 Qtl.	9 Qtl
13	Composting of waste in %	Composting being done. Rs. 120042 revenue from sale. Rs. 2232450 from sale of waste	65 % अब तक निकाय को कॉम्पैक्टर से 1,78,700 रु0 की आय प्राप्त हुई है।	85 %
14	Inert waste generated	1-2 tonne per day	0	1.5 %
15	Untreated waste	2-3 tonne per day	6050 (Income from recyclable waste)	1.0 %
16	Status of compactors	1	1	1
17	Shredder	1	0	0
18	Conveyor belt for segregation	Available	0	0
19	Mechanical Composting machine	1	0	0
20	Construction and Demolition waste	No site identified yet	No site identified yet	No site identified yet
21	Public toilets	15	8	24 toilets and 13 urinal
22	Sewer suction tanker	1	1	1
23	Septage mgmt. coll by-laws	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed
24	Slaughter houses/meat shops	0	0	1 (Under construction)

8 – जनपद स्थित सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों का यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण का विवरण–

क्र0 सं0	जनपद स्थित कुल चिकित्सालय	सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति	गैर सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति
1	457	कुल चिकित्सालय– 417 सहमति/प्राधिकार निर्गत– 345 वैधता अवधि समाप्त– 70 लम्बित आवेदन– 02	कुल चिकित्सालय– 40 सहमति/प्राधिकार निर्गत– 38 वैधता अवधि समाप्त– 02

दिनांक– 13.01.2023 को सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 46वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1	प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्साधिकारी, टि0ग0
2	प्रतिनिधि, उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून
3	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, ऋषिकेश
4	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, श्रीनगर
5	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश
6	सहायक अभियन्ता, उ0ज0सं0, ऋषिकेश
7	अधिशासी अभियन्ता, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती
8	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग
9	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर, चमियाला, लम्बगांव, घनसाली
10	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका टिहरी

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. <u>मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–</u>

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई थी जिसकी धनराशि विभाग को प्राप्त हो गई है तथा टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं।

2. <u>तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–</u>

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
918	0	0	0	226	403	289	692

139

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक के बाद से 01 घरेलू तथा 04 अघरेलू भवनों को सीवर से जोड़ा गया है। अवशेष 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 1108.81 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नग0अनु0 नमामि गंगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3. **देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–**

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-
Break-up of Balance Households				
Sl. No.	**Description**	**No. of Connections**	**Progress**	
1	By shifting Toilets	10	Technically not feasible to connect.	
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.	
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.	

(a) अवशेष भवनों में बिन्दु सं0– 1 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्ताराण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है।

(b) बिन्दु सं0– 2 में प्रदर्शित 05 भवनों में ए0टी0एम0 मशीन तथा दुकानें है जिनमें शौचालय की अवश्यकता नहीं है।

(c) बिन्दु सं0– 3 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी के सेप्टिक टैंक हैं जिन्हें सक्शन तकनीक से निस्तारित किया जा रहा है।

4. नगरपालिका परिषद् मुनिकीरेती, नगर पंचायत, देवप्रयाग तथा कीर्तिनगर द्वारा 24 बिन्दुओं की सूचना से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

Sl. No.	Activity/Head	Muni Ki Reti	Devprayag	Kirtinagar
1	Number of ghats	7	5	3
	Number of anti-littering signboards in the ghats	7	4	4
2	Encroachment on ghats	0	0	0
3	Number of Nalas draining into the Ganga	4	2	3

	Nalas in which Jali has been fixed	4	2	3
4	No. of challans for defecating in the open	0	34	40
	Fines realized (In Rs.)	0	39,000	24,800
5	No. of raids to enforce plastic ban	210	193	53
	Fines realized (In Rs.)	1,05,200	48,900	27,500
6	No. challans for littering	270	21	40
	Fines realized (In Rs.)	1,05,890	20,000	24,800
7	Distance of dumping ground from the river	1 km	300 m	3 km
	Currently used dumping ground is being used since	2005	2021-22	2018-2019
	Constitution of new dumping ground	DPR approved by Directorate. First installment of Rs. 64 Lakh Rupees received.	Tenders have been floated.	Construction work has been started in new dumping zone
8	No. of wards	11	4	4
9	No. of wards in which door to door collection of waste is on	11	4	4
10	User charges realized	67,73,880 Rs	2,23,694 Rs.	2,37,000 Rs.
11	Status of segregation of waste at source	100 %	100 %	100 %
12	Solid waste generated per day	10 – 12 Tonnes	5 Qtl.	9 Qtl
13	Composting of waste in %	Composting being done. Rs. 120042 revenue from sale. Rs. 2232450 from sale of waste	65 % अब तक निवास से कॉम्पैक्टर से 1,78,700 रु० की आय प्राप्त हुई है।	85 %
14	Inert waste generated	1-2 tonne per day	0	1.5 %
15	Untreated waste	2-3 tonne per day	6050 (Income from recyclable waste)	1.0 %
16	Status of compactors	1	1	1
17	Shredder	1	0	0
18	Conveyor belt for segregation	Available	0	0
19	Mechanical Composting machine	1	0	0
20	Construction and Demolition waste	No site identified yet	No site identified yet	No site identified yet
21	Public toilets	15	8	24 toilets and 13 urina
22	Sewer suction tanker	1	1	1
23	Septage mgmt. cell by-laws	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed	Septage managemen committee has been formed
24	Slaughter houses/meat shops	0	0	1 (Under constructio

5. प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जनपद स्थित सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों का यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण के सम्बन्ध में निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

क्र0 सं0	जनपद स्थित कुल चिकित्सालय	सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति	गैर सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति
1	457	कुल चिकित्सालय– 417 सहमति/प्राधिकार निर्गत– 345 वैधता अवधि समाप्त– 70 लम्बित आवेदन– 02	कुल चिकित्सालय– 40 सहमति/प्राधिकार निर्गत– 38 वैधता अवधि समाप्त– 02

14)

6. सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत कृपया अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत कृपया सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के सम्बन्ध में जन–जागरूकता अभियानों का आयोजन समय–समय पर करें तथा अवैध कूड़ा निस्तारण आदि पर किए गए चालानों की सूचना प्रति माह 24 बिन्दुओं की सूचना के साथ अद्यतन करते हुए जिला गंगा समिति को सूचित करें।

अन्त में समस्त अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– २०१८ / (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 15 जनवरी, 2023

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
3– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
4– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम/जल संस्थान, ऋषिकेश।
6– अधिशसी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी।
7– प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
8– सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, मुनिकीरेती।
9– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नई टिहरी।
10– जिला परियोजना अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

142

दिनांक– 10.02.2023 को सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 47वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1	प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्साधिकारी, टि0ग0
2	प्रतिनिधि, उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून
3	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, ऋषिकेश
4	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, श्रीनगर
5	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश
6	सहायक अभियन्ता, उ0ज0सं0, ऋषिकेश
7	अधिशासी अभियन्ता, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती
8	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग
9	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर, चमियाला, लम्बगांव, घनसाली
10	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका टिहरी

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई थी जिसकी धनराशि विभाग को प्राप्त हो गई है तथा टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
918	0	0	0	226	403	289	692

143

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक के बाद से 01 घरेलू तथा 04 अघरेलू भवनों को सीवर से जोड़ा गया है। अवशेष 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 1108.81 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नगo अनु0 नमामि गंगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3. **देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–**

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-

Break-up of Balance Households

Sl. No.	Description	No. of Connections	Progress
1	By shifting Toilets	10	Technically not feasible to connect.
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.

(a) अवशेष भवनों में बिन्दु सं0– 1 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्ताराण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है।

(b) बिन्दु सं0– 2 में प्रदर्शित 05 भवनों में ए0टी0एम0 मशीन तथा दुकानें हैं जिनमें शौचालय की अवश्यकता नहीं है।

(c) बिन्दु सं0– 3 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी के सेप्टिक टैंक हैं जिन्हें सक्शन तकनीक से निस्तारित किया जा रहा है।

4. नगरपालिका परिषद् मुनिकीरेती, नगर पंचायत, देवप्रयाग तथा कीर्तिनगर द्वारा 24 बिन्दुओं की सूचना से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

Sl. No.	Activity/Head	Muni Ki Reti	Devprayag	Kirtinagar
1	Number of ghats	7	5	3
	Number of anti-littering signboards in the ghats	7	4	4
2	Encroachment on ghats	0	0	0
3	Number of Nalas draining into the Ganga	4	2	3

	Nalas in which Jali has been fixed	4	2	3
4	No. of challans for defecating in the open	0	34	40
	Fines realized (In Rs.)	0	39,000	24,800
5	No. of raids to enforce plastic ban	210	193	53
	Fines realized (In Rs.)	1,05,200	48,900	27,500
6	No. challans for littering	270	21	40
	Fines realized (In Rs.)	1,05,890	20,000	24,800
7	Distance of dumping ground from the river	1 km	300 m	3 km
	Currently used dumping ground is being used since	2005	2021-22	2018-2019
	Constitution of new dumping ground	DPR approved by Directorate. First installment of Rs. 64 Lakh Rupees received.	Tenders have been floated.	Construction work has been started in new dumping zone
8	No. of wards	11	4	4
9	No. of wards in which door to door collection of waste is on	11	4	4
10	User charges realized	67,73,880 Rs	2,23,694 Rs.	2,37,000 Rs.
11	Status of segregation of waste at source	100 %	100 %	100 %
12	Solid waste generated per day	10 – 12 Tonnes	5 Qtl.	9 Qtl
13	Composting of waste in %	Composting being done. Rs. 120042 revenue from sale. Rs. 2232450 from sale of waste	65 % अब तक निकाय को कॉम्पैक्टर से 1,78,700 रुo की आय प्राप्त हुई है।	85 %
14	Inert waste generated	1-2 tonne per day	0	1.5 %
15	Untreated waste	2-3 tonne per day	6050 (Income from recyclable waste)	1.0 %
16	Status of compactors	1	1	1
17	Shredder	1	0	0
18	Conveyor belt for segregation	Available	0	0
19	Mechanical Composting machine	1	0	0
20	Construction and Demolition waste	No site identified yet	No site identified yet	No site identified yet
21	Public toilets	15	8	24 toilets and 13 urinal
22	Sewer suction tanker	1	1	1
23	Septage mgmt. cell by-laws	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed
24	Slaughter houses/meat shops	0	0	1 (Under construction)

5. सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत कृपया अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत कृपया सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के सम्बन्ध में जन–जागरूकता अभियानों का आयोजन समय–समय पर करें तथा अवैध कूड़ा निस्तारण आदि पर किए गए चालानों की सूचना प्रति माह 24 बिन्दुओं की सूचना के साथ अद्यतन करते हुए जिला गंगा समिति को सूचित करें।

145

अन्त में समस्त अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– ⊐ℓ (१-८) / (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, २८-१/ १५ फरवरी, 2023

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
3– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
4– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम/जल संस्थान, ऋषिकेश।
6– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी।
7– प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
8– सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, मुनिकीरेती।
9– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नई टिहरी।
10– जिला परियोजना अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

दिनांक– 10.03.2023 को सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 48वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1	प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्साधिकारी, टि0ग0
2	प्रतिनिधि, उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून
3	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, ऋषिकेश
4	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, श्रीनगर
5	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश
6	सहायक अभियन्ता, उ0ज0सं0, ऋषिकेश
7	अधिशासी अभियन्ता, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती
8	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग
9	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर, चमियाला, लम्बगांव, घनसाली
10	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका टिहरी

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई थी जिसकी धनराशि विभाग को प्राप्त हो गई है तथा टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके है।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
918	0	0	0	226	403	289	692

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक के बाद से 01 घरेलू तथा 04 अघरेलू भवनों को सीवर से जोड़ा गया है। अवशेष 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 1108.81 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नग0अनु0 नमामि गंगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3. **देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–**

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-
Break-up of Balance Households				
Sl. No.	**Description**	**No. of Connections**	**Progress**	
1	By shifting Toilets	10	Technically not feasible to connect.	
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.	
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.	

(a) अवशेष भवनों में बिन्दु सं0– 1 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्तारण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है।

(b) बिन्दु सं0– 2 में प्रदर्शित 05 भवनों में ए0टी0एम0 मशीन तथा दुकानें हैं जिनमें शौचालय की अवश्यकता नहीं है।

(c) बिन्दु सं0– 3 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी के सेप्टिक टैंक हैं जिन्हें सक्शन तकनीक से निस्तारित किया जा रहा है।

4. सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत कृपया अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत कृपया सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के सम्बन्ध में जन–जागरूकता अभियानों का आयोजन समय–समय पर करें तथा अवैध कूड़ा निस्तारण आदि पर किए गए चालानों की सूचना प्रति माह 24 बिन्दुओं की सूचना के साथ अद्यतन करते हुए जिला गंगा समिति को सूचित करें।

अन्त में समस्त अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 537-C / (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 21-1, 10 मार्च, 2023

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गगा), ऋषिकेश ।
3– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
4– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम/जल संस्थान, ऋषिकेश।
6– अधिशसी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी।
7– प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
8– सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, मुनिकीरेती।
9– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नई टिहरी।
10– जिला परियोजना अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

149

दिनांक– 14.04.2023 को सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 49वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1	प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्साधिकारी, टि0ग0
2	प्रतिनिधि, उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून
3	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, ऋषिकेश
4	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, श्रीनगर
5	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश
6	सहायक अभियन्ता, उ0ज0सं0, ऋषिकेश
7	अधिशासी अभियन्ता, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती
8	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग
9	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर, चमियाला, लम्बगांव, घनसाली
10	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका टिहरी

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई थी जिसकी धनराशि विभाग को प्राप्त हो गई है तथा टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
.1	2	3	4	5	6	7	8
918	0	0	0	226	403	289	692

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक के बाद से 01 घरेलू तथा 04 अघरेलू भवनों को सीवर से जोड़ा गया है। अवशेष 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 1108.81 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नगर0अनु0 नमामि गंगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3. **देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–**

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-

Break-up of Balance Households

Sl. No.	Description	No. of Connections	Progress
1	By shifting Toilets	10	Technically not feasible to connect.
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.

(a) अवशेष भवनों में बिन्दु सं0– 1 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्ताराण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है।

(b) बिन्दु सं0– 2 मे प्रदर्शित 05 भवनों मे ए0टी0एम0 मशीन तथा दुकानें हैं जिनमें शौचालय की अवश्यकता नहीं है।

(c) बिन्दु सं0– 3 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी के सेप्टिक टैंक हैं जिन्हें सक्शन तकनीक से निस्तारित किया जा रहा है।

4. सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत कृपया अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत कृपया सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के सम्बन्ध में जन–जागरूकता अभियानों का आयोजन समय–समय पर करें तथा अवैध कूड़ा निस्तारण आदि पर किए गए चालानों की सूचना प्रति माह 24 बिन्दुओं की सूचना के साथ अद्यतन करते हुए जिला गंगा समिति को सूचित करें।

5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगरपंचायत को निर्देशि किया गया कि मुख्य सचिव महोदय, वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में सभी नगरपंचायतों/नगरपालिका परिषदों में वर्ष 2023–24 हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा अन्य जागरूकता

अभियानों/ई0आई0सी0 गतिविधियों हेतु एक्शन प्लान तैयार करें तथा 01 सप्ताह के अन्दर जिला गंगा समिति को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अन्त में समस्त अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 567-C / (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 20 16 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
3– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
4– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम/जल संस्थान, ऋषिकेश।
6– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी।
7– प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
8– सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, मुनिकीरेती।
9– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नई टिहरी।
10– जिला परियोजना अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

माह – 12 मई 2023 को सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 50वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1	प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्साधिकारी, टि0ग0
2	प्रतिनिधि, उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून
3	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, ऋषिकेश
4	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, श्रीनगर
5	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश
6	सहायक अभियन्ता, उ0ज0सं0, ऋषिकेश
7	अधिशासी अभियन्ता, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती
8	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग
9	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर, चमियाला, लम्बगांव, घनसाली
10	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका टिहरी

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई थी जिसकी धनराशि विभाग को प्राप्त हो गई है तथा टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
918	0	0	0	226	403	289	692

153

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक के बाद से 01 घरेलू तथा 04 अघरेलू भवनों को सीवर से जोड़ा गया है। अवशेष 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 1108.81 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नग0अनु0 नमामि गंगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3. <u>देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–</u>

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-
Break-up of Balance Households				
Sl. No.	**Description**	**No. of Connections**	**Progress**	
1	By shifting Toilets	10	Technically not feasible to connect.	
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.	
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.	

(a) अवशेष भवनों में बिन्दु सं0– 1 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्तारण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है।

(b) बिन्दु सं0– 2 में प्रदर्शित 05 भवनों में ए0टी0एम0 मशीन तथा दुकानें हैं जिनमें शौचालय की अवश्यकता नहीं है।

(c) बिन्दु सं0– 3 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी के सेप्टिक टैंक हैं जिन्हें सक्शन तकनीक से निस्तारित किया जा रहा है।

4. सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत कृपया अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत कृपया सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के सम्बन्ध में जन–जागरूकता अभियानों का आयोजन समय–समय पर करें ।

5. सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत एवं उपजिलाधिकारी, टिहरी, नरेन्द्रनगर, कीर्तिनगर को निर्देशित किया गया कि कृपया अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत सिंगल-यूज प्लास्टिक तथा अवैध कूड़ा

निस्तारण आदि पर किए गए चालानों की सूचना प्रति माह 24 बिन्दुओं की सूचना के साथ अद्यतन करते हुए जिला गंगा समिति को सूचित करें।

अन्त में समस्त अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– (1 (T·C)/ (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 26-1. 12 मई, 2023

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
3– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
4– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम/जल संस्थान, ऋषिकेश।
6– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी।
7– प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
8– सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, मुनिकीरेती।
9– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नई टिहरी।
10– जिला परियोजना अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

माह – 09 जून 2023 मे सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 51वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1	प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्साधिकारी, टि0ग0
2	प्रतिनिधि, उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून
3	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, ऋषिकेश
4	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, श्रीनगर
5	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश
6	सहायक अभियन्ता, उ0ज0सं0, ऋषिकेश
7	अधिशासी अभियन्ता, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती
8	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग
9	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर, चमियाला, लम्बगांव, घनसाली
10	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका टिहरी

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक है			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई थी जिसकी धनराशि विभाग को प्राप्त हो गई है तथा टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
918	0	0	0	226	403	289	692

156

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक के बाद से 01 घरेलू तथा 04 अघरेलू भवनों को सीवर से जोड़ा गया है। अवशेष 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 1108.81 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नगा0अनु0 नमामि गंगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3. <u>देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–</u>

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-
Break-up of Balance Households				
Sl. No.	**Description**	**No. of Connections**	**Progress**	
1	By shifting Toilets	10	Technically not feasible to connect.	
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.	
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.	

(a) अवशेष भवनों में बिन्दु सं0– 1 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्तारण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है।

(b) बिन्दु सं0– 2 में प्रदर्शित 05 भवनों में ए0टी0एम0 मशीन तथा दुकानें हैं जिनमें शौचालय की अवश्यकता नहीं है।

(c) बिन्दु सं0– 3 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी के सेप्टिक टैंक हैं जिन्हें सक्शन तकनीक से निस्तारित किया जा रहा है।

4. सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत कृपया अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत कृपया सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के सम्बन्ध में जन–जागरूकता अभियानों का आयोजन समय–समय पर करें।

157

5. बैठक के दौरान राष्ट्रीय नदी गंगा एवं इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता एवं संकमण के प्रति जनमानस में व्यापक जागरूकता के दृष्टिगत दिनाक 03 मई 2023 से 05 जून 2023 तक मिशन लाईफ अभियान के आयोजन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी।

अन्त में समस्त अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 837-01/ (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 96-1 13 जून, 2023

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा)., ऋषिकेश ।
3– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
4– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम/जल संस्थान, ऋषिकेश।
6– अधिशसी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी।
7– प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
8– सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, मुनिकीरेती।
9– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नई टिहरी।
10– जिला परियोजना अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

158

श्री मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में दिनांक 14.07.2023 को आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 52वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1	मुख्य विकास अधिकारी, टि0ग0
2	प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्साधिकारी, टि0ग0
3	उपजिलाधिकारी टिहरी, नरेन्द्रनगर, कीर्तिनगर
4	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, टि0ग0
5	प्रतिनिधि, उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून
6	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, ऋषिकेष
7	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, श्रीनगर
8	अधिषासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेष
9	सहायक अभियन्ता, उ0ज0स0, ऋषिकेष
10	अधिषासी अभियन्ता, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती
11	अधिषासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग
12	अधिषासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर, चमियाला, लम्बगांव, घनसाली
13	अधिषासी अधिकारी, नगरपालिका टिहरी
14	जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे, टि0ग0

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई थी जिसकी धनराशि विभाग को प्राप्त हो गई है तथा टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक है।

2. तपोवन क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8

918	0	0	0	226	403	289	692

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक के बाद से 01 घरेलू तथा 04 अघरेलू भवनों को सीवर से जोड़ा गया है। अवशेष 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा रु0– 1108.81 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नग0अनु0 नमामि गंगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3. <u>देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–</u>

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-
Break-up of Balance Households				
Sl. No.	Description	No. of Connections	Progress	
1	By shifting Toilets	10	Technically not feasible to connect.	
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.	
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.	

(a) अवषेष भवनों में बिन्दु सं0– 1 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्ताराण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है।

(b) बिन्दु सं0– 2 में प्रदर्षित 05 भवनों में ए0टी0एम0 मषीन तथा दुकानें हैं जिनमें शौचालय की अवष्यकता नहीं है।

(c) बिन्दु सं0– 3 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी के सेप्टिक टैंक हैं जिन्हें सक्षन तकनीक से निस्तारित किया जा रहा है।

160

Public Awarness:- बैठक के दौरान नगर पालिका परिशद मुनिकीरेती द्वारा बताया गया की अपने क्षेत्रान्तर्गत घरों एवं दुकानों में कपडे के 2–2 थैले (10रू0 प्रति थैला) वितरित किये जा रहे हैं, एवं गल्टी लेयर प्लास्टिक को मशीनों द्वारा पुर्नचक्रित कर प्लाई बोर्ड इत्यादि तैयार किये जा रहे हैं। इस संबंध मे नगर पालिका परिषद तपोवन को काँवड यात्रा/पर्व के पश्चात कूडा निस्तारण को लेकर एक कार्यक्रम आयोजन कराने हेतु निर्देशित किया गया।

Preventing Solid Waste flowing into River:- जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभागों को साफ–सफाई, जैविक–अजैविक कूडे का पृथक– पृथक संकलित करने एवं निस्तारण करने तथा स्वच्छता कार्यक्रमों को जन जागरण के माध्यम से प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु निर्देषित किया गया।

Afforestation:- बैठक के दौरान संबंधित विभागों को हरेला पर्व के उपलक्ष्य में 15 जूलाई से आगामी दो माह तक वृक्षारोपण की गतिविधियो को वृहद स्तर पर करने हेतु निर्देशित किया गया।

Sewerage treatment Infrastructure Devlpment:- बैठक के दौरान उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर द्वारा अवगत किया गया की देवप्रयाग मे 14 घरों को जगह कि कमी के कारण घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी के सेप्टिक टैंक हैं जिन्हें सक्शन तकनीक से निस्तारित किया जा रहा है।
मुनीकीरेती (चौपरानी) मे स्थापित STP प्लाट जिसकी क्षमता 5 MLD है, क्षमता कम होने के कारण इस से रिसाव हो रहा है अतः यहां पर 10 MLD क्षमता वाले STP प्लाट की आवश्यकता है जिसका टैण्डर लगाया जा चुका है।

Institutional/Other Devwlopment:- नगर पालिका परिषद मुनीकीरेती के द्वारा गंगा वाटिका का प्रस्ताव जिला स्तर एवं राज्य स्तर को भेज दिया गया है।

- सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत कृपया अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत कृपया सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के सम्बन्ध में जन–जागरूकता अभियानों का आयोजन समय–समय पर करेने हेतु निर्देशित किया गया।

- सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत एवं उपजिलाधिकारी, टिहरी, नरेन्द्रनगर, कीर्तिनगर को निर्देशित किया गया कि कृपया अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक तथा अवैध कूडा निस्तारण आदि पर किए गए चालानों की सूचना प्रति माह 24 बिन्दुओं की सूचना के साथ अद्यतन करते हुए जिला गंगा समिति को सूचित करेने हेतु निर्देशित किया गया।

- जिलाधिकारी द्वारा उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर एवं संबंधित विभागों को कुजापुरी मन्दिर में स्थानीय महिलाओं के समूहों के द्वारा स्थानीय अनाज(झंगोरा,रामदाना,कोदा इत्यादि) से निर्मित पकवानों/मिष्ठानों को बनवाकर महिलाओं/मन्दिर समिति के द्वारा प्रसाद के रूप में मन्दिर मे दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

161

अन्त में समस्त अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 191 /(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 26 जूलाई, 2023

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा),, ऋषिकेश ।
3– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
4– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
5– अधिषासी अभियन्ता, पेयजल निगम/जल संस्थान, ऋषिकेष।
6– अधिषसी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी।
7– प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
8– सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, मुनिकीरेती।
9– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नई टिहरी।
10– जिला परियोजना अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा
समिति,
टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2023 को आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 53वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1	प्रतिनिधि, उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून
2	प्रतिनिधि, स्वजल परियोजना, नई टिहरी
3	प्रतिनिधि, उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून
4	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, ऋषिकेश
5	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, श्रीनगर
6	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश
7	सहायक अभियन्ता, उ0ज0सं0, ऋषिकेश
8	अधिशासी अभियन्ता, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग
9	अधिशासी अभियन्ता, नगर पंचायत, कीर्तिनगर,
10	जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे, टि0ग0
11	जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र टि0ग0
12	श्री प्रदीप कोठारी, अध्यक्ष, विजन सोसायटी

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. <u>मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–</u>

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई थी जिसकी धनराशि विभाग को प्राप्त हो गई है तथा टेंडर आमंत्रण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं।

2. <u>तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–</u>

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
918	0	0	0	226	403	289	692

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक के बाद से 01 घरेलू तथा 04 अघरेलू भवनों को सीवर से जोड़ा गया है। अवशेष 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 1108.81 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नग0अनु0 नमामि गंगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3. <u>देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू **Households** संयोजनों की स्थिति–</u>

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-
Break-up of Balance Households				
Sl. No.	**Description**	**No. of Connections**	**Progress**	
1	By shifting Toilets	10	Technically not feasible to connect.	
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.	
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.	

(a) अवशेष भवनों में बिन्दु सं0– 1 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्ताराण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है।

(b) बिन्दु सं0– 2 में प्रदर्शित 05 भवनों में ए0टी0एम0 मशीन तथा दुकानें हैं जिनमें शौचालय की अवश्यकता नहीं है।

(c) बिन्दु सं0– 3 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी के सेप्टिक टैंक हैं जिन्हें सक्शन तकनीक से निस्तारित किया जा रहा है।

<u>Public Awareness :-</u> हर घाट तिरंगा के अन्तर्गत नगर पालिकाओं को घाट पर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिये गये तथा जिला परियोजना अधिकारी (नमामि गंगे), जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केन्द्र को कार्यक्रम में सहयोग करने के लिये निर्देश दिये गये एवं स्थानिय की सहभागिता को बढाने के लिये निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी, मुनीकीरेती, तपोवन, देवप्रयाग, कीर्तीनगर, नरेन्द्रनगर, नई टिहरी, चम्बा, लम्बगांव, घनसाली, जिला परियोजना अधिकारी– नमामि गंगे, जिला युवा अधिकारी– नेहरू युवा केन्द्र)

164

Preventing Solid Waste Flowing into river :- अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बधित विभागों, नगर पालिकों को साफ– सफाई, जैविक– अजेविक कूडे का पृथक – पृथक संकलन करने एवं निस्तारण तथा चयनित डपिंग जोन में एकत्रित कूडे का निस्तारण एवं होटल, रेस्टोरेंट और अन्य दुकानों के आस – पास एकत्रित कूडे के ढेरों का चयन कर उनका निस्तारण करने एवं चालान करने को निर्देशित किया गया तथा साथ ही इस बात का विषेश रूप से ध्यान रखने को कहा गया की किसी भी प्रकार का कचरा नदी– नालों मे न जाये।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी, मुनी की रेती, तपोवन, देवप्रयाग, कीर्तीनगर, नरेन्द्रनगर, नई टिहरी, चम्बा, लम्बगांव, घनसाली/समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल)

River- Front line Development :- नगर पालिका देवप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया की देवप्रयाग में संगम के निकट पूर्व में नमामि गंगे द्वारा संगम घाट पर निर्मित स्थित शौचालय का पुनर्निमाण कार्य कराया जाना है जिसकी लागत लगभग– 13,00,000.00 रूपये होगी, इस हेतु अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद देवप्रयाग को एक प्रस्ताव तैयार कर जिला गंगा समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग)

Ganga Vatika:- नगर पालिका परिषद मुनी की रेती द्वारा गंगा वाटिका का प्रस्ताव जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर भेज दिया गया है।

Ganga Gram:- टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत 32 गंगा ग्रामों में हर घर तिरंगा/ हर घाट तिरंगा के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित कराने के लिये जिला परियोजना अधिकारी(नमामि गंगे), जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केन्द्र एवं जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– जिला परियोजना अधिकारी– नमामि गंगे, जिला युवा अधिकारी– नेहरू युवा केन्द्र, जिला पंचायतराज अधिकारी)

Afforestation:- वन विभाग टिहरी गढ़वाल के द्वारा 94 ग्रामों में 75 पोधे प्रति ग्राम रोपित किये जा रहे है, जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया गया की गंगा ग्रामों मे हुये वृक्षारोपण की सूचना जिला गंगा समिति को सूचित करें।

(कार्यवाही– जिला पंचायतराज अधिकारी)

Industrial Effluent Monitoring:- बैठक के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, को निर्देशित किया गया की गंगा नदी के निकट स्थित कितने मकान, रेस्टोरेंट एवं होटल इत्यादि का उपसर्जन मानकों के अनुसार हैं का सर्वे करें और मानकों सहित सूचना जिला गंगा समिति एवं संबधित उपजिलाधिकारी को सूचित करें।

(कार्यवाही– क्षेत्रीय अधिकारी उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड)

Wetland and Small river Rejuvenation:- बैठक के दौरान जिला पंचायतराज अधिकारी को ग्रामों में निर्मित अमृत सरोवरों के आस– पास निरंतर अन्तरालो पर सफाई अभियान आयोजित कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– जिला पंचायतराज अधिकारी)

Others:- Supervisory committee and executive committee की बैठक दिनांक– 18.07.2023 को प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के

अनुपालनानुक्रम में प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक– 226/26–1, दिनांक– 31.07.2023 से जनपद अन्तर्गत दो मुख्य कार्य **1. Tributary wise presentation from the District Ganga Committees** तथा **2. Action plan for the management of solid waste all along the chardham routes** के निर्माण हेतु लिखा गया था जिस पर अद्यतन कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा की गई।

जिला परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि **Tributary wise presentation** हेतु परियोजना प्रबन्धक, स्वजल द्वारा कुछ सूचना प्रेषित की गई है जो कि पूर्ण नहीं है, साथ ही इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारियों द्वारा कोई भी सूचना प्रेषित नहीं की गई है। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारियों तथा परियोजना प्रबन्धक, स्वजल को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रस्तुतिकरण के निर्माण हेतु जिला परियोजना अधिकारी का पूर्ण सहयोग करें तथा वांछित सूचना का प्रेषण ससमय करने का कष्ट करें। नगरपालिका/नगर पंचायतों से वांछित सूचनाओं के प्रेषण हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती को नोडल अधिकारी** नामित किया गया।

(कार्यवाही– परियोजना प्रबन्धक, स्वजल, जिला पंचायतराज अधिकारी, सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद तथा नगर पंचायत)

Action plan for the management of solid waste all along the chardham routes के निर्माण हेतु पूर्व में प्रेषित पत्र में पृष्ठांकित अधिशासी अधिकारियों के साथ–साथ नगरपालिका परिषद चम्बा तथा नरेन्द्रनगर को भी उक्त प्लान में सम्मिलित किया गया तथा निर्देशित किया गया कि उक्त प्लान चार–धार मार्ग में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित कर बनाया जाना है जिस हेतु सूचनाओं के संकलन तथा संकलित सूचना को जिला परियोजना अधिकारी को उपलब्ध कराए जाने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया।

(कार्यवाही– जिला पंचायतराज अधिकारी, सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद तथा नगर पंचायत)

जिला परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रस्तुतिकरण तथा एक्शन प्लान आगामी माह के प्रथम शुक्रवार तक तैयार कर गंगा समिति के सम्मुख प्रस्तुत करें ताकि सूचना समय से उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

(कार्यवाही– जिला परियोजना अधिकारी)

अन्त में समस्त अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

166

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 376 / (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 10/08/ अगस्त, 2023

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यकम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
3– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
4– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम/जल संस्थान, ऋषिकेश।
6– अधिशसी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी।
7– प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
8– सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, मुनिकीरेती।
9– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नई टिहरी।
10– जिला परियोजना अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2023 को आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 54वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1	प्रतिनिधि, स्वजल परियोजना, नई टिहरी
2	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, ऋषिकेश
3	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, श्रीनगर
4	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश
5	सहायक अभियन्ता, उ0ज0सं0, ऋषिकेश
6	जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल
7	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती
8	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, नई टिहरी
9	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग
10	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर,
11	जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे, टि0ग0
12	श्री प्रदीप कोठारी, अध्यक्ष, विजन सोसायटी

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई थी जिसकी धनराशि विभाग को प्राप्त हो गई है तथा टेंडर आमंत्रण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं। अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त के अतिरिक्त ढालवाला क्षेत्र में 2400 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु 8 MLD तथा 300 KLD के एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य आगामी 01 सप्ताह में प्रारम्भ हो जाएगा।

2. तपोवन क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8

918	0	0	0	226	403	289	692

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक के बाद से 01 घरेलू तथा 04 अघरेलू भवनों को सीवर से जोड़ा गया है। अवशेष 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 1108.81 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नग0अनु0 नमामि गगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3. देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-

Break-up of Balance Households

Sl. No.	Description	No. of Connections	Progress
1	By shifting Toilets	10	Technically not feasible to connect.
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.

(a) अवशेष भवनो में बिन्दु सं0– 1 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्तारण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है।

(b) बिन्दु सं0– 2 में प्रदर्शित 05 भवनों में ए0टी0एम0 मशीन तथा दुकानें हैं जिनमें शौचालय की अवश्यकता नहीं है।

(c) बिन्दु सं0– 3 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी के सेप्टिक टैंक हैं जिन्हें सक्शन तकनीक से निस्तारित किया जा रहा है।

Public Awareness :- जिला परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि माह– अगस्त में नगरपालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों में आयोजित हर घाट तिरंगा कार्यक्रम की सूचना मय फोटोग्राफ संकलित कर जिला गंगा समिति को प्रेषित करेंगे। इसके साथ ही समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माह– अक्टूबर में गांधी जयन्ती के अवसर पर दिनांक– 02 अक्टूबर से नगरपालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों के अन्तर्गत स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जाना है जिसकी पूर्ण तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए तथा स्वच्छता पखवाड़े के दौरान फोटोग्राफ तथा वीडियो Whatsapp ग्रुप में भी साझा किए जाएं।

(कार्यवाही– जिला परियोजना अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत)

Preventing Solid Waste Flowing into river :- अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बधित विभागों, नगर पालिकों को साफ– सफाई, जैविक– अजेविक कूडे का पृथक – पृथक संकलन करने एवं निस्तारण तथा चयनित डपिंग जोन में एकत्रित कूडे का निस्तारण एवं होटल, रेस्टोरेंट और अन्य दुकानों के आस – पास एकत्रित कूडे के ढेरों का चयन कर उनका निस्तारण करने एवं चालान करने को निर्देशित किया गया तथा साथ ही इस बात का विषेश रूप से ध्यान रखने को कहा गया की किसी भी प्रकार का कचरा नदी– नालों मे न जाये।

(कार्यवाही– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचयात)

Sewerage treatment Infrastructure Devlpment:- तपोवन क्षेत्र में नये 2 धरेलु एव 2 अधरेलु मकानो को सिविर लाईन से जोडा गया। पेयजल निगम मुनी की रेती के द्वारा 220 हाउस होल्ड नये जोडे गये एवं अवशेष के लिये डी0पी0आर0 बनाई जा रही है।

Ganga Vatika:- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुनी की रेती द्वारा गंगा वाटिका के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि गंगा वाटिका का प्रस्ताव SPMG द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा इसकी TEC हेतु दिनांक– 03 सितम्बर को IIT रूड़की की टीम द्वारा क्षेत्र में निरीक्षण भी कर लिया गया है।

Afforestation:- जिला परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि विगत माहों में जनपद अन्तर्गत विभिन्न अपलक्ष्यों यथा हरेला आदि में विभागों द्वारा किए गए वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रमों की सूचना संकलित करें तथा सम्य फोटोग्राफ जिला गंगा समिति को प्रेषित करें।

(कार्यवाही– जिला परियोजना अधिकारी)

Industrial Effluent Monitoring:- जिला परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को एक पत्र प्रेषित करें जिसमें जनपद अन्तर्गत गंगा नदी के निकट स्थित कितने मकान, रेस्टोरेंट एव होटल इत्यादि का उपसर्जन मानकों के अनुसार हैं का सर्वे किए जाने और मानकों सहित सूचना जिला गंगा समिति एवं संबधित उपजिलाधिकारी को प्रेषित किए जाने हेतु लिखें।

(कार्यवाही– जिला परियाजना अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड)

Others:- Supervisory committee and executive committee की बैठक दिनांक– 18.07.2023 को प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालनानुक्रम में प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक– 226/26–1, दिनांक– 31.07.2023 से जनपद अन्तर्गत दो मुख्य कार्यों 1. **Tributary wise presentation from the District Ganga Committees** तथा 2. **Action plan for the management of solid waste all along the chardham routes** के सम्बन्ध में विगत बैठक के उपरान्त की गई कार्यवाही पर निम्न प्रकार चर्चा की गई– -

Tributary wise presentation हेतु नगरपालिका/नगर पंचायतों से वांछित सूचनाओं के प्रेषण हेतु अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती को नोडल अधिकारी नामित किया गया था जिसके सम्बन्ध में जिला परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती द्वारा सूचनाओं का प्रेषण नहीं किया गया है जिसके क्रम में अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिला परियोजना अधिकारी से सम्पर्क कर 01 सप्ताह के अन्तर्गत समस्त वांछित सूचनाओं को जिला परियोजना अधिकारी को उपलब्ध कराएं।

(कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती)

Action plan for the management of solid waste all along the chardham routes के निर्माण हेतु जिला पंचायतराज अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किए जाने के सम्बन्ध में जिला परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा भी वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं जिसके क्रम में जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिला परियोजना अधिकारी से सम्पर्क कर वांछित सूचनाएं 01 सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराएं।

(कार्यवाही– जिला पंचायतराज अधिकारी)

- अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती तथा नई टिहरी द्वारा अवगत कराया गया कि Door to Door Sourd Segregation हेतु पेम्लेट आदि के माध्यम से प्रचार–प्रचार किया गया है, इस सम्बन्ध में समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार–प्रसार करें ताकि व्यापक स्तर पर जनसाधारण द्वारा कचरे का Source Segregation किया जाए।

(कार्यवाही– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत)

अन्त में समस्त अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

171

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 732 / (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 14/09/ सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा),. ऋषिकेश ।
3– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
4– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम/जल संस्थान, ऋषिकेश।
6– अधिशसी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी।
7– प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
8– सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, मुनिकीरेती।
9– जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
10– जिला परियोजना अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

172

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में दिनांक 16.10.2023 को आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 56वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1	प्रतिनिधि, स्वजल परियोजना, नई टिहरी
2	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, ऋषिकेश
3	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, श्रीनगर
4	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश
5	सहायक अभियन्ता, उ0ज0स0, ऋषिकेश
6	जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल
7	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती
8	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, नई टिहरी
9	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग
10	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर,

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. <u>मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–</u>

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4853	122	0	122	2630	2166	57	2223

2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई थी जिसकी धनराशि विभाग को प्राप्त हो गई है तथा टैंडर आमंत्रण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं। अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त के अतिरिक्त ढालवाला क्षेत्र में 2400 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु 8 MLD तथा 300 KLD के एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2. <u>तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–</u>

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन की कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
957	0	0	0	226	419	312	731

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक के बाद से 01 घरेलू तथा 04 अघरेलू भवनों को सीवर से जोड़ा गया है। अवशेष 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 1106.81 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नग0अनु0 नमामि गगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3. **देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–**

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-
Break-up of Balance Households				
Sl. No.	**Description**	**No. of Connections**	**Progress**	
1	By shifting Toilets	10	Technically not feasible to connect.	
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.	
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.	

(a) अवशेष भवनों में बिन्दु सं0– 1 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्तारण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है।

(b) बिन्दु सं0– 2 में प्रदर्शित 05 भवनों में एटी0एम0 मशीन तथा दुकानें हैं जिनमें शौचालय की अवश्यकता नहीं है।

(c) बिन्दु सं0– 3 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी के सेप्टिक टैंक हैं जिन्हें सक्शन तकनीक से निस्तारित किया जा रहा है।

Others:- Supervisory committee and executive committee की बैठक दिनांक– 18.07.2023 को प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालनानुक्रम में प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक– 226/26–1 दिनांक– 31.07.2023 से जनपद अन्तर्गत दो मुख्य कार्यों **1. Tributary wise presentation from the District Ganga Committees** तथा **2. Action plan for the management of solid waste all along the chardham routes** के सम्बन्ध में विगत बैठक के उपरान्त की गई कार्यवाही पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

Tributary wise presentation तैयार किए जाने की कार्यवाही अन्तिम चरण में है जिसे पूर्ण कर आलोच्य सप्ताह के अन्त तक उच्च स्तर को प्रेषित कर दिया जाएगा।

Action plan for the management of solid waste all along the chardham routes के निर्माण हेतु सूचना प्रेषण के लिए जिला पंचायतराज अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया था परन्तु वर्तमान तक उनके स्तर से सूचना का प्रेषण नहीं किया गया है जिसके क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला पंचायतराज अधिकारी तथा समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायतों को निर्देशित किया गया कि 02 दिवसों के भीतर समस्त वांछित सूचना जिला परियोजना अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए तथा किसी भी प्रकार की सहायता हेतु जिला परियोजना अधिकारी से सम्पर्क करें।

(कार्यवाही– जिला पंचायतराज अधिकारी तथा समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पचायत)

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 द्वारा प्रत्येक जिला गंगा समिति से Original Application में उनके जनपद से सम्बन्धित उठाये गये बिन्दुओं पर Status Report वांछित है जिस हेतु सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति/प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक– 669/3–2, दिनांक– 04.10.2023 द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों से सूचना चाही गई है परन्तु आतिथि तक केवल परि0 प्र0 निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), श्रीनगर के स्तर से सूचना प्रेषित की गई है। उक्त पत्र के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा वांछित सूचना 02 दिवसों के भीतर जिला परियोजना अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि वांछित सूचना ससमय उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

इसके साथ ही प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक– 778/16–2, दिनांक– 12.10.2023 से जिला पंचायती राज अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें हर गंगा ग्राम/गंगा नदी से लगे नगर पालिका क्षेत्र में सरपचों/नगर पालिका अध्यक्षों को नोडल बनाया जाना है, इस क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि पत्र पर तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कार्यवाही से जिला गंगा समिति को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– जिला पंचायतराज अधिकारी)

अन्त में समस्त अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढवाल।

175

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 803 / (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 17/10/ अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
3– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
4– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम/जल संस्थान, ऋषिकेश।
6– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी।
7– प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
8– सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, मुनिकीरेती।
9– जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
10– जिला परियोजना अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

24901

176

10.06.2022 को अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 40वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1	प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल
2	परि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, ऋषिकेश
3	परि0 प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, श्रीनगर
4	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश
5	सहायक अभियन्ता, उ0ज0सं0, ऋषिकेश
6	अधिशासी अभियन्ता, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती
7	अधिशासी अभियन्ता, नगर पंचायत, कीर्तिनगर
8	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल
9	उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर
10	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, मुनिकीरेती
11	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर
12	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, चमियाला

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि 2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं।

2. तपोवन क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
897	0	5	5	226	398	278	676

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक के बाद से 02 घरेलू तथा 03 अघरेलू भवनों को सीवर से जोड़ा गया है। अवशेष 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 1108.81 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नग0अनु0 नमामि गंगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है, अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उच्च स्तर से डी0पी0आर0 में आंशिक आपत्तियां लगाई गई हैं जिनका निस्तारण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त आपत्तियों का त्वरित निस्तारण कर कार्यवाही से 1 सप्ताह के भीतर समिति को अवगत कराया जाए।

3. <u>देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–</u>

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-
Break-up of Balance Households				
Sl. No.	**Description**	**No. of Connections**	**Progress**	
1	By shifting Toilets	10	Land required from Revenue department.	
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.	
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.	

उक्तानुसार उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक– 08.06.2022 को उनके द्वारा देवप्रयाग क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य प्रकाश में आए–

(a) अवशेष भवनों में बिन्दु सं0– 1 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्तारण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है।

(b) बिन्दु सं0– 2 में प्रदर्शित 05 भवनों में ए0टी0एम0 मशीन तथा दुकानें हैं जिनमें शौचालय की अवश्यकता नही है।

(c) बिन्दु सं0– 3 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी के सैप्टिक टैंक हैं जिन्हें सक्शन तकनीक से निस्तारित किया जा रहा है।

4. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि Supervisory committee की बैठक दिनांक– 27.05.2022 में अध्यक्ष महोदया

द्वारा दिए गए निर्देशो के अनुपालन मे देवप्रयाग स्थित 75 MLD एस0टी0पी0 के 270 मी0 क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

5. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा जनपद स्थित सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों का विवरण तथा यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण की स्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

क्र0 सं0	जनपद स्थित कुल चिकित्सालय	सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति	गैर सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति
1	442	कुल चिकित्सालय– 408 सहमति निर्गत– 99 वैधता अवधि समाप्त– 85 प्राधिकार निर्गत– 308 (One Time) लम्बित आवेदन– 01	कुल चिकित्सालय– 34 सहमति निर्गत– 03 वैधता अवधि समाप्त– 01 प्राधिकार निर्गत– 31 (One Time)

6. नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती नगर पंचायत देवप्रयाग तथा कीर्तिनगर द्वारा 24 बिन्दुओं की सूचना से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

Sl. No.	Activity/Head	Muni Ki Reti	Devprayag	Kirtinagar
1	Number of ghats	8	5	3
	Number of anti-littering signboards in the ghats	8	4	4
2	Encroachment on ghats	0	0	0
3	Number of Nalas draining into the Ganga	4	2	3
	Nalas in which Jali has been fixed	4	2	3
4	No. of challans for defecating in the open	0	34	40
	Fines realized (In Rs.)	0	38,100	28,400
5	No. of raids to enforce plastic ban	167	131	51
	Fines realized (In Rs.)	78,700	40,800	23,900
6	No. challans for littering	335	20	40
	Fines realized (In Rs.)	76,890	19,500	24,800
7	Distance of dumping ground from the river	1 km	300 m	3 km
	Currently used dumping ground is being used since	2005	2021-22	2018-2019
	Constitution of new dumping ground	DPR approved by Directorate. First installment of Rs. 64 Lakh Rupees received.	Tenders have been floated.	Construction work has been started in new dumping zone
8	No. of wards	11	4	4
9	No. of wards in which door to door	11	4	4

179

	collection of waste is on			
10	User charges realized	67,73,880 Rs	1,48,414	1,71,600 Rs.
11	Status of segregation of waste at source	100 %	100 %	100 %
12	Solid waste generated per day	16.25 Tonnes	6 Qtl.	9 Qtl
13	Composting of waste in %	Composting being done. Rs. 120042 revenue from sale. Rs. 2232450 from sale of waste	65 % अब तक निकाय को कॉम्पैक्टर से 1,78,700 रुपए की आय प्राप्त हुई है।	85 %
14	Inert waste generated	1-2 tonne per day	0	1.5 %
15	Untreated waste	2-3 tonne per day	6050 (income from recyclable waste)	1.0 %
16	Status of compactors	1	1	1
17	Shredder	1	0	0
18	Conveyor belt for segregation	Available	0	0
19	Mechanical Composting machine	1	0	0
20	Construction and Demolition waste	No site identified yet	No site identified yet	No site identified yet
21	Public toilets	15	8	24 toilets and 13 urinal
22	Sewer suction tanker	1	1	1
23	Septage mgmt. cell by-laws	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed
24	Slaughter houses/meat shops	0	0	1

7. जिला गंगा समिति की विगत बैठक में बिन्दु सं0– 8 में दिनांक– 21 जून के उपलक्ष में सभी नगरपालिका/नगरपंचायत क्षेत्रान्तर्गत दिनांक– 21.06.2022 को मां गंगा एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियों की स्वच्छता, निर्मलता एवं अविरलता के दृष्टिगत जनमानस में वृहद प्रचार–प्रसार किए जाने के उद्देश्य से नदियों के किनारे स्थित घाटों पर सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के आयोजन किए जाने के निर्देश दिए थे। कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्ध ग्रुप, नमामि गंगे के पत्रांक– 443/SPMG/Namami Ganga/DGC, दिनांक– 09.06.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा नगर पंचायत, देवप्रयाग अन्तर्गत संगम घाट को इस हेतु चिन्हित किया गया है तथा 50000.00 रु0 की धनराशि भी अनुमोदित की गई है। अध्यक्ष महोदया द्वारा पुनः निर्देशित किया गया कि सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत अपने–अपने क्षत्रान्तर्गत पत्र में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत देवप्रयाग उक्त पत्रांक में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करें।

8. अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगरपंचायत द्वारा अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, अवैध कूड़ा निस्तारण आदि गतिविधियों में छापेमारी तथा चालान आदि की गतिविधियों में शिथिलता बरती जा रही है तथा जिला गंगा समिति की ऑनलाइन बैठकों

में जिम्मेदारी के साथ प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है, जो ठीक स्थिति नहीं है, अतः जिला गंगा समिति की आगामी बैठकों में समस्त अधिशासी अधिकारियों के द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रतिभाग किया जाएगा तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत भेजी जाने वाली 24 बिन्दुओं की तुलनात्मक सूचना पर चर्चा की जाएगी।

अन्त में समस्त अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

संलग्नकः– यथोपरि।

अनुमोदित

अध्यक्षा / जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग /
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या–3207/26-1 / (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 14/06/ जून, 2022

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदया / अध्यक्षा, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर / कीर्तिनगर।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
5– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
6– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश / देवप्रयाग।
7– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम / जल संस्थान, ऋषिकेश।
8– अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी।
9– प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
10– सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, मुनिकीरेती।
11– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नई टिहरी।
12– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त सदस्य, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग /
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

24906

181

नमामि गंगे

कार्यालय, कार्यक्रम निदेश
राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रु
नमामि गंगे
देहरादून, उत्तराखण्ड

पत्रांक: 443 /SPMG/Namami Gange/ IEC

दिनांक: 09/06/2022

गंगा की पवित्रता हम सबका उत्तरदायित्व
गंगा संरक्षण– जल संरक्षण– जीवन संरक्षण

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला गंगा सुरक्षा समिति,
हरिद्वार/देहरादून/रूद्रप्रयाग/ चमोली
टिहरी गढ़वाल/पौड़ी गढ़वाल/उत्तरकाशी

विषयः– दिनांक 21 जून, 2022 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एस.पी.एम.जी. कार्यालय के पत्रांक 330/SPMG/Namami Gange/IEC दिनांक 05.05.2022 **(संलग्नक–1)**, एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन.एम.सी.जी.), नई दिल्ली के पत्रांक Co-20/5/2022-Comm. NMCG दिनांक 07 जून, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें **(संलग्नक–2)**, जिसके माध्यम से एन.एम.सी.जी. द्वारा अवगत कराया गया है कि, गंगा नदी बेसिन के 05 राज्यों में **"अन्तर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2022"** का आयोजन किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस–2022 का विषय **"मानवता के लिए योग"** है, जिस क्रम में एन.एम.सी.जी. द्वारा गंगा बेसिन राज्यों में जनमानस में नदियों से सम्बन्ध को मजबूत किये जाने के उद्देश्य से **"घाट पर योगा"** कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

2. अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गंगा बेसिन के 131 जिला गंगा समितियों द्वारा **"घाट पर योगा"** कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिस दौरान सभी प्रतिभागियों द्वारा गंगा शपथ ली जायेगी **(गंगा शपथ की प्रति संलग्नक–3)**।

3. अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर **"घाट पर योगा"** कार्यक्रम के दौरान जिला गंगा समितियों को नोडल ऐजेंसी नामित की गयी है। कार्यक्रम के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन, गंगा टास्क फोर्स, गंगा मित्र, गंगा प्रहरी एवं गंगा विचार मंच द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जायेगा। साथ ही नेहरू युवा केन्द्र संगठन के जिला परियोजना अधिकारियों के उक्त कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जा सकता है।

4. अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला गंगा सुरक्षा समितियों द्वारा निम्नघाटों पर योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है:–

क्र.सं	जनपद का नाम	योग कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रस्तावित घाट का नाम
1	देहरादून	त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश
2	हरिद्वार	चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट, हरिद्वार
3	टिहरी	संगम घाट, देवप्रयाग
4	पौड़ी	नैथानी घाट, श्रीनगर
5	रूद्रप्रयाग	कोटेश्वर महादेव घाट, रूद्रप्रयाग
6	चमोली	चमोली/नन्दप्रयाग घाट
7	उत्तरकाशी	केदार घाट

5. एन.एम.सी.जी., नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक जिला गंगा समिति को रु0 50,000.00 की धनराशि अनुमोदित की गयी है **(संलग्नक–4)** तथा जिला गंगा सुरक्षा समिति के पास यदि पूर्व में आवंटित की गयी धनराशि शेष है तो उक्त कार्यक्रम हेतु शेष धनराशि में से व्यय किया जा सकता है।

6. कार्यक्रम के दौरान **"घाटों पर योगा"** कार्यक्रम से सम्बन्धित संक्षिप्त आख्या एवं फोटोग्राफ/वीडियो ई–मेल communication.spmguk@gmail.com अथवा Whatsapp नं0 8449883300, संचार विशेषज्ञ, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप (एस.पी.एम.जी.), नमामि गंगे उत्तराखण्ड एवं कार्यक्रम के दौरान उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र **(GFR-12-C संलग्न प्रारूप–5)** में कार्यक्रम समाप्ति के उपरान्त शीघ्र इस

कार्यालय, कार्यक्रम निदेशक
राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप
नमामि गंगे
देहरादून, उत्तराखण्ड

182

कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही एन.एम.सी.जी. द्वारा तैयार किये गये क्रियेटिवस/बैकड्रॉप संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं (संलग्नक–6)।

अतः अनुरोध है कि, अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान "**घाटों पर योगा**" कार्यक्रम का आयोजन किये जाने हेतु हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति को निर्देशित करने का कष्ट करें। एस.पी.एम.जी. कार्यालय से कार्यक्रम के समन्वय हेतु श्री पूरन चन्द कापड़ी, संचार विशेषज्ञ (मो0नं0 7055001743/8449883300) को नोडल नामित किया गया है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

(उदय राज सिंह)
कार्यक्रम निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक/परियोजना निदेशक, नमामि गंगे परियोजना, वन विभाग उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. परियोजना प्रबन्धक, स्वजल/जिला विकास अधिकारी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, वन प्रभाग,
   हरिद्वार/देहरादून/रूद्रप्रयाग/चमोली
   टिहरी गढ़वाल/पौड़ी गढ़वाल/उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वरिष्ठ संचार प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यक्रम निदेशक

24908

183

नमामि गंगे

कार्यालय, कार्यक्रम निदेशक
राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप
नमामि गंगे
देहरादून, उत्तराखण्ड

पत्रांक:- 330 /SPMG/Namami Gange/ IEC

दिनांक: 05/05/2022

गंगा की पवित्रता हम सबका उत्तरदायित्व
गंगा संरक्षण– जल संरक्षण– जीवन संरक्षण

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला गंगा समिति,
देहरादून / हरिद्वार / टिहरी गढ़वाल / पौड़ी गढ़वाल /
रूद्रप्रयाग / चमोली / उत्तरकाशी / नैनीताल / ऊधम सिंह नगर /
चम्पावत / बागेश्वर / अल्मोड़ा / पिथौरागढ़

विषयः– दिनांक 21 जून 2022 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि, वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिनांक 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष विश्व भर में दिनांक 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। योग भारत की प्राचीन परम्परा का एक अमूल्य उपहार है, यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है।

2. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एम.एम.सी.जी.), नई दिल्ली द्वारा पत्रांक Estt.01/2016-17/0111/NMCG दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के माध्यम से दिनांक 21 जून 2022 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जीवनदायिनी मोक्षदायिनी माँ गंगा एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियों की स्वच्छता, निर्मलता एवं अविरलता के दृष्टिगत जनमानस में वृहद स्तर पर प्रचार–प्रसार किये जाने के उद्देश्य से नदियों के किनारे स्थित घाटों पर सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों के आयोजन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। (प्रति संलग्न)।

3. अवगतनीय है कि, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस हेतु नोडल मंत्रालय नामित किया गया है। जिस हेतु नोडल मंत्रालय होने के दृष्टिगत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 13 मार्च 2022 से 100 दिन, 100 शहरों और 100 संगठनों का पहला ऐसा सामूहिक भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है जो विश्वभर में दिनांक 21 जून, 2022 तक जारी रहेगा।

4. अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान योग कार्यक्रम एवं आई.ई.सी. गतिविधियों में गंगा मित्र, गंगा दूत, गंगा प्रहरी, नेहरू युवा केन्द्र संगठन (NYKS) एवं गंगा विचार मंच के स्वयंसेवकों को भी सम्मिलित किया जाना है।

अतः दिनांक 13 मई 2022 (द्वितीय शुक्रवार) को जिला गंगा समिति की बैठक में कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों पर चर्चा कर दिनांक 21 जून 2022 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही बैठक के दौरान कार्यक्रम की गतिविधियों के सम्बन्ध में किये गये विचार–विमर्श की सूचना से भी इस भी इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार

(उदय राज सिंह)
कार्यक्रम निदेशक

प्रतिलिपि:–

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वरिष्ठ संचार प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यक्रम निदेशक

Co-20/5/2022-Comm.-NMCG
24909
National Mission for Clean Ganga
Ministry of Jal Shakti, Government of India

184

1st Floor, MDC National Stadium
India Gate, New Delhi – 110002
Dated: 7th June 2022

Office Memorandum

Subject: Reg. International Day of Yoga- 21st June 2022

International Day of Yoga is being organized by the National Mission for Clean Ganga across 5 Ganga Basin States. This year, the theme for International Day of Yoga-2022 is 'Yoga for Humanity'. In this backdrop, NMCG has planned to organize a 'Yoga at Ghat' campaign across the Ganga Basin States aimed to strengthen public-river connect.

2. The International Day of Yoga shall be organized on the 'Ghats' followed by Ganga Swachhta Shapath in various cities and towns situated along the river Ganga and its tributaries through 131 District Ganga Committees. (Annexure- I)

3. District Ganga Committee will be the nodal agency for implementing the aforesaid activities of the International Day of Yoga on behalf of NMCG in close coordination with State Mission for Clean Ganga, NYKS, Ganga Task Force, Ganga Mitras and Ganga Pahari's and Ganga Vichaar Manch. The District Project Officers of NYKS may be designated as nodal officers for community mobilization for this activity. (Annexure-II)

4. Fund of Rs. 50,000/- per DGC is allocated. Details are given at (Annexure-III).

5. The approval is subject to following terms and conditions:
- SMCGs shall ensure that funds are transferred and utilized by the District Ganga Committee for this activity.
- Ensure submission of comprehensive report with photographs.

6. The information of the identified Ghats for the event may be shared with NMCG.

7. Expenditure to be debited to NGP- Non EAP Funds. Fund demand may be submitted to NMCG at the time of quarterly fund requirement.

8. This issues with the approval of the Director General, NMCG vide E-note#6 dated 07.06.2022 and concurrence of Executive Director (Finance) vide E-note#4 dated 04.06.2022.

Divya Joshi

(Divya Joshi)
Consultant, NMCG

Copy to:
1. Project Director, Uttarakhand -SMCG, 117, Indira Nagar, Dehradun-248001 (Uttarakhand)
2. Project Director, Uttar Pradesh-SMCG, Plot N0-18, Sector-7, Gomti Nagar Extension, Lucknow 226010
3. Project Director, Bihar-SMCG Vikas Bhawan, Bailey Road, Patna (Bihar- 800001)
4. Project Director, SMCG Group Urban Development & Housing Department, Ranchi, Jharkhand
5. Project Director, SMCG Group Unnayan Bhawan (3rd Floor), KMDA, Kolkata – 700091

Copy for information: -
1. PS to Director General, NMCG
2. PS to ED (Technical)/ ED (Admin)/ ED (Finance), NMCG
3. PA to DS, NMCG

24910

185

Azadi Ka Amrit Mahotsav

मेरा संकल

- मैं अपने क्षेत्र के गंगा तटीय स्थान को साफ-सुथ
  वाले लोगों को भी गंगा स्वच्छ रखने के लिए प्रेरि
- मैं गंगा में कूड़ा - कचरा व पॉलिथिन नहीं डालूँगा
- मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए "सिंगल यूज प्लास्टिक
- मैं हमेशा कपड़े के थैले का प्रयोग करूँगा !
- मैं अपने घर के गंदे पानी के निपटान के लिए सोख
- मैं गंगा में बची हुई पूजा सामग्री व केमिकल से बर्न
  नही करूँगा !
- मैं बची हुई पूजा सामग्री को पौधों के लिए खाद के
- मैं खुले में शौच के स्थान पर शौचालय का प्रयोग व





196

ANNEXURE-III

International Day of Yoga – 2022

Activities, Locations, Public Outreach & Funds:

S.No.	Activity Head	Details	References
i).	Activities & Events	Yoga sessions at Ghats followed by Ganga Swachhta Shapath	Refer Annexure-I (List of Locations)
ii).	Locations	All DGCs of 5 Ganga Basin States Total- 131 District Ganga Committees	
iii).	Creatives	Creatives for IEC & Public Outreach/ Outdoor Publicity- (Backdrops/Banners & Pledge etc.)	Shall be provided by NMCG
iv).	Funds Allocated		

	State	District Ganga Committees	Budget
1.	Uttarakhand	13	Rs. 50,000/- to every DGC (For Banners, T-shirts, Caps, Yoga Mats & Refreshment etc.)
2.	Uttar Pradesh	67	
3.	Bihar	38	
4.	Jharkhand	4	
5.	West Bengal	9	
	Total	131	

24912

187

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE (FOR STATE GOVERNMENTS)

(WHERE EXPENDITURE INCURRED BY GOVT. BODIES ONLY) (FORM GFR 12-C)

{See rule 239}

Financial Year

S.N.	Letter No. & Date	Amount (in Lakh)	Certified that out of Rs. ..... Grant released during the year..... in favour of District Ganga Committee ..... Vide letter no.....date ..... Given in the margin and of Rs. 0.0 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs.....has been utilized by District Ganga Committee ..... for conducting ..... for the purpose for which it was sanctioned and the balance of Rs. Nill remaining period of current financial year.
1			
		0.00	
	Total Rs. ...		

2. Certified that I have satisfied my self that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks:

1) Cash Book

Signature.....

Name.....

Designation.....

24913



श्री गजेंद्र सिंह शेखावत
मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार



श्री प्रहलाद सिंह पटेल
राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार



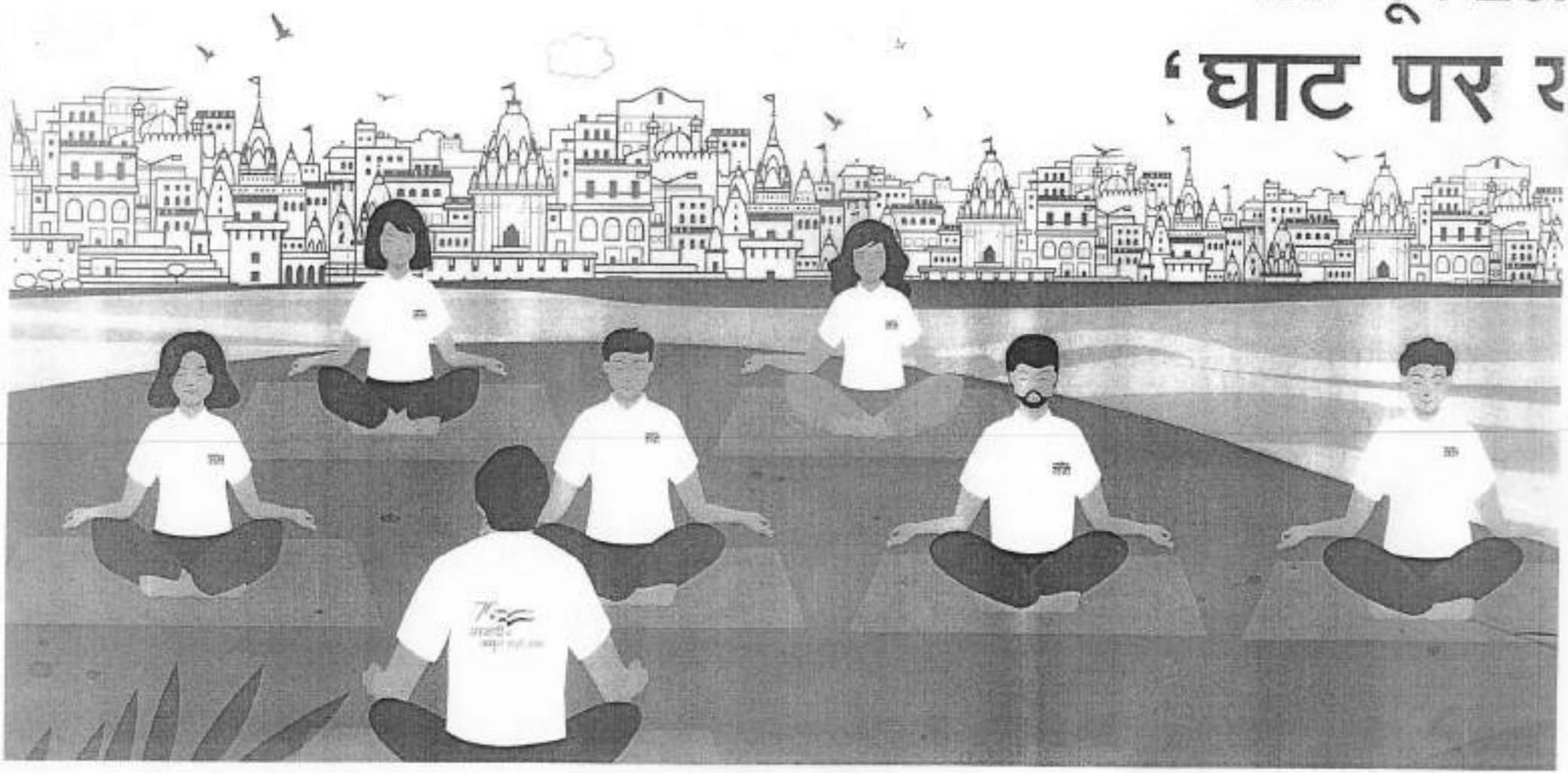
श्री विश्वेश्वर टुडु
राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार

188

अंतरराष्ट्रीय य

21 जून 20

'घाट पर



24914

189







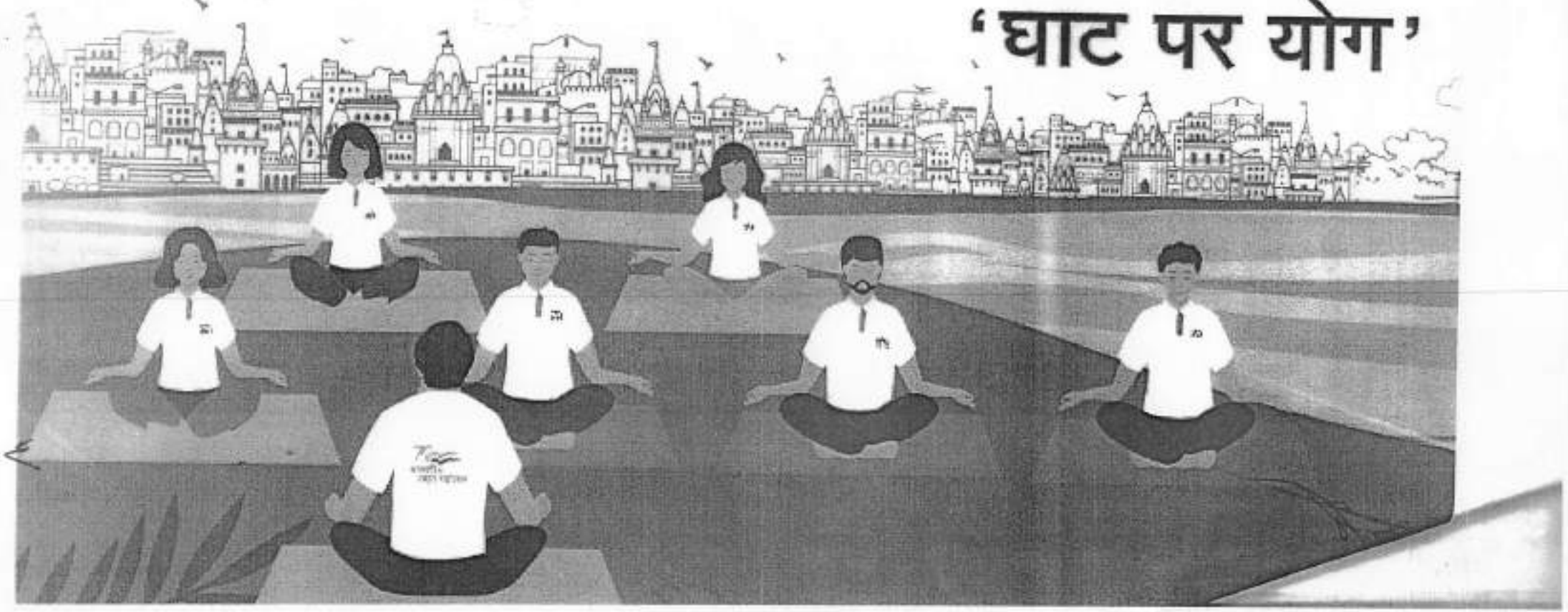


नमामि गंगे

अंतरराष्ट्रीय योग

21 जून 2022

'घाट पर योग'



24915



श्री गजेंद्र सिंह शेखावत
मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार



श्री प्रहलाद सिंह पटेल
राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार

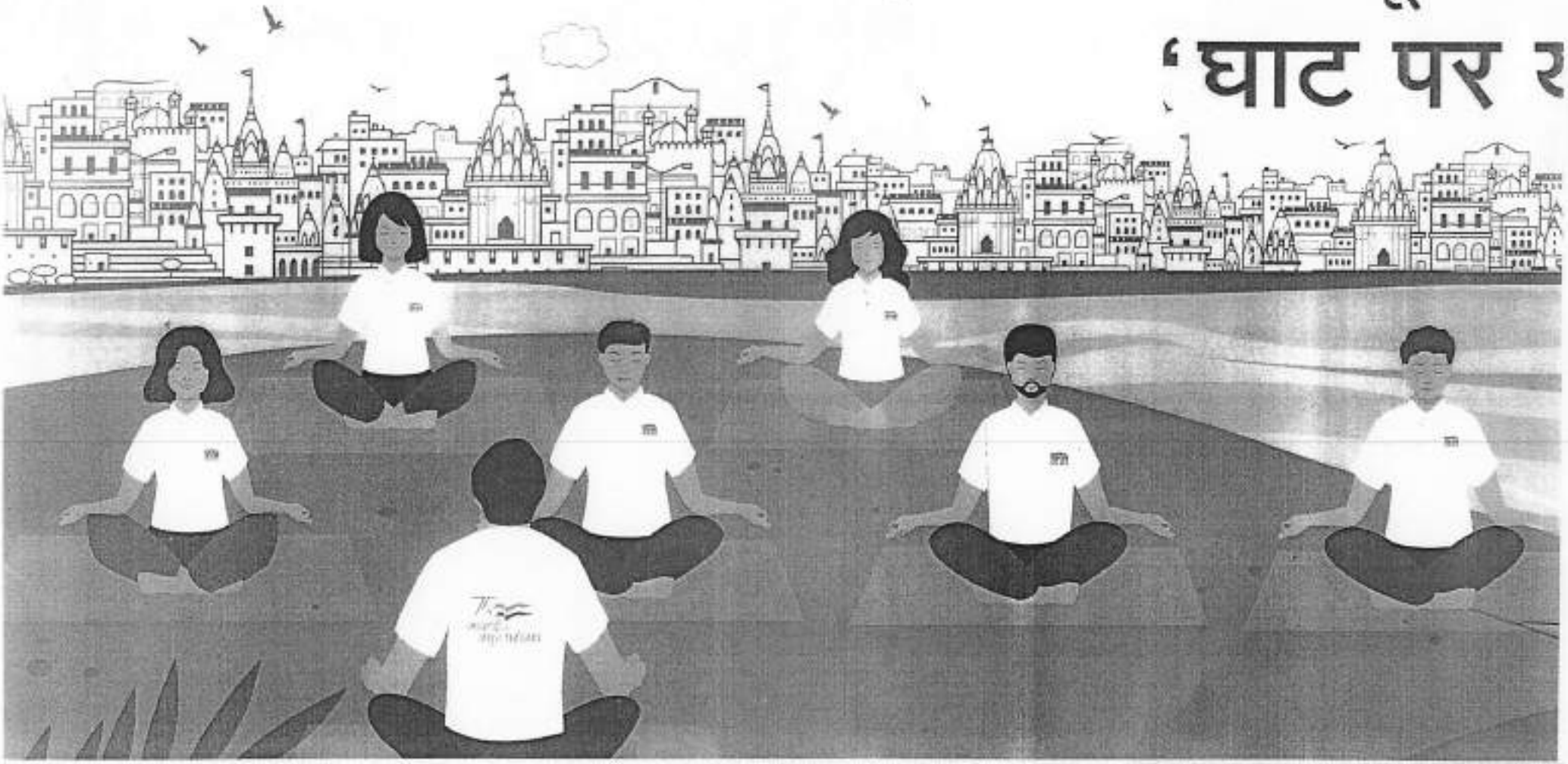


श्री विश्वेश्वर टुडु
राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार

अंतरराष्ट्रीय य

21 जून 20

'घाट पर



19/

दिनांक– 16.07.2022 को सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति टि0ग0 की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 41वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, ऋषिकेश
2	परि0 प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, श्रीनगर
3	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश
4	सहायक भियन्ता, उ0ज0सं0, ऋषिकेश
5	अधिशासी अभियन्ता, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती
6	अधिशासी अभियन्ता, नगर पंचायत, कीर्तिनगर
7	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल
8	उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर
9	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, मुनिकीरेती
10	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर
11	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, चमियाला

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके है।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि 2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
897	0	5	5	226	398	278	676

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक के बाद से 02 घरेलू तथा 03 अन्य भवनों को सीवर से जोड़ा गया है। अवशेष 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 1108.81 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नग0अनु0 नमामि गंगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है, अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उच्च स्तर से डी0पी0आर0 में आंशिक आपत्तियां लगाई गई हैं जिनका निस्तारण कर आख्या प्रेषित कर दी गई है।

192

3. <u>देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–</u>

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-

Break-up of Balance Households

Sl. No.	Description	No. of Connections	Progress
1	By shifting Toilets	10	Land required from Revenue department.
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.

उक्तानुसार उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक– 08.06.2022 को उनके द्वारा देवप्रयाग क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य प्रकाश मे आए–

(a) अवशेष भवनों में बिन्दु सं0– 1 मे प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्ताराण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है।

(b) बिन्दु सं0– 2 में प्रदर्शित 05 भवनों में ए0टी0एम0 मशीन तथा दुकानें हैं जिनमें शौचालय की अवश्यकता नहीं है।

(c) बिन्दु सं0– 3 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी के सेप्टिक टैंक हैं जिन्हें सक्शन तकनीक से निस्तारित किया जा रहा है।

4. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि Supervisory committee की बैठक दिनांक– 27.05.2022 में अध्यक्ष महोदया

द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पेयजल स्थित 75 MLD एस0टी0पी0 के 270 मी0 क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। 24918

5. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा जनपद स्थित सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों का विवरण तथा यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण की स्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

क्र0 सं0	जनपद स्थित कुल चिकित्सालय	सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति	गैर सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति
1	442	कुल चिकित्सालय– 408 सहमति निर्गत– 99 वैधता अवधि समाप्त– 85 प्राधिकार निर्गत– 308 (One Time) लम्बित आवेदन– 01	कुल चिकित्सालय– 34 सहमति निर्गत– 03 वैधता अवधि समाप्त– 01 प्राधिकार निर्गत– 31 (One Time)

अन्त में समस्त अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 02 (T-C) / (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 21/7/ 21 जुलाई, 2022

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदया/अध्यक्षा, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यकम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर/कीर्तिनगर।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
5– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
6– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
7– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम/जल संस्थान, ऋषिकेश।
8– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी।
9– प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
10– सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, मुनिकीरेती।
11– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नई टिहरी।
12– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त सदस्य, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

24919

दिनांक– 12.08.2022 को सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 41वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1	परि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, ऋषिकेश
2	परि0 प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, श्रीनगर
3	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश
4	सहायक अभियन्ता, उ0ज0नि0, ऋषिकेश
5	जिला परियोजना अधिकारी, टि0ग0
6	अधिशासी अभियन्ता, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती
7	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग
8	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों / परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन / परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई है, विगत बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में उक्त डी0पी0आर0 पर उच्च स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर आख्या प्रेषित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं।

2. तपोवन क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों / परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन / परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
912	0	6	5	225	400	281	681

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक के बाद से 02 घरेलू तथा 03 अघरेलू भवनो को सीवर से जोड़ा गया है। अवशेष 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा रु0– 1108.61 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नग0अनु0 नमामि गंगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3 <u>देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–</u>

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनो की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-

Break-up of Balance Households

Sl. No.	Description	No. of Connections	Progress
1	By shifting Toilets	10	Land required from Revenue department.
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.

(a) अवशेष भवनो मे बिन्दु स0– 1 मे प्रदर्शित शेष 111 घरो के अपशिष्ट का निस्तारण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है।

(b) बिन्दु स0– 2 मे प्रदर्शित 05 भवनो मे ए0टी0एम0 मशीन तथा दुकानें हैं जिनमे शौचालय की अवश्यकता नहीं है।

(c) बिन्दु स0– 3 में प्रदर्शित जिन 14 घरो के शौचालयो को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी के सेप्टिक टैंक है जिन्हे सक्शन तकनीक से निस्तारित किया जा रहा है।

4. नगरपालिका परिषद् मुनिकीरेती, नगर पंचायत, देवप्रयाग तथा कीर्तिनगर द्वारा 24 बिन्दुओ की सूचना से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

Sl. No.	Activity/Head	Muni Ki Reti	Devprayag	Kirtinagar
1	Number of ghats	8	5	3
	Number of anti-littering signboards in the ghats	8	4	4

2	Encroachment on ghats	0	0	0
3	Number of Nalas draining into the Ganga	4	2	3
	Nalas in which Jali has been fixed	4	2	3
4	No. of challans for defecating in the open	0	34	40
	Fines realized (In Rs.)	0	39000	24,800
5	No. of raids to enforce plastic ban	167	131	62
	Fines realized (In Rs.)	78,700	41500	27000
6	No. challans for littering	335	21	40
	Fines realized (In Rs.)	76,890	20000	24,800
7	Distance of dumping ground from the river	1 km	300 m	3 km
	Currently used dumping ground is being used since	2005	2021-22	2018-2019
	Constitution of new dumping ground	DPR approved by Directorate. First installment of Rs. 64 Lakh Rupees received.	Tenders have been floated.	Construction work has been started in new dumping zone
8	No. of wards	11	4	4
9	No. of wards in which door to door collection of waste is on	11	4	4
10	User charges realized	67,73,880 Rs	2,11,674 Rs	2,15,300 Rs.
11	Status of segregation of waste at source	100 %	100 %	100 %
12	Solid waste generated per day	16.25 Tonnes	6 Qtl.	9 Qtl
13	Composting of waste in %	Composting being done. Rs. 120042 revenue from sale. Rs. 2232450 from sale of waste	65 % अब तक निकाय को कॉम्पोवटर से 1,84,700 रुपए की आय प्राप्त हुई है।	85 %
14	Inert waste generated	1-2 tonne per day	0	1.5 %
15	Untreated waste	2-3 tonne per day	6050 (income from recyclable waste)	1.0 %
16	Status of compactors	1	1	1
17	Shredder	1	0	0
18	Conveyor belt for segregation	Available	0	0
19	Mechanical Composting machine	1	0	0
20	Construction and Demolition waste	No site identified yet	No site identified yet	No site identified yet
21	Public toilets	15	8	24 toilets and 13 urinal
22	Sewer suction tanker	1	1	1

23	Septage mgmt. cell by-laws	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed
24	Slaughter houses/meat shops	0	0	1

5. कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्ध यूए, नमामि गंगे के पत्रांक– 629 / SPMG/Namami Gange/DGC, दिनांक– 08.08.2022 के माध्यम से राज्यान्तर्गत कुछ गंगा समितियों का चयन कर आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं (प्रति संलग्न) जिसके अन्तर्गत गंगा प्राथमिकता वाली नगरपालिका / नगर पंचायतों में निम्न प्रकार कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश हैं–

   - आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जनमानस एवं पर्यटकों में गंगा एवं इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता, निर्मलता एवं अविरलता के प्रति जागरूकता के दृष्टिगत विभिन्न सूचना एवं संचार (आई.ई. सी.) गतिविधियां आयोजित की जाएं तथा इस अभियानों में नेहरू युवा केन्द्र संगठन, गंगा विचार मंच, गंगा टास्क फोर्स, गंगा दूत, गंगा प्रहरी, स्वयंसेवकों को भी सम्मिलित किया जाए।
   - आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिनांक– 13 से 15 अगस्त 2022 तक 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत गंगा घाटों के किनारे, नमामि गंगे कार्यालय एवं गंगा नदी के किनारे एवं जल निकायों के समीप प्रभातफेरी कार्यक्रम, दिनांक– 15 अगस्त से 02 अक्टूबर तक 'घाट पर हाट' कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आजीविका संवर्धन, भोजन महोत्सव, स्विज एवं प्रतियोगिता, प्रभात फेरी / नुक्कड़ नाटक प्रदर्शनी, गंगा आरती, गंगा स्वच्छता शपथ, भजन संध्या / वेद पथ एवं दीप उत्सव आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाना।
   - एन.एम.सी.जी., जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'घाट पर हाट' आदि कार्यक्रमों हेतु मु0– 2.00 लाख, सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु मु0– 2.00 लाख तथा अन्य विविध कार्यक्रमों हेतु मु0– 1.00 लाख रू0 कुल मु0– 5.00 लाख रू0 की स्वीकृति जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल को दी गई है।

अतः उक्तानुक्रम में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत, मुनिकीरेती, देवप्रयाग तथा कीर्तिनगर कृपया अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा तैयार करें इस हेतु उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार (संलग्नक–3) जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अरूण उनियाल (मो0नं0– 9759201884) से सम्पर्क स्थापित करें तथा समय उक्त कार्यक्रम आयोजित करें साथ ही कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आवश्यक धनराशि की मांग का प्रस्ताव तैयार कर जिला गंगा समिति को प्रेषित करें। सभी अधिशासी अधिकारी अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत आयोजित कार्यक्रमों की सूचना फोटोग्राफ सहित समिति को प्रेषित करें तथा कार्यक्रमों के फोटोग्राफ Whatsapp ग्रुप में भी साझा करें।

6. कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्ध यूए, नमामि गंगे के पत्रांक– 629 / SPMG/Namami Gange/DGC, दिनांक– 08.08.2022 द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि समय–समय पर जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल को ग्राम–जनमानस में गंगा स्वच्छता तथा अन्य जन जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन हेतु मु0– 468000.00 रू0 की धनराशि का हस्तान्तरण किया गया है जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र समिति द्वारा उच्च स्तर को प्रेषित किया जाना है।

अतः समस्त अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत कृपया वित्तीय वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 में वर्तमान तक जिला गंगा समिति के अन्तर्गत आयोजित किए गए जनजागरूकता

कार्यक्रमों तथा अन्य आयोजनों हेतु धनराशि की माँग का प्रस्ताव तत्काल समिति को प्रेषित करें ताकि यथासमय आपको धनराशि का आवंटन कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उच्च स्तर से प्रेषित किया जा सके।

उक्त बिन्दु संख्या 5 तथा 6 के सफल क्रियान्वयन हेतु उच्च स्तर से निर्गत विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्नक– 1 तथा 2 में दिए गए हैं।

7. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रचार वाहन को दिनांक– 15 अगस्त से 22 अगस्त तक जनपद अन्तर्गत भेजा जा रहा है जिसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा हरी झण्डी दिखाई जाएगी जिसके क्रम में सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगरपंचायत कृपया उक्त प्रचार वाहन का उपयोग करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का व्यापक प्रचार भी करें।

अन्त में समस्त अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

संलग्नक:– यथोपरि।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या–402/3-2/ (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 18 अगस्त, 2022

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
3– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
4– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम/जल संस्थान, ऋषिकेश।
6– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी।
7– प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
8– सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, मुनिकीरेती।
9– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नई टिहरी।
10– जिला परियोजना अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

24924

199

कार्यालय, कार्यक्रम निदेशक
राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप
नमामि गंगे
देहरादून, उत्तराखण्ड

पत्रांक: 629 /SPMG/Namami Gange/ DG C. दिनांक: 08/08/22

गंगा की पवित्रता हम सबका उत्तरदायित्व
गंगा संरक्षण– जल संरक्षण– जीवन संरक्षण

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला गंगा समिति,
टिहरी।

विषय:– आजादी के अमृत महोत्सव 2022 के अन्तर्गत विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन.एम.सी.जी.), जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक CO-14/9/2022-Communication NMCG दिनांक 04 अगस्त, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (प्रति संलग्न)। भारत सरकार द्वारा स्वतन्त्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को "आजादी के अमृत महोत्सव 2022" के रूप में वृहद स्तर पर मनाया जा रहा है। "आजादी के अमृत महोत्सव" के माध्यम से जनमानस को गंगा एवं इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता, निर्मलता एवं अविरलता के प्रति जागरूकता के दृष्टिगत प्रयास किये जाने हेतु समस्त गंगा बेसिन राज्यों तक पहुचाना है। जिस हेतु चयल अभियान की शुरूआत दिनांक 13 अगस्त, 2022 से करते हुए दिनांक 02 अक्टूबर, 2022 को स्वच्छता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की समाप्ति की जायेगी।

2. भारत की स्वतन्त्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जनमानस एवं पर्यटकों में गंगा एवं इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता, निर्मलता एवं अविरलता के प्रति जागरूकता के दृष्टिगत विभिनन सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों आयोजित किये जाने हेतु जिला गंगा सुरक्षा समितियों को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उक्त अभियान के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन(NYKS), गंगा विचार मंच, गंगा टास्क फोर्स, गंगा दूत, गंगा प्रहरी, स्वयंसेवकों को भी सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. "आजादी के अमृत महोत्सव" के दौरान दिनांक 13 से 15 अगस्त 2022 तक "हर घर तिरंगा" अभियान के तहत गंगा घाटों के किनारें, नमामि गंगे कार्यालय एवं गंगा नदी के किनारे एवं जल निकायों के समीप ध्वजारोहरण कार्यक्रम, दिनांक 15 अगस्त से 02 अक्टूबर 2022 तक घाट पर हाट कार्यक्रम के दौरान सांस्कृति कार्यक्रम आजिविका संवर्धन, भोजन महोत्सव, विपज एव प्रतियोगिता, प्रभात फेरी / नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, गंगा आरती, गंगा स्वच्छता शपथ, भजन संध्या / वेद पाठ एवं दीप उत्सव आदि गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। साथ ही दिनांक 15 अगस्त 2022 को जिला गंगा समितियों, नेहरू युवा केन्द्र संगठन एवं अन्य संस्थाओं द्वारा घाट पर योगा कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे (Annexure-II), जिस हेतु एन.एम.सी.जी. जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा घाट पर हाट आदि कार्यक्रमों हेतु रु0 2.00 लाख, सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु रु0 2.00 लाख तथा अन्य विविध व्ययों हेतु रु0 1.00 लाख कुल रु0 5.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है (Annexure-III)।

4. "आजादी के अमृत महोत्सव" के जनपदवार गतिविधियां का आयोजन किये जाने हेतु तिथियां निम्नवत है:–

क्र.सं.	जनपद	गतिविधियां आयोजित की जाने तिथि
1	चमोली	20 एवं 21 अगस्त, 20222
	टिहरी	

5. दिनांक 12 अगस्त 2022 (द्वितीय शुक्रवार) को जिला गंगा समिति की बैठक में कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों पर चर्चा कर दिनांक 13 अगस्त से 02 अक्टूबर 2022 तक आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न आई.ई.सी. गतिविधियों की तैयारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही बैठक के दौरान कार्यक्रम की गतिविधियों के सम्बन्ध मे किये गये विचार–विमर्श की सूचना से भी इस भी इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

6. "आजादी के अमृत" महोत्सव के दौरान आयोजित गतिविधियों से सम्बन्धित संक्षिप्त आख्या एवं फोटोग्राफ / विडियो कार्यक्रम की तिथि से पश्चात सप्ताह ई–मेल communication.spmguk@gmail.com अथवा Whatsaap नं0 8449883300, संचार विशेषज्ञ, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप (एस.पी.एम.जी.), नमामि गंगे उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

24925

200

कार्यालय, कार्यक्रम निदेशक
राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप
नमामि गंगे
देहरादून, उत्तराखण्ड

7. अवगतनीय है कि, इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जिला गंगा समिति, जनपद टिहरी गढ़वाल को आम-जनमानस में गंगा एवं इसकी प्रमुख नदियों की स्वच्छता एवं संरक्षण के प्रति जागरूकता के दृष्टिगत विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों के आयोजन हेतु रु0 4,68,000.00 की धनराशि हस्तान्तरित की गयी है, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिथि तक कार्यालय को अप्राप्त है। उक्त हस्तान्तरित की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (GFR-12-C) संलग्न प्रारूप में प्रेषित कर "आजादी के अमृत महोत्सव" कार्यक्रम हेतु बजट सम्बन्धी मांग पत्र कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। उक्त बजट आगमी पूर्व में अवशेष धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त हस्तान्तरित की जायेगी। पूर्व में हस्तान्तरित की गयी धनराशि का विवरण निम्नानुसार है-

भुगतान की गयी धनराशि की तिथि	भुगतान की गयी धनराशि (रु0 में)	अतिथि तक प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि (रु0 में)	अवशेष राशि जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है (रु0 में)
30.03.2022	4,68,000.00	-	4,68,000.00

उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि, प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार "आजादी का अमृत महोत्सव" कार्यक्रम का आयोजन कर उक्त आई.ई.सी. गतिविधियों का आयोजन किये जाने हेतु उक्त कार्यक्रम हेतु नामित सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें। एस.पी.एम.जी. कार्यालय से कार्यक्रम के समन्वय हेतु श्री पूरन चन्द कापड़ी, संचार विशेषज्ञ (मो0न0 7055011743 / 8449883300) को नोडल नामित किया गया है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

(उदय राज सिंह)
कार्यक्रम निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
2. कार्यकारी निदेशक (परियोजना), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
3. वरिष्ठ संचार प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, जनपद टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यक्रम निदेशक

201

CO-14/9/2022- Communication NMCG
National Mission for Clean Ganga
Ministry of Jal Shakti
Government of India

1st Floor, MDC National Stadium
India Gate, New Delhi – 110002
Dated: 4th August 2022

Office Memorandum

Subject: Reg. Azadi Ka Amrit Mahotsav-2022

National Mission for Clean Ganga, Ministry of Jal Shakti has planned to launch a massive Jan Andolan that seeks to reach out to one and all across the Ganga Basin States with the underlying theme of 'Azadi ka Amrit Mahotsav'. The campaign shall be launched from 13th August 2022 onwards/and will conclude on 2nd October 2022 on the occasion of Swachhta Divas.

2. The campaign will be manifested at 75 locations through the State Missions for Clean Ganga in close association with District Ganga Committees as the nodal agency to organize the wide series of activities to commemorate the 75th Anniversary of India's Independence. Involvement of partner organizations and all volunteer groups including- Nehru Yuva Kendra Sangathan, Ganga Vichaar Manch, Ganga Task Force, NYKS Ganga Doots, and Ganga Praharis etc. may be ensured in the whole campaign.

3. The campaign may be organized based on the stated guidelines:

- **Action Plan:** Detailed action plan of every district for the campaign should be planned. The campaign would be organized preferably at Ghats or at the locations nearby the river banks/ water bodies. *(Refer-Annexure I for Comprehensive Plan)*

- **Activities:** SMCGs may undertake innovative initiatives and activities with special focus on engaging the school children and youth groups in the campaign. It is requested to include local renowned and prominent personalities/artists/leaders to propagate the message of Swachh Ganga along with the theme of Amrit Mahotsav and urge the people to join the campaign. *(Refer-Annexure-II for the Tentative set of Activities).*

- **Coordination for Participation of Stakeholders:** Coordination with Nehru Yuva Kendra Sangathan, Ganga Prahari's, Ganga Mitras, Ganga Task Force, Ganga Vichar Manch, NGOs and other associated organizations to ascertain active participation and for organizing activities in their respective areas may be ensured.

- **Sharing of event report & photographs with NMCG:** SMCGs should ensure daily event & weekly reporting and sharing of updates of the events & activities with NMCG.

- **Regular Updates on Social Media Platforms:** All SMCGs are requested to update the report and photographs of the events on social media pages and respective websites for wider dissemination and visibility of the campaign activities.

- **Media Management:** It is requested to emphasize and coordinate with local newspapers and media houses for better reach and appropriate media coverage and publicity of the campaign.

24927

202

• **Creatives:** The creatives provided by NMCG [illegible]. It may be slightly modified as per the local relevance.

• **Documentation & Reporting:** All the activities of the campaign should be properly documented. SMCGs should ensure submission of the weekly report along with high resolution photographs, media news articles of the events every week with NMCG. The comprehensive campaign report may be shared with NMCG within three days of the concluding ceremony.

4. The funds have been allocated to organize the campaign as per the details given below.

S.No.	State	District Ganga Committees to organize the Campaign	Amount (Rs. in Lakh)
1.	Uttaraldhand	13	70
2.	Uttar Pradesh	36	200
3.	Bihar	19	100
4.	Jharkhand	4	20
5.	West Bengal	3	15
	Total	75	405

SPMGs to convey the DGCs to incur the allocated expenditure out of the approved Annual Action Plan (2022-23) or from the unutilized funds from the previously released funds to District Ganga Committee's. In case of requirement of additional funds, demand may be shared with NMCG under the NGP-Non EAP component. *(Refer-Annexure-III for the Funds/Budget Allocated)*

5. This issues with the approval of the Director General, NMCG vide E-Note#15 dated 03.08.2022 and concurrence of the Executive Director (Finance) vide E-Note#13 dated 03.08.2022.

Divya Joshi

Divya Joshi
(Consultant, NMCG)
011-23072900

Copy to:
1. Project Director, SMCG-Uttaralkhand, 117, Indira Nagar, Dehradun-248001
2. Project Director, SMCG-Uttar Pradesh, Plot No-18, Sector-7, Gomti Nagar Extension, Lucknow 226010
3. Project Director, SMCG-Bihar, Vikas Bhawan, Bailey Road, Patna- 800001, Bihar
4. Project Director, SMCG-Jharkhand, Room no. 403, Project Bhawan, Dhurwa, Ranchi-834004 Jharkhand
5. Project Director, SMCG-West Bengal, Unnayan Bhawan, 3rd Floor, KMDA, Kolkata

Copy for information to: -
1. PS to Director General, NMCG
2. PS to Executive Directors, NMCG

203

ANNEXURE-I

Azadi Ka Amrit Mahotsav-2022

Comprehensive Action–Plan

Tentative Date-wise Action Plan:

* The campaign will commence from 13th August and will end on 2nd October 2022 on the occasion of Swachhta Divas
* Two Days Haat at each location, every weekend
* It will spread across 7 weeks in States with approximately 10-11 locations each week

S.No.	EVENT DATES	STATE	DISTRICT
State-Level Events			
I.	20th & 21st August 2022		
		Uttarakhand	
			Chamoli
			Tehri
		Uttar Pradesh	
			Prayagraj
			Mathura
			Varanasi
			Fatehpur
		Bihar	
			Patna
			Madhubani
		Jharkhand	
			Sahibganj
		West Bengal	
			Hooghly
II.	27th & 28th August 2022		
		Uttarakhand	
			Dehradun
			Champavat
		Uttar Pradesh	
			Amroha
			Kanshiram Nagar (Kasganj)

			Meerut
			Mirzapur
		Bihar	
			Begusarai
			Buxar
			Gaya
			Aurangabad
		Jharkhand	
			Bokaro
III.	3rd & 4th September 2022		
		Uttarakhand	
			Pauri Garhwal
			Almora
		Uttar Pradesh	
			Hapur
			Ballia
			Bijnor
			Hardoi
			Sambhal
		Bihar	
			Bhagalpur
			Khagaria
			Bhojpur
		Jharkhand	
			Dhanbad
IV.	10th & 11th September 2022		
		Uttarakhand	
			Uttarkashi
			Nanital
		Uttar Pradesh	
			Agra
			Badaun
			Chandauli
			Ghazipur
			Kannauj
			Raebareli
			Moradabad
		Bihar	
			Nalanda

205

			Darbhanga
V.	17th & 18th September 2022		
		Uttarakhand	
			Rudrapravag
			Bageshwar
		Uttar Pradesh	
			Baghpat
			Farrukhabad
			Kanpur
			Ayodhya
			Jhasi
		Bihar	
			Munger
			Kathihar
			Saran
		West Bengal	
			Howrah
VI.	24th & 25th September 2022		
		Uttarakhand	
			Haridwar
		Uttar Pradesh	
			Aligarh
			Muzzaffarnagar
			Bulandshahr
			Pratapgarh
			Kaushambi
		Bihar	
			Motihari
			Lakhisarai
			Vaishali
			Muzzaffarpur
		Jharkhand	
			Ramgarh
VII.	1st & 2nd October 2022		
		Uttarakhand	
			Pithoragarh
			Udham Singh Nagar

24931

206

		Uttar Pradesh	
			Saharanpur
			Gautam Budh Nagar
			Lucknow
			Unnao
			Sant Ravidas Nagar (Bhadoi)
			Shahjahnpur
		Bihar	
			Samastipur
		West Bengal	
			North 24 Parganas

207

State-wise List of 75 Locations for the Campaign

S.No.	State	Districts
	Uttaraldhand	
1.		Chamoli
2.		Dehradun
3.		Haridwar
4.		Pauri Garhwal
5.		Rudraprayag
6.		Tehri
7.		Uttarkashi
8.		Almora
9.		Bageshwar
10.		Champavat
11.		Nainital
12.		Pithoragarh
13.		Udam Singh Nagar
	13	
	Uttar Pradesh	
14.		Prayagraj
15.		Amroha
16.		Badaun
17.		Ballia
18.		Bijnor
19.		Bulandshahr
20.		Chandauli
21.		Farrukhabad
22.		Fathehpur
23.		Ghazipur
24.		Hapur
25.		Hardoi
26.		Kannauj
27.		Kanpur (City)
28.		Kanshiram Nagar (Kasganj)
29.		Kaushambi
30.		Meerut
31.		Mirzapur
32.		Raebareli
33.		Sambhal

24933

208

34.		Varanasi
35.		Ayodhya
36.		Baghpat
37.		Mathura
38.		Muzzaffarnagar
39.		Lucknow
40.		Agra
41.		Aligarh
42.		Unnao
43.		Moradabad
44.		Pratapgarh
45.		Jhansi
46.		Gautam Budh Nagar
47.		Saharanpur
48.		Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)
49.		Shahjahnpur
	36	
	Bihar	
50.		Begusarai
51.		Bhagalpur
52.		Bhojpur
53.		Buxar
54.		Darbhanga
55.		Katihar
56.		Khagaria
57.		Lakhisarai
58.		Munger
59.		Patna
60.		Samastipur
61.		Saran
62.		Vaishali
63.		Gaya
64.		Madhubani
65.		Motihari
66.		Muzzaffarpur
67.		Nalanda
68.		Aurangabad

	19	
	Jharkhand	
69.		Bokaro
70.		Dhanbad
71.		Ramgarh
72.		Sahibganj
	4	
	West Bengal	
73.		North 24 Parganas
74.		Hoogly
75.		Howrah
	3	
	Total- 75 Locations across 5 Ganga Basin States	

ANNEXURE-II

210

Comprehensive List of Campaign Activities

S.No.	Campaign	Activities	Details
I.	**HAR GHAR TIRANGA (13th to 15th August 2022)**		
		1). Hoisting of National Flag	- At Ganga Ghats - Namami Gange Project Offices - Households near by the Ganga River Banks and water bodies
		2). 'Selfie with Tiranga at Ganga Ghats'	- as sub-campaign
		3). Tiranga/Jhanda Yatra	
II.	**GHAT PAR HAAT (15th August to 2nd October 2022)**		
	Duration:	2 Days at each location, Every Weekend- Approx. 10-11 Locations	
	*The Haat will be organized on Ghats. DGC may decide the appropriate space on Ghat or nearby the water bodies, considering the availability & local conditions	1). Cultural events	Promoting & highlighting traditional folk & local artists and art forms
		2).Livelihood promotion	Outlets for marketing local products- handicrafts, artefacts etc.
		3). Food Festival	Culinary (Traditional Food) Stalls
		4). Quiz and Competitions	Sport activities such as- Ratting, race/marathon, cycling etc.
		5). Prabaht Pheri/ Nukkad Natak	Awareness activities
		6). Exhibition	
		7). Ganga Aarti	
		8). Ganga Swachhta Shapath	
		9). Bhajan Sandhya/ Ved Path	
		10). Deep Utsav	
	Activities of the Partner Organizations to be Integrated		
		• Launch of Jalaj Model-	75 Locations by WII
		• Arth Ganga Tourist Trails	5 Locations
		• Launch of 2 community Jettis	2 Locations- IWAI
		• Daily Ganga Aarti	51 Ghats by NYKS
		• IMAVTAAR	
		• Miscellaneous	
III.	**GHAT PAR YOG (15th August onwards)/ Ongoing**		
		1). Yoga sessions	@ 51 Locations through NYKS, DGCs and Civil Society Groups
		2). Lectures and meditation sessions	
		3). Walk at Ganga Ghat- Nature Connect	

ANNEXURE-III 211

Tentative Budget Heads for Campaign Activities

1). Budget Heads:

A). Budget Break-up: Rs. 5 Lakh

S.No.	Activity	District Ganga Committee Budget- Rs. 5 Lakh
1.	Ghat Par Haat- Livelihood Promotion Activities	2,00,000
2.	Cultural Programme	2,00,000
3.	Miscellaneous	1,00,000
	TOTAL	5,00,000

B). Budget Break-Up: Rs. 10 Lakh

S.No.	Activity	District Ganga Committee Budget- Rs. 10 Lakh
1.	Ghat Par Haat- Livelihood Promotion Activities	3,00,000
2.	Cultural Programme	5,00,000
3.	Miscellaneous	2,00,000
	TOTAL	10,00,000

C). Total: Budget Breakup

S.No.	State	District Ganga Committees to organize the Campaign	Amount (Rs. in Lakh)
1.	Uttarakhand	13	70
2.	Uttar Pradesh	36	200
3.	Bihar	19	100
4.	Jharkhand	4	20
5.	West Bengal	3	15
	TOTAL	75	405

212

E). District-wise Breakup of Budget Head-

S.No.	State	Districts	Budget (Amount in Lakh)
I.	Uttarakhand		
	1	Chamoli	5
	2	Dehradun	5
	3	Haridwar	10
	4	Pauri Garhwal	5
	5	Rudraprayag	5
	6	Tehri	5
	7	Uttarkashi	5
	8	Almora	5
	9	Bageshwar	5
	10	Champavat	5
	11	Nainital	5
	12	Pithoragarh	5
	13	Udam Singh Nagar	5
		Sub Total 13 DGC	70
II.	Uttar Pradesh		
	14	Prayagraj	10
	15	Amroha	5
	16	Badaun	5
	17	Ballia	5
	18	Bijnor	5
	19	Bulandshahr	5
	20	Chandauli	5
	21	Farrukhabad	5
	22	Fathehpur	5
	23	Ghazipur	5
	24	Hapur	5
	25	Hardoi	5
	26	Kannauj	5
	27	Kanpur (City)	10
	28	Kanshiram Nagar (Kasganj)	5
	29	Kaushambi	5
	30	Meerut	5
	31	Mirzapur	5
	32	Raebareli	5

	33	Sambhal	5
	34	Varanasi	10
	35	Ayodhya	10
	36	Baghpat	5
	37	Mathura	5
	38	Muzzaffarnagar	5
	39	Lucknow	5
	40	Agra	5
	41	Aligarh	5
	42	Unnao	5
	43	Moradabad	5
	44	Pratapgarh	5
	45	Jhansi	5
	46	Gautam Budh Nagar	5
	47	Saharanpur	5
	48	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	5
	49	Shahjahnpur	5
		Sub Total 36 DGC	**200**
III.	**Bihar**		
	50	Begusarai	5
	51	Bhagalpur	5
	52	Bhojpur	5
	53	Buxar	5
	54	Darbhanga	5
	55	Katihar	5
	56	Khagaria	5
	57	Lakhisarai	5
	58	Munger	5
	59	Patna	10
	60	Samastipur	5
	61	Saran	5
	62	Vaishali	5
	63	Gaya	5
	64	Madhubani	5
	65	Motihari	5
	66	Muzzaffarpur	5
	67	Nalanda	5
	68	Aurangabad	5
		Sub Total 19 DGC	**100**

24939

214

IV.	Jharkhand		
	69	Bokaro	5
	70	Dhanbad	5
	71	Ramgarh	5
	72	Sahibganj	5
		Sub Total 4 DGC	**20**
V.	West Bengal		
	73	North 24 Parganas	5
	74	Hooghly	5
	75	Howrah	5
		Sub Total 3 DGC	**15**
	Grand Total	75 DGC	

24940

215

ADM/DC-I-Uttarkashi

Annexure-3

जी अशोक कुमार, भा.प्र.से
महानिदेशक
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

G Asok Kumar, IAS
DIRECTOR GENERAL
NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA

04/08/2022

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

D O No: - Estt.01/2016-17/111/NMCG

Dated: 3rd August, 2022

Dear DMs,

It is heartening to see that the monthly meetings of District Ganga Committees are being held on the 2nd Fridays of the months, since April, 2022. Paragraph 55 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and management) Authorities Order 2016 defines the scope of functions and powers of District Ganga Committee for rejuvenation, protection, restoration and rehabilitation of River Ganga and its tributaries in each specified District. This would include identifying activities which may be threats for protection of River Ganga & its tributaries, taking remedial action for the protection & take suitable administrativeand other measures so as to prevent the environmental pollution in River Ganga & its tributaries.

2. DGC meeting for the month of August 2022 should be held on 12.8.2022.

3. NMCG is supporting Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) for a project "Involvement of Youth in Namami Gange Programme" in 55 districts of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand & West Bengal. 55 District Project Officers are deployed in districts to ensure the proper implementation of theNamami Gange program and activities.

4. The District Magistrates and Chairperson of District Ganga Committee (DGCs) are requested to involve District Project Officers (DPOs) as a Special Invitee in future meeting of DGCs. I am enclosing a list of District Project Officers for your ready reference.

5. DGCs should also focus on development of Ghats and explore the ways and means of maintaining the ghats sustainably. A part of this, the ghats could beused as flea-market or *HAATs* for the local handicrafts and other artefacts.

6. It is also requested that the special activities under "Azadi Ka Amrit Mahotsav" to celebrate and commemorate 75 years of India's Independence be conducted from 15th August onwards. Please refer to the DO letter on "Har Ghar mein Tiranga" sent earlier.

With Regards

Your sincerely,

(G. Asok Kumar)

All District Magistrates and Chairperson, District Ganga Committee (Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal)

24941

216

Copy to :

i. District Forest Officer (DFO) and Member Convenor, District Ganga Committee (Uttarakhand, Uttar-Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal)

ii. Project Director, SMCG (Uttarakhand, Uttar-Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal)- With a request to coordinate with DGCs

iii. PS to Hon'ble Minister of Jal Shakti

iv. PPS to Secretary, Department of Water Resources, RD & GR, Ministry of Jal Shakti

(G. Asok Kumar)

217

Name of State	S. No	Name of District	Name and contact no. of the DPO	Contact no. of DPO
Uttarakhand	1	Chamoli	Devender Singh	9634497878
	2	Haridwar	Sayden Arya	9149245966
	3	Uttar Kashi	Uttam Singh	7830391308
Uttar Pradesh	4	Bijnaur	Mr. Pulkit Kumar Jagerwal	8755053571
	5	Meerut	Mr. Tushar Gupta	7906313001
	6	Bulandshahar	Mr. Amit Kumar Palahi	9456242690
	7	Muzaffarnagar		
	8	Kannauj	Mr. Ajay Kumar	9450009124
	9	Farrukhabad	Ms. Niharika Patel	9455220735
	10	Shahjahangpur	Mr. Vinay Saxena	9453102383
	11	Kanpur Nagar	Mr. Shashank Shukla	7905902163
	12	Unnao	Ms. Kiran Sonkar	7678275236
	13	Fatehpur	Gyan Tiwari	9807497842
	14	Raebareli	Mr. Sanjay Kumar	9445096014
	15	Pratapgarh	Mr. Shivam Yadav	9506800676
	16	Allahabad (Prayagraj)	Ms. Aesha Singh	85200284440
	17	Mirzapur	Mr. Kamal Kshirya	9565764884
	18	Varanasi	Ms. Aishwarya Mishra	7905939336
	19	Ghazipur	Mr. Brijesh Kumar Srivastava	9335475300
	20	Ballia	Mr. Satish Upadhyay	8948640111 9359430034
Bihar	21	Patna	Mr.Dipendra mani	9060613755
	22	Bhagalpur	Mr. Piyush Bajpai	9934633391
	23	Buxar	Sh. Shailesh Kumar Raj	9431853671
	24	Vaishali	Mr. Munesh Kumar	7070546868
	25	Munger	Mr. Salgram Prasad	9570676690/ 7808512724
West Bengal	26	Burdwan	Sh. Pritam Mukherjee	9732027832
	27	Murshidabad	Ms. Sahyali Jana	6297242729/ 9579977080
	28	Diamond Harbour	Mr. Sujit Bhandari	9637090097/ 9378033047
	29	Hooghly	Ms.Reema Samanta	8777756585/ 9163956169

Name of State	S. No	Name of District	Name and contact no. of the DPO	Contact no. of DPO
Uttarakhand	1	Rudraprayag	Ms. Abhilasha	8126558444
	2	Pauri Garhwal	Shiv Ajay Kumar	7895875062
	3	Tehri Garhwal	Shri Arun Uniyal	9759201884
	4	Dehradun	Shri Dheeraj Kothiar	6393089728
Uttar Pradesh	5	Amroha	Shri Sachin Chowdhary	8368690239
	6	Chandauli		
	7	Badaun	Sh. Anuj Pratap Singh	9675889843
	8	Hardoi	Shri Ashwani Kumar Mishra	9415007917
	9	Kaushambi		
	10	Moradabad	Shri Rahul Pandey	9810523583
	11	Shadohi		
Bihar	12	Saran	Nitish Kumar	8789905140
	13	Bhojpur	Amit kumar singh	7277254063
	14	Khagaria	Rajneesh Kumar	9006091204
	15	Katihar	Braj Mohan Prasad	8882158090
	16	Kaimur		
	17	Darbhanga	Farooque mam	7050483085
	18	Begusarai	Vipul kumar Singh	9304534670
	19	Lakhisarai	Abhishek Anad	8447457835
	20	Samastipur	Neerjosh kumar	9354771052/8171104052
West Bengal	21	Malda	Subrata Das	7501265532
	22	Nadia	Subrata Sarkar	7384689235
	23	Howrah	Shambhu Lal Choudhary	8910403204/03326374319
	24	North 24 PGN	Anupam Mandal	7001139640/9002129272
	25	Tamluk	Saubir Dutta	7384630330 / 8016163215
Jharkhand	26	Sahib Ganj	Ankit kumar Singh	6205787090

218

दिनांक– 14.10.2022 को सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 43वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1	प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्साधिकारी, टि0ग0
2	प्रतिनिधि, उ0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून
3	वरि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, ऋषिकेश
4	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश
5	सहायक अभियन्ता, उ0ज0सं0, ऋषिकेश
6	अधिशासी अभियन्ता, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती
7	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग
8	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर, चमियाला, लम्बगांव, घनसाली, टिहरी

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. **मुनिकीरेती क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–**

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई है, विगत बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में उक्त डी0पी0आर0 पर उच्च स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर आख्या प्रेषित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं।

2. **तपोवन क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–**

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहा सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
915	0	0	0	226	403	286	689

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋशिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक के बाद से 01 घरेलू तथा 04 अघरेलू भवनों को सीवर से जोड़ा गया है। अवशेष 226 भवनों के सीवर

संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 1108.81 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नग0अनु0 नमामि गंगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3. <u>देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–</u>

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-

Break-up of Balance Households

Sl. No.	Description	No. of Connections	Progress
1	By shifting Toilets	10	Land required from Revenue department.
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.

(a) अवशेष भवनों में बिन्दु सं0– 1 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्तारण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है।

(b) बिन्दु सं0– 2 में प्रदर्शित 05 भवनों में ए0टी0एम0 मशीन तथा दुकानें हैं जिनमें शौचालय की अवश्यकता नही है।

(c) बिन्दु सं0– 3 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी के सेप्टिक टैंक हैं जिन्हें सक्शन तकनीक से निस्तारित किया जा रहा है।

4. नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती, नगर पंचायत, देवप्रयाग तथा कीर्तिनगर द्वारा 24 बिन्दुओं की सूचना से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

Sl. No.	Activity/Head	Muni Ki Reti	Devprayag	Kirtinagar
1	Number of ghats	7	5	3
	Number of anti-littering signboards in the ghats	7	4	4
2	Encroachment on ghats	0	0	0
3	Number of Nalas draining into the Ganga	4	2	3
	Nalas in which Jali has been fixed	4	2	3
4	No. of challans for defecating in the open	0	34	40

	Fines realized (In Rs.)	0	39000	24,800
5	No. of raids to enforce plastic ban	210	193	63
	Fines realized (In Rs.)	105200	48900	27500
6	No. challans for littering	270	21	40
	Fines realized (In Rs.)	105890	20000	24,800
7	Distance of dumping ground from the river	1 km	300 m	3 km
	Currently used dumping ground is being used since	2005	2021-22	2018-2019
	Constitution of new dumping ground	DPR approved by Directorate. First installment of Rs. 64 Lakh Rupees received.	Tenders have been floated.	Construction wor has been started new dumping zon
8	No. of wards	11	4	4
9	No. of wards in which door to door collection of waste is on	11	4	4
10	User charges realized	71,74,360 Rs	2,23,694 Rs	2,15,300 Rs.
11	Status of segregation of waste at source	100 %	100 %	100 %
12	Solid waste generated per day	16.25 Tonnes	6 Qtl.	9 Qtl
13	Composting of waste in %	Composting being done. Rs. 120042 revenue from sale. Rs. 2292450 from sale of waste	65 % अब तक निकाय को कॉम्पैक्टर से 1,84,700 रू० की आय प्राप्त हुई है।	85 %
14	Inert waste generated	1-2 tonne per day	0	1.5 %
15	Untreated waste	2-3 tonne per day	6050 (Income from recyclable waste)	1.0 %
16	Status of compactors	1	1	1
17	Shredder	1	0	0
18	Conveyor belt for segregation	Available	0	0
19	Mechanical Composting machine	1	0	0
20	Construction and Demolition waste	No site identified yet	No site identified yet	No site identifie yet
21	Public toilets	15	8	24 toilets and 1 urinal
22	Sewer suction tanker	1	1	1
23	Septage mgmt. cell by-laws	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed
24	Slaughter houses/meat shops	0	0	1

5. नगरपालिका/नगरपंचायत मुनिकीरेती, देवप्रयाग तथा कीर्तिनगर द्वारा वर्ष 2021–22 में उनके क्षेत्रान्तर्गत अयोजित विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रमों तथा आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु प्रस्तावों के सापेक्ष आवंटित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र सभी नगरपालिका/नगरपंचायतों से प्राप्त हो गए हैं तथा सूचना संकलित कर उच्च स्तर को प्रेषित किए जाने की कार्यवाही गतिमान है।

6. प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जनपद स्थित सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों का यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण के सम्बन्ध में निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

क्र0	जनपद	सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति	गैर सरकारी चिकित्सालय को

सं0	स्थित कुल चिकित्सालय	निर्गमन की स्थिति	प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति
1	457	कुल चिकित्सालय– 417 सहमति/प्राधिकार निर्गत– 345 वैधता अवधि समाप्त– 70 लम्बित आवेदन– 02	कुल चिकित्सालय– 40 सहमति/प्राधिकार निर्गत– 38 वैधता अवधि समाप्त– 02

उक्त के सम्बन्ध में प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्साधिकारी, टि0ग0 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त लम्बित आवेदनों हेतु सभी संस्थानों से सम्पर्क किया जा रहा है तथा जनपद अन्तर्गत पशुचिकित्सालयों द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन किया जाना है जिसपर कार्यवाही गतिमान है।

7. सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत कृपया अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत कृपया सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के सम्बन्ध में जन–जागरूकता अभियानों का आयोजन समय–समय पर करें तथा अवैध कूड़ा निस्तारण आदि पर किए गए चालानों की सूचना प्रति माह 24 बिन्दुओं की सूचना के साथ अद्यतन करते हुए जिला गंगा समिति को सूचित करें।

अन्त में समस्त अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– ११४ / (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, २६-१/ २० /10/2022

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
3– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
4– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम/जल संस्थान, ऋषिकेश।
6– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी।
7– प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
8– सहायक अभियन्ता, पेयजल निगम, मुनिकीरेती।
9– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नई टिहरी।
10– जिला परियोजना अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

दिनांक– 25.06.2021 को प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 35वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
3696	1720	122	0	122	1581	53	1634

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सारिणी में शेष बचे 220 Households का सर्वे लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाया था जिसका पुनः सर्वे कराया जा रहा है। साथ ही 1720 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण कर डी0पी0आर0 तैयार कर प्रस्ताव प्राक्कलन (P-1) वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को भेजा गया है। इसके अलावा 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं।

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश कृपया कोविड–19 सम्बन्धी गाइडलाइन को दृष्टिगत रखते हुए सर्वे के कार्य को जल्द पूर्ण करने का प्रयास करें।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
871	226	0	5	5	380	260	640

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक के उपरान्त 03 घरेलू तथा 07 अघरेलू संस्थानों को सीवर से संयोजित किया गया है। 05 अघरेलू सीवर संयोजन नहीं हुए हैं उनके अपने सेप्टिक टैंक है। साथ ही 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा डी0पी0आर0 तैयार कर एस0पी0एम0जी0 को प्रेषित की गई है जिस पर वर्तमान में उच्च स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजन की स्थिति–

223

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत निम्न प्रकार सीवर संयोजनों की स्थिति स्पष्ट की गई है–

S. No.	Description	House Holds (HHs)	House Hold connected 10-02-2021	Balance House Holds (HHs)
1	Total House hold as per Nagar Palika records	609	425	184
	Break-up of Balance House Holds (HHs)			
2	Feasible for connectivity			
3	Through Gravity	380	380	-
4	Through Pumping	38	34	4 (इनमें शौचालय की आवश्यकता नहीं है)
5	Through Septage Management	112	1	111
6	By Shifting of Toilets	14	1 shifted	13 (3 घर खण्डहर है जिनमें शौचालय की आवश्यकता नहीं है)
	Sub Total	**544**	**416**	**128**
	Not Feasible for connectivity			
7	Building Abandoned	36		36 (इनमें शौचालय की आवश्यकता नहीं है)
8	Building : No Toilet	5		5 (इनमें शौचालय की आवश्यकता नहीं है)
9	Building : Under Flood plains	7	2	5
10	Building not identified			
10(a)	Building Abandoned	10		10 (इनमें शौचालय की आवश्यकता नहीं है)
10(b)	Building Identified	7	7	0
	Sub Total	65	9	56

उक्तानुसार परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा द्वारा देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजन की वस्तुस्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

a) बिन्दु सं0– 04 में प्रदर्शित 4 शेष घरों में से 1 दुकान है एवं 3 भू–स्वामियों द्वारा पलायन किया जा चुका है तथा इन सभी 04 घरों में शौचालय की आवश्यकता नहीं है।

b) बिन्दु सं0– 05 में प्रदर्शित 112 भवनों को सैप्टेज मैनेजमेन्ट प्लान के अन्तर्गत रखा गया है जिस हेतु नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में सक्शन वाहन क्षेत्रान्तर्गत उपलब्ध हो गया है तथा पूर्ण रूप से कार्यरत है।

c) बिन्दु सं0– 06 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनके सम्बन्ध में अधिशाशी अधिकारी, देवप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि 1 घर के शौचालय को स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा 10 भूस्वामी शौचालय स्थानान्तरित करने हेतु सहमत है जिस हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार को भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। शेष बचे 3 घर खण्डहर स्थिति में हैं जिनमें शौचालय की आवश्यकता नही है।

d) बिन्दु सं0– 07 में छोड़े जा चुके 36 घरों में सीवर संयोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण इन घरों में कोई निवासरत नहीं है।

e) बिन्दु सं0– 08 में प्रदर्शित 5 भवनों में से 3 दुकानें, एक भवन में ए0टी0एम0 मशीन तथा एक भवन में बस टिकट काउंटर स्थित है जिनमे शौचालय की आवश्यकता नहीं है।

224

24949

f) बिन्दु सं0– 9 में प्रदर्शित 05 भवन [illegible] Plains Zonation के अन्तर्गत रखा गया है, के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय गंगा समिति की वीडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक– 14.12.2020 को अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि ऐसे भवनों का उपचार **JOHKASOU technology** से किया जाए जिसके सम्बन्ध में के सम्बन्ध मे परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एव अनुरक्षण इकाई (गंगा), उ० पेयजल नि०, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त घरों के सर्वे की कार्यवाही के उपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि उक्त घरों का उपचार **JOHKASOU technology** के माध्यम से साध्य नहीं है।

g) बिन्दु सं0– 10 में प्रदर्शित 17 भवन जो identified नही थे उनका पुनः सर्वे किया गया तथा सर्वे के पश्चात यह पाया गया कि उक्त भवनों मे से 10 भवनों के भवनस्वामियों द्वारा देवप्रयाग से पलायन किए जाने के कारण छोड़ दिया गया है जिनमें सीवर संयोजन किया जाना सम्भव नहीं है। शेष 07 भवनों का सीवर संयोजना किया जा चुका है।

general Status of Other STPs.

4. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि देवप्रयाग स्थित 75 MLD एस0टी0पी0 के 270 मी0 का स्ट्रेच माह मई में बादल फटने के कारण आई आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है जिसकी मरम्मत हेतु 46.98 लाख रू0 का प्राक्कलन तैयार कर पत्रांक– 468 / प्रा / 18, दिनांक– 08.06.2021 को उच्च स्तर को प्रेषित कर दिया गया है।

5. पूर्व बैठकों मे जिलाधिकारी महोदया / अध्यक्षा, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सभी उपजिलाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि नगरपालिका परिषदों द्वारा गंगा समिति को दी जाने वाली सूचनाओं की पुष्टि हेतु समय–समय पैर अपने–अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगे तथा साथ ही क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन तथा सोर्स सेग्रिगेशन के कार्यों का निरीक्षण कर आख्या जिला गंगा समिति को प्रेषित करेंगे।

6. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा जनपद स्थित सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों का विवरण तथा यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण की स्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

क्र0 सं0	जनपद स्थित कुल चिकित्सालय	सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार / सहमति निर्गमन की स्थिति	गैर सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार / सहमति निर्गमन की स्थिति	लम्बित प्रकरणों की स्थिति
1	379	कुल चिकित्सालय– 350 सहमति / प्राधिकार निर्गत– 260 आवेदन प्राप्त– 89 01 महिला चिकित्सालय नैनबाग द्वारा आवेदन नही किया गया है।	कुल चिकित्सालय– 29 सहमति / प्राधिकार निर्गत– 26 03 प्रकरण विचाराधीन है।	89 सरकारी चिकित्सालयों (पशु चिकित्सालय / आयुष चिकित्सालय) के द्वारा प्राधिकार / सहमति आवेदन किया गया है।

7. सभी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद कृपया आपके द्वारा भेजी जाने वाली 24 बिन्दुओं की सूचना को अद्यतन करें तथा समय समय पर नाला आदि की साफ–सफाई करवाकर फोटोग्राफ सहित सूचना जिला गंगा समिति को प्रेषित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग /
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

24950

225

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 79 /21-6 (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 07/ जुलाई, 2021

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदया/अध्यक्षा, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
4– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा) ऋशिके ।
6– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
7– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋशिके /देवप्रयाग।
8– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
9– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
10– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

24951

दिनांक– 28.08.2021 को जिलाधिकारी/अध्यक्षा, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 36वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सारिणी में शेष बचे 788 Households का सर्वे का कार्य किया जा रहा है। साथ ही 1720 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण कर डी0पी0आर0 तैयार कर मु0– 476.90 लाख का प्रस्ताव प्राक्कलन (P-1) वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पत्रांक– 291/नग0अनु0 नमामि गंगे/32, दिनांक– 07.06.2021 से उच्च स्तर को भेजा गया है। इसके अलावा 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं।

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश कृपया कोविड–19 सम्बन्धी गाइडलाइन को दृष्टिगत रखते हुए सर्वे के कार्य को जल्द पूर्ण करने का प्रयास करें।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
877	0	5	5	226	383	263	646

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक के उपरान्त 03 घरेलू तथा 03 अघरेलू संस्थानों को सीवर से संयोजित किया गया है। 05 अघरेलू सीवर संयोजन नहीं हुए हैं उनके अपने सेप्टिक टैंक हैं तथा इनसे कोई भी अपशिष्ट गंगा नदी में नहीं जा रहा है।

साथ ही 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 1108.81 लाख रू0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नग0अनु0 नमामि गंगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3. देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू **Households** संयोजनों की स्थिति–

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

S. No.	Description	Total House holds (HHs)	House Hold connected	Connectivity not required	Balance House Holds (HHs)
1	Total House Holds as per Nagar Palika records	609	425	58	126
2	**Building Abandoned (Out of 609 HHs)**	46	-	46 ✓	-
Break-up of Balance House Holds (HHs)					
Feasible of connectivity					
3	Through Gravity	387	387	-	-
4	Through Pumping	38	34	4	-
5	Through Septage Management	112	1	-	111 (सक्शन वाहनों द्वारा अपशिष्ट के निस्तारण का कार्य किया जा रहा है)
Sub Total (A)		**537**	**422**	4 ✓	**111**
6	By Shifting of toilets	14	1	3	10
7	Building: No Toilet	5 ✓	-	5	-
8	Building: under Flood Plains	7	2	-	5
Sub Total (B)		**26**	**3**	8 ✓	**15**
Grand Total (A+B+ HHs from S. No. 2 (Building Abandoned))		**609**	**425**	**58**	**126**

उक्तानुसार परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा द्वारा देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजन की वस्तुस्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

(a) बिन्दु सं0– 05 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्ताराण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त घरों के सीवर संयोजन हेतु मु0– 2.12 करोड़ रू0 लागत का प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है।

(b) बिन्दु सं0– 06 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी शौचालय स्थानान्तरित करने हेतु सहमत है जिस हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार को भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

228

उक्त के अतिरिक्त बिन्दु संख्या– 08 में प्रदर्शित शेष 05 भवन जिन्हें Flood plains Zonation के अन्तर्गत रखा गया है, के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय गंगा समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक– 14.12.2020 को अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि ऐसे भवनों का उपचार **JOHKASOU technology** से किया जाए जिसके सम्बन्ध में के सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एंव अनुरक्षण इकाई (गंगा), उ० पेयजल नि०, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त घरों के सर्वे की कार्यवाही के उपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि उक्त घरों का उपचार **JOHKASOU technology** के माध्यम से साध्य नहीं है।

4. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि देवप्रयाग स्थित 75 MLD एस०टी०पी० के 270 मी० का स्ट्रेच माह मई में बादल फटने के कारण आई आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है जिसकी मरम्मत हेतु 46.98 लाख रू० का प्राक्कलन तैयार कर पत्रांक– 468/प्रा/18, दिनांक– 08.06.2021 को उच्च स्तर को प्रेषित कर दिया गया है।

5. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा जनपद स्थित सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों का विवरण तथा यू०ई०पी०पी०सी०बी० के साथ पंजीकरण की स्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

क्र० सं०	जनपद स्थित कुल चिकित्सालय	सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति	गैर सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति	लम्बित प्रकरणों की स्थिति
1	398	कुल चिकित्सालय– 369 सहमति निर्गत– 59, वैधता समाप्त– 31.03.2021 प्राधिकार निर्गत– 201 (One time) प्राप्त आवेदनों की संख्या– 103 आवेदन न करने वाले चिकित्सालयों की संख्या– 06+59 (वैधता तिथि समाप्त)= 65	कुल चिकित्सालय– 29 सहमति निर्गत– 02, वैधता समाप्त– 31.03.2021 प्राधिकार निर्गत– 25 (One time) प्राप्त आवेदनों की संख्या–2	103 सरकारी चिकित्सालयों (पशु चिकित्सालय/आयूष चिकित्सालय) के द्वारा प्राधिकार/सहमति आवेदन किया गया है।

प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्तानुसार लम्बित प्रकरणों हेतु प्राधिकार निर्गत करने की कार्यवाही आगामी 1 माह में पूर्ण कर ली जाएगी तथा जिन संस्थानों द्वारा प्राधिकार हेतु आवेदन नहीं किया गया है व जिनके प्राधिकार की वैधता तिथि समाप्त हो चुकी है उन्हें दूरभाष के माध्यम से भी आवेदन किए जाने हेतु अवगत कराया जा रहा है।

6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद कृपया अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रेषित की जाने वाली 24 बिन्दुओं की सूचना को अद्यतन करें तथा समय समय पर नाला आदि की साफ–सफाई करवाकर फोटोग्राफ सहित सूचना जिला गंगा समिति को प्रेषित करें।

7. जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल, हेतु वर्ष 2021–22 में गंगा के पुनर्जीवन की कार्ययोजना एवं बजटीय आवश्यकता हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय के पत्रांक– 44/21–47 (2019–20), दिनांक– 28.08.2021 से एस०पी०एम०जी० को प्रेषित किया गया है जिसमें कोटी कॉलोनी के समीप इलैक्ट्रिक घाट निर्माण का प्रस्ताव भी सम्मिलित किया गया है। इस हेतु नगरपालिका परिषद, टिहरी द्वारा प्रेषित मु०– 66.19 लाख

लागत के सम्पूर्ण प्रस्ताव को प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग कार्यालय के पत्रांक– 709/3–2, दिनांक– 04.09.2021 से एस0पी0एम0जी0 को प्रेषित कर दिया गया है।

8. 'आजादी के अमृत महोत्सव' कार्यक्रम के सम्बन्ध में सभी अधिशासी अधिकारी कृपया अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत आयोजित किए गए कार्यक्रमों की सूचना मय फोटोग्राफ्स दिनांक– 18.09.2021 तक जिला गंगा समिति को प्रेषित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को भी प्रेषित करें ताकि सूचना संकलित कर ससमय उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 411 – रव /3-2 (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 12, सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदया/अध्यक्षा, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
4– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश।
6– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
7– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
8– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
9– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
10– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

230

दिनांक– 01.11.2021 को प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 37वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सारिणी में शेष बचे 788 Households का सर्वे का कार्य किया जा रहा है जिसकी डी0पी0आर0 माह नवम्बर 2021 तक तैयार कर ली जाएगी। साथ ही 1720 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण कर डी0पी0आर0 तैयार कर मु0– 476.90 लाख का प्रस्ताव प्राक्कलन (P-1) वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पत्रांक– 291/नग0अनु0 नमामि गंगे/32, दिनांक– 07.06.2021 से उच्च स्तर को भेजा गया है। इसके अलावा 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
881	0	4	4	226	386	265	651

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक के उपरान्त 03 घरेलू तथा 02 अघरेलू संस्थानों को सीवर से संयोजित किया गया है। 04 अघरेलू सीवर संयोजन नहीं हुए हैं उनके अपने सेप्टिक टैंक हैं तथा इनसे कोई भी अपशिष्ट गंगा नदी में नहीं जा रहा है।

साथ ही 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 1108.81 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्राक– 40/नग0अनु0 नमामि गंगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3. देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू **Households** संयोजनों की स्थिति–

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

S. No.	Description	Total House holds (HHs)	House Hold connected	Connectivity not required	Balance House Holds (HHs)
1	Total House Holds as per Nagar Palika records	609	425	58	126
2	**Building Abandoned (Out of 609 HHs)**	**46**	-	**46**	-
Break-up of Balance House Holds (HHs)					
Feasible of connectivity					
3	Through Gravity	387	387	-	-
4	Through Pumping	38	34	4	-
5	Through Septage Management	112	1	-	111 (सक्शन वाहनों द्वारा अपशिष्ट के निस्तारण का कार्य किया जा रहा है)
Sub Total (A)		**537**	**422**	**4**	**111**
6	By Shifting of toilets	14	1	3	10
7	Building: No Toilet	5	-	5	-
8	Building: under Flood Plains	7	2	-	5
Sub Total (B)		**26**	**3**	**8**	**15**
Grand Total {A+B+ HHs from S. No. 2 (Building Abandoned)}		**609**	**425**	**58**	**126**

उक्तानुसार परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा द्वारा देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजन की वस्तुस्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

(a) बिन्दु सं0– 05 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्तारण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त घरों के सीवर संयोजन हेतु मु0– 2.12 करोड़ रु0 लागत का प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है।

(b) बिन्दु सं0– 06 में प्रदर्शित जि[illegible] शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी शौचालय स्थानान्तरित करने हेतु सहमत है जिस हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार को भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग के अनुसार उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रश्नगत क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नही है जिस कारण उक्त घरों से उपार्जित अपशिष्ट के निस्तारण हेतु अन्य विकल्प विचारणीय है।

उक्त के अतिरिक्त बिन्दु संख्या– 08 में प्रदर्शित शेष 05 भवन जिन्हें Flood plains Zonation के अन्तर्गत रखा गया है, के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय गंगा समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक– 14.12.2020 को अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि ऐसे भवनों का उपचार **JOHKASOU technology** से किया जाए जिसके सम्बन्ध में के सम्बन्ध मे परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एंव अनुरक्षण इकाई (गंगा), उ० पेयजल नि०, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त घरों के सर्वे की कार्यवाही के उपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि उक्त घरों का उपचार **JOHKASOU technology** के माध्यम से साध्य नहीं है।

4. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि देवप्रयाग स्थित 75 MLD एस0टी0पी0 के 270 मी0 का स्ट्रेच माह मई में बादल फटने के कारण आई आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया थी जिसकी मरम्मत हेतु 46.98 लाख रू0 का प्राक्कलन तैयार कर पत्रांक– 468/प्रा/18, दिनांक– 08.06.2021 को उच्च स्तर को प्रेषित है। इसी क्रम में परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि एन0एम0सी0जी0 द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त सीवर लाइन का निरीक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

5. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा जनपद स्थित सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों का विवरण तथा यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण की स्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

क्र0 सं0	जनपद स्थित कुल चिकित्सालय	सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति	गैर सरकारी चिकितसालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति	आवेदन न करने वाले चिकित्सालयों की अद्यतन स्थिति
1	410	कुल चिकित्सालय– 381 सहमति/प्राधिकार निर्गत– 365 प्रकरण विचाराधीन– 15 01 महिला चिकित्सालय द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।	कुल चिकित्सालय– 29 सहमति/प्राधिकार निर्गत– 28 01 प्रकरण विचाराधीन है।	01 गैर सरकारी चिकित्सालय द्वारा प्राधिकार हेतु आवेदन नही किया गया है। 15 सरकारी चिकित्सालयों द्वारा प्राधिकार हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

24958

6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद कृपया अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रेषित की जाने वाली 24 बिन्दुओं की सूचना को अद्यतन करें तथा समय समय पर नाला आदि की साफ–सफाई करवाकर फोटोग्राफ सहित सूचना जिला गंगा समिति को प्रेषित करें।

7. 'आजादी के अमृत महोत्सव' कार्यक्रम के सम्बन्ध में सभी अधिशासी अधिकारी कृपया अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 01 से 03.11.2021 तक आयोजित कार्यक्रमों की सूचना प्रतिदिन मय फोटाग्राफ Whatsapp के माध्यम से जिला गंगा समिति को प्रेषित करें तथा एक प्रति प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को भी प्रेषित करें ताकि सूचना संकलित कर भारत सरकार की वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु ससमय उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 1287 /351 (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 24/11/2021

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदया/अध्यक्षा, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
4– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋशिके 1।
6– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
7– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋशिके 1/देवप्रयाग।
8– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
9– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
10– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

234

दिनांक– 23.04.2022 को जिलाधिकारी/अध्यक्षा, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 38वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक है			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋिशिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि 2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक है			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
897	0	5	5	226	394	272	666

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋिशिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 1108.81 लाख रु0 की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नग0अनु0 नमामि गंगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3. देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू **Households** संयोजनों की स्थिति–

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

S. No.	Description	Total House holds (HHs)	House Hold connected	Connectivity not required	Balance House Holds (HHs)
1	Total House Holds as per Nagar Palika	609	425	58	126

	records				
2	**Building Abandoned (Out of 609 HHs)**	**46**	-	**46**	-
Break-up of Balance House Holds (HHs)					
Feasible of connectivity					
3	Through Gravity	387	387	-	-
4	Through Pumping	38	34	4	-
5	Through Septage Management	112	1	-	111 (सक्शन वाहनों द्वारा अपशिष्ट के निस्तारण का कार्य किया जा रहा है)
Sub Total (A)		**537**	**422**	**4**	**111**
6	By Shifting of toilets	14	1	3	10
7	Building: No Toilet	5	-	5	-
8	Building: under Flood Plains	7	2	-	5
Sub Total (B)		**26**	**3**	**8**	**15**
Grand Total [A+B+ HHs from S. No. 2 (Building Abandoned)]		**609**	**425**	**58**	**126**

उक्तानुसार परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा द्वारा देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजन की वस्तुस्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

(a) बिन्दु सं0– 05 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्तारण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त घरों के सीवर संयोजन हेतु रु0– 2.12 करोड़ रु0 लागत का प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है।

(b) बिन्दु सं0– 06 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी शौचालय स्थानान्तरित करने हेतु सहमत है जिस हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार को भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग के अनुसार उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रश्नगत क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नहीं है जिस कारण उक्त घरों से उपार्जित अपशिष्ट के निस्तारण हेतु अन्य विकल्प विचारणीय है।

उक्त के अतिरिक्त बिन्दु संख्या– 08 में प्रदर्शित शेष 05 भवन जिन्हें Flood plains Zonation के अन्तर्गत रखा गया है, के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय गंगा समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक– 14.12.2020 को अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि ऐसे भवनों का उपचार **JOHKASOU technology** से किया जाए जिसके सम्बन्ध में के सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एंव अनुरक्षण इकाई (गंगा), उ० पेयजल नि०, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त घरों के सर्वे की कार्यवाही के उपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि उक्त घरों का उपचार **JOHKASOU technology** के माध्यम से साध्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदया द्वारा परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल को निर्देशित किया गया कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, देवप्रयाग के

साथ वार्ता कर उक्त 05 भवनों के अपशिष्ट [illegible] हेतु अन्य विकल्प के सम्बन्ध में योजना तैयार करें तथा आगामी बैठक में सूचना प्रस्तुत करें।

4. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि देवप्रयाग स्थित 75 MLD एस0टी0पी0 के 270 मी0 का स्ट्रेच माह मई में बादल फटने के कारण आई आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया थी जिसकी मरम्मत हेतु 46.98 लाख रू0 का प्राक्कलन तैयार कर पत्रांक– 468/प्रा/18, दिनांक– 08.06.2021 को उच्च स्तर को प्रेषित है। इसी क्रम में परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि एन0एम0सी0जी0 द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त सीवर लाइन का निरीक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त मरम्मत कार्य हेतु वर्तमान तक उच्च स्तर से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

5. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, टिहरी द्वारा पालिका क्षेत्रान्तर्गत कोटी कॉलोनी के समीप इलैक्ट्रिक घाट के निर्माण हेतु तैयार किए गए मु0– 66.19 लाख रू0 लागत के प्रस्ताव को प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय, टिहरी वन प्रभाग के पत्रांक– 703/3–2, दिनांक– 04.09.2021 से एस0पी0एम0जी0 को प्रेषित किया गया था जिसमें वर्तमान तक धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदया द्वारा उक्त के सम्बन्ध में एस0पी0एम0जी0 को पत्र प्रेषित किए जाने हेतु सम्बन्धित शाखा प्रभारी, जिला कार्यालय को निर्देशित किया गया।

6. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा जनपद स्थित सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों का विवरण तथा यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण की स्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

क्र0 सं0	जनपद स्थित कुल चिकित्सालय	सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति	गैर सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति
1	437	कुल चिकित्सालय– 405 सहमति निर्गत– 95 वैधता अवधि समाप्त– 19 प्राधिकार निर्गत– 307 (One Time) लम्बित आवेदन– 02 आवेदन न करने वाले चिकित्सालयों की संख्या– 01	कुल चिकित्सालय– 32 सहमति निर्गत– 02 प्राधिकार निर्गत– 29 (One Time) लम्बित आवेदन सं0– 01

7. नगरपालिका परिषद् मुनिकीरेती, नगर पंचायत, देवप्रयाग तथा कीर्तिनगर द्वारा 24 बिन्दुओं की सूचना से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

Sl. No.	Activity/Head	Muni Ki Reti	Devprayag	Kirtinagar
1	Number of ghats	8	4	3
	Number of anti-littering signboards in the ghats	8	4	4
2	Encroachment on ghats	0	0	0
3	Number of Nalas draining into the Ganga	4	2	3
	Nalas in which Jali has been fixed	4	2	3
4	No. of challans for defecating in the open	0	-	38
	Fines realized (In Rs.)	0	-	24,200
5	No. of raids to enforce plastic ban	154	12	42
	Fines realized (In Rs.)	75700	2400	22200

6	No. challans for littering	224	-	40
	Fines realized (in Rs.)	65,890	-	24,800
7	Distance of dumping ground from the river	1 km	300 m	3 km
	Currently used dumping ground is being used since	2005	2017-2018	2018-2019
	Constitution of new dumping ground	DPR approved by Directorate. First installment of Rs. 64 Lakh Rupees received.	निर्माण कार्य शासन से खेल अपरिषद हेतु धनराशि प्राप्त हो चुकी है जिसमे मु0- 21.39 लाख का कार्य किया गया है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।	Construction work has been started in new dumping zone
8	No. of wards	11	4	4
9	No. of wards in which door to door collection of waste is on	11	4	4
10	User charges realized	132790 Rs in FY 2021-2022	46430 Rs. In FY 2021 - 2022	28,000 Rs. In FY 2021 - 2022
11	Status of segregation of waste at source	100 %	100 %	40 %
12	Solid waste generated per day	10 – 12 Tonnes	500 kg	9 Qtl
13	Composting of waste in %	Composting being done. Rs. 120042 revenue from sale. Rs. 2232450 from sale of waste.	65 %	70 %
14	Inert waste generated	1-2 tonne per day	50 %	30%
15	Untreated waste	2-3 tonne per day	50 %	30 %
16	Status of compactors	1	1	0
17	Shredder	1	0	0
18	Conveyor belt for segregation	Available	0	0
19	Mechanical Composting machine	1	0	0
20	Construction and Demolition waste	No site identified yet	No site identified yet	No site identified yet
21	Public toilets	15	8	6
22	Sewer suction tanker	1	0	1
23	Septage mgmt. cell by-laws	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed
24	Slaughter houses/meat shops	0	0	1

उक्तनुसार नगर पंचायत देवप्रयाग तथा कीर्तिनगर द्वारा प्रेषित सूचना में प्लास्टिक बैन, खुले में कूड़ा फेंकने पर किए गए चालानों तथा सोर्स सेग्रिगेशन आदि जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रेषित सूचना में शिथिलता देखे जाने पर अध्यक्ष महोदया द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, देवप्रयाग तथा कीर्तिनगर को निर्देशित किया गया कि दोनों नगर पंचायतों द्वारा भेजी गई सूचना को अद्यतन करें तथा प्लास्टिक बैन तथा कूड़ा फेंकने सम्बन्धी छापों में वृद्धि करें, इस हेतु नगरपालिका मुनिकीरेती में भी क्षेत्र भ्रमण करें तथा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद से समन्वय स्थापित करें। आगामी बैठक में प्रगति सूचना के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

8. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती द्वारा अवगत कराया गया कि नगरपालिका अन्तर्गत स्थित घाट में Changing Room बनवाए जाने की आवश्कता है।

238

अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत को निर्देशित किया गया कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इस प्रकार के आवश्यक कार्यों/निर्माण कार्यों हेतु मांग प्रस्ताव तैयार कर जिला गंगा समिति को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि समयान्तर्गत उच्च स्तर से धनराशि की मांग की जा सके।

अनुमोदित

जिलाधिकारी/अध्यक्षा,
जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 3669 / (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 23 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदया/अध्यक्षा, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेगी रोड डालनवाला, देहरादून।
4– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश ।
5– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
6– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
7– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
8– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

24964

DISTRICT GANGA COMMITTEE, TEHRI GARHWAL DISTRICT

239

Number of meetings of the District Ganga committee held till date: **37 (last was on 01/11/2021)**

Ganga priority towns falling in the District: **3 (Muni Ki Reti, Devprayag and Tapovan)**

1 – I&D and STP works

Status of laying of sewer lines:

Location	Length of sewer line laid (as reported by jal nigam)	Status of approval	Sewer line already laid	Remarks
Muni Ki Reti	3.872 Km laid	Approved	3.872 Km laid	Raising main
Tapovan	11.05 Km laid (6.5 Km length proposed in the estimate for 220 connections)	Approved	11.05 Km	Estimate of Rs. 925.84 for 226 HH (6.5 Km) connections has been proposed and estimate sent to SPMG.
Devprayag	5.361 Km laid	Approved	5.361 Km laid	Sewer line/Rising main

Sl. NO.	Name of work	Quantity/ Units	% of work completed	Quantum of Sewage received	Expected date of completion	Remarks
1	Muni Ki Reti (Being constructed by Peyjal Nigam Rishikesh Div)					
	7.50 MLD STP at Dhalwala (Chandreshwar Nagar)	1	98 %	0	Completed	Operational
	5 MLD STP at Chorgani	1	98 %	0	Completed	Operational
2	Tapovan (Maintained by UK Jal sansthan, Haridwar Division)					
	3.50 MLD STP	1	Completed	1.08 MLD (currently receiving about 0.65 MLD on account of the Lockdown)	Completed	Online monitoring system is operational. Treated water is released into the Ganga. Sludge is sent to Lakargad STP for dumping and part of it is distributed to locals free of cost and part if also used for gardening at site of STP.
3	Devprayag (Maintained by UK Peyjal Nigam, Srinagar)					
	75 KLD STP	1	Completed	10 KLD	Completed	Nonfunctional since 11th may 2021 because of breakdown of 270 meter stretch of the line. Estimate of Rs. 46.98 lac has been sent. (Funds awaited)
	150 KLD STP	1	Completed	130 KLD	Completed	No SCADA. Very little sludge

240

						generated and used onsite in gardening. Treated water is discharged into the Bhagirathi river
	1.4 MLD	1	Completed	0.04	completed	With SCADA. Very little sludge generated and used onsite. Treated water is discharge into the Ganga.
4	Kirtinagar (Maintained by UK Peyjal Nigam, Srinagar)					
	50 KLD STP	1	Completed	40 KLD	Completed	No SCADA. Treated water discharged into the Alaknanda. Very little sludge generated and used onsite.
	10 KLD STP	1	Completed	10 KLD	Completed	No SCADA. Treated water discharged into the Alaknanda. Very little sludge generated and used onsite.

Status of I&D works and STP works:

*In all operational STPs, water sample from point of discharge and 500 m upstream and downstream are collected every 15 days and quality testing and reports are being submitted to the committee.

*Solid waste from Tapovan and Muni Ki Reti are disposed off at the solid waste disposal plant run by the Clean Himalaya Society at Muni Ki Reti

NOTE: All STPs have obtained Consent to establish and operate from the UEPPCB.

2. Information related to house connections:

Sl. NO.	Location	Houses viable to be connected			Households connected			Households unconnected			Remarks
		Houses	Hotels/ guest houses	Total	Houses	Hotels/ guest houses	Total	Houses	Hotels/ guest houses	Total	
1	Muni Ki Reti	4738	53	4791	2108	53	2161	2630	0	2630	Out of 2630 unconnected households 122 Households have their own septic tanks. Survey of 788 households is in progress, payjal nigam sent P-1 for rest of 1720 households.
2	Tapovan	653	239	897	394	272	666	0	0	0	SPR of Rs. 1108.81 for rest 226 HH (6.5 Km) connections has been sent to SPMG.

3. Devprayag-

241

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

S. No.	Description	Total House holds (HHs)	House Hold connected	Connectivity not required	Balance House Holds (HHs)
1	Total House Holds as per Nagar Palika records	609	425	58	126
2	**Building Abandoned (Out of 609 HHs)**	**46**	-	**46**	-
Break-up of Balance House Holds (HHs)					
Feasible of connectivity					
3	Through Gravity	387	387	-	-
4	Through Pumping	38	34	4	-
5	Through Septage Management	112	1	-	111 (सक्शन वाहनों द्वारा अपशिष्ट के निस्तारण का कार्य किया जा रहा है)
Sub Total (A)		**537**	**422**	**4**	**111**
6	By Shifting of toilets	14	1	3	10
7	Building: No Toilet	5	-	5	-
8	Building: under Flood Plains	7	2	-	5
Sub Total (B)		**26**	**3**	**8**	**15**
Grand Total [A+B+ HHs from S. No. 2 (Building Abandoned)]		**609**	**425**	**58**	**126**

उक्तानुसार परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा द्वारा देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजन की वस्तुस्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

(a) बिन्दु सं०– 05 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्तारण सक्शन वाहन द्वारा किया जा रहा है। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त घरों के सीवर संयोजन हेतु मु0– 2.12 करोड़ रु0 लागत का प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है।

(b) बिन्दु सं०– 06 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी शौचालय स्थानान्तरित करने हेतु सहमत है जिस हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार को भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त बिन्दु संख्या– 08 में प्रदर्शित शेष 05 भवन जिन्हें Flood plains Zonation के अन्तर्गत रखा गया है, के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय गंगा समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक– 14.12.2020 को अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि ऐसे भवनों का उपचार **JOHKASOU technology** से किया जाए जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उ० पेयजल नि०, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त घरों के सर्वे की कार्यवाही के उपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि उक्त घरों का उपचार **JOHKASOU technology** के माध्यम से साध्य नहीं है।

242

3. Status of Tapping of drains:

Sl. NO	Location	Total number of Nalas	Number of nalas tapped	Number of nalas untapped	Remarks
1	Muni Ki Reti (Maintained by Jal sansthan, Rishikesh)	13	13	0	
2	Tapovan (Maintained by Jal sansthan, Rishikesh)	7	5	0	2 Nalas are seasonal monsoon nalas and do not require intervention
3	Devprayag (1 nala maintained by Jal sansthan, Devprayag and rest 3 nalas maintained by UK Peyjal, Srinagar)	4	4	0	
4	Kirtinagar (Maintained by UK Peyjal Srinagar)	3	3	0	

4 – River front development (Construction of ghats and crematoria)

- Construction of Bathing Ghat and Cremation Ghat at Koteshwar have been completed and have been handed over to Nagar Pallika Tehri.
- Proposal for Rs. 66.19 Lakh for the construction of electric crematoria near Koti colony in Tehri municipality has been sent from the letter no. 703/3-2, 04-09-2021 of the divisional forest office, Tehri Forest Division, New Tehri.
- Regarding construction of one crematoria at Munikireti, the DPR for Poornanand cremation ghat was prepared by irrigation department and the same has already submitted to NMCG wide SPMG letter no. 502/SPMG/Namami Gange/EFD dated 26-06-2019.

5 – Forestry Intervention (In Ha)

(In Hectares)

Landscape intervention	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020-21	2021-22	Total
Plantations (In Ha)	0	325	567	595	295	701	2483
SMC (In Ha)	80	45	80	0	0	325	530
Agril. Landscape (In Ha)	80 (12000)	110 (16500)	40 (6000)	50 (7500)	20 (3000)	20 (3000)	320 (48000)

- As per GoI approved DPR, a Ganga Vatika was established at Rishikesh.
- Plantation in 2019-2020 includes 128 Ha done in 11 Ganga Gram villages on the banks of the River Ganga.

6 - Status of solid waste management in 15 priority towns located along the Ganga by Urban Development Department (UDD)

24968

243

Sl. No.	Activity/Head	Muni Ki Reti	Devprayag	Kirtinagar
1	Number of ghats	8	4	3
	Number of anti-littering signboards in the ghats	8	4	4
2	Encroachment on ghats	0	0	0
3	Number of Nalas draining into the Ganga	4	2	3
	Nalas in which Jali has been fixed	4	2	3
4	No. of challans for defecating in the open	0	-	38
	Fines realized (in Rs.)	0	-	24,200
5	No. of raids to enforce plastic ban	154	12	42
	Fines realized (in Rs.)	75700	2400	22200
6	No. challans for littering	224	-	40
	Fines realized (in Rs.)	65,890	-	24,800
7	Distance of dumping ground from the river	1 km	300 m	3 km
	Currently used dumping ground is being used since	2005	2017-2018	2018-2019
	Constitution of new dumping ground	DPR approved by Directorate. First installment of Rs. 64 Lakh Rupees received.	निकाय के संज्ञान से ठोस अपशिष्ट हेतु धनराशि प्राप्त हो चुकी है जिसमें रू0- 21. 00 लाख का कार्य किया गया है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।	Construction work has been started in new dumping zone
8	No. of wards	11	4	4
9	No. of wards in which door to door collection of waste is on	11	4	4
10	User charges realized	132790 Rs in FY 2021-2022	46430 Rs. In FY 2021 - 2022	28, 000 Rs. In FY 2021 - 2022
11	Status of segregation of waste at source	100 %	100 %	40 %
12	Solid waste generated per day	10 – 12 Tonnes	500 kg	9 Qtl
13	Composting of waste in %	Composting being done. Rs. 120042 revenue from sale. Rs. 2232450 from sale of waste.	65 %	70 %
14	Inert waste generated	1-2 tonne per day	50 %	30%

15	Untreated waste	2-3 tonne per day	50 %	30 %
16	Status of compactors	1	0	0
17	Shredder	1	0	0
18	Conveyor belt for segregation	Available	0	0
19	Mechanical Composting machine	1	0	0
20	Construction and Demolition waste	No site identified yet	No site identified yet	No site identified yet
21	Public toilets	15	8	6
22	Sewer suction tanker	1	0	1
23	Septage mgmt. cell by-laws	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed
24	Slaughter houses/meat shops	0	0	1

7 – वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण अनुभाग के पत्र संख्या– 1829/ii-2-2020-06(15) 2020, दिनांक– 28.09.2020 द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना को एन0आई0सी0 टिहरी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है तथा दिनांक– 24.10.2020 के राष्ट्रीय समाचार पत्र पर अमर उजाला और क्षेत्रीय समाचार पत्र नव भारत टाइम्स में भी प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिसूचना में सूचना प्रकाशित किए जाने के 60 दिवस (दिनांक– 23.12.2020) के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्र प्राधिकारी, टिहरी गढ़वाल के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर लिखित रूप में दिए जाने एवं उन पर सम्यक् रूप से विचार–विमर्श किए जाने के पश्चात प्रतिरिद्धि या निर्बन्धित करने की घोषणा की अन्तिम अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही की जाएगी।

8 – जनपद स्थित सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों का विवरण–

क्र0 सं0	जनपद स्थित कुल चिकित्सालय	सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति	गैर सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार/सहमति निर्गमन की स्थिति
1	437	कुल चिकित्सालय– 405 सहमति निर्गत– 95 वैधता अवधि समाप्त– 19 प्राधिकार निर्गत– 307 (One Time) लम्बित आवेदन– 02 आवेदन न करने वाले चिकित्सालयों की संख्या– 01	कुल चिकित्सालय– 32 सहमति निर्गत– 02 प्राधिकार निर्गत– 29 (One Time) लम्बित आवेदन सं0– 01

दिनांक– 13.05.2022 को मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 39वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1	श्री वी0के0 सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल
2	डॉ संजय जैन, मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल
3	श्री धर्मेन्द्र प्रसाद, परि0 अभियन्ता, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, ऋषिकेश
4	श्री वी0के0 रतूरी, परि0 प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, श्रीनगर
5	श्री रविन्द्र गंगारी, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश
6	श्री हरीश बंसल, सहायक नियन्ता, उ0ज0सं0, ऋषिकेश
7	श्री तनवीर सिंह, अधिशासी अभियन्ता, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती
8	श्री रोशन पुण्डीर, अधिशासी अभियन्ता, नगर पंचायत, कीर्तिनगर
9	श्री रघुवीर राय, अधिशासी अभियन्ता, नगर पंचायत, देवप्रयाग
10	श्री रविन्द्र पुण्डीर, प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

सर्वप्रथम जिला गंगा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों / परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन / परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
4791	122	0	122	2630	2108	53	2161

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि 2630 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा सर्वे 12639.41 लाख रू0 लागत की डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त 122 घरों में स्वयं के सेप्टिक टैंक है।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों / परिसरों की संख्या	ऐसे भवन परिसर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक हैं			ऐसे भवन परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है	ऐसे भवन / परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
	घरेलू	अघरेलू	योग		घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
697	0	5	5	226	396	275	671

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक के बाद से 02 घरेलू तथा 02 अघरेलू भवनों को सीवर से जोड़ा गया है। अवशेष 226 भवनों के सीवर

संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा मु0– 110[illegible] की डी0पी0आर0 तैयार कर पत्रांक– 40/नमा0अनु0 246
नमामि गंगे/01, दिनांक– 19.01.2021 से उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

3. देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू **Households** संयोजनों की स्थिति–

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजनों की स्थिति निम्न प्रकार है–

Sl. No.	Description	Total House Holds	House Holds Connected	Balance House Holds
1	Total Households as per Nagar Palika records	609	425	126
2	Abandoned Households in which connection not required	58	-	-

Break-up of Balance Households

Sl. No.	Description	No. of Connections	Progress
1	By shifting Toilets	30	Land required from Revenue department.
2	Households identified under flood plain zone (Total 07 in which 02 are connected)	05	Technically not feasible to connect.
3	Through Septage	111	Suction vehicle are being used.

उक्तानुसार परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा द्वारा देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजन की वस्तुस्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

(a) बिन्दु सं0– 06 में प्रदर्शित शेष 111 घरों के अपशिष्ट का निस्तारण शोषक वाहन द्वारा किया जा रहा है।

(b) बिन्दु सं0– 06 में प्रदर्शित जिन 14 घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उनमें शेष बचे 10 भूस्वामी शौचालय स्थानान्तरित करने हेतु सहमत है जिस हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार को भूमि उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व नियम के अनुसार उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रश्नगत क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नहीं है जिस कारण उक्त घरों से उपार्जित अपशिष्ट के निस्तारण हेतु अन्य विकल्प विचारणीय है।

4. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि देवप्रयाग स्थित 2× 0.15 एम0एल0डी0 के STP के मी0 का स्ट्रेच माह मई में बादल फटने के कारण आई आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था जिसकी मरम्मत हेतु 46.98 लाख रु0 का प्राक्कलन तैयार कर पत्रांक– 468/प्र./18, दिनांक– 08.06.2021 को उच्च स्तर को प्रेषित है। मरम्मत कार्य हेतु वर्तमान तक उच्च स्तर से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इसी क्रम में परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त सीवर लाइन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिससे सीवर का पानी नदी में जाने से रोका जा रहा है।

247

5. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा जनपद स्थित सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों का विवरण तथा यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण की स्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

क्र0 सं0	जनपद स्थित कुल चिकित्सालय	सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार / सहमति निर्गमन की स्थिति	गैर सरकारी चिकित्सालय को प्राधिकार / सहमति निर्गमन की स्थिति
1	436	कुल चिकित्सालय– 404 सहमति निर्गत– 95 वैधता अवधि समाप्त– 19 प्राधिकार निर्गत– 307 (One Time) अन्तिम आवेदन रद्द– 02	कुल चिकित्सालय– 32 सहमति निर्गत– 02 प्राधिकार निर्गत– 28 (One Time) अन्तिम आवेदन रद्द– 0*

6. नगरपालिका परिषद् मुनिकीरेती, नगर पंचायत, देवप्रयाग तथा कीर्तिनगर द्वारा 24 बिन्दुओं की सूचना से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

Sl. No.	Activity/Head	Muni Ki Reti	Devprayag	Kirtinagar
1	Number of ghats	8	5	3
	Number of anti-littering signboards in the ghats	8	4	4
2	Encroachment on ghats	0	0	0
3	Number of Nalas draining into the Ganga	4	2	3
	Nalas in which Jali has been fixed	4	2	3
4	No. of challans for defecating in the open	0	22	40
	Fines realized (in Rs.)	0	38,100	28,400
5	No. of raids to enforce plastic ban	167	119	46
	Fines realized (in Rs.)	78,700	3,840	23,000
6	No. challans for littering	335	08	40
	Fines realized (in Rs.)	76,890	19,100	24,800
7	Distance of dumping ground from the river	1 km	300 m	3 km
	Currently used dumping ground is being used since	2005	2021-22	2018-2019
	Constitution of new dumping ground	DPR approved by Directorate. First installment of Rs. 64 Lakh Rupees received.	Tenders have been floated.	Construction work has been started in new dumping zone
8	No. of wards	11	4	4
9	No. of wards in which door to door collection of waste is on	11	4	4
10	User charges realized	67,73,880 Rs	1,23,064	1,71,600 Rs.
11	Status of segregation of waste at source	100 %	100 %	100 %
12	Solid waste generated per day	16.25 Tonnes	5 Qtl.	9 Qtl
13	Composting of waste in %	Composting being done. Rs. 120042	65 % अब तक निकाय की कम्पोस्ट से	85 %

		Revenue from sale. Rs. 2232450 from sale of waste	170700 Rs. की आय प्राप्त हुई है।	
14	Inert waste generated	1-2 tonne per day	0	1.5 %
15	Untreated waste	2-3 tonne per day	50 %	1.0 %
16	Status of compactors	1	1	1
17	Shredder	1	0	0
18	Conveyor belt for segregation	Available	0	0
19	Mechanical Composting machine	1	0	0
20	Construction and Demolition waste	No site identified yet	No site identified yet	No site identified yet
21	Public toilets	15	8	24 toilets and 13 urinal
22	Sewer suction tanker	1	1	1
23	Septage mgmt. cell by-laws	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed	Septage management committee has been formed
24	Slaughter houses/meat shops	0	0	1

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में नगर पंचायत देवप्रयाग से एक टीम द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में भ्रमण किया गया तथा नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती की कार्यप्रणाली आदि का अध्ययन किया गया।

अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी अधिशासी अधिकारी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत प्लास्टिक वेस्ट तथा गंगा स्वच्छता आदि से सम्बन्ध में जनमानस को जागरूक किए जाने हेतु एक्शन प्लान तैयार कर तथा प्लास्टिक वेस्ट से होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में जनमानस को जागरूक किए जाने के उपरान्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाए। इस क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती द्वारा अवगत कराया गया कि नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत प्लास्टिक वेस्ट के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तथा अगले सप्ताह कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। अध्यक्ष महोदया द्वारा पुनः निर्देशित किया गया कि जागरूकता फैलाए जाने के साथ ही सप्ताह में किए जाने वाले कानूनी के लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते है। साथ ही ऐसे क्रियाकलापों का प्रचार-प्रसार प्रिंट तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में भी किया जाना चाहिए।

7 विगत बैठक के बिन्दु संख्या 8 में दिए गए निर्देश के क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती द्वारा नगरपालिका अन्तर्गत स्थित पार्क में Changing Room बनवाए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत इस प्रकार के आवश्यक कार्य/निर्माण कार्यों हेतु मांग प्रस्ताव तैयार कर जिला गंगा समिति को प्रेषित करें ताकि सम्बन्धित मद वार में धनराशि की मांग की जा सके।

8. कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्ध यूए नमामि गंगे के पत्रांक– 330/एसपीएमजी/नमामि गंगे, दिनांक– 05.05.2022 (प्रति संलग्न) से अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस दिनांक– 21 जून के उपलक्ष में सभी नगरपालिका/नगरपंचायत क्षेत्रान्तर्गत दिनांक– 21.06.2022 को मां गंगा एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियों की स्वच्छता, निर्मलता एवं अविरलता के प्रति जन जनमानस में वृहद प्रचार–प्रसार किए जाने के उद्देश्य से नदियों के किनारे स्थित घाटों पर सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के आयोजन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत पत्र में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अन्त में समस्त अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

संलग्नक– यथोपरि।

अनुमोदित

मुख्य विकास अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय: प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या–2901/3-1 / (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 20/05 मई, अक्टूबर, 2022

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदया/अध्यक्षा, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– कार्यक्रम निदेशक, एसपीएमजी(नमामि गंगे देहरादून।
2– मुख्य विकासाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
4– परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश ।
5– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), श्रीनगर गढ़वाल।
6– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
7– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
8– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

24975

अशोक कुमार, भा.प्र.से.
महानिदेशक
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
G Asok Kumar, IAS
DIRECTOR GENERAL
NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन,
नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

250

D O. No: - Estt.01/2016-17/0111/NMCG

Dated: 26th April, 2022

Dear DMs,

Subject: Celebration of International Day of Yoga (IDY) on 21st June, 2022 by District Ganga Committees (DGCs).

As all of you are aware that at the initiative of Hon'ble Prime Minister of India, the United Nations General Assembly took a historic decision in 2014 to declare 21st June as the International Day of Yoga (IDY). This world-wide acceptance of Yoga is a matter of pride for our country, as Yoga is an integral part of our cultural and spiritual heritage. Every year, the IDY observation begins with a Mass Yoga Demonstration at the venue, which is led by Hon'ble Prime Minister himself, followed by other Yoga related activities.

2. Ministry of Ayush being the Nodal Ministry for observation of the IDY, has launched a first such mass participative programme- 100 days, 100 cities and 100 organizations on 13th March, 2022 which will continue till 21st June, 2022 across the globe, which is being celebrated in a campaign mode, and is gaining momentum.

3. All the DGCs are requested to plan and organize the activities for celebration of International Day of Yoga on 21st June, 2022. The activities can also be planned on the ghats of river Ganga and their tributaries by involving Ganga Mitra, Ganga doots, Ganga praharies, NYKS and Ganga Vichar Manch Volunteers etc. If required, the pre-training/ practice activities in connection with celebration of IDY may also be planned by DGCs.

4. All the DGCs are requested to share the events planned and report on the activities/ initiatives undertaken by your District. This may also be discussed in the DGC Meetings scheduled on May 13th 2022, the second Friday of May, 2022.

5. Looking forward to have a memorable program and support from all DGCs in promoting Yoga at global level for the health and well-being of the people and make it a mass movement as desired by Hon'ble Prime Minister.

Yours sincerely,

(G. Asok Kumar)

Chairperson, District Ganga Committee/ District Magistrate

Copy for information to:

- Member Secretary, District Ganga Committee/DPO
- Project Director, SPMGs with a request to coordinate with DGCs
- PS to Hon'ble Minister of Jal Shakti
- PPS to Secretary, Ministry of Jal Shakti

6/5/22 GC/LBC I

24976

251

कार्यालय, कार्यक्रम निदेशक
राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप
नमामि गंगे
देहरादून, उत्तराखण्ड

पत्रांक: 336 /SPMG/Namami Ganga/ LEC दिनांक: 05/05/2022

गंगा की पवित्रता हम सबका उत्तरदायित्व
गंगा संरक्षण– जल संरक्षण– जीवन संरक्षण

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला गंगा समिति,
देहरादून / हरिद्वार / टिहरी गढ़वाल / पौड़ी गढ़वाल /
रुद्रप्रयाग / चमोली / उत्तरकाशी / नैनीताल / ऊधम सिंह नगर /
चम्पावत / बागेश्वर / अल्मोड़ा / पिथौरागढ़

विषयः– दिनांक 21 जून 2022 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि, वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिनांक 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष विश्व भर में दिनांक 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। योग भारत की प्राचीन परम्परा का एक अमूल्य उपहार है। यह विचार और कर्म की एकता को परिभाषित करता है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य के विचार संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है।

2. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन.एम.सी.जी.), नई दिल्ली द्वारा पत्रांक EstL01/2016-17/0111/NMCG दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के माध्यम से दिनांक 21 जून 2022 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जीवनदायिनी मोक्षदायिनी माँ गंगा एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियों की स्वच्छता, निर्मलता एवं अविरलता के दृष्टिगत जनमानस में वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार किये जाने के उद्देश्य से नदियों के किनारे स्थित घाटों पर सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों के आयोजन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। (प्रति संलग्न)।

3. [illegible] है कि, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस हेतु नोडल मंत्रालय नामित किया गया है। जिस हेतु नोडल मंत्रालय होने के दृष्टिगत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 मार्च 2022 से 100 दिन, 100 शहरों और 100 संगठनों का पहला ऐसा सामूहिक भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है जो विशेषकर 21 दिनांक 21 जून, 2022 तक जारी रहेगा।

4. अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान योग कार्यक्रम एवं आई.ई.सी. गतिविधियों में गंगा मित्र, गंगा दूत, गंगा प्रहरी, नेहरू युवा केन्द्र संगठन (NYKS) एवं अन्य [illegible] को भी सम्मिलित किया जाना है।

अतः दिनांक 13 मई 2022 वैडियो कॉन्फ्रेंस की जिला गंगा समिति की बैठक में कार्यालय को समस्त गतिविधियों पर चर्चा कर दिनांक 21 जून 2022 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही बैठक के दौरान कार्यक्रम की गतिविधियों के सम्बन्ध में किये गये विचार-विमर्श की सूचना से भी इस भी हमें कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

(हृदय पाल सिंह)
कार्यक्रम निदेशक

प्रतिलिपि:–

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वरिष्ठ संचार प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यक्रम निदेशक

गली नं. 11ए, इन्दिरा नगर, देहरादून
कार्यालय: 0135-2768932 / 2768436, फैक्स नं. 0135-2768436
ई-मेल: spmgganga.ua001@gmail.com

252

दिनांक– 08.08.2020 को जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 27वीं बैठक का [illegible]

24977

सर्वप्रथम, अध्यक्ष महोदय, जिला गंगा समिति द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया। बैठक में आगामी कार्यक्रम **'Scheme for Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration 2020 (NMCG)'** के लिए जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल द्वारा ऑनलाइन आवदेन किए जाने हेतु मुख्य बिन्दुओं पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक के बाद से 2 घरेलू संस्थानों को सीवर लाइन से जोडा गया है जिसके उपरान्त तपोवन में सीवर लाइन से जुडे कुल घरेलू तथा अघरेलू संस्थानों की संख्या 606 हो गई है। वर्तमान में 226 Households को सीवर लाइन से जोड़ा जाना शेष है जिस हेतु 925.84 लाख का प्राक्कलन एस0पी0एम0जी0 को भेजा गया है।
2. जिला गंगा समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0– 4 में दिए गए निदेशों के अनुसार प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत 284 सरकारी चिकित्सा संस्थानों में 273 के द्वारा यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण कराया गया है तथा 11 संस्थानों का पंजीकरण होना शेष है। इसके साथ ही 20 निजी चिकित्सा संस्थानों में से 10 के द्वारा पंजीकरण कराया गया है तथा 10 पंजीकरण हेतु शेष है। कुल 21 संस्थानों का पंजीकरण किया जाना शेष है।
3. अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी जल संस्थानों के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिला गंगा समिति के अन्तर्गत वर्ष–2018–19 एवं वर्ष–2019–20 की अवधि में किए गए निर्माण कार्यों तथा गंगा स्वच्छता हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के फोटोग्राफ उक्त कार्यक्रम हेतु ऑनलाइन आवेदन के दौरान PM Awards Website में अपलोड किए जाने हैं अतः सभी अधिकारी अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत किए गए एस0टी0पी0, नाला ट्रैपिंग, तथा गंगा स्वच्छता हेतु चलाए गए स्वच्छता अभियानों एवं जागरुकता अभियानों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग को dfotehri_ua@rediffmail.com पर ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। साथ ही गंगा स्वच्छता हेतु उक्त अवधि में यदि कोई आदर्श कार्य अथवा कोई ऐसा सराहनीय कार्य जिसके लिए विभाग को पुरस्कृत किया गया हो तो ऐसे कार्य की भी एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर उक्त ई–मेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।सभी पदाधिकारी, नगरपालिका तथा नगरपालिका परिषदों को निर्देशित किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण प्रणाली से लाभान्वित परिवारों की सूची निम्न प्रपत्रानुसार तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें–

क्र0 सं0	नाम	पता	फोन न0	सेवा उपलब्धता
1	2	3	4	5

4. **'Scheme for Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration 2020 (NMCG)'** कार्यक्रम में ऑनलाइन आवदेन हेतु चर्चा के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गंगा नदी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गंगा घाटों में किए गए विशिष्ठ कार्यों यथा पानी की शुद्धता से सम्बन्धित साइन बोर्ड, घाटों पर सी0सी0 कैमरा, पीए सिस्टम लगवाने आदि के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग को उपलब्ध कराएंगे।

साथ ही लोगों द्वारा ठोस कूड़े को नदी में फेंकने से रोकने हेतु किए गए जागरुकता अभियानों, नुक्कड़ नाटकों आदि की टिप्पणी तथा फोटोग्राफ तथा साथ ही उक्त सभी निर्देशों के अनुपालनार्थ आवश्य

24978

तथा अच्छे Resolution के फोटोग्राफ दिनांक 13.08.2020 तक प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग को ई–मेल (dfotehri_ua@rediffmail.com) के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर को निर्देशित किया गया कि नदी में राफ्टिंग के द्वारा किए गए जागरुकता अभियानों, कैम्पिंग स्थलों में स्वच्छता हेतु चलाए गए अभियानों तथा घाटों में पूजा–आरती के दौरान साफ–सफाई हेतु स्वच्छता तथा जागरुकता अभियानों आदि के फोटोग्राफ संक्षिप्त टिप्पणी के साथ प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग को उपलब्ध कराएंगे।

6. अध्यक्ष महोदय, द्वारा अवगत कराया गया कि PM Awards Website पर अपलोड किए जाने हेतु एक Short Video बनाया जाना है जिसमें जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की सभी उपलिब्धयों का समायोजन हो। जिस हेतु परियोजना प्रबन्धक, जल निगम, ऋषिकेश को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत जिला गंगा समिति की सभी उपब्धियों पर एक Short Video बनाकर परियोजना प्रबन्धक, जल निगम, ऋषिकेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तथा नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग से सम्पर्क कर आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त कर Short Video दिनांक– 13.08.2020 तक तैयार कर लें।

अन्त में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि **'Scheme for Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration 2020 (NMCG)'** कार्यक्रम को गम्भीरता से लिया जाए तथा जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल द्वारा उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सफलता प्राप्त करने हेतु उक्त सभी निर्देशों का अनुपालन ससमय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 446 /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 18 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश ।
7– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
9– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
10– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
11– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

दिनांक– 03.09.2020 को जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 28वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सर्वप्रथम, अध्यक्ष महोदय, जिला गंगा समिति द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
3688	1720	122	0	122	1575	51 +1	1626

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सारिणी मे शेष बचे 220 Households सर्वे की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान मे उक्त कुछ क्षेत्रों में COVID-19 कन्टेनमेंट जोन होने के कारण सर्वे पूरा नहीं हो पाया है। साथ ही 1720 घरों को सीवर लाइन से जोडने हेतु पेयजल निगम द्वारा डी0पी0आर0 तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा 122 घर जिनके स्वयं के सेप्टिक टैंक है उनको लॉकडाउन से पूर्व नोटिस निर्गत किया गया था।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर तथा अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश को निर्देशित किया गया कि उक्त 122 घर जिनको जल संस्थान द्वारा नोटिस दिया गया है वहां संयुक्त भ्रमण करें तथा सीवर संयोजन से जुड़ने हेतु लोगों को जागरूक करने हेतु अभियान संचालित करें।

2. तपोवन क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नही है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके है।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
839	226	6	0	6	373	234 +1	607

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक के उपरान्त 1 नया अघरेलू सीवर संयोजन स्थापित किया गया है। साथ ही 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा डी0पी0आर0 तैयार कर एस0पी0एम0जी0 को प्रेषित की गई है।

3. देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति-

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जा सकता है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।
1	2	3	4
609	438	54	384

उक्त सारिणी में शेष 171 घरों में से 92 घर जो कि सीवर लाइन से जोड़े जाने हेतु फिजिबल नहीं हैं उन्हें सैप्टेज मैनेजमेन्ट प्लान के अन्तर्गत रखा गया है जिस पर कार्यवाही शहरी विकास विभाग द्वारा की जानी है। इसके अलावा 58 घर खण्डहर हो चुके हैं तथा शेष 21 घरों में से 15 घरों में स्लज को पम्पिंग के माध्यम से तथा 6 घरों के स्लज को ग्रैविटी तकनीक से सीवर तक लाया जाएगा। → 4 completed.

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि देवप्रयाग क्षेत्र में स्लज को पम्प द्वारा खींचने की व्यवस्था करने हेतु एस0पी0एम0जी0 को भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अतः उप जिलाधिकारी, देवप्रयाग Kirtinagar को निर्देशित किया गया कि उक्त क्षत्र में पम्प स्थापित करने हेतु क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करें तथा आख्या से अवगत् कराएं। UC - Submit

4. अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 'डोर टू डोर' कूड़े के एकत्रीकरण तथा कूड़े के सोर्स सेग्रीगेशन पर विशेष ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। सभी नगर निकायों के लिए 'Solid Waste Management' उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस हेतु सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समय-समय पर मौके पर जाकर निरीक्षण करें कि लागों द्वारा सूखे तथा गीले कूड़े को पृथक कर दिया जा रहा है अथवा नहीं तथा इसका भी ध्यान रहे कि कूड़े की गाड़ी में भी गीले तथा सूखे कूड़े हेतु पृथक-पृथक स्थान हों।

5. सभी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका तथा नगर पंचायतों को भी निर्देशित किया गया कि वे अपने अधीन सफाई कर्मचारियों को निर्देशित करें कि 'डोर टू डोर' कूड़ा एकत्रीकरण के दौरान अपने साथ एक पंजी रखें तथा उसमें परिवार के मुखिया के नाम के सम्मुख यह अंकित करें कि कौन सा परिवार कूड़े को पृथक कर दे रहा है तथा कौन नहीं। साथ ही कूड़े को पृथक कर नहीं देने वाले परिवार का चालान किया जाए। जनसाधारण को कूड़े के Source segregation हेतु प्रेरित करने के लिए पुरस्कार आदि की व्यवस्था भी की जा सकती है जिस हेतु कूड़ा गाड़ी में कूड़ा डालने वाले लोगों का रिकॉर्ड होना आवश्यक है।

6. अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निकाय द्वारा लोगों को दी जाने वाली 'डोर टू डोर' कूड़ा एकत्रीकरण की सुविधा के सम्बन्ध में लोगों से Feedback लिया जाना भी आवश्यक है। जिसके लिए सभी

अधिशासी अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि एक Feedback Form तैयार करें तथा सभी परिवारों को उपलब्ध कराकर उनसे नगर निकायों द्वारा दी जानी वाली 'डोर टू डोर' कूड़ा एकत्रीकरण की सुविधा के सम्बन्ध में Feedback देने हेतु प्रेरित करें तथा किसी भी प्रकार की समस्या हेतु अपना दूरभाष नं0 भी Feedback Form में अंकित करें।

7. ग्रामीण कस्बों में कूड़े के निस्तारण की समस्या को मद्देनजर रखते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला पंचायत प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि अपने अधीनस्थ सफाई कर्मियों को कूड़ा एकत्रीकरण करने तथा एकत्रित कूड़े के पृथक्करण हेतु दो अलग-अलग दलों में बांटें। एकत्रित किए गए कूड़े में से गीले तथा सूखे कूड़े के पृथक्करण हेतु कस्बे के बाहर एक स्थल चयनित कर गीले कूड़े को पिट्स में कम्पोस्ट करें। साथ ही सूखे कूड़े के निस्तारण हेतु अन्य नगर पालिकाओ से कॉम्पैक्टर मशीन हेतु सम्पर्क कर सकते हैं।

जिला पंचायत प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें कम्पोस्ट पिट बनाने तथा कॉम्पैक्टर मशीन स्थापित करने हेतु तपोवन, कैम्प्टी तथा हिण्डोलाखाल में 4 नाली भूमि की आवश्यकता है जिस हेतु उनके द्वारा जिला कार्यालय में प्रस्ताव भी दिया गया है। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में भूमि की उपलब्धता हेतु जिला पंचायत, टिहरी की सहायता करना सुनिश्चित करें।

इसके अलावा कस्बे में स्थानीय प्रतिनिधि, व्यापार मण्डल तथा जागरूक लोगों को सम्मिलित कर एक स्वच्छता समिति बनाएं जो कि कूड़े के सही निस्तारण तथा जनजागरूता हेतु प्रयासरत रहे तथा क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण में आ रही परेशानियों तथा अन्य आवश्यकताओं हेतु आपको अवगत करा सके।

8. सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषदों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत नियुक्त सभी गंगा प्रहरियों की बैठक कराएं तथा बैठक का कार्यवृत्त आगामी जिला गंगा समिति की बैठक में प्रस्तुत करें। साथ ही जिला गंगा समिति की बैठक में प्रेषित की जाने वाली 24 बिन्दुओं की सूचना जो अद्यतन नहीं की जा रही है उसे भी अद्यतन कर सभी अधिशासी अधिकारी बैठक से पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

9. अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उप जिलाधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषदों को निर्देशित किया गया कि जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल को प्राप्त धनराशि में से सभी निकायों तथा उप जिलाधिकारियों को विभिन्न क्रियाकलापों हेतु अवमुक्त की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी आगामी बैठक से पूर्व ही प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

10. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण के सम्बन्ध में दी गई सूचना तथा मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत सूचना में पुनः भिन्नता पाई गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर नाराजगी जताते हुए प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं स्वास्थ्य विभाग को पुनः

निर्देशित किया गया कि अपने–अपने विभागों के [illegible] युक्त विश्लेषण कर सही आंकड़ों सहित की सूचना आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे। 24982

11. Director General, NMCG के पत्रांक– DO No.- C-14/2014-15/830/NMCG(Vol- II), दिनांक– 11.08.2020 के बिन्दु सं0– 4 में दिए गए निर्देश– "Joint secretory, department of Fisheries has also requested to advise the concerned Division in your Department to work in Coordination with NMCG, to work out the action plan for development of fisheries in Ganga Basin by utilizing the services of these foot soldiers, for implementation of activities under PMMSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana). In fact, it would be advisable if the State Fisheries Department could consult with NMCG while taking up projects under the PMMSY along the river Ganga, so that the same could be integrated with the larger scope of the concept of Arth Ganga." के अनुपालनार्थ अध्यक्ष महोदय द्वारा आगामी बैठक में मत्स्य विभाग के प्रतिनिधि को भी बैठक में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– R-479 /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 09 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश ।
7– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
9– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
10– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
11– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
14– सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, टिहरी गढ़वाल।

T-C

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

टिहरी वन, प्रभाग
रजिस्टर नं0 2E-7
पत्रांक नं0 14/9/20
दिनांक

ङ. देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जा सकता है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।
1	2	3	4
612	421	37	384

उक्त सारिणी में शेष 191 घरों में से 112 घर जो कि सीवर लाइन से जोड़े जाने हेतु फिजिबल नहीं हैं उन्हें सैप्टेज मैनेजमेन्ट प्लान के अन्तर्गत रखा गया है जिस पर कार्यवाही शहरी विकास विभाग द्वारा की जानी है जिसके क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि सैप्टेज वाहन आदि क्रय करने हेतु दिनांक– 06.10.2020 को निविदाएं आमन्त्रित की जा चुकी हैं। इसके अलावा 58 घर खण्डहर हो चुके हैं तथा शेष 21 घरों में से 15 घरों में स्लज को पम्पिंग के माध्यम से तथा 6 घरों के स्लज को ग्रैविटी तकनीक से सीवर तक लाया जाएगा जिनमें से 4 घरों को पूर्व में ही जोड़ा जा चुका है तथा शेष 2 घरों को जोड़ा जाना शेष है।

4. गंगा समिति की बैठक दिनांक– 25.09.2020 में बिन्दु सं0– 05 में दिए गए निर्देशों के उपरान्त भी नगरपालिका परिषदों से प्रेषित की जाने वाली 24 बिन्दुओं की सूचना में नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत किए गए चालानों तथा वसूल की गई धनराशि आदि का विवरण विगत वित्तीय वर्ष को सम्मिलत कर प्रेषित किया जा रहा है। अतः सभी अधिशासी अधिकारी उक्त निर्देशों के अनुपालनानुक्रम 24 बिन्दुओं की वित्तीय वर्ष 2020–21 की ही अद्यतन सूचना प्रेषित करें।

5. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती द्वारा अवगत कराया गया कि मुनिकीरेती क्षेत्रान्तर्गत "Households survey to identify the current on-site sanitation in Nagar Palika Parishad" की सर्वे की कार्यवाही अन्तिम चरण में है तथा जिला गंगा समिति की आगामी बैठक में उक्त सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग द्वारा भी अवगत कराया गया कि देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत भी उक्त सर्वे की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है जिसकी विस्तृत रिपोर्ट गंगा समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

6. मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत 284 सरकारी चिकित्सा संस्थानों में से 267 संस्थानों द्वारा यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण किया जा चुका है तथा 17 संस्थानों द्वारा पंजीकरण करवाया जाना शेष है। साथ ही 23 गैर सरकारी चिकित्सा संस्थानों में से 22 संस्थानों द्वारा यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण किया जा चुका है तथा 1 संस्थान पंजीकरण हेतु शेष है।

दिनांक– 19.10.2020 को जिला सभागार, टिहरी गढ़वाल में आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 30वीं बैठक का कार्यवृत्त।

पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति तथा अन्य विषयों पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके है।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
3689	1720	122	0	122	1575	52	1627

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक के बाद से क्षेत्र में एक नई दुकान (अघरेलू) को सीवर संयोजित किया गया है। उक्त सारिणी में शेष बचे 220 Households में सर्वे की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में उक्त कुछ क्षेत्रों में COVID-19 कन्टेनमेंट जोन होने के कारण सर्वे पूरा नहीं हो पाया है। साथ ही 1720 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नही है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
840	226	0	6	6	373	237	610

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक के उपरान्त 2 नये अघरेलू सीवर संयोजन स्थापित किए गए हैं। साथ ही 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा डी0पी0आर0 तैयार कर एस0पी0एम0जी0 को प्रेषित की गई है।

24985

7. गंगा समिति की बैठक दिनांक– 03.09.2020 में बिन्दु सं0– 08 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन हेतु गंगा प्राथमिकता वाले शहरों में गंगा प्रहरियों तथा गंगा समिति से जुड़े गैर सरकारी संगठनों की बैठक करवाने सम्बन्धी चर्चा के क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग, कीर्तिनगर तथा मुनिकीरेती द्वारा आगामी 02 सप्ताह के भीतर अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत गंगा प्रहरियों तथा गंगा समिति से जुड़े गैर सरकारी संगठनों की बैठक कराने का निर्णय लिया गया।

8. गंगा समिति की बैठक दिनांक– 25.09.2020 में बिन्दु सं0– 06 में दिए गए निर्देशों के क्रम में सभी अधिकारियों द्वारा, सिवाय उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर, कीर्तिनगर तथा टिहरी के उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला गंगा समिति को प्रेषित किए जा चुके हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 903 /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 27 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यकम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगें देहरादून।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 पर्यावारण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
7– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
9– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
10– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
11– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
14– सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

3. देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजन [illegible]

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जा सकता है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।
1	2	3	4
609	421	37	384

उक्त सारिणी में शेष 188 घरों में से 109 घर जो कि सीवर लाइन से जोड़े जाने हेतु फिजिबल नहीं हैं उन्हें सैप्टेज मैनेजमेन्ट प्लान के अन्तर्गत रखा गया है जिस पर कार्यवाही शहरी विकास विभाग द्वारा की जानी है। इसके अलावा 58 घर खण्डहर हो चुके हैं तथा शेष 21 घरों में से 15 घरों में स्लज को पम्पिंग के माध्यम से तथा 6 घरों के स्लज को ग्रैविटी तकनीक से सीवर तक लाया जाएगा।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त 6 घर जिन्हें ग्रैविटी तकनीक से सीवर संयोजन दिया जाना है उनमें से 4 घरों को जोड़ा जा चुका है तथा शेष 2 घरों को जोड़ा जाना शेष है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द शेष 2 घरों को ग्रैविटी के माध्यम से सीवर से जोड़ना सुनिश्चित करें।

4. अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कूड़े के सोर्स सेग्रिगेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु जनसाधारण को जागरूक करने की आवश्यकता है। जिस हेतु सभी अधिशासी अधिकारी तथा उपजिलाधिकारी आपस में समन्वय बनाकर कूड़ा एकत्रीकरण के समय स्वयं नगर में प्रत्येक वार्ड का निरीक्षण करें। जनसाधारण को इस बात की जानकारी दें कि कूड़े का किस प्रकार जैविक तथा अजैविक कूड़े के रूप में पृथक्करण किया जाता है तथा इसकी महत्ता के बारे में भी जानकारी दें। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर चालान की भी व्यवस्था की जाए तथा जनसाधारण की समस्याओं को समझने हेतु एक फीडबैक फॉर्म भी तैयार किया जाए।

5. जिला गंगा समिति की बैठक में प्रेषित की जाने वाली 24 बिन्दुओं की सूचना के सम्बन्ध में सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषदों को निर्देशित किया गया कि **वित्तीय वर्ष 2020–21** की सूचना को अद्यतन करें तथा अद्यतन सूचना को आगामी बैठक से पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6. अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उप जिलाधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषदों को निर्देशित किया गया कि जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल को प्राप्त धनराशि में से सभी निकायों तथा उप जिलाधिकारियों

को विभिन्न क्रियाकलापों हेतु अवमुक्त की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र GRF 19-A प्रारूप में आगामी बैठक से पूर्व ही प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। 24987

262

7. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत 282 सरकारी तथा 24 गैर सरकारी चिकित्सा संस्थानों में से क्रमशः 267 सरकारी तथा 22 गैर सरकारी चिकित्सा संस्थानों द्वारा यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष चिकित्सा संस्थानों का जल्द से जल्द पंजीकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 843 /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 19 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यकम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगें देहरादून।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 पर्यावारण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
7– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
9– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
10– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
11– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
14– सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

263

दिनांक– 19.10.2020 को जिला समागार, टिहरी गढ़वाल में आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 30वीं बैठक का कार्यवृत्त।

पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति तथा अन्य विषयों पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
3689	1720	122	0	122	1575	52	1627

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक के बाद से क्षेत्र में एक नई दुकान (अघरेलू) को सीवर संयोजित किया गया है। उक्त सारिणी में शेष बचे 220 Households में सर्वे की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में उक्त कुछ क्षेत्रों में COVID-19 कन्टेननेंट जोन होने के कारण सर्वे पूरा नहीं हो पाया है। साथ ही 1720 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
840	226	0	6	6	373	237	610

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक के उपरान्त 2 नये अघरेलू सीवर संयोजन स्थापित किए गए हैं। साथ ही 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा डी0पी0आर0 तैयार कर एस0पी0एम0जी0 को प्रेषित की गई है।

3. देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households सर्वेक्षण की स्थिति–

264

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जा सकता है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।
1	2	3	4
612	421	37	384

उक्त सारिणी में शेष 191 घरों में से 112 घर जो कि सीवर लाइन से जोड़े जाने हेतु फिजिबल नहीं हैं उन्हें सैप्टेज मैनेजमेन्ट प्लान के अन्तर्गत रखा गया है जिस पर कार्यवाही शहरी विकास विभाग द्वारा की जानी है जिसके क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि सैप्टेज वाहन आदि क्रय करने हेतु दिनांक– 06.10.2020 को निविदाएं आमन्त्रित की जा चुकी हैं। इसके अलावा 58 घर खण्डहर हो चुके हैं तथा शेष 21 घरों में से 15 घरों में स्लज को पम्पिंग के माध्यम से तथा 6 घरों के स्लज को ग्रैविटी तकनीक से सीवर तक लाया जाएगा जिनमें से 4 घरों को पूर्व में ही जोड़ा जा चुका है तथा शेष 2 घरों को जोड़ा जाना शेष है।

4. गंगा समिति की बैठक दिनांक– 25.09.2020 में बिन्दु सं0– 05 में दिए गए निर्देशों के उपरान्त भी नगरपालिका परिषदों से प्रेषित की जाने वाली 24 बिन्दुओं की सूचना में नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत किए गए चालानों तथा वसूल की गई धनराशि आदि का विवरण विगत वित्तीय वर्ष को सम्मिलत कर प्रेषित किया जा रहा है। अतः सभी अधिशासी अधिकारी उक्त निर्देशों के अनुपालनानुक्रम 24 बिन्दुओं की वित्तीय वर्ष 2020–21 की ही अद्यतन सूचना प्रेषित करें।

5. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती द्वारा अवगत कराया गया कि मुनिकीरेती क्षेत्रान्तर्गत "Households survey to identify the current on-site sanitation in Nagar Palika Parishad" की सर्वे की कार्यवाही अन्तिम चरण में है तथा जिला गंगा समिति की आगामी बैठक में उक्त सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग द्वारा भी अवगत कराया गया कि देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत भी उक्त सर्वे की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है जिसकी विस्तृत रिपोर्ट गंगा समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

6. मुख्य. चिकित्साधिकारी, टिहरी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत 284 सरकारी चिकित्सा संस्थानों में से 267 संस्थानों द्वारा यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण किया जा चुका है तथा 17 संस्थानों द्वारा पंजीकरण करवाया जाना शेष है। साथ ही 23 गैर सरकारी चिकित्सा संस्थानों में से 22 संस्थानों द्वारा यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण किया जा चुका है तथा 1 संस्थान पंजीकरण हेतु शेष है।

7. गंगा समिति की बैठक दिनांक– 03.09.2020 में बिन्दु सं0– 08 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन हेतु गंगा प्राथमिकता वाले शहरों में गंगा प्रहरियों तथा गंगा समिति से जुड़े गैर सरकारी संगठनों की बैठक करवाने सम्बन्धी चर्चा के क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग, कीर्तिनगर तथा मुनिकीरेती द्वारा आगामी 02 सप्ताह के भीतर अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत गंगा प्रहरियों तथा गंगा समिति से जुड़े गैर सरकारी संगठनों की बैठक कराने का निर्णय लिया गया।

8. गंगा समिति की बैठक दिनांक– 25.09.2020 में बिन्दु सं0– 06 में दिए गए निर्देशों के क्रम में सभी अधिकारियों द्वारा, सिवाय उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर, कीर्तिनगर तथा टिहरी के उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला गंगा समिति को प्रेषित किए जा चुके हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– १०३ /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 27 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य बिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
7– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
9– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
10– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
11– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
14– सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

24991

दिनांक– 23.11.2020 को जिलाधिकारी महोदया, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में जिला सभागार में आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 31वीं बैठक का कार्यवृत्त।

पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति तथा अन्य विषयों पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. **मुनिकीरेती क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–**

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
3690	1720	122	0	122	1576	52	1628

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक के बाद से क्षेत्र में एक नया घरेलू को सीवर संयोजित किया गया है। उक्त सारिणी में शेष बचे 220 Households में सर्वे की कार्यवाही गतिमान है। उक्त कुछ क्षेत्रों में COVID-19 कन्टेनमेंट जोन होने के कारण सर्वे पूरा नहीं हो पाया था जो कि वर्तमान में पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है। साथ ही 1720 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु पेयजल निगम द्वारा डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है। अध्यक्ष महोदया द्वारा परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम (गंगा) ऋषिकेश को निर्देशित किया गया किया कि उक्त डी0पी0आर0 की प्रगति सूचना आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश को निर्देशित किया गया कि उक्त 220 तथा 1720 Households में कितने घरेलू तथा कितने अघरेलू Households हैं इसकी सूचना तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

2. **तपोवन क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–**

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
846	227	0	5	5	377	237	614

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक के उपरान्त 4 नये घरेलू सीवर संयोजन स्थापित किए गए हैं। साथ ही 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा डी0पी0आर0 तैयार कर एन0एम0सी0जी0 को प्रेषित की गई थी। जिस पर दिनांक 25.11.2020 को आयोजित की गई गंगा समिति की Supervisory Committee की वीडियो कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त डी0पी0आर0 को एस0पी0एम0जी0 को प्रेषित किया जाए।

T.C.
अ0अ0/0 करें।
फ0व0
23.11.2020

टिहरी बाल [illegible]
[illegible]
16/12/20

अध्यक्ष महोदया द्वारा अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश को पुनः निर्देशित किया गया कि उक्त 226 Households में कितने घरेलू तथा कितने अघरेलू Households हैं इसकी सूचना भी तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3. **देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–**

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जा सकता है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।
1	2	3	4
609	421	37 (अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी)	384

उक्त सारिणी में शेष 188 घरों में से 109 घर जो कि सीवर लाइन से जोड़े जाने हेतु फिजिबल नहीं है उन्हें सैप्टेज मैनेजमेन्ट प्लान के अन्तर्गत रखा गया है जिस पर कार्यवाही शहरी विकास विभाग द्वारा की जानी है जिसके क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि सैप्टेज वाहन आदि क्रय करने हेतु दिनांक– 06.10.2020 को निविदाएं आमन्त्रित की जा चुकी हैं। इसके अलावा 58 घर खण्डहर हो चुके हैं तथा शेष 21 घरों में से 15 घरों में स्लज को पम्पिंग के माध्यम से तथा 6 घरों के स्लज को ग्रैविटी तकनीक से सीवर तक लाया जाएगा जिनमें से 4 घरों को पूर्व में ही जोड़ा जा चुका है तथा शेष 2 घरों को जोड़ा जाना शेष है।

4. सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नगरपालिका परिषदों द्वारा गंगा समिति को दी जाने वाली सूचनाओं की पुष्टि हेतु प्रत्येक माह में समय-समय पर अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करें तथा साथ ही क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन तथा सोर्स सेग्रिगेशन के कार्यों का निरीक्षण कर आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

5. अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषदों को निर्देशित किया गया कि दिनांक– 04.11.2020 को अपने क्षेत्रान्तर्गत मनाए गए 'गंगा उत्सव' की सूचना मय फोटोग्राफ जिला गंगा समिति को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6. मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत शेष 17 सरकारी संस्थानों द्वारा यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया है तथा 1 गैर सरकारी संस्थान पंजीकरण हेतु शेष है। अध्यक्ष महोदया द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि जिन संस्थानों द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया है उन्हे अविलम्ब नोटिस निर्गत किए जाए। इसके साथ ही

प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के प्रतिनिधि को जनपद अन्तर्गत पंजीकृत होटल/धर्मशालाओं की सूची उपलब्ध कराने तथा जिन होटल/धर्मशालाओं द्वारा पंजीकरण नहीं कराया गया है उन्हें नोटिस निर्गत करने हेतु निर्देशित किया गया। 268

7. अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी उप जिलाधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषदों को पुनः निर्देशित किया गया कि जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल को प्राप्त धनराशि में से सभी निकायों तथा उप जिलाधिकारियों को विभिन्न क्रियाकलापों हेतु अवमुक्त की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र GFR 19-A प्रारूप में आगामी बैठक से पूर्व ही प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे ताकि उपयोगित प्रमाण पत्र एस०पी०एम०जी० को प्रेषित किया जा सके तथा धनराशि हेतु नई मांग प्रेषित की जा सके।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 637 /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 10 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस०पी०एम०जी०, नमामि गंगे देहरादून।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजना प्रबन्धक, उ0 पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
7– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम (गंगा) श्रीनगर गढ़0।
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम (गंगा) ऋषिकेश/देवप्रयाग।
9– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पाव्कीदेवी।
10– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
11– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
14– सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, टिहरी गढ़वाल।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

दिनांक– 30.12.2020 को जिलाधिकारी महोदय [illegible] की अध्यक्षता में जिला समागार में आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 32वीं बैठक का कार्यवृत्त। 269

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति तथा अन्य विषयों पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
3690	1720	122	0	122 (सोर्टेक टैक. ई)	1576	52	1628

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सारिणी में शेष बचे 220 Households में सर्वे की कार्यवाही कोविड–19 लॉकडाउन होने के कारण स्थगित थी जो कि वर्तमान में पुनः प्रारम्भ कर दी गई है। साथ ही परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश के द्वारा अवगत करवाया गया कि 1720 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा डी०पी०आर० तैयार करने की कार्यवाही अन्तिम चरण में है।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
845	226	0	5	5	377	237	614

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा डी०पी०आर० तैयार कर मुख्यालय/एस०पी०एम०जी० को प्रेषित किया गया है। बजट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

3. देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू **Households** संयोजनों की स्थिति–

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अपने पत्रांक– 1197/कार्य–2/77, दिनांक– 22.12.2020 के माध्यम से देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत निम्न प्रकार सीवर संयोजनों की स्थिति स्पष्ट की गई है–

S. No.	Description 24995	House Holds (HHs)	House Hold connected 30-11-2020	Balance House Holds (HHs)
1	Total House hold as per Nagar Palika records	609	386	223
	Break-up of Balance House Holds (HHs)			
2	Feasible for connectivity			
3	Through Gravity	380	380	-
4	Through Pumping	38	1	37
5	Through Septage Management	112	1	111
6	By Shifting of Toilets	14	-	14
	Sub Total	544	382	162
	Not Feasible for connectivity			
7	Building Abandoned	36		36
8	Building : No Toilet	5		5
9	Building : Under Flood plains	7	2	5
10	Building not identified (Now identified)	10 (Abandoned)		10
		7	2	5
	Sub Total	65		63
	Grand Total	609	386	223

उक्तानुसार परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा द्वारा देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजन की वस्तुस्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

a) बिन्दु सं0– 05 में प्रदर्शित 112 भवनों को सैप्टेज मैनेजमेन्ट प्लान के अन्तर्गत रखा गया है जिस हेतु नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग द्वारा सैप्टेज वाहनों के क्रय हेतु निविदा आमन्त्रण के पश्चात अपने पत्रांक– 548/सफाई सामग्री0 क्रय आदेश/2020–21, दिनांक– 26.12.2020 के माध्यम से सैप्टेज वाहनों के क्रय हेतु सम्बन्धित को वाहन हस्तान्तरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

b) बिन्दु सं0– 06 में प्रदर्शित जिन घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उन सभी 14 घरों कोअपने पत्रांक– 555/सहविष0/2020–21, दिनांक– 29.12.2020 के द्वारा नोटिस निर्गत किए गए हैं तथा 1 भवनस्वामी द्वारा शौचालय को स्थानान्तरित किया जा चुका है।

c) बिन्दु सं0– 07 में छोडे जा चुके 06 घरों में सीवर संयोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण इन घरों में कोई निवासरत नहीं है।

d) बिन्दु सं0– 08 में प्रदर्शित 5 भवनों में से 3 दुकानें, एक भवन में ए0टी0एम0 मशीन तथा एक भवन में बस टिकट काउंटर स्थित है जिनमें शौचालय की आवश्यकता नही है।

e) बिन्दु सं0– 9 मे प्रदर्शित भवन जिन्हें Flood plains Zonation के अन्तर्गत रखा गया है, के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय गंगा समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक– 14.12.2020 को अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे भवनों का उपचार **JOHKASoU technology** से किया जाए जिसके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड जल संस्थान, देवप्रयाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्तानुक्रम में तकनीकी सहायता हेतु IIT Rurkee से पत्राचार किया जा रहा है।

f) बिन्दु सं0– 10 में प्रदर्शित 17 भवन जो identified नहीं थे उनका पुनः सर्वे किया गया तथा सर्वे के पश्चात यह पाया गया कि उक्त भवनों में से 10 भवनों के भवनस्वामियों द्वारा देवप्रयाग से पलायन किए जाने के कारण छोड दिया गया है जिनमें सीवर संयोजन किया जाना सम्भव नही है। शेष 07 भवनों में से 02 भवनों का सीवर संयोजना किया जा चुका है तथा 05 भवनों के सीवर संयोजना की कार्यवाही गतिमान है।

24996

राज्य स्तरी गंगा समिति की [illegible]सिंग दिनांक– 14.12.2020 को अध्यक्ष महोदय द्वारा देवप्रयाग क्षेत्र में गैविटी/पम्पिंग के अन्तर्गत रखे गए सीवर संयोजनों का कार्य दिसम्बर माह तक पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा बजट की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। अतः अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देश दिए गए कि परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल तथा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग बजट आवंटन हेतु अपने मुख्यालय/शासन स्तर से पत्राचार करें।

उक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर को निर्देशित किया जाता है कि देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत स्थापित एस0टी0पी0 का समय–समय पर निरीक्षण करें तथा डोर टू डोर कूड़ा ऐकत्रीकरण तथा सोर्स सेग्रीगेशन आदि क्रियाकलापों एवं नगरपालिका द्वारा प्रेषित की जपने वाली 24 बिन्दुओं की सूचना की नियमित समीक्षा कर आख्या जिला गंगा समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।

4. दिनांक– 23.11.2020 को सम्पन्न जिला गंगा समिति की बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0– 4 में सभी उपजिलाधिकरियों द्वारा अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका परिषदों के द्वारा किए गए कार्यो का निरीक्षण कर आख्या प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। किन्तु उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर द्वारा आख्या प्रस्तुत नहीं की गई इसलिए उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर को इस पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात पुनः **सभी गंगा प्राथमिकता शहरों (तपोवन, मुनिकीरेती तथा देवप्रयाग) से सम्बन्धित** उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नगरपालिका परिषदों द्वारा गंगा समिति को दी जाने वाली 24 बिन्दुओं की सूचनाओं (संलग्न) की पुष्टि हेतु तथा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित एस0टी0पी0 का प्रत्येक माह में समय–समय पर अपने–अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करें तथा साथ ही क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन तथा सोर्स सेग्रिगेशन के कार्यों का निरीक्षण कर आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

5. Flood plains Zonation के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नई टिहरी द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण अनुभाग के पत्र संख्या– 1829/II-2-2020-06(15) 2020, दिनांक– 28.09.2020 द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी तथा अधिसूचना को एन0आई0सी0 टिहरी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था तथा दिनांक– 24.10.2020 के राष्ट्रीय समाचार पत्र पर अमर उजाला और क्षेत्रीय समाचार पत्र नव भारत भारत टाइम्स में भी प्रकाशित किया गया था। उक्त अधिसूचना में अवगत कराया गया था कि सूचना प्रकाशित किए जाने के 60 दिवस (दिनांक– 23.12.2020) के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्र प्राधिकारी, टिहरी गढ़वाल के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर लिखित रूप में दिए जाने एवं उन पर सम्यक् रूप से विचार–विमर्श किए जाने के पश्चात प्रतिसिद्धि या निर्बन्धित करने की घोषणा की अन्तिम अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। उक्त के क्रम में 60 दिवस की समयावधि पूर्ण हो चुकी है तथा उक्त अवधि में जिलाधिकारी कार्यालय/सिंचाई खण्ड, नई टिहरी, सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर में हितबद्ध व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

उक्तानुक्रम में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नई टिहरी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय, नई टिहरी को पत्रांक– 1647/सि0ख0न0टि0/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण/2020–21, दिनांक– 24.12.2020 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया है।

6. सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषदों को निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत किए गए नाला टैपिंग कार्यों की नियमित साफ–सफाई तथा रख–रखाव का कार्य करवाएं एवं इसका उल्लेख गंगा

समिति को प्रेषित की जाने वाली 24 घण्टे की सूचना में अवश्य करें तथा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी इन कार्यों की प्रतिमाह समीक्षा कर आख्या प्रस्तुत करें।

7. चमियाला लम्बगांव तथा घनसाली क्षेत्र में प्रस्तावित ट्रेंचिंग स्थल पर चर्चा के क्रम में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वन भूमि हस्तान्तरण हेतु Environment Clearance (E.C.) के लिये आवेदन किया जाना शेष है तथा वर्तमान में ट्रेंचिंग स्थल हेतु भूमि किराए पर ली गई है। E.C. हेतु अतिथि तक आवेदन न किया जाना खेदजनक है।

अधिशासी अधिकारी, चमियाला लम्बगांव तथा घनसाली को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब E.C. हेतु आवेदन करें तथा सूचना जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल को प्रेषित करें तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग से सम्पर्क करें।

8. Legacy Waste के सम्बन्ध में सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषदों के द्वारा अवगत कराया गया कि नगरपालिका परिषदों Legacy waste का निस्तारण किया जा चुका है।

9. Executive Committee की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक– 24.12.2020 में उच्चाधिकारियों द्वारा जिला गंगा समिति को अवगत कराया गया था कि मुनिकीरेती में पूर्णानन्द श्मशान घाट हेतु जो डी0पी0आर0 एन0एम0सी0जी0 को प्रेषित की गई थी वह स्वीकृत कर ली गई है। परन्तु इसके सम्बन्ध में उच्च स्तर से पत्राचार किए जाने पर एस0पी0एम0जी0 द्वारा ई मेल के माध्यम से प्रत्युत्तर दिया गया है कि "The DPR for said Ghat is under examination and administrative approval and expenditure section for proposed Poornanand cremation ghat is still awaited from NMCG, New Delhi."

10. मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत 284 सरकारी चिकित्सा संस्थानों में से 267 संस्थानों द्वारा यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण किया जा चुका है तथा 17 संस्थानों द्वारा पंजीकरण करवाया जाना शेष है। साथ ही 23 गैर सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सभी संस्थानों द्वारा यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण किया जा चुका है।

11. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु नमामि गंगे योजनान्तर्गत प्रभाग को वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य आवंटित किए गए हैं परन्तु वर्तमान में प्रभाग को लक्ष्यों के सापेक्ष वित्त प्राप्त नहीं हुआ है।

12. उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर द्वारा गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल से प्राप्त 65000.00 रु0 की धनराशि में से 55000.00 रु0 की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अवगत कराया गया कि शेष धनराशि दिसम्बर माह में व्यय की जाएगी।

उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर को निर्देशित किया जाता है कि अवशेष धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र गंगा समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। साथ ही उपजिलाधिकारी, टिहरी, नरेन्द्रनगर, धनोल्टी, कण्डीसौड को निम्न प्रकार वितरित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

क्र0 सं0	विभाग का नाम	वितरित धनराशि (रु0 में)		धनराशि जिसका UC प्राप्त है (रु0 में)	धनराशि जिसका UC प्राप्त नहीं है (रु0 में)
		2018–19	2019–20		
1	उपजिलाधिकारी, टिहरी	50000.00	15000.00	–	65000.00
2	उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	50000.00	65000.00	–	115000.00
3	उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर	50000.00	15000.00	55000.00	15000.00
4	उपजिलाधिकारी, धनोल्टी,	50000.00	10000.00	50000.00	10000.00
5	उपजिलाधिकारी, कण्डीसौड़	50000.00	00	–	50000.00

अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा उक्त निर्देशों के समय अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 689 /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 8, जनवरी, 2021

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजना प्रबन्धक, उ0 पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश ।
7– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम (गंगा) श्रीनगर गढ़0।
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम (गंगा) ऋषिकेश/देवप्रयाग। 9–
9– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
10– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
13– सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, टिहरी गढ़वाल।

संलग्नकः– यथोक्त।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

दिनांक– 24.02.2021 को प्रभागीय वनाधिकारी महोदय वन प्रभाग, नई टिहरी की अध्यक्षता में जिला सभागार में आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 33वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति तथा अन्य विषयों पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
3690	1720	122	0	122 (सेप्टिक टैंक है)	1576	52	1628

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सारिणी में शेष बचे 220 Households में सर्वे की कार्यवाही कोविड–19 लॉकडाउन होने के कारण स्थगित थी जो कि वर्तमान मे पुनः प्रारम्भ कर दी गई है। साथ ही परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि 1720 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्यवाही अन्तिम चरण में है।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर सयोजन दिए जा चुके हैं।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
846	226	0	5 (सेप्टिक टैंक है)	5	377	238	614

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा डी0पी0आर0 तैयार कर मुख्यालय/एस०पी०एम०जी० को प्रेषित की गई है। बजट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

3. देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू **Households** संयोजनों की स्थिति–

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत निम्न प्रकार सीवर संयोजनों की स्थिति स्पष्ट की गई है–

S. No.	Description	House Holds (HHs)	House Hold connected 30-11-2020	Balance House Holds (HHs)
1	Total House hold as per Nagar Palika records	609	414	195
	Break-up of Balance House Holds (HHs)			
2	Feasible for connectivity			
3	Through Gravity	380	380	-
4	Through Pumping	38	24	14
5	Through Septage Management	112	1	111
6	By Shifting of Toilets	14	-	14
	Sub Total	**544**	**405**	**139**
	Not Feasible for connectivity			
7	Building Abandoned	36		36
8	Building : No Toilet	5		5
9	Building : Under Flood plains	7	2	5
10(a)	Building Abandoned	10		10
10(b)	Building Identified	7	7	0
	Sub Total	**65**	**9**	**56**
	Grand Total	**609**	**414**	**195**

उक्तानुसार परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा द्वारा देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजन की वस्तुस्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

a) बिन्दु सं0– 05 में प्रदर्शित 112 भवनों को सैप्टेज मैनेजमेन्ट प्लान के अन्तर्गत रखा गया है जिस हेतु नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग द्वारा सैप्टेज वाहनों के क्रय हेतु निविदा आमन्त्रण के पश्चात अपने पत्रांक– 548/सफाई सामग्री0 क्रय आदेश/2020–21, दिनांक– 26.12.2020 के माध्यम से सैप्टेज वाहनों के क्रय हेतु सम्बन्धित को वाहन हस्तान्तरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

b) बिन्दु सं0– 06 में प्रदर्शित जिन घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उन सभी 14 घरों को पत्रांक– 555/सह0विश0/2020–21, दिनांक– 29.12.2020 के द्वारा नोटिस निर्गत किए गए है तथा 1 भवनस्वामी द्वारा शौचालय को स्थानान्तरित किया जा चुका है।

c) बिन्दु सं0– 07 में छोड़े जा चुके 36 घरों में सीवर संयोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण इन घरों में कोई निवासरत नहीं है।

d) बिन्दु सं0– 08 में प्रदर्शित 5 भवनों में से 3 दुकानें, एक भवन में ए0टी0एम0 मशीन तथा एक भवन में बस टिकट काउंटर स्थित है जिनमें शौचालय की आवश्यकता नहीं है।

e) बिन्दु सं0– 9 में प्रदर्शित भवन जिन्हें Flood plains Zonation के अन्तर्गत रखा गया है, के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय गंगा समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक– 14.12.2020 को अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे भवनों का उपचार **JOHKASoU technology** से किया जाए जिसके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड जल संस्थान, देवप्रयाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्तानुक्रम में तकनीकी सहायता हेतु IIT Rurkee से पत्राचार किया जा रहा है।

f) बिन्दु सं0– 10 में प्रदर्शित 17 भवन जो identified नहीं थे उनका पुनः सर्वे किया गया तथा सर्वे के पश्चात यह पाया गया कि उक्त भवनों में से 10 भवनों के भवनस्वामियों द्वारा देवप्रयाग से पलायन किए जाने के कारण छोड़ दिया गया है जिनमें सीवर संयोजन किया जाना सम्भव नहीं है। शेष 07 भवनों में से 02 भवनों का सीवर संयोजना किया जा चुका है तथा 05 भवनों के सीवर संयोजना की कार्यवाही गतिमान है।

4. जिला गंगा समिति की गत बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर द्वारा नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती क्षेत्रान्तर्गत किए गए कार्यों के निरीक्षण की आख्या तथा नगरपालिका परिषद द्वारा जिला गंगा समिति को प्रेषित की जाने वाली 24 बिन्दुओं की सूचना की पुष्टि पर आख्या प्रस्तुत की गई।

5. धमियाला लम्बगांव तथा धनसाली क्षेत्र में प्रस्तावित ट्रेंचिंग स्थल पर चर्चा के क्रम में सम्बन्धित अधि ारी अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वन भूमि हस्तान्तरण हेतु Environment Clearance (E.C.) के लिये आवेदन कर दिया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग /
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 184 – रज /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 20 मार्च, 2020

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यकम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगें देहरादून।
2– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 पर्यावारण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
4– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
6– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0।
7– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
8– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0 तहसीलदार पावकीदेवी।
9– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
10– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
13– सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग /
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

277

दिनांक– 18.03.2021 को जिलाधिकारी महोदया, [illegible] की अध्यक्षता में जिला सभागार में आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 34वीं बैठक का कार्यवृत्त।

25002

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति तथा अन्य विषयों पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
2895	1720	[illegible]	[illegible]	220 (संशोधन कार्य प्रगति पर)	831	27	1698

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गंगा समिति की गत बैठक के उपरान्त 05 घरेलू सीवर संयोजन किए गए हैं। सारिणी में शेष बचे 220 Households में सर्वे की कार्यवाही कोविड–19 लॉकडाउन होने के कारण स्थगित थी जो कि वर्तमान में पुनः प्रारम्भ कर दी गई है। साथ ही परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि 1720 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा डी०पी०आर० तैयार करने की कार्यवाही अन्तिम चरण में है।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
856	226	0	[illegible] (संशोधन कार्य प्रगति पर)	5	377	243	625

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गंगा समिति की गत बैठक के उपरान्त 11 अघरेलू सीवर संयोजन किए गए हैं। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा डी०पी०आर० तैयार कर मुख्यालय/एस०पी०एम०जी० को प्रेषित की गई है। बजट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–

25003

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत निम्न प्रकार [illegible] की स्थिति स्पष्ट की गई है–

S. No.	Description	House Holds (HHs)	House Hold connected 10-02-2021	Balance House Holds (HHs)
1	Total House hold as per Nagar Palika records	609	414	195
	Break-up of Balance House Holds (HHs)			
2	Feasible for connectivity	380	380	-
3	Through Gravity	38	24	14
4	Through Pumping	112	1	111
5	Through Septage Management	14	-	14
6	By Shifting of Toilets	544	405	139
	Sub Total			
	Not Feasible for connectivity			
7	Building Abandoned	36		36
8	Building : No Toilet	5		5
9	Building : Under Flood plains	7	2	5
10	Building not identified			
10(a)	Building Abandoned	10		10
10(b)	Building Identified	7	7	0
	Sub Total	65	9	56

उक्तानुसार परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा द्वारा देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजन की वस्तुस्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

a) बिन्दु सं0– 05 में प्रदर्शित 112 भवनों को सैप्टेज मैनेजमेन्ट प्लान के अन्तर्गत रखा गया है जिस हेतु नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग द्वारा सैप्टेज वाहनों के क्रय हेतु निविदा आमन्त्रण के पश्चात अपने पत्रांक– 548/सफाई सामग्री0 क्रय आदेश/2020–21, दिनांक– 26.12.2020 के माध्यम से सैप्टेज वाहनों के क्रय हेतु सम्बन्धित को वाहन हस्तान्तरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

b) बिन्दु सं0– 06 में प्रदर्शित जिन घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उन सभी 14 घरों को पत्रांक– 555/सह0विश0/2020–21, दिनांक– 29.12.2020 के द्वारा नोटिस निर्गत किए गए हैं तथा 1 भवनस्वामी द्वारा शौचालय को स्थानान्तरित किया जा चुका है।

c) बिन्दु सं0– 07 में छोड़े जा चुके 36 घरों में सीवर संयोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण इन घरों में कोई निवासरत नहीं है।

d) बिन्दु सं0– 08 में प्रदर्शित 5 भवनों में से 3 दुकानें, एक भवन में ए0टी0एम0 मशीन तथा एक भवन में बस टिकट काउंटर स्थित है जिनमें शौचालय की आवश्यकता नहीं है।

e) बिन्दु सं0– 9 में प्रदर्शित भवन जिन्हें Flood plains Zonation के अन्तर्गत रखा गया है, के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय गंगा समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक– 14.12.2020 को अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे भवनों का उपचार **JOHKASoU technology** से किया जाए जिसके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड जल संस्थान, देवप्रयाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्तानुक्रम में तकनीकी सहायता हेतु IIT Rurkee से पत्राचार किया जा रहा है।

f) बिन्दु सं0– 10 में प्रदर्शित 17 भवन जो identified नहीं थे उनका पुनः सर्वे किया गया तथा सर्वे के पश्चात यह पाया गया कि उक्त भवनों में से 10 भवनों के भवनस्वामियों द्वारा देवप्रयाग से पलायन किए जाने के कारण छोड़ दिया गया है जिनमें सीवर संयोजन किया जाना सम्भव नहीं है। शेष 07 भवनों में से 02 भवनों का सीवर संयोजना किया जा चुका है तथा 05 भवनों के सीवर संयोजना की कार्यवाही गतिमान है।

4. उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर द्वारा अवगत कराया गया कि कीर्तिनगर क्षेत्रान्तर्गत नालों में लगी जालियों में सफाई करवाए जाने की आवश्यकता है ताकि नाले अवरुद्ध न हों। अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद देवप्रयाग को निर्देशित किया जाता है कि नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत सभी नालों में लगी जालियों की समय–समय पर सफाई कराई जाए तथा ऐसे क्रियाकलापों के फोटोग्राफ आदि संधारित किए जाएं।

25004

इसके साथ ही उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर द्वारा अवगत कराया गया कि देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत जिन 14 घरों के शौचालय स्थानान्तरित किए जाने हैं उनसे सम्पर्क किया गया जिनमें से 10 परिवारों द्वारा सामूहिक शौचालय का उपयोग किए जाने हेतु सहमति जताई गई। उपजिलाधिकारी द्वारा सुझाव प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकार 10 परिवारों हेतु एक सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने के उपरान्त इस सामूहिक शौचालय को सीवर से जोड़ा सकता है।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग को निर्देशित किया जाता है कि उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर के साथ उक्त क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण करें तथा उक्त 10 परिवारों से वार्ता करें। यदि साध्य हो तो उपजिलाधिकारी के सुझाव अनुसार सामूहिक शौचालय हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला गंगा समिति को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

5. दिनांक– 30.12.2020 को आयोजित जिला गंगा समिति की बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0– 12 के क्रम में उपजिलाधिकारी, टिहरी, नरेन्द्रनगर, धनौल्टी तथा कण्डीसौड़ को पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिला गंगा समिति द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 3 दिवस के भीतर समिति को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 838 /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 05 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यकम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
4– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
6– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0।
7– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
8– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0 तहसीलदार पावकीदेवी।
9– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
10– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

दिनांक– 24.02.2021 को प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी की अध्यक्षता में जिला सभागार में आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 33वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति तथा अन्य विषयों पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नही है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके है।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
3690	1720	122	0	122 (सेप्टिक टैंक है)	1576	52	1628

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सारिणी में शेष बचे 220 Households में सर्वे की कार्यवाही कोविड–19 लॉकडाउन होने के कारण स्थगित थी जो कि वर्तमान में पुनः प्रारम्भ कर दी गई है। साथ ही परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि 1720 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्यवाही अन्तिम चरण में है।

2. तपोवन क्षेत्र में **Households** संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके है।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघेरलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
846	226	0	5 (सेप्टिक टैंक है)	5	377	238	614

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा डी0पी0आर0 तैयार कर मुख्यालय/एस0पी0एम0जी0 को प्रेषित की गई है। बजट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

3. देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू **Households** संयोजनों की स्थिति–

देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत निम्न प्रकार सीवर संयोजनों की स्थिति स्पष्ट की गई है–

S. No.	Description	House Holds (HHs)	House Hold connected 30-11-2020	Balance House Holds (HHs)
1	Total House hold as per Nagar Palika records	609	414	195
	Break-up of Balance House Holds (HHs)			
2	Feasible for connectivity	380	380	-
3	Through Gravity	38	24	14
4	Through Pumping	112	1	111
5	Through Septage Management	14	-	14
6	By Shifting of Toilets	544	405	139
	Sub Total			
	Not Feasible for connectivity			
7	Building Abandoned	36		36
8	Building : No Toilet	5		5
9	Building : Under Flood plains	7	2	5
10(a)	Building Abandoned	10		10
10(b)	Building identified	7	7	0
	Sub Total	65	9	56
	Grand Total	609	414	195

उक्तानुसार परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा द्वारा देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजन की वस्तुस्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

a) बिन्दु सं0– 05 में प्रदर्शित 112 भवनों को सैप्टेज मैनेजमेन्ट प्लान के अन्तर्गत रखा गया है जिस हेतु नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग द्वारा सैप्टेज वाहनों के क्रय हेतु निविदा आमन्त्रण के पश्चात अपने पत्रांक– 548/सफाई सामग्री0 क्रय आदेश/2020–21, दिनांक– 26.12.2020 के माध्यम से सैप्टेज वाहनों के क्रय हेतु सम्बन्धित को वाहन हस्तान्तरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

b) बिन्दु सं0– 06 में प्रदर्शित जिन घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उन सभी 14 घरों को पत्रांक– 555/सह0विश0/2020–21, दिनांक– 29.12.2020 के द्वारा नोटिस निर्गत किए गए हैं तथा 1 भवनस्वामी द्वारा शौचालय को स्थानान्तरित किया जा चुका है।

c) बिन्दु सं0– 07 में छोड़े जा चुके 36 घरों में सीवर संयोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण इन घरों में कोई निवासरत नहीं है।

d) बिन्दु सं0– 08 में प्रदर्शित 5 भवनों में से 3 दुकानें, एक भवन में ए0टी0एम0 मशीन तथा एक भवन में बस टिकट काउंटर स्थित है जिनमें शौचालय की आवश्यकता नहीं है।

e) बिन्दु सं0– 9 में प्रदर्शित भवन जिन्हें Flood plains Zonation के अन्तर्गत रखा गया है, के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय गंगा समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक– 14.12.2020 को अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे भवनों का उपचार **JOHKASoU technology** से किया जाए जिसके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड जल संस्थान, देवप्रयाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्तानुक्रम में तकनीकी सहायता हेतु IIT Rurkee से पत्राचार किया जा रहा है।

f) बिन्दु सं0– 10 में प्रदर्शित 17 भवन जो identified नहीं थे उनका पुनः सर्वे किया गया तथा सर्वे के पश्चात यह पाया गया कि उक्त भवनों में से 10 भवनों के भवनस्वामियों द्वारा देवप्रयाग से पलायन किए जाने के कारण छोड़ दिया गया है जिनमें सीवर संयोजन किया जाना सम्भव नहीं है। शेष 07 भवनों में से 02 भवनों का सीवर संयोजना किया जा चुका है तथा 05 भवनों के सीवर संयोजना की कार्यवाही गतिमान है।

4. जि... गंगा समिति की गत बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में उपाजलाधिकारी... नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती क्षेत्रान्तर्गत किए गए ... निरीक्षण की आख्या तथा नगरपालिका परिषद द्वारा जिला गंगा समिति को प्रेषित की जाने वाली 24 बिन्दुओं की सूचना की पुष्टि पर आख्या प्रस्तुत की गई।

25007

282

जिला

ठक

5. चमियाला लम्बगांव तथा धनसाली क्षेत्र में प्रस्तावित ट्रेंचिंग स्थल पर चर्चा के क्रम में सम्बन्धित अधि ारी अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वन भूमि हस्तान्तरण हेतु Environment Clearance (E.C.) के लिये आवेदन कर दिया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग /
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

संख्या– 184 –रब /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 20 मार्च, 2020

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
4– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
6– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0।
7– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
8– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0 तहसीलदार पावकीदेवी।
9– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
10– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
13– सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, टिहरी गढ़वाल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग /
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

283

दिनांक– 30.12.2020 को जिलाधिकारी महोदया, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में जिला सभागार में आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 32वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति तथा अन्य विषयों पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. मुनिकीरेती क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
3690	1720	122	0	127 (संशोधित डाटा है)	1578	52	1628

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सारिणी में शेष बचे 220 Households में सर्वे की कार्यवाही कोविड–19 लॉकडाउन होने के कारण स्थगित थी जो कि वर्तमान में पुनः प्रारम्भ कर दी गई है। साथ ही परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि 1720 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा डी०पी०आर० तैयार करने की कार्यवाही अन्तिम चरण में है।

2. तपोवन क्षेत्र में Households संयोजनों की स्थिति–

कुल भवनों/परिसरों की संख्या	भौतिक रूप से सीवर संयोजन दिया जाना संभव नहीं है।	ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिया जाना शेष है।			ऐसे भवन/परिसर जहां सीवर संयोजन दिए जा चुके हैं।		
		घरेलू	अघरेलू	योग	घरेलू	अघरेलू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
845	226	3	5	5	377	237	614

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त 226 भवनों के सीवर संयोजन हेतु पेयजल निगम द्वारा डी०पी०आर० तैयार कर मुख्यालय/एस०पी०एम०जी० को प्रेषित किया गया है। बजट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

3. देवप्रयाग क्षेत्र में घरेलू Households संयोजनों की स्थिति–

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा अपने पत्रांक– 1197/कार्य–2/77, दिनांक– 22.12.2020 के माध्यम से देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत निम्न प्रकार सीवर संयोजनों की स्थिति स्पष्ट की गई है–

25009

S. No.	Description	House Holds (HHs)	House Hold connected 30-11-2020	Balance House Holds (HHs)
1	Total House hold as per Nagar Palika records	609	386	223
	Break-up of Balance House Holds (HHs)			
2	Feasible for connectivity			
3	Through Gravity	380	380	-
4	Through Pumping	38	1	37
5	Through Septage Management	112	1	111
6	By Shifting of Toilets	14	-	14
	Sub Total	**544**	**382**	**162**
	Not Feasible for connectivity			
7	Building Abandoned	36		36
8	Building : No Toilet	5		5
9	Building : Under Flood plains	7	2	5
10	Building not identified (Now identified)	10 (Abandoned)		10
		7	2	5
	Sub Total	**65**		**69**
	Grand Total	609	386	223

उक्तानुसार परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा द्वारा देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत सीवर संयोजन की वस्तुस्थिति से निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

a) बिन्दु सं0– 05 में प्रदर्शित 112 भवनों को सैप्टेज मैनेजमेन्ट प्लान के अन्तर्गत रखा गया है जिस हेतु नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग द्वारा सैप्टेज वाहनों के क्रय हेतु निविदा आमन्त्रण के पश्चात अपने पत्रांक– 548/सफाई सामग्री0 क्रय आदेश/2020–21, दिनांक– 26.12.2020 के माध्यम से सैप्टेज वाहनों के क्रय हेतु सम्बन्धित को वाहन हस्तान्तरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

b) बिन्दु सं0– 06 में प्रदर्शित जिन घरों के शौचालयों को स्थानान्तरित किया जाना था उन सभी 14 घरों कोअपने पत्रांक– 555/सह0विष0/2020–21, दिनांक– 29.12.2020 के द्वारा नोटिस निर्गत किए गए हैं तथा 1 भवनस्वामी द्वारा शौचालय को स्थानान्तरित किया जा चुका है।

c) बिन्दु सं0– 07 में छोड़े जा चुके 36 घरों में सीवर संयोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण इन घरों में कोई निवासरत नहीं है।

d) बिन्दु सं0– 08 में प्रदर्शित 5 भवनों में से 3 दुकानें, एक भवन में ए0टी0एम0 मशीन तथा एक भवन में बस टिकट काउंटर स्थित है जिनमें शौचालय की आवश्यकता नहीं है।

e) बिन्दु सं0– 9 में प्रदर्शित भवन जिन्हें Flood plains Zonation के अन्तर्गत रखा गया है, के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय गंगा समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक– 14.12.2020 को अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे भवनों का उपचार **JOHKASoU technology** से किया जाए जिसके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड जल संस्थान, देवप्रयाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्तानुक्रम में तकनीकी सहायता हेतु IIT Rurkee से पत्राचार किया जा रहा है।

f) बिन्दु सं0– 10 में प्रदर्शित 17 भवन जो identified नहीं थे उनका पुनः सर्वे किया गया तथा सर्वे के पश्चात यह पाया गया कि उक्त भवनों में से 10 भवनों के भवनस्वामियों द्वारा देवप्रयाग से पलायन किए जाने के कारण छोड़ दिया गया है जिनमें सीवर संयोजन किया जाना सम्भव नहीं है। शेष 07 भवनों में से 02 भवनों का सीवर संयोजना किया जा चुका है तथा 05 भवनों के सीवर संयोजना की कार्यवाही गतिमान है।

25010

राज्य स्तरी गंगा समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक– 14.12.2020 को अध्यक्ष महोदय द्वारा देवप्रयाग क्षेत्र में कैचिंग/पम्पिंग के [illegible] सीवर संयोजनों का कार्य दिसम्बर माह तक पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल द्वारा बजट की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। अतः अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देश दिए गए कि परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल तथा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, देवप्रयाग बजट आवंटन हेतु अपने मुख्यालय/शासन स्तर से पत्राचार करें।

उक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर को निर्देशित किया जाता है कि देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत स्थापित एस0टी0पी0 का समय–समय पर निरीक्षण करें तथा डोर टू डोर कूड़ा ऐकत्रीकरण तथा सोर्स सेग्रीगेशन आदि क्रियाकलापों एवं नगरपालिका द्वारा प्रेषित की जाने वाली 24 बिन्दुओं की सूचना की नियमित समीक्षा कर आख्या जिला गंगा समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।

4. दिनांक– 23.11.2020 को सम्पन्न जिला गंगा समिति की बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0– 4 में सभी उपजिलाधिकरियों द्वारा अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका परिषदों के द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण कर आख्या प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। किन्तु उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर द्वारा आख्या प्रस्तुत नहीं की गई इसलिए उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर को इस पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात पुनः सभी गंगा प्राथमिकता शहरों (तपोवन, मुनिकीरेती तथा देवप्रयाग) से सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नगरपालिका परिषदों द्वारा गंगा समिति को दी जाने वाली 24 बिन्दुओं की सूचनाओं (संलग्न) की पुष्टि हेतु तथा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित एस0टी0पी0 का प्रत्येक माह में समय–समय पर अपने–अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करें तथा साथ ही क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन तथा सोर्स सेग्रिगेशन के कार्यों का निरीक्षण कर आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

5. Flood plains Zonation के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नई टिहरी द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण अनुभाग के पत्र संख्या– 1829/II-2-2020-06(15) 2020, दिनांक– 28.09.2020 द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी तथा अधिसूचना को एन0आई0सी0 टिहरी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था तथा दिनांक– 24.10.2020 के राष्ट्रीय समाचार पत्र पर अमर उजाला और क्षेत्रीय समाचार पत्र नव भारत भारत टाइम्स में भी प्रकाशित किया गया था। उक्त अधिसूचना में अवगत कराया गया था कि सूचना प्रकाशित किए जाने के 60 दिवस (दिनांक– 23.12.2020) के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्र प्राधिकारी, टिहरी गढ़वाल के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर लिखित रूप में दिए जाने एवं उन पर सम्यक् रूप से विचार–विमर्श किए जाने के पश्चात प्रतिसिद्धि या निर्बन्धित करने की घोषणा की अन्तिम अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। उक्त के क्रम में 60 दिवस की समयावधि पूर्ण हो चुकी है तथा उक्त अवधि में जिलाधिकारी कार्यालय/सिंचाई खण्ड, नई टिहरी, सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर में हितबद्ध व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

उक्तानुक्रम में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नई टिहरी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय, नई टिहरी को पत्रांक– 1647/सि0ख0न0टि0/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण/2020–21, दिनांक– 24.12.2020 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया है।

6. समी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषदों को निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत किए गए नाला टैपिंग कार्यों की नियमित साफ–सफाई तथा रख–रखाव का कार्य करवाएं एवं इसका उल्लेख गंगा

समिति को प्रेषित की जाने वाली 24 [illegible] 25011 में अवश्य करें तथा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी इन कार्यों की प्रतिमाह समीक्षा कर आख्या प्रस्तुत करें।

7. चमियाला लम्बगांव तथा घनसाली क्षेत्र में प्रस्तावित ट्रेंचिंग स्थल पर चर्चा के क्रम में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वन भूमि हस्तान्तरण हेतु Environment Clearance (E.C.) के लिये आवेदन किया जाना शेष है तथा वर्तमान में ट्रेंचिंग स्थल हेतु भूमि किराए पर ली गई है। E.C. हेतु अतिथि तक आवेदन न किया जाना खेदजनक है।

अधिशासी अधिकारी, चमियाला लम्बगांव तथा घनसाली को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब E.C. हेतु आवेदन करें तथा सूचना जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल को प्रेषित करें तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग से सम्पर्क करें।

8. Legacy Waste के सम्बन्ध में सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषदों के द्वारा अवगत कराया गया कि नगरपालिका परिषदों Legacy waste का निस्तारण किया जा चुका है।

9. Executive Committee की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक– 24.12.2020 में उच्चाधिकारियों द्वारा जिला गंगा समिति को अवगत कराया गया था कि मुनिकीरेती में पूर्णानन्द श्मशान घाट हेतु जो डी0पी0आर0 एन0एम0सी0जी0 को प्रेषित की गई थी वह स्वीकृत कर ली गई है। परन्तु इसके सम्बन्ध में उच्च स्तर से पत्राचार किए जाने पर एस0पी0एन0जी0 द्वारा ई मेल के माध्यम से प्रत्युत्तर दिया गया है कि "The DPR for said Ghat is under examination and administrative approval and expenditure section for proposed Poornanand cremation ghat is still awaited from NMCG, New Delhi."

10. मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत 284 सरकारी चिकित्सा संस्थानों में से 267 संस्थानों द्वारा यू0ई0पी0पी0सी0वी0 के साथ पंजीकरण किया जा चुका है तथा 17 संस्थानों द्वारा पंजीकरण करवाया जाना शेष है। साथ ही 23 गैर सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सभी संस्थानों द्वारा यू0ई0पी0पी0सी0वी0 के साथ पंजीकरण किया जा चुका है।

11. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु नमामि गंगे योजनान्तर्गत प्रभाग को वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य आवंटित किए गए हैं परन्तु वर्तमान में प्रभाग को लक्ष्यों के सापेक्ष वित्त प्राप्त नहीं हुआ है।

12. उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर द्वारा गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल से प्राप्त 65000.00 रु0 की धनराशि में से 55000.00 रु0 की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अवगत कराया गया कि शेष धनराशि दिसम्बर माह में व्यय की जाएगी।

उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर को निर्देशित किया जाता है कि अवशेष धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र गंगा समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। साथ ही उपजिलाधिकारी, टिहरी, नरेन्द्रनगर, धनोल्टी, कण्डीसौड़ को निम्न प्रकार वितरित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

क्र0 सं0	विभाग का नाम	वितरित धनराशि (रू0 में)		धनराशि जिसका UC प्राप्त है (रू0 में)	धनराशि जिसका UC प्राप्त नहीं है (रू0 में)
		2018–19	2019–20		
1	उपजिलाधिकारी, टिहरी	50000.00	15000.00	–	65000.00
2	उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	50000.00	65000.00	–	115000.00
3	उपजिलाधिकारी, कीर्तिनगर	50000.00	15000.00	55000.00	15000.00
4	उपजिलाधिकारी, धनोल्टी,	50000.00	10000.00	50000.00	10000.00
5	उपजिलाधिकारी, कण्डीसौड़	50000.00	00	–	50000.00

अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा उक्त निर्देशों के ससमय अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय: जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 689 /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 8, जनवरी, 2021

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 तेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजना प्रबन्धक, उ0 पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
7– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम (गंगा) श्रीनगर गढ़0।
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम (गंगा) ऋषिकेश/देवप्रयाग। 9–
9– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
10– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
13– सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, टिहरी गढ़वाल।

संलग्नक– यथोक्त।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

दिनांक– 13.07.2020 को जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 26वीं बैठक का कार्यवृत्त।

25013

सर्वप्रथम, अध्यक्ष महोदय, जिला गंगा समिति द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. परियोजना प्रबन्धक, जल निगम, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि मुनिकीरेती क्षेत्रान्तर्गत वार्ड सं0– 10 तथा 11 में सर्वे के उपरान्त 1000 नए Households सामने आए हैं जिन्हें सीवर लाइन से जोड़ा जाना है। इस प्रकार मुनिकीरेती क्षेत्र में कुल 3688 Households है जिनमें से से 1626 को सीवर लाइन से जोडा जा चुका है। शेष 2062 घरो में से 122 के अपने सेप्टिक टैंक हैं उक्त 122 घरो में से सभी को नोटिस दिया जा चुका है तथा 220 घरों के सर्वे की कार्यवाही गतिमान है। शेष 1720 घरों के सीवर संयोजन हेतु पेराजल निगम द्वारा डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त कार्यो में तेजी लाते हुए रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

2. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक के बाद से 5 घरेलू तथा 1 अघरेलू संस्थानो को सीवर लाइन से जोड़ा गया है जिसके उपरान्त सभोवन में सीवर लाइन से जुड़े कुल घरेलू तथा अघरेलू संस्थानों की संख्या 604 हो गई है। वर्तमान में 226 Households को सीवर लाइन से जोड़ा जाना शेष है जिस हेतु 926.84 लाख का प्राक्कलन एस0पी0एम0जी0 को भेजा गया है। साथ ही पिछली बैठक में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुनिकीरेती द्वारा अवगत कराया गया कि 7 Housing Society ऐसी हैं जो कि सीवर लाइन से जुड़ने हेतु सहयोग नही कर रही है। वर्तमान मे उक्त 7 मे 1 Housing Society का सीवर संयोजन कर दिया गया है तथा शेष 6 अघरेलू संयोजनों के अपने सेप्टिक टैंक हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः निर्देश दिए गए कि 6 Housing Society सहयोग नही कर रही हैं उनसे सम्बन्धित उपजिलाधिकारी वार्ता करें तथा तदोपरान्त भी उनके द्वारा सहयोग न किए जाने की दशा मे अग्रेत्तर कार्यवाही की जाए।

3. अधिशासी अभियन्ता, जल सस्थान, देवप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत कुल 609 Households हैं जिनमे से 418 Households पिजिबल हैं। 418 Households में 381 को सीवर लाइन से जोडा जा चुका है। बचे हुए 37 Households जो कि चाह बजार इलाके में हैं वे सीवर लाइन से नीचे स्थित हैं अतः स्लज को पम्प द्वारा सीवर लाइन तक खीचने की व्यवस्था की जानी है जिस हेतु कनेक्शन सीवेज पम्पिंग स्टेशन से लिए जाएंगे तथा विद्युत बिल का भुगतान जल संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही जिन 21 घरो में शौचालय की सगरया थी उनमे से भी 15 घरो में स्लज को पम्पिंग के माध्यम से तथा शेष 6 घरों के स्लज को ग्रैविटी तकनीक से सीवर तक लाया जाएगा।

4. प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 294 चिकित्सा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में से 280 प्रतिष्ठानों (260 सरकारी तथा 20 निजी) ने यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पजीकरण हेतु आवेदन

270 + 10 289

25014

किया गया है जिनमें से सभी 280 [illegible] स्वीकृति प्राप्त हो गई है। शेष 14 प्रतिष्ठानों के द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 352 चिकित्सा संस्थानों की सूची प्रस्तुत की गई जो कि पूर्व में दी गई सूची से भिन्न है। अध्यक्ष महोदय द्वारा आतिथि तक भी स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति स्पष्ट न होने पर नाराजगी जताई गई तथा निर्देशित किया गया कि चिकित्सा संस्थानों की स्थिति को स्पष्ट करेंगे तथा अद्यतन सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषदों को पुनः निर्देश दिए गए कि डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण करने की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। अतः सभी नगरपालिका परिषदें इस पर विशेष ध्यान देंगी। साथ ही कूड़े के Source Segregation हेतु भी प्रभावी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि नगरपालिका परिषदों में घरों से कूड़े के एकत्रीकरण हेतु पर्यावरण मित्रों को आवंटित घरों की सूची भी तैयार कर आगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। सभी घाटों पर इलैक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड की व्यवस्था की जाए जिस पर पानी की शुद्धता अंकित होनी चाहिए।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 399 /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 23 जुलाई, 2020

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश ।
7– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
9– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
10– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
11– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।
14– सभी NGO's को द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती, देवप्रयाग तथ कीर्तिनगर।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

284 - govt.
14 - pvt.

दिनांक–12.06.2020 को जि[illegible] गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति [illegible] 25 वी बैठक का कार्यवृत्त :– 290

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय, जिला गंगा समिति द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पिछली बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर निम्न प्रकार चर्चा की गई –

1– परियोजना प्रबन्धक जल निगम ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि मुनिकीरेती क्षेत्रान्तर्गत 11 कि0मी0 सीवर लाईन बिछाने हेतु सर्वे की कार्यवाही गतिमान है। परन्तु लॉकडाउन अवधि में साबरी कन्सल्टेन्ट संस्था द्वारा किये जा रहे सर्वे में रूकावट आ गई थी। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त संस्था से सम्पर्क कर सर्वे का कार्य अगस्त माह तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

डालवाला क्षेत्र में जल निगम द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा डी0पी0आर0तैयार की जा रही है।

मुनिकीरेती क्षेत्र में कुल 2688 Households में से 1626 को सीवर लाईन से जोडा जा चुका है। शेष 1062 घरों में से 122 के अपने सेप्टिक टैंक है तथा 122 घरों में से सभी को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के माध्यम से नोटिस दिया जा चुका है तथा 720 घरों को सीवर लाईन से जोड़ा जाना शेष है। शेष 220 घरों के सर्वे की कार्यवाही गतिमान है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि अधिशासी अधिकारी,नगरपालिका परिषद,मुनिकीरेती अपने क्षेत्र का पुनः ड्रोन सर्वे करायेंगे तथा रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

2– अधिशासी अभियन्ता,उत्तराखण्ड जल संस्थान,ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया है कि पिछली बैठक के बाद से 03 नये घरों को सीवर लाईन से जोडा गया है जिसके उपरान्त तपोवन में सीवर लाईन से जुडे कुल Households की संख्या 367 हो गई है। वर्तमान में 230 Households को सीवर लाईन से जोड़ा जाना शेष है जिस हेतु 925.84 लाख का प्राक्कलन एस0पी0एम0जी0 को भेजा गया है। साथ ही अधिशासी अधिकारी,नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती द्वारा अवगत कराया गया कि 7 Housing Society ऐसी हैं जो कि सीवर लाईन से जुडने हेतु सहयोग नही कर रही है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि एस0पी0एम0जी0 से निर्देश प्राप्त होते ही बचे हुए घरों को सीवर लाईन से जोड़ने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। साथ ही जो Housing Society सहयोग नहीं कर रही है उनसे सम्बन्धित उपजिलाधिकारी वार्ता करें तथा तदोपरान्त भी उनके द्वारा सहयोग न किये जाने की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

3– अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान देवप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत कुल 609 Households है जिनमें से 418 Households फिजिबल है। 418 Households में 381 को सीवर लाईन से जोड़ा जा चुका है। बचे हुए 37 Households जो कि बाह बाजार इलाके में है वे सीवर लाईन से नीचे स्थित हैं । अतः स्लज को पम्प द्वारा सीवर लाईन तक खींचने की व्यवस्था करनी होगी जिस हेतु 2 Hp पम्प स्थापित करने हेतु 26.90 लाख का प्रस्ताव एस0पी0एम0जी0 को प्रेषित किया गया है।

साथ ही बचे हुए 112 घर जो कि सीवर लाईन से जोड़े जाने हेतु फिजिबल नही है उन्हें सेप्टेज मैनेजमेन्ट प्लान के अन्तर्गत रखा गया है जिस पर कार्यवाही शहरी विकास विभाग द्वारा की जानी शेष है।

इसके अलावा 58 घर ऐसे है जो कि खण्डहर हो चुके है। साथ ही 14 घर ऐसे है जिनमें शौचालय नदी की ओर है। तथा 07 घरों को सीवर से जोड़ा जाना सम्भव नही है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि 112 घरों को सेप्टेज मैनेजमेन्ट प्लान से जोड़े जाने की कार्यवाही में तेजी दिखाते हुए सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक में सकारात्मक परिणामों के साथ उपस्थित होंगे । साथ ही 14 घर जिनके शौचालय नदी की ओर है उनके सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित विभाग उपजिलाधिकारी देवप्रयाग के साथ संयुक्त निरीक्षण करके इन घरों हेतु स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सड़क के स्तर पर शौचालय निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करेंगे।

Scanned with CamScanner

25016

शेष 07 घरों की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद देवप्रयाग को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र का पुनः ड्रोन सर्वे करायेंगे तथा रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। 291

-2-

4— प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 294 चिकित्सा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में से 280 प्रतिष्ठानों ने यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया है जिनमें से 270 प्रतिष्ठानों को स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा 10 प्रतिष्ठानों को स्वीकृति प्राप्त होना शेष है। तथा शेष 14 प्रतिष्ठानों के द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

5— प्रभागीय वनाधिकारी,टिहरी वन प्रभाग को निर्देशित किया गया कि नदी के किनारों पर वृक्षारोपण हेतु स्थलों का चयन करेंगे तथा आगामी वृक्षारोपण काल में गंगा समिति के सभी सदस्यों के द्वारा ऐसे स्थलों पर वृक्षारोपण किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अधिशासी अधिकारी,नगरपालिका परिषदों को निर्देश दिये गये कि डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण करने की व्यवस्था को और सुदृढ बनाने की आवश्यकता है। अतः सभी नगरपालिका परिषदें/पंचायतें विशेष ध्यान देंगी। साथ ही कूड़े के Source Segregation हेतु भी प्रभावी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये है कि नगरपालिका परिषदो में घरों से कूड़े के एकत्रीकरण हेतु पर्यावरण मित्रों को आवंटित घरों की सूची भी तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे,तथा सभी घाटों पर इलैक्ट्रॉनिक साईन बोर्ड की व्यवस्था की जाय जिस पर पानी की शुद्धता अंकित होनी चाहिए।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 332/21–47(नमामि गंगे) दिनांक,नई टिहरी,25 जून 2020

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1–प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी/नोडल अधिकारी,वन प्रभाग, नई टिहरी।
2–उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर/कीर्तिनगर।
3–मुख्य,चिकित्साधिकारी,टिहरी,गढ़वाल।
4–परियोजना प्रबन्धक,उ0निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई मुनिकीरेती/ऋषिकेश।
5–परियोजना प्रबन्धक,उ0निर्माण एवं अनुरक्षण श्रीनगर गढ़वाल।
6–अधिशासी अभियन्ता,पेयजल निगम/जल संस्थान देवप्रयाग।
7–अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड, प्रथम नई टिहरी।
8–अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढवाल।
9–परियोजना प्रबन्धक स्वजल नई टिहरी ।
10–प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी–देहरादून।
11–सहायक अभियन्ता पेयजल निगम, मुनिकीरेती।
12–जिला पर्यटन विकास अधिकारी टिहरी गढवाल।
13–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, टिहरी गढ़वाल।
14–समस्त सदस्य जिला गंगा समिति, टिहरी गढवाल।

280 applied for Reg^n.
280 authorized / 260 govt.
Pvt. 20
14 yet to apply. – PCB.
352 //

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

Scanned with CamScanner

Minutes of meeting of the 23rd Meeting of the District Ganga Committee, Tehri Garhwal District held on 13th March, 2020 under the chairmanship of the District Magistrate/Chairman, District Ganga Committee

The District Magistrate/Chairman, District Ganga Committee, Tehri Garhwal welcomed all the members and the following agenda and compliance of decisions of last meeting were discussed and minutes recorded as given below:

1. In Tapovan, the number of household connections is 364, which is the same as reported in the last meeting. There are 236 Hotels, Ashrams, Housing societies identified, out of which 229 have been connected to sewer lines. Regarding the 13 non domestic entities about which information was sent to UEPPCB by Uttarakhand Jal sansthan, Rishikesh, it was clarified that 6 have been connected and the rest have individual soak pits/septic tanks. The chairman directed that notices should be issued to the individual owners of the flats.

Sl. No	Entities	Feasible connections	Connections established	Unconnected	Remarks
1	Domestic	364	364	0	Same data as last meeting
2	Hotels	170	167	3	Out of 13 entities whose information had been sent to UEPPCB, 6 have already been connected to sewer lines
3	Housing societies	4	3	1	
4	Dharamshalas and ashrams	25	23	2	
5	Café, schools others	37	36	1	
Total		600	593	7	

6 will remain

The Laboratory test reports for water samples collected on 20/02/2020 from the 3.5 MLD Tapovan STP have been submitted to the committee and the parameters are within prescribed limits. Copies of the sludge disposal and screening log book have also been submitted to the District Ganga Committee. Sludge disposal is being done by depositing at the Lakkargad STP since there is no drying bed onsite, the sludge is picked up free of cost by locals for earth filling works. Chairman directed that waste-to-energy options be explored for sludge use in the form of fuel briquettes or for preparing insulation material. It was also reported to the committee that in the new survey of households, 720 households have been identified that are not connected the sewer network, Chairman directed that feasibility of connections should be checked within 15 days and proposal should be immediately prepared for laying connections.

293

2. In the Muni Ki Reti area, the total number of domestic connections is now 1099. 2 new connections have been reported. Out of 55 non domestic entities identified, 50 have been connected and 5 Dharamshalas/ashrams have their own septic tanks.

Sl. No	Entities	Feasible connections	Connections established	Unconnected	Remarks
1	Domestic	1099	1099	0	2 new connections since the last meeting
2	Hotels	11	9	2	2 hotels, 3 Dharamshalas/ashrams have their own septic tanks. Information of the numbers and size of septic tanks have been submitted.
3	Housing societies	33	30	3	
4	Dharamshalas and ashrams	3	3	0	
5	Café, schools others	8	8	0	
Total		1154	1149	5	

In Dhalwala 7.50 MLD STP, It was reported before the committee that civil works have been completed. SCADA is yet to be installed and laboratory equipment will arrive at the site by March end. It was also reported that cultures are being developed and about 2 months will be required to achieve BOD parameters. Chairman directed that nalas under bioremediation are to be connected to the inlet of the STP upon completion. With regard to the 5 MLD STP, all equipment have been fitted, SCADA has also been installed and will be online by the end of March. Flow meter is fixed and BOD parameters have been achieved. All civil, electrical and mechanical works of the 5 MLD STP at Chorpani is 100 % completed.

Chairman directed the EO Nagar Pallika Munikireti to designate compost pit within 15 days for sludge disposal from the two STPs.

Chairman also directed that plan for use of treated water should be made. Project Manager, UKPJN reported that the 7.5 MLD STP is near the river and for the 5 MLD STP, a proposal for use of treated water has been sent to SPMG. Chairman directed the Project Manager to provide a copy of the proposal to the District Ganga Committee and also liaison with the DFO, Narendranagar Forest Division for feasibility of use of treated water in the Ganga Vatika and Sushila Tiwari Herbal garden at Bhadrakali.

In the Dhalwala area, it was reported in the meeting that survey has been completed in 9 out of 11 wards and that survey sheets will be prepared by 15th of March and DRP will be prepared by 1st April 2020. In Muni ki reti, there are 122 households identified that are not connected to the

294

sewer network, the Chairman directed that connections should be established by 15th April 2020.

3. In Devprayag area, the Executive Engineer, Jal sansthan, Devprayag reported that 326 connections have been made. The department has been directed to present their report in the format in which other Ganga priority towns are also providing information for ease of compiling at District level. In the 112 households where septage management is to be done, chairman directed EO Nagar Pallika Devprayag to inform till when the work will be done. It was reported in the meeting that for 38 households, proposal for installing a 2HP pump has been sent to SPMG. Project Manager, Peyjal Nigam (Ganga) Srinagar reported that out of 1448 Kms sewer lines to be laid, 600 Kms has been laid. Chairman directed that works should be expedited and progress reported in the next meeting.

26.90 lakh est. sanctioned

4. The representative of the Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board (UEPPCB) has stated in the meeting that 199 hotels, ashrams, Dharamshalas have been surveyed in the Byasi and Rishikesh area and there are 13 hotels identified that have more than 20 rooms but do not have STPs. The chairman directed the representative of the UEPPCB to issue notice and give the non-complying hotels 15 days' time to comply. Chairman also directed the UEPPCB representative to put up digital/electronic display boards of water quality parameters for public display in prominent locations.

5. Executive Officers (EOs) of the local bodies have presented reports of their activities in the 24 point prescribed format. EO Nagar Pallika Muni ki reti reported that work order has been issued for putting up PA system to disseminate message about clean Ganga. Chairman directed EOs of municipal bodies to put up proposal in their respective boards for electric, wood or gas crematoriums and also promote the practice. EOs also raised concerns for similar arrangement for dealing with animal carcasses, chairman directed that proposals should be put up in the boards and approval obtained. Chairman expressed concern that burning of waste is being practiced in different towns and strictly directed all SDMs to ensure that no burning of waste happens in their jurisdictions and also to take stringent action wherever it happens and reports of such action should be communicated to the District Ganga Committee. EO Kirtinagar representative reported that the slaughter house construction is 90 % completed and only water and electricity connection are to be made which will be completed within 15 days. The chairman directed that Consent to Establish and Consent to Operate should be timely obtained from the UEPPCB.

6. The office of the CMO has presented a report dated 26/02/2020 that contains 263 Government healthcare establishments out of which as on the day of this meeting 253 are registered with the UEPPCB, out of which UEPPCB has provided authorization to 201 non-

bedded health establishments and there are 52 bedded health establishments for which Combined Consent and Authorization (CCA) is pending for approval and will be issued by first week of April 2020. The report also has list of 49 privately owned healthcare establishments out of which 17 establishments have applied for registration from the UEPPCB and authorization has been obtained for 11 health establishments and 6 are pending which will be issued by first week of April 2020. The chairman directed the UEPPCB official, CMO and SDMs to take action against non-complying health establishments as per NGT orders pertaining to management of Biomedical waste. The representative of the UEPPCB will provide the relevant orders of the NGT to the committee and the SDMs too.

7. For flood plain zonation works, Sajra sheets and other documents have been sent to Secretary, Irrigation, Government of Uttarakhand on 25th February 2020 and Notification from the Government is to be issued.

8. Preparations for the Swachhta Pakhwada were also discussed in the meeting as per directions from the National Mission for Clean Ganga, Ministry of Jal Shakti, Government of India. The directive from the ministry in Annexure I has tentatively fixed 18th March as the mega event date for Tehri District. It was decided in the meeting that EOs in their respective jurisdictions will be nodal and SDMs in their respective jurisdictions will be nodal and oversee the event organization. The tentative budget allocated to Tehri district as per the communication received from SPMG is Rs. 2, 25, 000. The allotment is made as under:

Allocation for	Allotted Amount (In Rs.)
SDM Tehri	15, 000
SDM Narendranagar	15, 000
SDM Kirtinagar	15, 000
SDM Pratapnagar	15, 000
SDM Ghansali	10, 000
SDM Dhanaulti	10, 000
Nagar Pallika Muni Ki reti, New Tehri, Narendranagar, Devprayag and Chamba	15,000 each per Nagar Pallika
Nagar Panchayat Chamiyala, Kirtinagar, Ghansali, Lambgaon, Gajja	10,000 each per Nagar Panchayat
Zila Panchayat Tehri	20,000

9. All departments to whom funds have been provided for organizing awareness and cleanliness campaigns are directed to submit Utilization certificate at the earliest to the committee.

The meeting concluded with thanks to the Chair.

(डा0 वी0षणमुगम)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 2444 /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 13 मार्च, 2020

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
7– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
9– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पाबकीदेवी।
10– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
11– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

Minutes of meeting of the 22nd Meeting of the District Ganga Committee, Tehri Garhwal District held on 28th February, 2020 under the chairmanship of the District Magistrate/Chairman, District Ganga Committee

The District Magistrate/Chairman, District Ganga Committee, Tehri Garhwal welcomed all the members and the following agenda and compliance of decisions of last meeting were discussed and minutes recorded as given below:

1. In Tapovan, till last date of meeting, the total number of Households connected was 364. Five additional connections have been reported in the current meeting and therefore the total number of domestic connections is now 364. There are 236 Hotels, Ashrams, Housing societies identified, out of which 229 have been connected to sewer lines. Regarding the 13 non domestic about which information was sent to UEPPCB by Uttarakhand Jal sansthan, Rishikesh, it was clarified that 6 have been connected and the rest have individual soak pits/septic tanks. The list has been provided to the District Ganga Committee by the Rishikesh sub-division of the Uttarakhand Jal sansthan.

Sl. No	Entities	Feasible connections	Connections established	Unconnected	Remarks
1	Domestic	364	364	0	5 new connections since the last meeting
2	Hotels	170	167	3	Out of 13 entities whose information had been sent to UEPPCB, 6 have already been connected to sewer lines
3	Housing societies	4	3	1	
4	Dharamshalas and ashrams	25	23	2	
5	Café, schools others	37	36	1	
Total		600	593	7	

The Laboratory test reports for water samples from the 3.5 MLD Tapovan STP have been submitted to the committee and the parameters are within prescribed limits. Copies of the sludge disposal log book have also been submitted to the District Ganga Committee.

2. In the Muni Ki Reti area, the total number of domestic connections is 1097. 12 new connections have been reported. Out of 56 non domestic entities identified, 50 have been connected and 6 Dharamshalas/ashrams have their own septic tanks.

Sl. No	Entities	Feasible connections	Connections established	Unconnected	Remarks
1	Domestic	1097	1097	0	12 new connections since the last meeting
2	Hotels	11	9	2	2 hotels, 4 Dharamshalas/ashrams have their own septic tanks. There are no housing societies in the area. Information of the numbers and size of septic tanks have been submitted.
3	Housing societies	34	30	4	
4	Dharamshalas and ashrams	3	3	0	
5	Café, schools others	8	8	0	
Total		1153	1147	6	

In Dhalwala 7.50 MLD STP, 90 % of civil works have been completed and 80 % of electrical and mechanical works have been completed. All civil, electrical and mechanical works of the 5 MLD STP at Chorpani is 100 % completed.

3. In Devprayag area, the Executive Engineer, Jal sansthan, Devprayag has not provided information in the format prescribed. The reported submitted to the committee in the meeting indicates 609 connections in Sangam Bazaar, Shanti Bazaar and Bah Bazaar as reported in previous meetings. Information in next meeting to be provided in the format submitted for other towns.

4. The office of the CMO has presented a report dated 26/02/2020 that contains 263 Government healthcare establishments out of which 180 have obtained approval from the UEPPCB. The report also has list of 49 privately owned healthcare establishments out of which 17 have obtained approval from the UEPPCB. Chairman directed that remaining approvals from the UEPPCB should be obtained as soon as possible and progress of registration by private healthcare establishments should also be strictly monitored and where necessary notices should be issued to non-complying establishments.

5. Executive Officers (EOs) of the local bodies have presented reports of their activities in the 24 point prescribed format. The nomination for NGO members for the District Ganga Committee have been provided by the Eos of the Ganga priority towns, however no profile has been provided for the nominations so Chairman has directed that nominations should be sent again to the committee with detailed profile (description of their organization or works undertaken by them for clean Ganga) of individuals nominated.

6. The forest department reported that a cleanliness and awareness campaign among hotels and resorts in the Kanatal area is being organised on the 29th February involving school children and hotel owners and employees. Under forestry interventions for the FY 2019-2020, ASW (Advanced Soil Work) targets have been issued to Forest Divisions by the office of the CCF, Namami Ganga and works are in progress and will be completed by March. Budgetary and Physical target allocation for Soil and Moisture Conservation works have not been received in the current year.

7. All departments to whom funds have been provided for organizing awareness and cleanliness campaigns have been directed to submit Utilization certificate at the earliest to the committee.

The meeting concluded with thanks to the Chair.

(डा0 वी0षणमुगम)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 406 /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 13 मार्च, 2020

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश ।
7– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
8– परियोजना अभिवन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
9– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
10– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
11– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

300

Minutes of meeting of the 21st Meeting of the District Ganga Committee, Tehri Garhwal District held on 3rd February, 2020 under the chairmanship of the District Magistrate/Chairman, District Ganga Committee

At the outset, the District Magistrate/Chairman, District Ganga Committee, Tehri Garhwal welcomed all the members and the following agenda and compliance of decisions of last meeting were discussed and minutes recorded as given below:

1. In Tapovan, till last date of meeting, the total number of Households connected was 355. Four additional connections have been reported in the current meeting and therefore the total number of domestic connections is now 359. There are 236 Hotels, Ashrams, Housing societies identified, out of which 228 has been connected to sewer lines. Regarding the 13 non domestic about which information was sent to UEPPCB by Uttarakhand Jal sansthan, Rishikesh, it was clarified that 5 have been connected and the rest have individual soak pits/septic tanks.

Sl. No	Entities	Feasible connections	Connections established	Unconnected	Remarks
1	Domestic	359	359	0	4 new connections since the last meeting
2	Hotels	170	167	3	Out of 13 entities whose information had been sent to UEPPCB, 5 have already been connected to sewer lines
3	Housing societies	4	2	2	
4	Dharamshalas and ashrams	25	23	2	
5	Café, schools others	37	36	1	
Total		595	587	8	

Regarding the Rs. 962.42 Lakh estimate for additional 6.5 Kms of sewer lines to cater to the unconnected areas of Tapovan and adjoining areas (220 households) which was earlier submitted to the SPMG, Dehradun for approval vide. Letter No. 3557/V-3/148 Dated 5/10/2019 of the General Manager, Construction circle (Ganga), Uttarakhand Peyjal Nigam, it was reported that revised estimate is now being prepared for seeking approval from GoI.

The Laboratory test reports for water samples from the 3.5 MLD Tapovan STP have been submitted to the committee and the parameters are within prescribed limits. Copies of the sludge disposal log book have also been submitted to the District Ganga Committee.

2. In the Muni Ki Reti area, the total number of domestic connections is 1085. 8 new connections have been reported. Out of 54 non domestic entities identified, 49 have been connected and 5 Dharamshalas/ashrams have their own septic tanks.

301

Sl. No	Entities	Feasible connections	Connections established	Unconnected	Remarks
1	Domestic	1085	1085	0	8 new connections since the last meeting
2	Hotels	11	9	2	2 hotels, 3 Dharamshalas/ashrams have their own septic tanks
3	Housing societies	33	30	3	
4	Dharamshalas and ashrams	2	2	0	
5	Café, schools others	8	8	0	
Total		1139	1134	5	

In Dhalwala 7.50 MLD STP, 86 % work has been completed. The civil works have been completed and electromechanical works will be completed in 15 days. The laboratory is completed and equipment will be installed in 15 days. Chairman directed that the installation of SCADA should be done at parallelly. The chairman enquired about the availability of space at site for dumping sludge, however since space is very limited at site it was reported that sludge generated will be deposited in the trenching ground of the Nagar Nigam. Chairman directed that opportunities for using the sludge in Government and private nurseries/ gardens should be explored and proper log books of sludge generated and disposed should be maintained. It was reported that trials will be started in February.

The 5 MLD STP at Chorpani is undergoing trial and testing. Representative from the Peyjal Nigam informed that the STP is currently receiving about 3 MLD sewage and BoD parameters are yet to be achieved. Chairman suggested that tests can also be conducted from PCRI, Haridwar. Consent to Establish has been obtained for both 5 MLD and 7.50 MLD STPs.

3. In Devprayag area, the Executive Engineer, Jal sansthan has provided information that 216 domestic and non-domestic entities are connected by sewer lines. There is mismatch with data presented in earlier meetings and the Executive Engineer is directed to verify information and present clear data in the next meeting.

Sl. No	Entities	Feasible connections	Connections established	Unconnected	Remarks
1	Domestic	204	204	0	
2	Hotels	3	1	2	Regarding the 2 unconnected entities, no notices have been issued nor any remarks given in report.
3	Housing societies	0	0	0	
4	Dharamshalas and ashrams	0	0	0	
5	Café, schools others	11	11	0	
Total		218	216	2	

302

4. District Tourism Officer has provided the list of 25 hotels in Devprayag, Kirtinagar and Ghansali and the measurements of their soak pits. Out of the 25, 1 hotel in Devprayag has sewer line connection and 3 hotels in Kirtinagar have their own STPs. The Tourism officer reported that litter from the hotels is collected in waste bins and collected via the door to door collection of the Local bodies in the towns. Additionally, the tourism department has provided the list of 59 hotels which have more than 20 rooms, most of the hotels have their own STPs or are connected to sewer network, only four hotels have soak pits and their measurements have been provided to the Committee.

Chairman of the Committee directed that SDMs in their respective jurisdictions should form joint teams of Tourism, Jal sansthan, UEPPCB and other concerned departments and check whether the soak pits are adequate and STPs are in working condition. The reports of such inspection are to be submitted to the District Ganga Committee.

5. Regarding the progress of floodplain zonation works in the District, The Executive Engineer, Irrigation Division, informed the Committee that On-ground survey, superimposing on sajra sheets in Tehsil Ghansali for both banks of the Bhilangana River from Gangi till Ghansali and demarcation of 25, 50 and 100 year floodplain levels for the Bhilangana River has been completed. It was also reported that registers for Narendranagar, Pawki Devi, Gajja, Devprayag and Kirtinagar are being finalized. Chairman directed to complete the works in 15 days and prepare draft notification by end of February.

6. The office of the CMO has presented a report dated 01/02/2020 that contains 263 Government healthcare establishments out of which 115 have obtained approval from the UEPPCB. The report also has list of 47 privately owned healthcare establishments out of which 7 have obtained approval from the UEPPCB. The data is not consistent with numbers reported to the District Ganga Committee in the previous meetings. Chairman expressed displeasure at the slow progress and data mismatch in current report and previous reports and directed the CMO Tehri to provide updated and clear information in the next meeting failing which show-cause notice will be issued.

7. Executive Officers (EOs) the local bodies have presented their reports of their activities in the prescribed format. EO Nagar Pallika, Muni Ki Reti has also submitted details of Nala cleaning works with solid waste generated and photos of cleaning and tapping works. EO Nagar Panchayat Kirtinagar has submitted two recommendations of NGOs for inclusion the District Ganga Committee which will be taken up for consideration. Recommendation from Devprayag and Muni Ki Reti has not been received and Chairman directed to send recommendation in 1 week. Chairman also directed that regular cleaning of ghats and changing rooms should be done and to strictly avoid the practice of burning of waste in the collection chambers/containers. Chairman directed that SDMs in their respective jurisdictions should ensure that burning of waste in collection chambers/containers is not done. Chairman also directed that efforts should be taken up to promote electric cremation and directed EOs to move proposals for installing electric crematorium in the respective boards.

25028

303

8. In the end, the chairman directed the offices to whom funds have been allocated through the District Ganga Committee for organizing awareness activities to conduct their programs and ensure wide publicity and submit Utilization Certificates in prescribed format at the earliest.

The meeting concluded with thanks to the Chair.

(डा0 वी0षणमुगम)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 284 /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 10 फरवरी फ़ेब्रुअरि, 2020

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
7– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
9– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
10– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
11– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।

T.C
F.N-9

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

टिहरी वन प्रभाग
प्राप्त हुआ 3-2-20
पत्र सं. 26-1
दिनांक 12/02/2020

25029

Minutes of meeting of the 20th Meeting of the District Ganga Committee, Tehri Garhwal District hold on 3rd January, 2020 under the chairmanship of the District Magistrate/Chairman, District Ganga Committee

At the outset, the District Magistrate/Chairman, District Ganga Committee, Tehri Garhwal welcomed all the members and the following agenda and compliance of decisions of last meeting were discussed and minutes recorded as given below:

1. In Tapovan, till date the total number of Households connected is 355. There are 234 Hotels, Ashrams, Housing societies identified, out of which 221 has been connected to sewer lines. Regarding the 13 non domestic entities about which the UEPPCB was directed in the last meeting for clarification, the UEPPCB has informed that an inspection was carried out on 27/12/2019 in which it was found that 4 hotels have their sewer lines connected to the sewer network of the Jal sansthan, 1 hotel (Ms. Tapovan Resort) has its own STP and 2 ashrams (Mohish ashram and Ganga Amrut Sanyas ashram) have their own septic tanks into which the waste is channeled; there are two housing societies which mostly consist of 1 BHK flats and most of which is unoccupied as of date. The representative of the UEPPCB has said that waste from the occupied flats is disposed in septic tanks inside the housing society complex.

   The Rs. 952.43 Lakh estimate for additional 6.5 Kms of sewer lines to cater to the unconnected areas of Tapovan and adjoining areas (220 households) submitted to the SPMG, Dehradun for approval vide. letter No. 3557/V-3/148 Dated 5/10/2019 of the General Manager, Construction circle (Ganga), Uttarakhand Peyjal Nigam, Haridwar is yet to receive approval from the SPMG.

2. In the Muni Ki Reti area, the total number of connections is 1070. No new connections have been reported since the last review meeting.

   The 5 MLD STP at Chorpani is undergoing trial and testing. Regarding the 7.50 MLD STP at Chorpani it was reported that 76 % of work has been completed and Consent to Establish has been obtained for both 5 MLD and 7.50 MLD STPs.

3. In Devprayag area, the number of household connections are reportedly the same as in the last review meeting. There are total 609 Households identified as per list provided by the Nagar Pallika. Our of 609, 279 are connected by sewer lines, 272 are yet to be connected (Out of which 7 are not feasible and for 112 households sewage will be disposed by septage management for which EoI has been invited by the SPMG to design vehicle for collection and transportation of septage and 52 can be connected to the sewer network provided owners shift their toilets. The Assistant Engineer, Jal Sansthan

305

Devprayag did not have information regarding notices issued by the department. Chairman directed that clarification should be provided in the next meeting if any notices have been issued and what actions have been taken thereafter.

4. The official of the Tourism department was expected to present additional report on hotels regarding 1) management and disposal of treated water 2) solid waste disposal and 3) if there is STP or if there is soak pits, then measurements of such structures. The Tourism officer has requested for more time to complete the report. Chairman directed the Tourism officer to expedite the work and present completed report regarding the Ganga priority towns within 10 days.

5. Regarding the progress of floodplain zonation works in the District, The Executive Engineer, Irrigation Division, informed the Committee that On-ground survey and superimposing on sajra sheets in Tehsil Ghansali for both banks of the Bhilangana river from Gangi till Ghansali has been completed. Also it was reported that 75 % works of demarcating the 25, 50 and 100 year floodplain levels for the Bhilangana river has been completed. On the Ganga river, it was reported that for tehsil Narendranagar superimposing works have been completed and for tehsil Devprayag stretch of the Ganga, superimposing works are in progress. In the Bhagirathi river stretch, 25, 50 and 100 year floodplain level demarcation has been started and is in progress. For the Alaknanda river, in both Devprayah and Kirtinagar tehsil, superimposing works have been completed. The chairman directed that the draft notification should be prepared by end of January 2020 and the process of hearing representations/complaints should be completed by the end of April 2020 so that the final notification can be notified by the beginning of May 2020.

6. The Chairman directed the medical department to present updated report of status of registration of Government and Private healthcare institutions in the next meeting. The current report put before the committee contains the list of 262 Government healthcare establishments and 50 privately owned healthcare establishments. 120 non-labelled

7. Executive Officers (EOs) the local bodies have presented their reports in the prescribed format. The chairman directed the Zila panchayat Tehri to coordinate with the forest department and organize swacchta campaign and take up activities for awareness generation like signages and wall paintings. In this regard, Chairman directed that a sum of Rs. 1 Lakh be given to the forest department from the District Ganga Committee fund.

8. The chairman also noted that the present NGO members of the District Ganga Committee have not attended any meeting of the District Ganga Committee; also it is felt that the opportunity to participate and contribute for a cleaner Ganga should be extended to other environmentally conscious and socially active citizens and therefore the Chairman of the committee directed that, periodically, new members representing Non Governmental Organisations may be nominated replacing existing members. The chairman directed that three NGO members from the three Ganga priority towns may be

306

nominated in place of the current members. In this regard, The EOs of the concerned Nagar Pallikas/Nagar Panchayat will nominate names and present to the committee for consideration.

The meeting concluded with thanks to the Chair.

(डा0 वी0षणमुखम)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 218 /21-47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, 10 जनवरी , 2020

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेगी रोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश ।
7– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
9– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
10– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
11– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।

टिहरी वन प्रभाग
रजिस्टर 303
फाइल 27
दिनांक 14/01/2020

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

T.C.
Yours Dicted compliance
13/01/20

25032

307

दिनांक– 08.08.2020 को जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल की 27वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सर्वप्रथम, अध्यक्ष महोदय, जिला गंगा समिति द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया। बैठक में आगामी कार्यक्रम **'Scheme for Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration 2020 (NMCG)'** के लिए जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल द्वारा ऑनलाइन आवदेन किए जाने हेतु मुख्य बिन्दुओं पर निम्न प्रकार चर्चा की गई–

1. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक के बाद से 2 घरेलू संस्थानों को सीवर लाइन से जोड़ा गया है जिसके उपरान्त तपोवन में सीवर लाइन से जुड़े कुल घरेलू तथा अघरेलू संस्थानों की संख्या 606 हो गई है। वर्तमान में 226 Households को सीवर लाइन से जोड़ा जाना शेष है जिस हेतु 925.84 लाख का प्राक्कलन एस0पी0एम0जी0 को भेजा गया है।
2. जिला गंगा समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0– 4 में दिए गए निदेशों के अनुसार प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत 284 सरकारी चिकित्सा संस्थानों में 273 के द्वारा यू0ई0पी0पी0सी0बी0 के साथ पंजीकरण कराया गया है तथा 11 संस्थानों का पंजीकरण होना शेष है। इसके साथ ही 20 निजी चिकित्सा संस्थानों में से 10 के द्वारा पंजीकरण कराया गया है तथा 10 पंजीकरण हेतु शेष हैं। कुल 21 संस्थानों का पंजीकरण किया जाना शेष है।
3. अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी जल संस्थानों के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिला गंगा समिति के अन्तर्गत वर्ष–2018–19 एवं वर्ष–2019–20 की अवधि में किए गए निर्माण कार्यों तथा गंगा स्वच्छता हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के फोटोग्राफ उक्त कार्यक्रम हेतु ऑनलाइन आवेदन के दौरान PM Awards Website में अपलोड किए जाने हैं अतः सभी अधिकारी अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत किए गए एस0टी0पी0, नाला ट्रैपिंग, तथा गंगा स्वच्छता हेतु चलाए गए स्वच्छता अभियानों एवं जागरूकता अभियानों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग को dfotehri_ua@rediffmail.com पर ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। साथ ही गंगा स्वच्छता हेतु उक्त अवधि में यदि कोई अग्रणी कार्य अथवा कोई ऐसा सराहनीय कार्य जिसके लिए विभाग को पुरस्कृत किया गया हो तो ऐसे कार्य की भी एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर उक्त ई–मेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।सभी पदाधिकारी, नगरपालिका तथा नगरपालिका परिषदों को निर्देशित किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण प्रणाली से लाभान्वित परिवारों की सूची निम्न प्रपत्रानुसार तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें–

क्र0 सं0	नाम	पता	फोन न0	सेवा उपलब्धता
1	2	3	4	5

4. **'Scheme for Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration 2020 (NMCG)'** कार्यक्रम में ऑनलाइन आवदेन हेतु चर्चा के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गंगा नदी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गंगा घाटों में किए गए विशिष्ट कार्यों यथा पानी की शुद्धता से सम्बन्धित साइन बोर्ड, घाटों पर सी0सी0 कैमरा, पीए सिस्टम लगवाने आदि के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग को उपलब्ध कराएंगे।

साथ ही लोगों द्वारा ठोस कूड़े को नदी में फेंकने से रोकने हेतु किए गए जागरूकता अभियानों, नुक्कड़ नाटकों आदि की टिप्पणी तथा फोटोग्राफ तथा साथ ही उक्त सभी निर्देशों के अनुपालनार्थ आवश्या

टिहरी वन प्रभाग
रजिस्टर न0.....
फाइल न0.....
दिनांक.....

Minutes of meeting of the 19th Meeting of the District Ganga Committee, Tehri Garhwal District held on 17th December, 2019 at 25033 Pallika Hall, Muni Ki Reti, under the chairmanship of the District Magistrate/Chairman, District Ganga Committee

308

At the outset, the District Magistrate/Chairman, District Ganga Committee, Tehri Garhwal welcomed all the members and the following agenda and compliance of decisions of last meeting were discussed and minutes recorded as given below:

1. Assistant Engineer from the Uttarakhand Jal sansthan, Rishikesh informed that in Tapovan an additional 16 connections have been made and therefore as of date the total number of Households connected is now 355 (In last meeting, the total number of connections was 339). Additionally, as per latest report presented by the Assistant Engineer before the committee, there are 234 Hotels, Ashrams, Housing societies identified, out of which 221 has been connected to sewer lines and there are 13 entities (6 hotels, 2 housing societies, 2 dharamshalas and 3 cafés) that are unconnected as on the day of the meeting. It was informed by the Assistant Engineer, that information pertaining to the 13 entities has been sent to the UEPPCB. Representative of the UEPPC informed the committee that notices have been issued to the 13 entities and that the housing societies are composed of independent villas which have their own soak pits. The Chairman expressed displeasure over no further action being initiated in pursuance of the notices served and directed the representative of the UEPPCB to report action taken/clarification in the next meeting of the Committee.

   It was also informed in the meeting that for an additional 6.5 Kms of sewer lines to cater to the unconnected areas of Tapovan and adjoining areas (220 households) an estimate of Rs. 962.42 Lakh has been submitted to the SPMG, Dehradun for approval vide. letter No. 3557/V-3/148 Dated 5/10/2019 of the General Manager, Construction circle (Ganga), Uttarakhand Peyjal Nigam, Haridwar. It was informed to the committee that no approval or sanction has been obtained as of date.

   In the Tapovan area, the 3.5 MLD STP is functional and online monitoring system is operational. Laboratory test report of water quality parameters from the 3.5 MLD STP from sample taken on 26/11/2019 was presented and the readings are within prescribed limits. Also, copies of log book maintained for sludge disposal were presented to the committee. All 5 Nalas have been tapped in the Tapovan area. Chairman directed the concerned officials to monitor and ensure regular cleaning and upkeep and also maintain log books and records properly.

Scanned by CamScanner

2. In the Muni Ki Reti area, Assistant Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan, Rishikesh informed that an additional 33 new connections have been made and now the total number of connections is 1070 (In last meeting, the total connections was 1037). As per report presented before the committee, in the Muni Ki Reti area, out of 53 non-domestic entities, 49 have been connected and there are 4 entities (2 hotels and 2 dharamshalas) unconnected as of today but they have their own septic tanks.

In the Muni Ki Reti area, both the sewage pumping stations at Muni Ki Reti and Chandrabhaga have achieved 98 % completion and the 5 MLD STP at Chorpani is undergoing trial and testing currently (98% completed). As per the report presented by the P. E. Ganga Peyjal Nigam, Rishikesh, 70 % of work in the 7.50 MLD STP at Chorpani has been completed and Consent to Establish has been obtained for both 5 MLD and 7.50 MLD STPs. The Chaiman directed the concerned to expedite the works and strictly adhere to the timeline of completion (January 2020). Regarding the issue of encroachment over existing sewer lines in the Dhalwala area, the Chairman directed the SDM Narendranagar to evict the encroachers along with Police, Jal sansthan, Irrigation, PWD and other affected departments.

3. In Devprayag area, The discrepancy in the number of households was clarified and it was reported that there are total 609 Households identified as per list provided by the Nagar Pallika. Our of 609, 279 are connected by sewer lines, 272 are yet to be connected (Out of which 7 are not feasible and for 112 households sewage will be disposed by septage management for which EoI has been invited by the SPMG to design vehicle for collection and transportation of septage and 52 can be connected to the sewer network provided owners shift their toilets, notices have already been issued under the Environment protection Act.) Action taken report on notices issued in Devprayag area to be presented in the next meeting.

4. As directed in the last meeting, the Official of the Tourism Department presented a report of 401 hotels in the District. The report contains information on number of rooms and beds but it doesn't contain information on the waste disposal mechanism in the hotels. The chairman directed the concerned officer to add details relating to waste disposal mechanism such as 1) management and disposal of treated water 2) solid waste disposal and 3) if there is STP or if there is soak pits, then measurements of such structures to be included in the list prepared. Also, Chairman directed the SDMs to conduct inspections of waste disposal mechanism with other related departments.

Scanned by CamScanner

310

5. The Executive Engineer, Irrigation Division, informed the Committee that On-ground survey for flood plain zonation in Kirtinagar Tehsil has been completed and the superimposed maps will be given to the Tehsildar within a week. On-ground survey in Bhilangana has also been completed and superimposing on map in is progress. Chairman directed the SDMs and Irrigation department that the surveys in the three Ganga priority towns (Muni Ki Reti, Devprayag and Kirtinagar) should be completed in 1 month.

6. Chairman directed Executive Officers (EOs) of all local bodies to present report in the format in which EOs of three Ganga priority towns are giving their reports. The format has already been shared in the WhatsApp group. Chairman also directed to ensure monitoring of door to door collection and segregation of waste and maintain proper log books and records.

7. Chief Medical Officer, Tehri reported that out of 240 applications from Government healthcare establishments, 216 have got registration from the UEPPCB. Out of 50 applications from private healthcare establishments, 20 have been registered in the UEPPCB, Chairman directed that the remaining should be registered in the next 15 days. Chairman directed that regular checking of waste disposal in healthcare establishments should be done and reports should be presented to the District Ganga Committee.

8. EO Nagar Panchayat Kirtinagar informed the committee that the slaughter house construction is near completion and arrangements for waste disposal have been made in the form of pits. Chairman directed the EO to coordinate with the Veterinary department and Food safety officer and conduct inspection and ensure compliance with food safety and hygiene standards.

9. As discussed in earlier meetings, Chairman directed SDMs and Local bodies to whom funds have been allocated for awareness and extension activities to conduct their activities and ensure wide publicity. Chairman directed that Rs. 30, 000 from the District Ganga Committee fund be transferred to Zila Panchayat, Tehri for conducting awareness and extension activities.

It has been decided to hold the next meeting of the District Ganga Committee, Tehri Garhwal on **30th December 2019.**

Scanned by CamScanner

311

In the end, Chairman distributed prizes and certificates to students who participated in different activities conducted by the District Administration and Nagar Pallika, Muni Ki Reti for raising awareness and advocacy for a clean Ganga.

The meeting concluded with thanks to the Chair.

(डा0 वी0षणमुगम)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 144 /21-47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, दिसम्बर -20, 2019

प्रतिलिपि–निम्नांकितो को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– कार्यकम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गगे देहरादून।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, स0पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश ।
7– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ0
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश / देवप्रयाग।
9– तहसीलदार देवप्रयाग / कीर्तिनगर / ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
10– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
11– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

Scanned by CamScanner

25037

312

Minutes of meeting of the 18th Meeting of the District Ganga Committee, Tehri Garhwal District held on 20th November, 2019, under the chairmanship of the District Magistrate/Chairman, District Ganga Committee

At the outset, the District Magistrate/Chairman, District Ganga Committee, Tehri Garhwal welcomed all the members and the following agenda were discussed and minutes recorded as given below:

1. Executive Engineer from the Uttarakhand Jal sansthan, Rishikesh informed that in Tapovan 339 Households have been connected by sewer lines. He also presented a report that in Tapovan area, there are 223 Hotels, Ashrams, Housing societies identified, out of which 209 has been connected to sewer lines and there are 14 entities (7 hotels, 2 housing societies, 2 dharamshalas and 3 cafés) that are unconnected as on the day of the meeting, however one hotel, Tapovan Resort has its own STP. It was informed to the committee that notices have been issued to the 14 entities by the UEPPCB. The Chairman directed the action taken report be presented in the next meeting.

   It was also informed in the meeting that for an additional 6.5 Kms of sewer lines to cater to the unconnected areas of Tapovan and adjoining areas (220 households) an estimate of Rs. 962.42 Lakh has been submitted to the SPMG, Dehradun for approval vide. letter No. 3557/V-3/148 Dated 5/10/2019 of the General Manager, Construction circle (Ganga), Uttarakhand Peyjal Nigam, Haridwar. In the Tapovan area, the 3.5 MLD STP is functional and online monitoring system is operational. Sludge from the STP is being distributed to locals free of cost and some are dumped at Lakkargad STP and balance quantity is either deposited or used for gardening purpose at STP premises. All 5 Nalas have been tapped in the Tapovan area. Chairman directed the concerned officials to monitor and ensure regular cleaning and upkeep and also maintain log books and records properly.

2. In the Muni Ki Reti area, out of 1037 feasible household connections, all 1037 have been connected earlier. Additionally, 72 households were identified in a survey and subsequently connected. Currently survey is on to identify more households. In commercial establishments, in the Muni Ki Reti area, out of 44 feasible and earlier identified entities, 40 have been connected and there are 4 entities (2 hotels and 2 dharamshalas) unconnected as of today but they have their own septic tanks. The Chairman of the Committee directed the officials of the Jal sansthan to present progress report of the household survey in the next meeting of the District Ganga committee. Sewer lines laid in the area is 3872 metres and 3 Nalas have been tapped. In the Muni Ki

313

Reti area, both the sewage pumping stations at Bhilan Ki Reti and Chandrabhaga have achieved 98 % completion and the 5 MLD STP at Chorpani is undergoing trial and testing currently (98% completed). The 7.50 MLD STP at Chorpani progress of work is reported to be 56 % as on the day of the meeting; The Chaiman expressed dissatisfaction at the slow progress of work and directed the concerned to expedite the works and strictly adhere to the timeline of completion by January 2020.

3. In Devprayag area, in the last meeting of the District Ganga Committee, it was reported that there are 609 households identified as per records of the Nagar Pallika. However, there was a lack of clarity in the break-up of numbers. For instance, during the VC of the State Ganga Committee on 20/11/2019, it was stated that number of households connected to sewer network is 279, balance to be connected is 272 and 58 are abandoned houses. These figures do not match with the data provided to the District Ganga Committee in the last meeting held on 18/10/2019. Additionally in the same VC, it was stated that sewer connection work for 139 households is in progress and is scheduled to be completed by March 2020 and there are 112 households that are to be connected by septage management for which EoI has been invited by the SPMG to design vehicle for collection and transportation of septage. There are 14 households that can be connected to the sewer network provided owners shift their toilets, notices have already been issued under the Environment protection Act. There are 7 households that are adjacent to the river and are not feasible to be connected to the sewer network and for which Bio-digesters will be used. Notices to the 7 households have been issued under the Environment Protection Act.

   Since there is discrepancy in the data provided to the District Ganga Committee and the data presented during the VC of the State Ganga Committee, The chairman of the District Ganga Committee directed the concerned departments to review the data and present correct information in the next meeting of the Committee.

4. The Chairman directed all STP operating agencies to regularly monitor the quality of water as per decision taken in previous meetings and present the report of quality tests to the committee and also ensure the display of such results on the portal of the SPMG, UEPPCB and at prominent locations of the Ganga priority towns. Wherever the test parameter readings are beyond prescribed limits, the Chairman directed that the causes should be identified and remedial measures should be immediately taken and information sent to the District Ganga Committee.

314

5. The Executive Engineer, Irrigation Division, New Tehri informed the Committee that the Bathing Ghat and Cremation ghat at Koteshwar have been completed and after joint inspection with the Zila Panchayat officials, the two ghats have been handed over to the Zila Panchayat on 21/10/2019. Chairman directed the Zila panchayat to ensure regular cleaning of ghats and maintain proper records of such activity. It was also informed that regarding the work of Flood plain zonation, the marking on Sajra sheets will be completed by 30/11/2019. The chairman directed that compliance in this regard be put up to the Committee in the next meeting.

6. Under Forestry Interventions in the Namami Gange Project the Forest Department in the District has so far done plantation over an area of 1378 Hectares. Soil and Moisture Conservation works have been done in selected catchments as per the GoI approved DPR in an area of 205 Hectares. Under the Agricultural landscape intervention, 280 Hectares of land has been covered by distribution of horticultural plants to beneficiaries across the District. A Ganga Vatika has been established at Rishikesh and 128 Hectares plantation has also been done in select Ganga gram villages on the banks of the Ganga. Till date of the meeting no targets for raising plantations or Soil Moisture conservation works for the current Financial year has been received by the Divisions. The Chairman directed that survivability of plantation should be ensured.

7. Chairman of the Committee directed the Chief Medical Officer to expedite the survey of all bedded and non-bedded medical centres/clinics in the District and present report in the next meeting of the District Ganga Committee. Chairman also directed that as directed in earlier meetings, SDMs should regularly check the disposal of biomedical waste in the medical establishments in their jurisdictions and present reports of such checkings to the District Ganga Committee.

8. As discussed in the last meeting of the District Ganga Committee, All Executive Officers of the Nagar Pallikas are directed to present their plans for awareness activities mentioning tentative location and dates. The Nagar Pallikas have presented their updated reports of activities in the format prescribed by the District Ganga Committee and the chairman directed all Executive Officers to update the data in every subsequent meeting, also the Chairman directed that all ongoing household survey reports (Interim reports or completed reports) should be presented in the next meeting.

9. The Chairman also directed the Tourism department to provide the data on hotels and dhabas with information on number of rooms and the methods of waste disposal. The

Chairman directed that if survey is not complete, progress report till the date of next meeting be presented to the Committee.

The meeting concluded with thanks to the Chair.

(डा0 वी0षणमुगम)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 146 - /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, नवम्बर/28/11/2019

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
7– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
9– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
10– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
11– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

25041

अधिशासी अधिकारी, उ0 पेयजल संस्थान, देवप्रयाग द्वारा उक्त 609 घरों में से कुल 598 घरों [illegible] दिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा शेष 11 घरों का पूर्ण विवरण आगामी बैठक में उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया। साथ ही अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवप्रयाग के द्वारा अवगत करया गया कि नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर सफाई व्यवस्था हेतु छोटे वाहनों जैसे रिक्शा एवं हथ रिक्शा आदि के लिए टेण्डर की प्रक्रिया गतिमान है।

Devprayag — Survey to be done

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत होटल, धर्मशालाओं, आश्रमों, स्कूलों/कॉलेजों, सरकारी इमारतों/परिसरों तथा हॉस्पिटल/क्लीनिक आदि की सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर जिला गंगा समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

2. परियोजना प्रबन्धक, उ0 पेयजल निगम, ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया कि चोरपानी क्षेत्र में 5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में इस एस0टी0पी0 में Trial तथा Testing का कार्य गतिमान है जो कि 3 माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि 7.5 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 का कार्य 56 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। जिला गंगा समिति की गत बैठक में उक्त 7.5 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 के कार्य की प्रगति 45 प्रतिशत बताई गई थी तथा वर्तमान में इसके कार्य की प्रगति में 11 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया गया कि एस0पी0एम0जी0 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उक्त एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य जनवरी 2020 तक पूर्ण किया जाना है। अतः उक्त कार्य में तेजी लाते हुए ससमय कार्य को पूर्ण करें।

3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती के द्वारा अवगत कराया गया है कि नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत कुल 12 वार्ड हैं जिनमें से 7 वार्डों को एस0टी0पी0 से जोड़ा गया है तथा 5 वार्डों को जोड़ा जाना शेष है।

उक्त 5 वार्डों का सर्वे सितम्बर 2019 तक कराया जाना था जो कि अतिथि तक भी पूरा नहीं कराया गया है। अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सर्वे के कार्य को 20 दिन के भीतर पूर्ण कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जिन 14 घरों को पूर्व में नोटिस दिए गए थे उन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त 14 घरों को नोटिस दिए जाने के उपरान्त की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

4. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा ढालवाला क्षेत्र में नालों के ऊपर हो रहे अतिक्रमण के बारे में अवगत कराया। अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम ऋषिकेश को निर्देशित किया गया कि वे ढालवाला तथा मुनिकीरेती क्षेत्र में नालों के ऊपर हो रहे अतिक्रमण को अविलम्ब हटाने की कार्यवाही करेंगे।

5. अधिशासी अभियन्ता, उ0 जल संस्थान ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया कि उनके क्षेत्रान्तर्गत कुल 427 घरों/परिसरों को सीवर लाइन से जोड़ा जाना है जिनमें से 32 घर ऐसे हैं जो सीवर लाइन से जुड़ने हेतु सहयोग नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा इन 32 घरों को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के माध्यम से नोटिस दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त गत दो माह में 71 घरों को

25042

दिनांक 18.11.2019 को जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित जिला गंगा सुरक्षा समिति टिहरी गढ़वाल की बैठक का कार्यवृत्त। 317

बैठक में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियो का विवरण निम्न है:-

क0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम/विभाग	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4
1	सर्व श्री कोको रोसो	प्रभागीय वनाधिकारी,टिहरी वन प्रभाग,नई टिहरी	9412076133
2	डा0 मनोज कुमार	प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल	9634242111
3	श्री अशोक सिंह	परियोजना प्रबन्धक, गंगा ऋषिकेश	9456235094
4	श्री ए0के0चर्तुर्बेदी	परि0निदे0जल नि0(गंगा) ऋषिकेश	9412058807
5	श्री जी0सी0भट्ट	सहायक निदेशक उ0पेयजल निगम देवप्रयाग	9412051340
6	श्री सी0पी0एस0रावत	परियोजना प्रबन्धक,उ0पे0निगम श्रीनगर(गढ0)	9456708631
7	श्री राकेश कण्डारी	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून	9411727875
8	श्री विजेन्द्रवीर सिंह	अधिशासी अभियन्ता, उ0पेयजल निगम टिहरी	9634069999
9	श्री संजय खण्डूरी	अपर मुख्याधिकारी, जिला पंचायत टिहरी	9456347273
10	श्री सुरेश यादव	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, टि0ग0	9412998518
11	श्री बलबन्त सिंह बिष्ट	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका देवप्रयाग	9412407363
12	श्री बासुदेव डंगवाल	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कीर्तिनगर	9411363579
13	श्री राजेन्द्र सजवाण	अधिशासी अधिकारी, नगर पा0परिषद टिहरी	9411185348
14	श्री बी0पी0 भट्ट	अधिशासी अधिकारी, नगर पा0प0 मुनिकीरेती	9412921134
15	श्री यू0डी0तिवाडी	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लम्बगांव	9719636073
16	श्री कुलदीप नैथाणी	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत घनसाली	8192889363

टिहरी वन प्रभाग
रजिस्टर नं0 1378
फाईल नं0 26-1
दिनांक 06/11/2019

सर्वप्रथम बैठक में सभी सम्मानित उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत किया गया। उक्त अधिकारियों के साथ जिला गंगा स्वच्छता एवं गंगा सफाई के तहत चर्चा की गयी। उपस्थित अधिकारियों से निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया जो निम्न प्रकार से है :-

1. अधिशासी अधिकारी, उ0 पेयजल संस्थान, देवप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग के द्वारा 34 घरेलू तथा 4 अघरेलू (कुल 38) घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु जो 26.90 लाख रुपये का प्राक्कलन तैयार किया गया था उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा वर्तमान में उक्त कार्य हेतु टेंडर किए जाने का कार्य गतिमान है। साथ ही स्थान देवप्रयाग में कुल 609 घरों में से 79 घर पूर्व में ही सीवर लाइन से जोड़ा जा चुका है, 125 घरों को वर्तमान में सीवर लाइन से जोड़ने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, 38 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु टेंडर का कार्य गतिमान है, 162 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु 185 लाख का प्राक्कलन तैयार कर एस0पी0एम0जी0 को प्रस्तुत कर दिया गया है। 112 घरों में सेप्टेज का कार्य किए जाने हेतु एस0पी0एम0जी0 द्वारा 'Expression of Interest' आमन्त्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त 58 घर खण्डहर हो चुके हैं जिनमें कोई कार्यवाही नहीं की जानी है। प्रतिनिधि, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के द्वारा अवगत कराया गया कि 14 घरों को नोटिस जारी किया गया है। तथा 7 घरों को सीवर लाइन से जोड़ा जाना फिज़िबल नहीं है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि उक्त 7 घरों हेतु Bio-Digester System स्थापित करवाने हेतु प्लान तैयार करें तथा 15 दिन के भीतर एस0पी0एम0जी0 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

टिहरी वन प्रभाग
रजिस्टर नं0.....
फाईल नं0.....
दिनांक.....

318

सीवर लाइन से जोड़ा जा चुका है तथा 30 घरों को जोड़े जाने की कार्यवाही गतिमान है। शेष घरों का सर्वे 15 दिन के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा।

6. अपर मुख्याधिकारी, जिला पंचायत, टिहरी द्वारा अवगत कराया गया कि कोटेश्वर में निर्मित स्नान घाट तथा स्मशान घाट का संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है तथा 10 दिन के भीतर उक्त दोनों घाटों को सिंचाई खण्ड, नई टिहरी द्वारा जिला पंचायत, टिहरी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

7. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला गंगा समिति की आगामी बैठक में जिला पंचायत, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत से प्रतिनिधि के रूप में क्रमशः B.D.O., A.D.O. तथा D.P.R.O. प्रतिभाग करेंगे।

साथ ही प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को यह निर्देशित किया गया कि कस्बों आदि में Bus stops जैसी जगहों पर कूड़े आदि का समय–समय पर निरीक्षण किया जाए। इसके लिए 15 दिन के भीतर साफ–साफाई का कार्यक्रम तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।

8. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर द्वारा अवगत कराया गया कि 2 मटन शॉप को एस0टी0पी0 के पास से अन्यत्र शिफ्ट करा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कीर्तिनगर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नामित सदस्य तथा खाद्य अभिमित अधिकारी मिलकर उक्त क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करें। तथा यह भी कि खाद्य अभिमित अधिकारी जिला गंगा सुरक्षा की आगामी बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

9. प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा नदी के तट वाले नगरीय क्षेत्रों में कुल 29 क्लीनिक हैं। देवप्रयाग, कीर्तिनगर तथा मुनिकीरेती क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों से प्रत्येक सप्ताह बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण किया जाता है। तथा यहां पर इसके निस्तारण के लिए Deep Burial की व्यस्था है। अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी अस्पतालों में Deep Burial Sites का निरीक्षण करें तथा संबंधित लॉग बुक की भी जांच करें। साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल को जिला अन्तर्गत सभी अस्पतालों/नर्सिंग होम (Bedded and Non bedded) की सूची तथा उनके द्वारा किए जाने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

10. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड को निर्देशित किया गया कि तीनों गंगा प्राथमिकता वाले नगरों में यथाशीघ्र Flood Plain Zonation हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया जाए।

11. जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल को निर्देशित किया गया कि जिलान्तर्गत होटलों तथा ढाबों की सूची जिनमें कमरों की संख्या अंकित हो तथा इनमें कूड़ा निस्तारण किस प्रकार किया जा रहा है इसकी पूरी जानकारी आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

25044

साफ–सफाई का काम नियमित रूप से किया जाए। सभी एस0टी0पी0 में हर 15 दिन में नदी के [illegible] लिए जाए जो कि डिस्चार्ज प्वांइट, तथा डिस्चार्ज प्वाइंट से 500 मी0 ऊपर(Upstream) तथा 500 मी0 नीचे(Downstream) की ओर लिए जाएं, इनका परीक्षण कर परीक्षण के परिणाम गंगा समिति की बैठक में प्रस्तुत किए जाएं। सभी घाटों में नियमित साफाई की जाए तथा राफ्टिंग बहुल क्षेत्रों में Changing Rooms की भी नियमित सफाई की जाए।

13. सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एस0पी0एम0जी0 द्वारा गंगा सुरक्षा हेतु जागरूकता अभियानों को संचालित करने के लिए 7 लाख रूपये अवमुक्त किए गए हैं। अतः इसके क्रम में सभी अधिशासी अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत जागरूकता अभियान आयोजित किए जाने हेतु प्लान तैयार करेंगे तथा एक Rough Estimate तैयार कर 1 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

(डा0 वी0षणमुगम)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 103 /21–47 (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, [illegible] ,2019

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यकम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गगें देहरादून।
2– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।
3– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
4– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0पर्यावारण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
6– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7– परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश ।
8– परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
9– परियोजना अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा), ऋषिकेश /देवप्रयाग।
10 तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
9– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
10– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
12– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत मुनिकीरेती/देवप्रयाग/कीर्तिनगर।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

25045

330

1313 (1)
24/9/19

दिनांक 16.09.2019 को जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित जिला गंगा सुरक्षा समिति टिहरी गढ़वाल की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण निम्न है :—

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम/विभाग	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4
1	सर्व श्री	क्षेत्रीय वनाधिकारी, टिहरी डैम वन प्रभाग, नई टिहरी	
2	डा० नागेश्वरी जगपाली	मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल	9412932520
3	श्री संदीप कश्यप	परियोजना प्रबन्धक, उत्तेजल निगम, ऋषिकेश	7830508856
4	श्री सी०पी०एन०सकलानी	परियोजना प्रबन्धक, उत्तेजल निगम, श्रीनगर (गढ़०)	9456708631
5	ई०एन०जीव सैनी	अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, देवप्रयाग	7060824116
6	श्री हरीश कुमार नेगी	सहायक अभियन्ता, जल संस्थान, ऋषिकेश	9368106800
7	" बी०पी० भट्ट	उपेक्षाशी अधिकारी, नगर पालिका, मुनिकीरेती	9410521124
8	" बलवन्त सिंह बिष्ट	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवप्रयाग	9412607263
9	" भगवती उनियाल	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर	9411383579

उपरोक्त बैठक में सभी सम्मानित उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत किया गया। उक्त अधिकारियों के साथ जिला गंगा स्वच्छता एवं गंगा सफाई के संबंध चर्चा की गयी। उपस्थित अधिकारियों से निम्न बिन्दुओं पर विस्तार विमर्श किया गया जो निम्न प्रकार है :—

1 अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, नई टिहरी द्वारा अवगत कराया गया है कि टिहरी में बने स्नान घाट को जिला पंचायत टिहरी को हस्तांतरित किया जाना है। जिस हेतु अध्यक्ष महोदय ने इसका संयुक्त रूप से निरीक्षण कर यथाशीघ्र हस्तांतरण किए जाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही अधिशासी अधिकारी द्वारा गंगा नदी के किनारे के प्रस्तावित प्लेन जोनेशन को चिन्हांकन कर इसका डिमार्केशन किए जाने के लिए क्षेत्र का पूर्ण सर्वे किए जाने के संबंध में अवगत कराया तथा राजस्व विभाग से सर्वे शीट उपलब्ध होना बताया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा फ्लड प्लेन जोनेशन का सर्वे 17.10.2019 तक पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कार्य को 31 दिसम्बर 2019 तक पूर्ण करने तथा वन विभाग को 2 दिन के भीतर अवैध सर्वे हेतु मैप उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

2 परियोजना प्रबन्धक, जल निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 3.87 कि०मी० सीवर लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही ढालवाला में शेष घरों को सीवर लाइन से जोड़ने हेतु सर्वे किया जा रहा है जो कि अक्टूबर माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त सर्वे अक्टूबर माह तक पूर्ण कर तथा इसके उपरान्त डी०पी०आर० तैयार कर दिसम्बर माह तक एस०टी०पी०एम०डी० को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्साधिकारी
टिहरी गढ़वाल

25046

परियोजना प्रबन्धक, जल निगम, [illegible] अवगत कराया गया कि ढालवाला में नाले में से गन्दा पानी सीधा नदी में निस्तारित हो रहा है जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा नाराजगी जताई गई तथा तुरन्त इस हेतु एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने हेतु निर्देशित किया गया।

परियोजना प्रबन्धक, जल निगम, ऋषिकेश द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि तपोवन में 11.05 कि0मी0 सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है। साथ ही 6.5 कि0मी0 सीवर लाइन के लिए 925.84 लाख का प्राक्कलन तैयार कर एस0पी0एम0जी0 को प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही 562 घरों में से 540 घरों को सीवर लाइन से जोड़ दिया गया है। शेष 8 घरों को 1 सप्ताह के अन्दर सीवर लाइन से जोड़ दिया जाएगा। तथा 14 घर ऐसे हैं जिनके स्वामियों द्वारा सीवर लाइन से जोड़े जाने हेतु मना कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि उक्त शेष 8 घरों को 3.5 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 से 1 सप्ताह के अन्दर जोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाए, साथ ही उक्त 14 घरों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किया जाए। साथ ही परियोजना प्रबन्धक, जल निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया कि 5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का Trial Run सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा।

7.5 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 में कार्य की प्रगति 44 प्रतिशत से 45 प्रतिशत ही बताए जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि विभाग इसकी बारीकी से निगरानी करे।

3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, मुनिकीरेती द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका क्षेत्र के कुल 11 वार्डों में से 7 में सर्वे का कार्य होना है जिसमें से दो वार्डों में सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 5 वार्डों में सर्वे का कार्य चल रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वे का कार्य दिनांक 20.09.2019 तक पूर्ण करने तथा साथ ही सभी इमारतों का ब्यौरा घरेलू मकान, होटल, धर्मशाला, दुकानों तथा सरकारी कार्यालयों के अनुसार अलग-अलग रूप से दिया जाए।

4. परियोजना प्रबन्धक, जल निगम, श्रीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवप्रयाग द्वारा जो 641 घरों की सूची उपलब्ध कराई गई थी उनमें से 624 घरों की पहचान कर ली गई है तथा 17 घरों की पहचान नहीं हो पाई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इस नगर पालिका, जल संस्थान तथा जल निगम द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया जाए। तथा उक्त 17 घरों की पहचान की जाए।

5. अधिशासी अभियन्ता, पेयजल संस्थान, देवप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि संगम बजार क्षेत्र में 88 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने के लिए बजट प्राप्त हुआ है। जिनमें से 38 घरों को सीवर लाइन से जोड़ दिया गया है तथा बाकी को 20 सितम्बर तक जोड़ दिया जाएगा। तथा 162 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने के लिए प्राक्कलन तैयार कर एस0पी0एम0जी0 को प्रेशित किया जाना है। अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा 56 शौचालयों का निर्माण किया गया है उक्त शौचालयों में टायल आदि लगाना सुनिश्चित करे।

232

6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, कीर्तिनगर द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 4 वार्डों में 850 परिवार हैं जिनमे से 287 सीवर लाइन से जुड़े हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी इमारतों का ब्यौरा घरेलू मकान, होटल, धर्मशाला, दुकानों तथा सरकारी कार्यालयों के अनुसार अलग-अलग रूप से दिया जाए।

7. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, कीर्तिनगर द्वारा अवगत कराया गया कि कीर्तिनगर में एस0टी0पी0 के पास 2 मटन शॉप है जिनको विस्थापित किया जाना है। अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, कीर्तिनगर को निर्देशित किया गया कि उक्त मटन शॉप को 15 दिन के अन्दर विस्थापित करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत स्लाटर हाउस बनाये जाने के सम्बन्ध में एवं बोर्ड लगाये जाने की कार्यवाही अमल मे लाना सुनिश्चित करे ।

8. मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया है कि समस्त नर्सिंग होम, अस्पतालों का बायोमेडिकल अपशिष्ट का निस्तारण निर्धारित मानक के अनुसार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशत किय गया कि उक्त बायोमेडिकल अपशिष्ट को वाहनों में लोडिंग व अनलोडिंग के फोटोग्राफ मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही संबंधित परगना के परगन मजिस्ट्रेट द्वारा भी बायोमडिकल अपशिष्ट के निस्तारण पर मॉनिटरिंग की जाए। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत यह सुनिश्चित करेंगे कि बायोमेडिकल अपशिष्ट किसी भी प्रकार से शहरों के कूड़ा निस्तारण स्थलों पर निस्तारित न हो।

9. जिला गंगा समिति की पिछली बैठक में सभी एस0टी0पी0 में हर 15 दिन में नदी के पानी के 3 नमूने लिए जाए जो कि डिस्चार्ज पाईंट, तथा डिस्चार्ज पाईंट से 500 मी0 ऊपर (Upstream) तथा 500 मी0 नीचे (Downstream) की ओर लिए जाएं, इनका परीक्षण किए जाने हेतु तथा संबंधित रिपोर्ट को बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस क्रम मे अधिशासी अभियन्ता, उ0जल संस्थान, देवप्रयाग द्वारा वाह बजार के 1.4 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 तथा सहायक अभियन्ता, उ0 जल संस्थान ऋषिकेश द्वारा ढालवाला, तपोवन में 3. 5 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 के टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए। अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी एस0टी0पी0 के टेस्ट रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही उक्त आंकड़ा को एस0पी0एम0जी0 की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि स्नान घाटों पर ऐसे साइन बोर्ड/इलॉक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड लगाए जाएं जिनमें स्नान घाट के पानी की गुणवत्ता अंकित हो, जिससे स्नान घाट में स्नान करने वाला पर्यटक/श्रद्धालू/स्थानीय ग्रामीण पानी की स्वच्छता से संतुष्ट हो जाए। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत को- सीवेज मैनेजमेन्ट प्लान के क्रम में Modal By Laws पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय नरेन्द्रनगर स्नान घाटों मे खेगू आदि प्रयोग के सम्बन्ध में नोटिस बोर्ड बनाते हुए स्नान घाटों मे लगाना सुनिश्चित करें ।

अन्त में बैठक में उपस्थित परियोजना निदेशक, उ0पेयजल निगम(गंगा) श्रीनगर, परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश, प्रोजेक्ट मैनेजर, उ0पेयजल संस्थान देवप्रयाग, परियोजना अभियन्ता, पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मुनिकीरेती, देवप्रयाग एवं अधिशासी अभियन्ता, नगर पंचायत कीर्तिनगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही करते हुए अगली बैठक में अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वंय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त अधिकारिगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(डा0 वी0षण्मुगम)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 16 /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, सितम्बर 25 ,2019

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेमी रोड इन्दिरानगर, देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा) ऋषिके ।।
7– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिके ।/देवप्रयाग।
9– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
10– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
11– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

दिनांक 28.08.2019 को जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में गठित गंगा सुरक्षा समिति टिहरी के कार्यकरण के अन्तर्गत आयोजित जिला गंगा सुरक्षा समिति टिहरी की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण निम्न है :-

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम/विभाग	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4
1	श्री श्री कोकी रौथी	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी	9412076133
2	कु0 भागीरथी जंगपांगी	मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल	9412032520
3	श्री संदीप कश्यप	परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम, ऋषिकेश	7830600856
4	श्री सी0पी0एस0रावत	परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम, श्रीनगर (गढ0)	9456788831
5	ई0राजीव रौनी	अधिशासी अभियन्ता, उ0जल संस्थान, टेनपाग	7668824116
6	श्री हरीश कुमार बंसल	सहायक अभियन्ता, पेयजल संस्थान, ऋषिकेश	9368166809
7	श्री0पी0 भट्ट	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, मुनिकीरेती	9412921734
8	बलवन्त सिंह बिष्ट	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवप्रयाग	9412403863
9	वासुदेव उनियाल	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर	9411383679

सर्वप्रथम बैठक में सभी सम्मानित उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत किया गया। उक्त अधिकारियों के साथ जिला गंगा स्वच्छता एवं गंगा सफाई के तहत चर्चा की गयी। उपस्थित अधिकारियों से निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया जो निम्न प्रकार से है :-

1. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, नई टिहरी द्वारा अवगत कराया गया है कोटेश्वर में बने स्नान घाट को जिला पंचायत टिहरी को हस्तान्तरित किया जाना है। जिस हेतु अध्यक्ष महोदय ने इसका संयुक्त रूप से निरीक्षण कर यथाशीघ्र हस्तांतरण किए जाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही अधिशासी अधिकारी द्वारा गंगा नदी के किनारे के फ्लड प्लेन जोनेशन बने चिन्हांकन कर इनका डिमार्केशन किए जाने के लिए क्षेत्र का पूर्ण सर्वे किए जाने के संबंध में अवगत कराया तथा राजस्व विभाग से सर्वे सीट उपलब्ध होना बताया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा फ्लड प्लेन जोनेशन का सर्वे 17.10.2019 तक पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कार्य को 31 दिसम्बर 2019 तक पूर्ण करने तथा वन विभाग को 2 दिन के भीतर उक्त सर्वे हेतु पैच उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

टिहरी वन प्रभाग
रजिस्टर नं. 1657-2
फाइल नं. 26-1
दिनांक 17/10/19

2. परियोजना प्रबन्धक, जल निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में [illegible] विभागीय सीवर लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही जानकारी दी गयी कि सीवर लाइन से जोड़ने हेतु सर्वे किया जा रहा है जो कि अक्टूबर माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त सर्वे अक्टूबर माह तक पूर्ण कर तथा इसके उपरान्त डी0पी0आर0 तैयार कर दिसम्बर माह तक एस0टी0पी0 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

परियोजना प्रबन्धक, जल निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया कि [illegible] डालनवाला में नाले में से गन्दा पानी सीधा नदी में निकलता है एवं [illegible]

25050

अध्यक्ष महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई तथा तुरन्त इस हेतु एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने हेतु निर्देशित किया गया।

साथ ही परियोजना प्रबन्धक, जल निगम, ऋषिकेश द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि तपोवन में 11.05 कि0मी0 सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है साथ ही 6.5 कि0मी0 सीवर लाइन के लिए 925.84 लाख का प्राक्कलन तैयार कर एस0पी0एम0जी0 को प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही 562 घरों में से 540 घरों को सीवर लाइन से जोड़ दिया गया है। शेष 8 घरों को 1 सप्ताह के अन्दर सीवर लाइन से जोड़ दिया जाएगा। तथा 14 घर ऐसे हैं जिनके स्वामियों द्वारा सीवर लाइन से जोड़े जाने हेतु मना कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि उक्त शेष 8 घरों को 3.5 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 से 1 सप्ताह के अन्दर जोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाए, साथ ही उक्त 14 घरों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किया जाए। साथ ही परियोजना प्रबन्धक, जल निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया कि 5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का Trial Run सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा।

7.5 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 में कार्य की प्रगति 44 प्रतिशत से 45 प्रतिशत ही बताए जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि विभाग इसकी बारीकी से निगरानी करे।

3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, मुनिकीरेती द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका क्षेत्र के कुल 11 वार्डों में से 7 में सर्वे का कार्य होना है जिसमें से दो वार्डों में सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 5 वार्डों में सर्वे का कार्य चल रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वे का कार्य दिनांक 20.09.2019 तक पूर्ण करने तथा साथ ही सभी इमारतों का ब्यौरा घरेलू मकान, होटल, धर्मशाला, दुकानों तथा सरकारी कार्यालयों के अनुसार अलग-अलग रूप से दिया जाए।

4. परियोजना प्रबन्धक, जल निगम, श्रीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवप्रयाग द्वारा जो 641 घरों की सूची उपलब्ध कराई गई थी उनमें से 624 घरों की पहचान कर ली गई है तथा 17 घरो की पहचान नहीं हो पाई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इस नगर पालिका, जल संस्थान तथा जल निगम द्वारा उक्त क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया जाए। तथा उक्त 17 घरों की पहचान की जाए।

5. अधिशासी अभियन्ता, पेयजल संस्थान, देवप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि संगम बजार क्षेत्र में 88 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने के लिए बजट प्राप्त हुआ है। जिनमें से 38 घरों को सीवर लाइन से जोड़ दिया गया है। तथा बाकी के 20 सितम्बर तक जोड़ दिया जाएगा। तथा 162 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने के लिए प्राक्कलन तैयार कर एस0पी0एम0जी0 को प्रेषित किया जाना है।

6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, [illegible] अवगत कराया गया कि कुल 4 वार्डों में 850 परिवार हैं जिनमें से 287 सीवर लाइन से जुड़े हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी इमारतों का व्यौरा घरेलू, मकान, होटल, धर्मशाला, दुकानों तथा सरकारी कार्यालयों के अनुसार अलग-अलग रूप से दिया जाए।

7. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, कीर्तिनगर द्वारा अवगत कराया गया कि कीर्तिनगर में एस०टी०पी० के पास 2 मटन शॉप हैं जिनको विस्थापित किया जाना है। अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, कीर्तिनगर को निर्देशित किया गया कि उक्त मटन शॉप को 15 दिन के अन्दर विस्थापित करना सुनिश्चित करें।

8. मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया है कि समस्त नर्सिंग होम, अस्पतालों का बायोमेडिकल अपशिष्ट का निस्तारण निर्धारित मानक के अनुसार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किय गया कि उक्त बायोमेडिकल अपशिष्ट को वाहनों में लोडिंग व अपलोडिंग के फोटोग्राफ मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए जाए। साथ ही संबंधित परगना के परगना मजिस्ट्रेट द्वारा भी बायोमेडिकल अपशिष्ट के निस्तारण पर मॉनिटरिंग की जाए। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत यह सुनिश्चित करेंगे कि बायोमेडिकल अपशिष्ट किसी भी प्रकार से शहरों के कूड़ा निस्तारण स्थलों पर निस्तारित न हो।

9. जिला गंगा समिति की पिछली बैठक में सभी एस०टी०पी० से हर 15 दिन में नदी के पानी के 3 नमूने लिए जाए जो कि डिस्चार्ज प्वाइंट, तथा डिस्चार्ज प्वाइंट से 500 मी० ऊपर (Upstream) तथा 500 मी० नीचे (Downstream) की ओर लिए जाएं, इनका परीक्षण किए जाने हेतु तथा संबंधित रिपोर्ट को बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस क्रम में अधिशासी अभियन्ता, उ0 जल संस्थान, देवप्रयाग द्वारा वाह बजार के 1.4 एम0एल0डी0 के एस०टी०पी० तथा सहायक अभियन्ता, उ0 जल संस्थान, ऋषिकेश द्वारा ढालवाला, लक्ष्मण में 3.5 एम0एल0डी0 के एस०टी०पी० के टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए। अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी एस०टी०पी० के टेस्ट रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही उक्त आंकड़ो को एस०पी०सी०बी० की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि स्नान घाटों पर ऐसे साइन बोर्ड/इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड लगाए जाएं जिनमें स्नान घाट के पानी की गुणवत्ता अंकित हो, जिससे स्नान घाट में स्नान करने वाला पर्यटक/श्रद्धालू/स्थानीय ग्रमीण पानी की स्वच्छता से अवगत हो जाएं। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत को सोर्सेज मैनेजमेन्ट प्लान के क्रम में Model By Laws पर [illegible] गए।

25052

337

अन्त में बैठक में उपस्थित [illegible] निदेशक, उ0पेयजल निगम(गंगा) श्रीनगर, परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश, प्रोजेक्ट मैनेजर, उ0पेयजल संस्थान देवप्रयाग, परियोजना अभियन्ता, पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मुनिकीरेती, देवप्रयाग एवं अधिशासी अभियन्ता, नगर पंचायत कीर्तिनगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही करते हुए अगली बैठक में अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त अधिकारिगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(डा0 वी0षणमुगम)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक– 24 /21–47(नमामि गंगे) निनाक, नई टिहरी, अक्टोबर 2019

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– कार्यक्रम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– क्षेत्रीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 नेगी रोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश ।
7– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
9– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/नायबतहसीलदार मुनकीरेती।
10– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
11– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।

टिहरी वन प्रभाग
रजिस्टर नं0.....
पत्र नं0.....
बांक.....

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

25053

संशोधन आदेश

338

दिनांक 01.08.2019 को नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला गंगा सुरक्षा समिति टिहरी गढ़वाल की बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक के कार्यवृत्त के प्रस्तर संख्या–03 में परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश अंकित हो गया है। जिसे संशोधित कर परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम गंगा ऋषिकेश के स्थान पर परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उ0पेयजल निगम (श्रीनगर गढ़वाल) पढ़ा जाय।

उक्त बैठक के कार्यवृत्त मे प्रस्तर संख्या–03 में परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम (गंगा) ऋषिकेश को संशोधित करते हुए परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई(गंगा) उ0पेयजल निगम श्रीनगर (गढ़वाल) किया जाता है।

टिहरी वन प्रभाग

रजिस्टर नं0 287
फाइल नं0 24-1
दिनांक 24/08/19

(डा0 वी0 षणमुगम)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 628/21–47 (नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, अगस्त 24, 2019

प्रतिलिपि– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–प्रभागीय वनाधिकारी/नोडल अधिकारी, टिहरी वनप्रभाग, नई टिहरी।
2–उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर/नरेन्द्रनगर।
3–मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4–परियोजना प्रबन्धक, उ0निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई(गंगा),मुनिकीरेती /ऋषिकेश।
5–परियोजना प्रबन्धक,उ0निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई(गंगा)श्रीनगर(गढ0)।
6–अधिशासी अभियन्ता, उ0पेयजल निगम/जल संस्थान देवप्रयाग।
7–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम नई टिहरी ।
8–अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
9–परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना, नई टिहरी।
10–प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी।
11–सहायक अभियन्ता, उ0पेयजल निगम मुनिकीरेती।
12–अधिशासी अधिकारी, न0पा0मुनिकीरेती/देवप्रयाग/न0पं0 कीर्तिनगर।
13–जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

25054

339

दिनांक 01.08.2019 को जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता मेंनमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित जिला गंगा सुरक्षा समिति टिहरी गढ़वाल की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियो का विवरण निम्न है :-

क्र0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम/विभाग	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4
1	सर्व श्री कोकरे रोत्तो	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी	9412076133
2	सुश्री अनुराधा पाल	उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर	8800737087
3	सुश्री युक्ता मिश्रा	उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	9457087051
4	डा0 भागीरथी जोगपांगी	मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल	9412932520
5	श्री दीप कश्यप	परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम ऋषिकेश	7830500656
6	श्री सी0पी0एस0रावत	परियोजना प्रबन्धक,उ0पेयजल निगम श्रीनगर (गढ0)	9456708631
7	ईश्वरजीव पैन्नी	अधिशासी अभियन्ता, उ0जल संस्थान देवप्रयाग	989759019
8	श्री हरीश कुमार बंसल	सहायक अभियन्ता,उ0जल संस्थान ऋषिकेश	9368105800
9	श्री सुरेश यादव	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, टि0ग0	9412998518
10	" बलबन्त सिंह बिष्ट	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका देवप्रयाग	9412407363
11	" वासुदेव डंगवाल	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कीर्तिनगर	9411363579
12	" आदेश कुमार	एस0आई0 नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती	9997500127
13	" सोहनसिंह बर्त्वाल	प्रतिनिधि अ0नु0अ0 जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल	9411553463
14	" रविन्द्र पुण्डीर	प्रतिनिधि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून	9719120612

सर्वप्रथम बैठक में सभी सम्मानित उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत किया गया। उक्त अधिकारियों के साथ जिला गंगा स्वच्छता एवं गंगा सफाई के तहत चर्चा की गयी। उपस्थित अधिकारियों से निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया जो निम्न प्रकार से है :-

1- अधिशासी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद देवप्रयाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर पालिका देवप्रयाग में कुल 642 भवन है जिसमें 11 भवन खण्डर है, तथा 631 परिवार निवासरत है। नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत 11 होटल, 2 धर्मशालायें, 8 शिक्षण संस्थान, 1 अस्पताल शहर में तथा 1 अस्पताल ग्रामीण में है, इसके अतिरिक्त 25 खोखे टीन शेड के बने है जिनपर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौडीकरण के कारण हटाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। नगर निकाय के अन्तर्गत 4 वार्ड है उक्त 4 वार्डो के लिए 75 के0एल0डी, 150 के0एल0डी0 तथा 1.4 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 बनाए गए हैं।

अधिशासी अधिकारी, उ0 पेयजल संस्थान, देवप्रयाग के द्वारा अवगत कराया है कि नगर पालिका देवप्रयाग के लिए निम्न 3 जोन बनाये गये है जहां वाह बजार में 1851मीटर की सीवर लाईन डाली गयी है :-

1-शान्ति बाजार जोन- इस जोन में 74 घर है जिसमें 37 घरों का सर्वे चल रहा है, 35घरों का कनेक्शन एस0टी0पी0 से जोडे गये है तथा 02 घरों को 5 दिन में जोड दिए जाने हेतु अवगत कराया गया है ।

340

वर्मपुर में 72 परिवारो को एस0टी0पी0 से जोडे जाने की कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में पैट्रोल पम्प के 59 परिवारों के पास अपने सैप्टिक टैंक होने बताये गये है। आउटफलो प्रतिदिन मानिटरिंग किया जा रहा है, आउटफलो मीटर नहीं लगाया गया है, मैनुअल नियंत्रण किया जा रहा है, सी0टी0ओ0 हेतु उद्योग विभाग से ऑन लाईन आवेदन किया गया है, उद्योग विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद ही कार्यवाही की जायेगी, एस0टी0पी0 का उपचारीकृत पानी गंगा नदी में डाला जा रहा है, जिसके पुनः उपयोग फिजिबल न होने के कारण पुनः उपयोग करने का कोई प्लान नही बनाया गया है। स्लज की लागबुक बनाई गयी है, जिसके अनुसार 40 ग्राम प्रतिदिन स्लज निकल रहा है, जो अपने प्लांट में ही उपयोग किया जा रहा है।

अधिशासी अभियन्ता, उ0 पेयजल निगम देवप्रयाग को निर्देशित किया गया कि कि एस0टी0पी0 टैकों मे इनलेट इंस्ट्रूमेंट जो वर्तमान में खराब हो रखा है, को तत्काल ठीक करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उक्त एस0टी0पी0 में वैब कैमरा लगाये, आउटफलो का पैरामीटर्स एस0पी0एम0जी0 की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाए।

उक्त निर्देशों की अनुपालन आख्या तथा उक्त परीक्षणों के रिकॉर्ड समिति की आगामी सभी बैठकों में उपलब्ध कराएं।

2- कीर्तिनगर में 261 आवासीय भवन है, उक्त घरो के लिए कोई एस0टी0पी0 नही बनाया गया है, जिसके कारण किसी भी घर को एस0टी0पी0 लाईन से नही जोडा गया है। कीर्तिनगर में केवल नाला टेपिंग डाईवर्जर के लिए व्यवस्था की गयी है। कीर्तिनगर में स्थित 261 घरों से निकलने वाला गन्दा पानी नदी में न जाने पाये, उसके लिए तत्काल कार्यवाही की जानी

आवश्यक है। अधिशासी अधिकारी, कीर्तिनगर के द्वारा अवगत कराया गया है कि कीर्तिनगर में जो आवासीय मकान है उनके अपने सेप्टिक टैंक है। इनकी जांच की जाय, कि वह पर्याप्त है कि नही? घरों के लिए बनाये गये टैंकों के भरन पर उनकी निकासी कहां की जाती है, इसके लिए वहां पर जांच कर उसे एस0टी0पी0 में जोडे जाने हेतु सर्वे कर प्रस्ताव 15 दिन मे प्रस्तुत किया जाय। अधिशासी अधिकारी के द्वारा बताया गया कि 40प्रतिशत सर्वे हो चुका है, बाकी की कार्यवाही गतिमान है। उक्त कार्य 15 दिनों में पूर्ण कर आख्या प्रस्तुत की जाय।

3— प्रोजेक्ट मैनेजर, उ0 पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश के द्वारा अवगत कराया गया है, कि स्थान ढालवाला में 5MLD का एस0टी0पी0 80प्रतिशत बन गया है जो जल्दी ही माह अगस्त 2019 तक पूर्ण हो जायेगा। दूसरा एस0टी0पी0 7.5MLDका अभी तक 40प्रतिशत ही बन पाया है, जो दिसम्बर तक पूर्ण किया जायेगा, जबकि पूर्व में परियोजना अभियन्ता के द्वारा अवगत कराया गया था, कि एस0टी0पी0 5 MLD केवल 38 प्रतिशत बना है, जो जनवरी–2020 तक पूर्ण किया जायेगा। उपरोक्त दोनो एस0टी0पी0 में कमशः 2 प्रतिशत ही कार्य हुआ है तथा एस0टी0पी0 7.5 MLD पूर्व में 75 प्रतिशत पूर्व बैठक में बनाया जाना अवगत कराया गया था, जिसमें केवल 5प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है, कार्य बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा है, निर्माण कार्यो पर कोई नियत्रंण होना प्रतीत नही होता है, साथ ही इनके द्वारा बैठक में अपर्याप्त जानकारी दी गई जो कि एक खेदजनक स्थिति है। अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रकरण पैर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

4— नगर पालिका मुनिकीरेती क्षेत्रान्तर्गत 3 नाले से गन्दगी सीधे गंगा नदी में जा रही है, जिनको अभी तक एस0टी0पी0 से नही जोडा गया है। प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के द्वारा पेयजल निगम को कोई नोटिस जारी नही किया गया, जो एक खेद जनक स्थिति है। जिससे प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा कोई जांच नही की जा रही है। उक्त 3 नाले मुनिकीरेती में निर्माणाधीन एस0टी0पी0 (7.5MLD) से जोड़े जाने है। उक्त क्षेत्र में 20 कि0मी0 सीवर लाइन नेटवर्क बनाया गया है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मुनिकीरेती के द्वारा अवगत कराया गया है कि मुनिकीरेती के 1077 घरों के कनेक्शन जोडे गये है, जो लक्कडघाट के एस0टी0पी0 पर जा रहा है। वार्ड नं0–4 में 5 एमएलडी वाले एस0टी0पी0 जो डालवाला/मुनिकीरेती के घरो के कनेक्शन जोडने हेतु बनाया गया है, उसमें मुनिकीरेती में 4176 आवासीय भवन है, जिसमें 4000 घरो के कनेक्शन जोडे गये है जिसमें से 176 ढालवाला/मुनिकीरेती में जोडे जाने शेष है। मुनिकीरेती/ढालवाला एरिया का सर्वे 30 अगस्त तक करते हुए आख्या प्रस्तुत की जाय।

5— तपोवन में 562 घरों के कनेक्शन जोडे जाने है, जिसमें से 532 घरो के कनेक्शन जोडे गये है तथा 30 में 16 घरों में कार्य गतिमान है जो इस माह अगस्त तक जोडे जायेंगे।

342

14 घरो के स्वामियों को नोटिस दिया गया है, इनके द्वारा घरों के कनेक्शन एस0टी0पी0 से जोडे जाने से इन्कार किया जा रहा है, उक्त स्थान पर स्थित भवन स्वामियों के द्वारा बनाये गये सेप्टिक टैंको का निरीक्षण किया जाय कि उनके द्वारा बनाये गये सेप्टिक टैंक पर्याप्त है या नही? पर्याप्त न होने पर उन्हें नोटिस जारी किया जाय। उक्त स्थान पर स्थित हाउसिंग सोसायटी के द्वारा भी अपने सेप्टिक टैंक होने के कारण एस0टी0पी0 से नही जोडा जा रहा है, उक्त सोसायटी के द्वारा बनाये गये सेप्टिक टैकों का निरीक्षण एक टीम बनाकर किया जाय कि उनके द्वारा बनाये गये सेप्टिक टैक पर्याप्त है या नही? अगर पर्याप्त नही हो तो उनको प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड नोटिस देकर कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें। तपोवन मे एस0टी0पी0 3.5 MLD में प्रतिदिन 150 किलो स्लज निकल रहा है जिसको लकड़घाट के ट्रेंचिंग ग्राउंड में डाला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि संभव हो तो इस स्लज को वन विभाग की पौधशाला अथवा अन्य पौधशालाओं में उपयोग किया जाए।

6– पलडप्लेन जोनेशन के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नई टिहरी के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 16 सितम्बर 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक फील्ड वेरिफिकेशन किया जायेगा, जो वर्षा समाप्ति के उपरान्त किया जाना है जिसके लिए उन्हें नक्शे एवं खसरे के साथ ही क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक के सहयोग की आवश्यकता पडेगी। समस्त उप जिलाधिकारी सिंचाई विभाग को नक्शे खसरे उपलब्ध कराते हुए क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक को सहयोग करने हेतु निर्देशित करें।

7– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नई टिहरी के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा स्थान कोटेश्वर में 2 घाटों (एक स्नान घाट एवं एक मोक्ष घाट) का निर्माण किया गया है। उक्त दोनो घाटों का हस्तानान्तरण जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल को किया जाना है, जिससे घाटों का रख रखाव उचित प्रकार से हो सके, जिसके क्रम में उक्त घाटों की जांच उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर से करवाई गयी। उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के द्वारा अवगत कराया गया है कि घाटों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। जिसके कारण उक्त घाटों को जिला पंचायत टिहरी गढवाल को हस्तानान्तरण किया जाना उचित है, उक्त दोनो घाटों को हस्तानान्तरण आदेश जारी किया जाय, तथा घाटों के हस्तानान्तरण आख्या तत्काल प्रस्तुत किया जाय। स्थान देवप्रयाग में 2 स्नान घाट एवं 2 मोक्ष घाटो का निर्माण वाप्कोस कम्पनी के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। उक्त घाटों का हस्तानान्तरण की कार्यवाही करने हेतु उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर को पत्र प्रेषित किया गया था। उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर के द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में घाट टूटे–फूटे हुए है, जिनकी मरम्मत की जानी आवश्यक है जिसके उपरान्त ही हस्तानान्तरण की कार्यवाही की जानी है, जिसके क्रम में एस0पी0एम0जी0 देहरादून को उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु प्राक्कलन तैयार कर प्रेषित किया गया है। अधिशासी अधिकारी देवप्रयाग के द्वारा अवगत कराया गया है, कि उनके क्षेत्रान्तर्गत 4 घाट है, 4 घाटों पर साईन बोर्ड लगाये गये।

8– ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत मुनिकीरेती से आये प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके क्षेत्रान्तर्गत 5 नाले है पूछने पर उनके द्वारा स्पष्ट आख्या नही दी गयी है, अगली बैठक में नालो का नाम एवं संख्या सहित आख्या प्रस्तुत की जाय। अधिशासी अधिकारी, अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित नालो की सफाई प्रतिदिन करना सुनिश्चित करें। अधिशासी अधिकारी देवप्रयाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके क्षेत्रान्तर्गत 2 नाले है जिन पर जालियां लगायी गयी है। उन नालो पर लगी जालियों की हर दूसरे दिन सफाई की जाती है।

9– नगर निकाय के अन्तर्गत स्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों, रेस्टोरेंट, ढाबो, कार्यालय, कालेज, स्कूल, भवनो, सरकारी भवनो एवं निजी भवनो की जांच की जाय। उनके द्वारा बनाये गये सोक पीट सिंगल है या डबल पिट है, उक्त बनाये गये शोक पिट होटल/भवनो के लिए पर्याप्त है या नही? सेप्टिक टैक प्रर्याप्त न होने की स्थिति में एस0टी0पी0 से जोडे जाने की आख्या प्रस्तुत करेगें। उक्त सर्वे के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी सेप्टेज मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से कार्यवाही करते हुए आख्या से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

10– मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी गढ़वाल आधी–अधूरी सूचनाओं सहित बैठक में उपस्थित हुये, उनके द्वारा जनपद में कितने सरकारी प्राईवेट अस्पताल/पैथोलॉजी लैब/नर्सिंग होम/क्लीनिक/मेडिकल स्टोर है उनकी सूची तैयार कर प्रस्तुत नही की गयी है । मुख्य चिकित्साधिकारी अगली बैठक में उनके क्षेत्रान्तर्गत स्थित सरकारी प्राईवेट अस्पताल/पैथोलॉजी लैब/नर्सिंग होम/क्लीनिक/मेडिकल स्टोर की सूची तैयार कर आख्या प्रस्तुत करें तथा अवगत कराये कि बायो मेडिकल वेस्ट कितनी मात्रा में होता है तथा उसका निस्तारण किस प्रकार किया जा रहा है।

11– समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके क्षेत्रान्तर्गत कितने स्लॉटर हाउस है उसके सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत स्थित स्लॉटर हाउसों की सूची तैयार करेंगे तथा इनसे निकलने वाली गंदगी के निस्तारण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है इसका निरीक्षण करेंगे तथा जिन स्लॉटर हाउस में गंदगी के निस्तारण की सही व्यवस्था नही है उन्हें नोटिस भी जारी करेंगे।

12– नगर निकायों के द्वारा सोर्स सेग्रीगेशन किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जाय। कम्पोस्टिंग किया जा रहा है या नही कितना कम्पोस्टिंग माह में हो रहा है उसका विवरण प्रस्तुत करें, रिसाईक्लिंग प्लांट में किया जा रहा है या नही? प्रतिमाह कितना सेग्रीगेशन किया जा रहा है। कूडा जैविक/अजैविक का निस्तारण किस प्रकार किया जा रहा है। जैविक/अजैविक कूडा का पृथक्कीकरण किस प्रकार से किया जा रहा है विवरण प्रस्तुत करें।

जा रहा है। जैविक/अजैविक कूडा का पृथक्कीकरण किस प्रकार से किया जा रहा है विवरण प्रस्तुत करें।

13– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2019–20 में जनपद में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 603 है0 क्षेत्र में 603000 पौधों का रोपण किया गया है तथा गंगा ग्राम योजना के अंतर्गत 108 है0 क्षेत्र में 108000 पौधों का रोपण किया गया है।

14– जनपद की सभी निकायो के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत सेप्टेज मैनेजमेंट कमेटी की नियमित बैठक आयोजित करते हुए बैठक का कार्यवृत्त जिला गंगा समिति को प्रस्तुत करेंगें।

15– जनपद के सभी एस0टी0पी0 से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी एस0टी0पी0 में हर 15 दिन में नदी के पानी के 3 नमूने लिए जाए जो कि डिस्चार्ज प्वांइट, तथा डिस्चार्ज प्वाइंट से 500 मी0 ऊपर(Upstream) तथा 500 मी0 नीचे(Downstream) की ओर लिए जाएं, इनका परीक्षण किया जाए तथा इसका रिकॉर्ड रखा जाए। साथ ही पानी के नमूने का हर दो महीने में एक बार किसी अन्य लैब से परीक्षण किया जाए तथा इसका भी रिकॉर्ड रखा जाए।

अन्त में बैठक में उपस्थित परियोजना निदेशक, उ0पेयजल निगम(गंगा) श्रीनगर, परियोजना प्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश, प्रोजेक्ट मैनेजर, उ0पेयजल संस्थान देवप्रयाग, परियोजना अभियन्ता, पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मुनिकीरेती, देवप्रयाग एवं अधिशासी अभियन्ता, नगर पंचायत कीर्तिनगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही करते हुए अगली बैठक में अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य सहित स्वंय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त अधिकारिगणों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(डा0 वी0षण्मुगम)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

25060

345

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 621 /21–47(नमामि गंगे) दिनांक, नई टिहरी, अगस्त 07,2019

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कार्यकम निदेशक, एस0पी0एम0जी0, नमामि गंगे देहरादून।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3– मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 20/29 तेमी रोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6– परियोजनाप्रबन्धक, उ0पेयजल निगम(गंगा) ऋषिकेश।
7– परियोजनाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)श्रीनगर गढ़0
8– परियोजना अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम(गंगा)ऋषिकेश/देवप्रयाग।
9– तहसीलदार देवप्रयाग/कीर्तिनगर/ना0तहसीलदार पावकीदेवी।
10– अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल।
11– जिला पर्यटन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12– समस्त सदस्य, जिला गंगा सुरक्षा समिति, टिहरी गढ़वाल।
13– समस्त आंशेशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जनपद– टिहरी गढ़वाल।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

ANNEXURE-3-(04)

25061

346

// आदेश //

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की गंगा नदी के पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन हेतु जारी अधिसूचना संख्या–2458 दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 की धारा 56 के कम में प्रत्येक जिला गंगा समिति द्वारा निम्नानुसार नोडल अधिकारी नामित किया जाना है–

(ए) गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में प्रत्येक गांव के ग्राम सभा के सरपंच।

(बी) ऐसे मामले में जो गांव नदी से सटे हुए नहीं हैं, नगर पालिका योजना समिति या महानगर योजना समिति के अध्यक्ष या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस आदेश के प्रयोजनों हेतु, जिला गंगा समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जा सकता है।

अतएव उक्त अधिसूचना के क्रम में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत भागीरथी, भिलंगना व अलकनन्दा नदी के आस पास के नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष को निम्नवत् नोडल अधिकारी नामित किया जाता है:–

क0 स0	विकास खण्ड	नगर पालिका एवं नगर पंचायत का नाम	नोडल/नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष का नाम	दूरभाष
1	नरेन्द्रनगर	मुनिकीरेती	श्री रोशन रतूडी	7017328437
		तपोवन	प्रशासक उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर	9410191049
3	देवप्रयाग	देवप्रयाग	श्री कृष्णकान्त कोटियाल	7895993052
3	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर	श्रीमती कैलाशी जाखी	7060488699
4	भिलंगना	घनसाली।	श्री शंकरपाल सजवाण	9412977186

उक्त अधिसूचना की धारा 56 (2) के तहत प्रत्येक नोडल अधिकारी अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत भागीरथी, भिलंगना एवं अलकनन्दा नदी या अन्य क्षेत्र जिसके लिए वह नोडल अधिकारी है, के निम्न दायित्व होगें–

1. गंगा नदी की और उसकी सहायिकाओं में प्रदूषण को रोकना।
2. गंगा नदी और उसकी सहायिकाओं के संरक्षण हेतु उपचारात्मक उपाय करना।
3. नोडल अधिकारी अपने गावं से सटे हुये नदी तटो पर उपचारात्मक कार्यवाही न होने की स्थिति में जिला गंगा समिति के अध्यक्ष के संज्ञान में ला सकते हैं।
4. अन्य दायित्व जैसा जिला गंगा समिति उचित समझे।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल

संख्या– /21–01 (2023–24) टिहरी गढवाल दिनांक, अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, टिहरी गढवाल।

2– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, घनसाली, कीर्तिनगर, देवप्रयाग, तपोवन, मुनिकीरेती टिहरी गढवाल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निकाय क्षेत्र में नामित नोडल अधिकारियो को अपने स्तर अवगत करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

25063

347

कार्यालयः जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक 1162 /पं0–7/ग्रा0स0/गंगा ग्राम/2023–24, दिनांक 31/10/2023।

–::आदेश::–

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन विभाग, नई टिहरी के पत्रांक 788 दिनांक 12.10.2023 एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2458 दिनांक 07.10.2023 की धारा 56 (1) (ए) के क्रम में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के आस–पास के क्षेत्रों में प्रत्येक गांव के ग्राम सभा के सरपंच/प्रधान ग्राम पंचायत को निम्नानुसार नोडल नियुक्त किया जाता है:–

क0स0	विकास खण्ड	ग्राम /ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के नोडल/ ग्राम प्रधान का नाम	दूरभाष
1	देवप्रयाग	भ्वीट	श्री उमेर सिंह	9412922955
2	देवप्रयाग	भरपुर	श्री धर्मकुमार	7351569815
3	देवप्रयाग	सौड़	श्री राकेश सिंह	9639831475
4	देवप्रयाग	सकनीधार	श्री राकेश सिंह	9639831475
5	देवप्रयाग	पाली	श्री महेन्द्र सिंह	8449218144
6	देवप्रयाग	डोबरी	श्री मुकेश सिंह	7500367907
7	देवप्रयाग	भल्लेगांव	श्री जयन्ती प्रसाद	8449093282
8	देवप्रयाग	मूल्यागांव	श्रीमती हेमन्ती देवी	9012197443
9	देवप्रयाग	रामपुर–श्यानपुर	श्रीमती बबीता देवी	9412120380
10	देवप्रयाग	तुगंगी	श्री अरविन्द सिंह जियाल	7895611409
11	देवप्रयाग	आली–तल्ली	श्रीमती रजनी देवी	7453984344
12	कीर्तिनगर	धारी	श्री सोहन प्रसाद पाण्डेय	7895037321
13	कीर्तिनगर	सुपणा	श्रीमती प्रतिक्षा देवी	8979564584
14	कीर्तिनगर	नौर	श्रीमती प्रीति देवी	8650575477
15	कीर्तिनगर	नंगशु	श्रीमती दीपिका देवी	9917585108
16	कीर्तिनगर	थापली	श्रीमती यशोदा देवी	7500667566
17	कीर्तिनगर	चौरास	श्रीमती यशोदा देवी	7500667566
18	कीर्तिनगर	रानीहाट	श्रीमती मेघा रावत	7895298966
19	कीर्तिनगर	नैथाणा	श्रीमती आशा देवी	7895703650
20	कीर्तिनगर	मढी	श्रीमती सरिता देवी	8941058246
21	कीर्तिनगर	देवली	श्रीमती सरिता देवी	9410925020
22	कीर्तिनगर	घिण्डियालगांव	श्री अनिल कुमार	8171603070
23	कीर्तिनगर	मलेथा	श्री अंकित कुमार	7830963438
24	कीर्तिनगर	जियालगढ	श्रीमती रितू देवी	8006408124
25	कीर्तिनगर	लछमोली	श्रीमती अनशी देवी	8958298247
26	कीर्तिनगर	बगवान	श्री नरेश प्रसाद	7895991329
27	कीर्तिनगर	सॉकरों	श्रीमती रजनी देवी	8171707361

19

348

28	नरेन्द्रनगर	शिवपुरी	श्रीमती संगीता देवी	8795917926
29	नरेन्द्रनगर	बवाणी	श्रीमती वन्दना देवी	7830517376
30	नरेन्द्रनगर	सिंगटाली	श्रीमती कुसुम देवी	7252816852
31	नरेन्द्रनगर	अटाली	श्रीमती दीपा देवी	9783163505
32	थौलधार	तिवाडगांव	श्रीमती संगीता देवी	8126595225
33	थौलधार	पलास	श्री सूमेर सिंह	7817099551
34	थौलधार	तल्ला उप्पू	श्रीमती सुशीला देवी	9411148515
35	थौलधार	सौड उप्पू	श्रीमती मीना देवी	8057484258
36	थौलधार	भल्डियाना	श्रीमती रीना देवी	7060632084
37	थौलधार	स्यांसू	श्रीमती विनीता देवी	7818088378
38	थौलधार	जसपुर	श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी	9720252992
39	थौलधार	खाण्ड बिडकोट	श्री प्रेम सिंह	9412909240
40	थौलधार	कंडारगांव	श्री दीवान सिंह	9917450750
41	थौलधार	सरोट (डोबन)	श्रीमती रेश्मा देवी	7500828334
42	थौलधार	डोबन	श्री सुरेश चन्द	9412347330
43	प्रतापनगर	भैंगा	श्रीमती बरखा देवी	9756268548
44	प्रतापनगर	नकोट	श्रीमती स्वाती राणा	8057132076
45	प्रतापनगर	चांठी	श्री कोमल दास	8126831921
46	प्रतापनगर	रौलाकोट	श्री आशीष डंगवाल	7830845020
47	प्रतापनगर	झिवाली	श्रीमती नेहा देवी	7300563629
48	प्रतापनगर	सेम	श्री राहुल राणा	9536699536
49	प्रतापनगर	पिपलोगी	श्रीमती प्रियंका देवी	9557477052
50	प्रतापनगर	कंगसाली	श्री अरविन्द सिंह	7340756922
51	चम्बा	क्यारी	श्री धीरेन्द सिंह	839399703
52	भिलंगना	असेना	श्रीमती उर्वशी देवी	8449360048
53	भिलंगना	देवंज	श्रीमती सजनी देवी	7310670562
54	भिलंगना	फलेडा	श्रीमती भारती सजवाण	8006496790
55	भिलंगना	ज्यूदाणा	श्रीमती सुनीता देवी	9997694099
56	भिलंगना	महरगांव	श्री गौतम लाल	9971448890
57	भिलंगना	पिलखी	श्रीमती बबीता देवी	9012976796
58	भिलंगना	रौंसाल	श्रीमती देवकी देवी	9997102007
59	भिलंगना	सेन्दुल	श्रीमती सविता देवी	7456065976
60	भिलंगना	सांकरी	श्री सुरेश चन्द	7400333424
61	भिलंगना	थाती	श्री सन्तोष सिंह	9761311343
62	भिलंगना	वाड अनुया	श्री दिनेश लाल	9837278051
63	भिलंगना	सिलयारा	श्रीमती सुमित्रा देवी	9520251141
64	भिलंगना	चमोलगांव	श्रीमती शशि देवी	7895880387
65	भिलंगना	तुंगाणा	श्रीमती कविता देवी	8445885654
66	भिलंगना	रागस्या	श्रीमती अनिता देवी	9012808734

13

25065

349

67	भिलंगना	बेलेश्वर	श्री विजय प्रकाश	9627878569
68	जाखणीधार	नन्दगाव	श्री राकेश लाल	9633542573
69	जाखणीधार	खाण्ड	श्रीमती प्रभा देवी	9997016968
70	जाखणीधार	सांदणा	श्रीमती राजेश्वरी देवी	9368538797
71	जाखणीधार	छोलगांव	श्री त्रिलोक सिंह	9627795155
72	जाखणीधार	पिपोला	श्रीमती विमला देवी	8979761322
73	जाखणीधार	उठड	श्री सम्मन सिंह	9012662299
74	जाखणीधार	म्यूडा	श्री कुशाल सिंह	9634948288

(मो0 मुस्तफा) 10/10/23
जिला पंचायत राज अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक 1162 /उक्त/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— **निम्नांकितों को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—**

1— उपरोक्त समस्त नोडल/प्रधान ग्राम पंचायत, जनपद टिहरी गढ़वाल।
2— समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0), जनपद टिहरी गढ़वाल। (विकासखण्ड जौनपुर को छोडकार)
3— समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल। (विकासखण्ड जौनपुर को छोडकार)
4— प्रभागीय वनाधिकारी, महोदय टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
5— मुख्य विकास अधिकारी, महोदय टिहरी गढ़वाल।
6— जिलाधिकारी, महोदय टिहरी गढ़वाल।
7— निदेशक, पंचायतीराज महोदया, उत्तराखण्ड देहरादून।

जिला पंचायत वनाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

ANNEXURE-2-(05)

25066

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन / फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल : dfotehri_ua@rediffmail.com

350

पत्रांक : 761 /1-3-6 नई टिहरी, दिनांक– 11|10| 2023

सेवा में,

Program Director,
State Program Management Group,
Namami Gange,
Dehradun Uttarakhand.

विषयः– **Training (Second Cycle) for District Ganga Committees on District Ganga Plan preparation.**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक– 592 / SPMG/Namami Gange/DGP, दिनांक– 09.10.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में दिनांक– 16–17 अक्टूबर 2023 को Hotel Hayatt Centric, देहरादून में आयोजित उक्त विषयक प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु निम्न प्रकार अधिकारियों को नामित किया जाता है–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्रीमती रश्मि ध्यानी	सहायक वन संरक्षक, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
3	श्री अरूण उनियाल	जिला परियोजना अधिकारी, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल

अतः उक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में प्रेषित।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग /
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल

संख्याः 761 /1-3-6 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग /
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल

25067 ANNEXURE-2-(06) 351

कार्यालय :– नगरपालिका परिषद टिहरी (नई टिहरी) टिहरी गढ़वाल।

संख्या–746 / न0पा0प0 / सूचना / 2023–24 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग–नई टिहरी।

विषय :– **Regarding Compliance of Directions Passed by the Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench,New Delhi in PIL(O/A No.2014-M.C Mehta,S matter Related to Ganga Pollution and its Cleaning etc.**

महोदय

उपरोक्त विषयक मुआपके पत्र संख्या–669 / 3–2 नई टिहरी दिनिांक 04 / 10 / 2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05 / 09 / 2023 के अनुपालन में सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर महोदय की सेवामें संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका पालिका
टिहरी।

प्रतिलिपि :– 1– जिला अधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल की सेवामें सादर सूचनार्थ।
2– मुख्य विकास अधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल की सेवामें सादर सूचनार्थ।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका पालिका
टिहरी।

25068

352

Regarding Compliance of Directions Passed by the Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench,New Delhi in PIL(O/A No.2014-M.C Mehta,S matter Related to Ganga Pollution and its Cleaning etc.

Issue	Proceeding
• Plastic waste	Single use Plastic has been completely banned in ULB Tehri, anyone found selling or carrying Single use Plastic is penalized by the officials. A sum of rupees 74500 has been collected by the ULB under plastic challan till date.
• Sewage	Uttarakhand Jal Sansthan looks after all the sewage related issue in the ULB jurisdiction
• Faulty construction	Faulty construction is dismantled and the person/origination is penalized by the officials of the ULB
• Loss of Bio diversity and water resource	ULB has been conducting occasional plantation drive to help reduce the loss of bio diversity, also ULB is focused on recycling waste. There is only one drain the ULB jurisdiction which opens in the lake, Proper screening of the drain is done to prevent any waste from entering the lake. Also many sign boards have been installed around the lake area asking locals/tourists not to litter. Still If anyone found defecating/littering they are penalized by the officials of the ULB
• MSW disposal	MSW is disposed in mukri which in located in ward 02 in the ULB. All the waste collected from the city is brought to mukri processing plant/dumpsite after source segregation from each household . Later the waste is further segregated by the segregation workers, the wet waste is then sent to composting pits for making compost, and the dry waste is send to compacting centre. This compact and compost are later sold by the ULB. ULB has generated a revenue of 95637 in the financial year 2023-24 by selling compost.
• Legacy Waste	DPR is being made for the process of treatment of the legacy waste

Executive Officer
Nagar Palika Parishad Tehri

Annu

25069 ANNEXURE-2-(07) 353

कार्यालयः–जिला पर्यटन विकास अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
ईमेल–dtdotehri@gmail.com

पत्रांकः–867 /विविध/2023–24/पर्य0टिहरी। दिनांकः–13 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/सदस्य सचिव,
जिला गंगा समिति, टिहरी गढ़वाल।

विषयः–Regarding compliance of Direction passed by the Hon,ble National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi in PIL(O.A No 200 of 2014-M.C. Mehtha,s matter related to Ganga pupllution and its cleaning etc.

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–669/3–2 नई टिहरी, दिनांक 04.10.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, उक्त पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित विकास प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 के अनुपालन में जनपद से सम्बन्धित उठाये गये बिन्दुओं पर अपने–अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं की स्टेट्स रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में पर्यटन विभाग, टिहरी गढ़वाल से संबंधित बिन्दुओं की प्रस्तरवार आख्या निम्नवत् है–

बिन्दु संख्या–01 **Bhagirathi Basin**(Unregulated tourism leads to traffic congestion):- उक्त के संबंध में अवगत करना है कि अनियमित पर्यटन से यातायात जाम की स्थिति से निपटने हेतु विभाग द्वारा Tourist safety Management System(TSMS) के तहत देश–विदेश से चार धाम यात्रा पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु ऑनलाईन माध्यम से पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है, जिसके तहत यात्री उसी तिथि को आते है जिस तिथि को यात्रा हेतु उनका पंजीकरण हुआ है उक्त व्यवस्था से चारधाम यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग में पड़ने वाले स्थान यथा धनसाली, नरेन्द्रनगर एवं टिहरी में अनियमित पर्यटन से यातायात जाम की स्थिति में सुधार आया है।

बिन्दु संख्या–02 **Bhagirathi Basin**(sewage from hotel/dharmshalas and residences has increased with the highest tourist footfall in these area):- धनसाली, नरेन्द्रनगर एवं टिहरी में आने वाले पर्यटकों के कारण होटल/धर्मशालाओं में सीवेज की वृद्धि को सुव्यवस्थित किये जाने हेतु नई टिहरी में सिविर लाईन बिछाई गयी है जिसका रख–रखाव नगर पालिका के स्तर से किया जाता है उक्त के अतिरिक्त उक्त तीनों स्थान धनसाली, नरेन्द्रनगर एवं टिहरी में पृथक–पृथक नगर पालिकाऐं है, जिसके संबंध में सीवेज की वृद्धि को सुव्यवस्थित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही नगर पालिका/जल संस्थान के स्तर से ही की जाती है। पर्यटन विभाग द्वारा 20 से अधिक कमरों वाली पर्यटन इकाई का पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु इकाई के स्वामी को अपनी पर्यटन इकाई में एस0टी0पी0 प्लांट लगाये जाने की अनिवार्यता है।

बिन्दु संख्या–03 **Alaknanda Basin** (High Tourist influx at all Prayags leading to Pollution):- उक्त के संबंध में कीर्तिनगर एवं अन्य प्रयागों में पर्यटकों की वृद्धि से प्रदूषण को कम करने हेतु विभाग द्वारा Tourist safety Management System(TSMS) के तहत देश–विदेश से चार धाम यात्रा पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु ऑनलाईन माध्यम से पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है, जिसके तहत यात्री उसी तिथि को आते है जिस तिथि को यात्रा हेतु उनका पंजीकरण हुआ है उक्त व्यवस्था से चारधाम यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग में पड़ने वाले स्थान यथा कीर्तिनगर एव अन्य प्रयागों में पर्यटकों की संख्या सीमित होने से प्रदूषण की स्थिति में भी सुधार आया है।

अतः महोदय द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के क्रम में उपरोक्तानुसार सूचना सादर प्रेषित है।

भवदीय

जिला पर्यटन विकास अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

25070 ANNEXURE-2-(08) 354

।। कार्यालय नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।।

ईमेल–eombnnr237@gmail.com दूरभाष नम्बर–7017325368

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग–नई टिहरी।

पत्रांक– 3005/रिट याचिका/न0पा0प0/2023–24 दिनांक 20 अक्टूबर, 2023

विषय– **Regarding Compliance of Directions Passed by Hon'ble National Green Tribunal Principal Banch, New Delhi in PIL (O/A No. 2014- M.C Mehta, S metter Related to Gange Pollution and its Cleaning etc.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–669/3–2/ नई टिहरी दिनांक 04अक्टूबर, 2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05 सितम्बर, 2023 के अनुपालन में सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर महोदय की सेवा में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
नरेन्द्र नगर, टि0ग0।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1:– जिला अधिकारी महोदय, टिहरी गढवाल।
2:– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, टिहरी गढवाल।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
नरेन्द्र नगर, टि0ग0।

25071

355

Regarding Compliance of Directions Passed by Hon'ble National Green Tribunal Principal Banch, New Delhi in PIL (Q/A No. 2014- M.C Mehra, S metter Related to Gange Pollution and its Cleaning etc.

Issue	Proceeding
• Plastic Waste	Single Use Plastic has been completely banned in ULB Narendra Nagar, anyone found selling or carrying Single use Plastic is penalized by officials.
• Sewage	STP Plant DPR has been made by Uttarakhand Payjal Nigam for the ULB Narendra Nagar.
• Faulty Construction	Faulty Construction is dismanted and the person/Organization is penalized by officials of the ULB.
• Loss of Bio diversity and Water resource	ULB has been conducting plantation drive to help reduce the loss of bio diversity; also ULB is focused on recycling Waste. There is no Lake, River front near in this ULB Jurisdiction. ULB Narendra Nagar is situated at distance of 16 K.M From Ganga River.
• MSW Disposal	MSW Disposal in Ward No. 1 Kumhar kheda, Narendra Nagar. All the waste collected from the city is brought to ULB Processing Plant after Source Segregation from each Household. Later the waste is further segregation from each household. Later the waste is further segregated by the segregation worker, the wet waste is then sent to composting pits for making compost, and dry waste send to compacting center. This compact and composte are later sold by the ULB. ULB has generated a revenue of Rs. 2,11,386/- in this financial year 2023-24 by selling Compacted goods and compost.
• Legacy Waste	Cluster based approach has been made by Urban Devlopment Department, in which 4 ULB's are grouped; Nagar Nigam Rishikesh, Nagar Palika Parishad Munikireti, Nagar Palika Parishad Narendra Nagar and Nagar Panchyat Swargashram-Jonk.

Executive Officer,
Nagar Palika Parishad,
Narendra Nagar, T.G.

25072

ANNEXURE-2-(09) 356

कार्यालय नगर पंचायत घनसाली जिला टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक 312 /एन0जी0टी0/2023–24 दिनांक 12 अक्टूबर 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

विषय–Regarding Compliance of Directions Passed by the Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench New Delhi in PIL (O.A No. 200 of 2014-M.C. Mehta's matter related to Ganga Pollution and its Cleaning etc.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं0–669/3–2 नई टिहरी, दिनांक 04 अक्टूबर 2023 के अनुपालन में इस निकाय से संबन्धित वांछित सूचना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

12/10/23

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत घनसाली
टिहरी गढ़वाल।

4

357

Panchayat/Cities	Issues	Proceeding
	Bhagirathi Basin	
Nagar Panchayat Ghansali	Unregulated Tourism leads to Traffic congestion, inadequately MSW waste Management (Plastic is a menace), sewage, Faulty Construction, loss of biodiversity and water resources as well.	नगर पंचायत घनसाली द्वारा निकाय के कुल 07 वार्डो से डोर टू डोर कूडा एकीकरण पृथकीकरण एवं निस्तारण का कार्य आउटसोर्सिंग ऐजेंसी मै0 शांताराम कम्युनिकेशन के माध्यम से करवाया जा रहा है। कूडा निस्तारण हेतु पृथकीकरण का कार्य वार्ड नं0–08 घनसाली में एक अस्थायी भूमि, जिसके चारों ओर लोहे के जालों/चादरों आदि से कवर कर किया जा रहा है। ताकि नदी में किसी भी प्रकार की गन्दगी न जाने पाये। साथ ही निकाय को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु भूमि ग्राम असेना नामे तोक मे आवंटित की गयी है जिस पर प्लान्ट लगाने की कार्यवाही गतिमान है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत
घनसाली

25074

ANNEXURE-2-(10)-358

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

(भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A joint venture of Govt. of India & Govt. of UP)

In reference to letter dated 06.09.2023 regarding compliance of directions passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in PIL (O.A. No. 200 of 2014-M.C. Mehta's matter related to The Ganga Pollution and its cleaning etc. the submission of Tehri/Koteshwar HEP(THDCIL) for page no. 07, issue no. 3 of Bhagirathi Basin is as follows:-

THDCIL is always releasing water from its Tehri Hydro Power Complex consisting of Tehri HPP and Koteshwar HEP adhering to e-flow gazette notification issued on 10.10.2018. Further, CWC provide discharge to be released, considering requirement of irrigation and drinking water in the downstream from Tehri/Koteshwar HEPs which is more than the flow requirement as specified by NGT.
Submitted please.

1/11/23
(Abhishek Gaur)
GM (Planning)
THDCIL, Tehri

W

25075

359

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

(भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A joint venture of Govt. of India & Govt. of UP)

Catchment Area Treatment (CAT)

THDC was initially carrying out Catchment Area Treatment (CAT) in the catchment of 'high' and 'very high' erodability classification based on the earlier CAT Plan formulated by the State Forest Deptt. Under which an area of 22,746 Ha. was treated up to March'94. Subsequently, it was decided to treat only the direct draining catchment of 'high' and 'very high' erosion class, based on the satellite imageries. Accordingly, a CAT Plan, 1994 was formulated for the treatment of an additional catchment area of 13500 Ha. in addition to area treated earlier.

Based on the recommendations of Hanumantha Rao Committee (HRC) it was decided by the Govt. in Dec'98, that the project would undertake CAT in the entire degraded catchment, in areas of 'high' and 'very high' erosion class, after excluding the areas already treated. The total degraded area to be treated was 52,204 ha. The entire area of 52,204 ha. including 44157 ha. of forest land and 8047 ha. of agricultural land has been treated. The total works in the 52204 ha. of area have been completed under the Tehri Dam Catchment Area Treatment Plan .

1/11/23

(Abhishek Gaur)
GM (Planning)
THDCIL, Tehri

ANNEXURE-2-(11)

25076

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी, टिहरी गढवाल
ईमेल– eeujstehri@gmail.com Tel-01376232154

360

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी ,
टिहरी वन प्रभाग/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)

पत्रांक– 22 / सा० विविध / 2023-24 दिनांक: 17/10/2023

विषय– Regarding compliance of direction passed by the Hon,able National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi in PIL(O.A No.200 of 2014-M.C.Mehta,S matter Related to Ganga Pollution and its cleaning etc.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 669/3–2 नई टिहरी, दिनांक 04–10–2023 के क्रम में मा०राष्ट्र हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/09/2023 को प्रेषित आदेश जोकि प्रश्नगत प्रकरण कोर्ट से सम्बन्धित होने के कारण वांछित रिपोर्ट के उक्त पत्र में संलग्न के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार नरेन्द्रनगर में सीवेज डिस्पोजल/ अपशिष्ट जल उपचार हेतु बड़े संस्थानों /धर्मशालाओं (जैसे– होटल वेस्टिन रिसोर्ट, होटल आनन्दा आदि) में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट(STP) / ETP बनाए गए हैं। छोटे संस्थानों /धर्मशालाओं में सीवेज डिस्पोजल/ अपशिष्ट जल उपचार हेतु सेप्टिक टैंक /सोक पिट बनाए गये है। शेष ठोस अपशिष्ट पदार्थ का निस्तारण नगर पालिका द्वारा किया जाता है।

नरेन्द्रनगर क्षेत्रान्तर्गत सीवेज निस्तारण हेतु सीवर लाइन नहीं बिछी है। उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, मुनि की रेती(टि0ग0) द्वारा अपने पत्रांक संख्या 1431/209/68 दिनांक 17/10/2023 से अवगत कराया गया है कि सीवर लाइन बिछाने हेतु डी0पी0आर0 गठित कर दी गयी है।

अतः आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

17/10/2023

अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी महोदय, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय 25077 अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी, टिहरी गढवाल
ईमेल– eeujstehri@gmail.com Tel-01376232154

361

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी ,
टिहरी वन प्रभाग/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति,
नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)

पत्रांक– 22 / स्था० विविध / 2023-24 दिनांक: 17/10/2023

विषय– Regarding compliance of direction passed by the Hon,able National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi in PIL(O.A No.200 of 2014-M.C.Metha,S matter Related to Ganga Pollution and its cleaning etc.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 669/3–2 नई टिहरी, दिनांक 04–10–2023 के कम में मा0राष्ट्र हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/09/2023 को प्रेषित आदेश जोकि प्रश्नगत प्रकरण कोर्ट से सम्बन्धित होने के कारण वांछित रिपोर्ट के उक्त पत्र में संलग्न के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार नरेन्द्रनगर में सीवेज डिस्पोजल/ अपशिष्ट जल उपचार हेतु बड़े संस्थानों /धर्मशालाओं (जैसे– होटल वेस्टिन रिसोर्ट, होटल आनन्दा आदि) में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट(STP) / ETP बनाए गए हैं। छोटे संस्थानों /धर्मशालाओं में सीवेज डिस्पोजल/ अपशिष्ट जल उपचार हेतु सेप्टिक टैंक /सोक पिट बनाए गये है। शेष ठोस अपशिष्ट पदार्थ का निस्तारण नगर पालिका द्वारा किया जाता है।

नरेन्द्रनगर क्षेत्रान्तर्गत सीवेज निस्तारण हेतु सीवर लाइन नहीं बिछी है। उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, मुनि की रेती(टि0ग0) द्वारा अपने पत्रांक संख्या 1431/209/68 दिनांक 17/10/2023 से अवगत कराया गया है कि सीवर लाइन बिछाने हेतु डी0पी0आर0 गठित कर दी गयी है।

अतः आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी महोदय, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

17/10/2023
अधिशासी अभियन्ता

25078

ANNEXURE-2-(12)

362

Tel /Fax – 01379 258348

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड जल संस्थान,घनसाली, टिहरी गढ़वाल।

E-mail – eeghansali2015@gmail.com

सेवामे,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/
सदस्य सचिव जिला गंगा समिति
टिहरी गढवाल।

पत्रांक 559/ सामान्य / 2023.24 दिनांक 16.10.2023

विषयः– **Regarding compliance of Directions Passed by the hon ble Natinal Green Tribunal Principal Bench new Delhi in PIL Matter Related to ganga pollution and its Cleaning etc.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 669/3–2 नई टिहरी दिनांक 04.10.2023 के क्रम में मा0 राष्ट हरित अधिकरण द्वारा पारित ओदश दिनांक 05.09.2023 को प्रेषित जो कि प्रश्नगत प्रकरण कोर्ट से सम्बन्धित होने के कारण वांचित रिर्पोट के उक्त पत्र में संलग्न बिन्दु 01 के अनुसार नगर पचायत घनसाली में सीवेज डिस्पोजल /अपशिष्ट जल उपचार हेतु संस्थानों/धर्मशालाओं द्वारा सीवेज डिस्पोजल/अपशिष्ट जल उपचार हेतु सैप्टिक टैंक/सॉपिट टैंक बनाये गये है शेष ठोस अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण नगर पंचायत घनसाली/चमियाला द्वारा किया जाता है।

नगर पंचायत घनसाली /चमियाला क्षेत्रान्तार्गत सीवेज़ निस्तारण हेतु सीवर लाइन नही विछी है उत्तराखण्ड पेयजल निगम घनसाली द्वारा नगर पचायंत घनसाली/चमियाला हेतु एस.टी.पी. निर्माण का कार्य SBM 2 (स्वच्छता भारत मिशन 2) में प्रस्तावित है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढवाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

ANNEXURE-A-(13)

25079

363

कार्यालय, सहायक अभियन्ता अनुरक्षण शाखा (गंगा),
उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश।
निकट अशोका होटल, हीरालाल रोड़ ऋषिकेश, देहरादून
mailto:aegangaujs@gmail.com

सेवा में,

प्रभागीय वन अधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

पत्रांक– 236 /जि0गं0सु0स0/2023–24 दिनांक– 17.10.2023

विषय– **Regarding compliance of Directions passed by the hon'ble nanital green tribunal principal Bench, New Delhi PIL (O.A No. 200 of 2014- M.C. Mehta,s matter related to Ganga Pollution and its cleaning etc.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक– 669/3–2 नई टिहरी, दिनांक– 04.01.2023 के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा टिहरी जिले के अन्तर्गत मुनिकीरेती एवं तपोवन जलोत्सारण योजना का अनुरक्षण किया जा रहा है। उपरोक्त पत्र में उक्त योजनाओं से संबंधित कोई नाला इंगित नही है। अवगत कराना है कि उक्त योजनाओं में स्थित नालों की सूची संलग्न कर प्रेषित है तथा उक्त सभी नाले वर्तमान में सीवर लाइन से टेप्ड है।

संलग्नकः–(उपरोक्तानुसार)।

भवदीय

(हरीश कुमार बंसल)
सहायक अभियन्ता

25080

364

उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश द्वारा अनुरक्षित किये जा रहे नालों की स्थिति

मुनिकीरेती क्षेत्र– जिला टिहरी।

क्र0 सं0	नाले का नाम	वर्तमान स्थिति
1	दर्शन महाविद्यालय नाला	पूर्णतः टेप है।
2	हनुमान मन्दिर नाला	पूर्णतः टेप है।
3	सार्वजनक शौचालय नाला	पूर्णतः टेप है।
4	एशियन जैम एण्ड हैण्डीकापट नाला	पूर्णतः टेप है।
5	पुलिस गेस्ट हाउस नाला	पूर्णतः टेप है।
6	शिवानन्द भवन नाला	पूर्णतः टेप है।
7	पी0डब्लु0डी0 गेस्ट हाउस नाला	पूर्णतः टेप है।
8	नाव घाट नाला	पूर्णतः टेप है।
9	ओंमकारानन्द पब्लिक घाट नाला	पूर्णतः टेप है।
10	मुनिकीरेती पार्किंग नाला	क्रम 10 से 13 तक के 04 नाले नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तग त पेयजल निगम द्वारा ठेप किये गये है जो कि वर्तमान तक उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तगत नही किये गये है।
11	गंगा रिपार्ट नाला	
12	खारा श्रोत नाला	
13	ढालवाला नाला	
	तपोवन क्षेत्र– जिला टिहरी।	
1	लुबिन हर्बल सेन्टर नाला (अत्यन्त अल्प श्राव)	पूर्णतः टेप है।
2	श्रीराम आश्रम नाला (अत्यन्त अल्प श्राव)	पूर्णतः टेप है।
3	कोठारी तीर्थ निवास नाला	पूर्णतः टेप है।
4	सच्चाधाम नाला	पूर्णतः टेप है।
5	कैलाशानन्द नाला	पूर्णतः टेप है।

सहायक अभियन्ता

ANNEXURE-2-(14) 365

25081

प्रेषक,

मुख्य कृषि अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

पत्रांक 1653/मु0कृ0अ0टि0/जी0टी0/2023–24/दिनांक 20/10/23

विषय– Regarding compliance of Directions Passed by the Hon'ble Natinal Green Tribunal Principal Bench, New Delhi in PIL (O.A No. 200 of 2014-M.c.Mehta, S matter Related to Ganga Pollution and its Cleaning etc.

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रांक 669 दिनांक 4.10.2023 के क्रम में उक्तानुसार चाही गयी सूचना/ compliance निम्नानुसार प्रेषित है–

Cities/Panchayat	Issues	Proceeding
Bhagirathi Basin		
1-Ghansali, 2- Narendra Nagar 3- Tehri	Agricultural run-off and contamination ofRivers and Streams with pesticides andother chemicals.	**1-** Schemes for "Promotion of Organic Farming" like Namami Gange & Paramparagat Krishi Vikas Yojna & Rashtriya krishi vikas yojna are being Implemented under which use of Chemical is prohibted and Organic inputs are provided to Farmers **2-** Villages in 5 KM. Perifieri of river Ganga and its tributaries are Selected under Natural Farming schemes under which for manure and plant protection only cow urine based products will be used. **3-** Vermicompost pits are being constructed on farmer's field/ house. so that household/ field waste can be used for making vermicompost and is being used in place of fertilizers.

भवदीय

मुख्य कृषि अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

25082 ANNEXURE-2-(15) 366

प्रेषक

उप जिलाधिकारी,
कीर्तिनगर।

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग/सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति
टिहरी गढ़वाल।

संख्या- 363 /जे0ए0- (विविध)-2023, दिनांक, कीर्तिनगर, अक्टूबर 18 ,2023

विषयः- **Regarding Compliance Of Directions Passed by The Hon National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi in PIL (O.A No.200 Of 2014.M.C. Mehta.S matter Related to Ganga Pollution and its Cleaning etc.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांकः 669/3-2 नई टिहरी, दिनांक 04.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा पारित आदेश दिनांक-05.09.2023 द्वारा प्रत्येक जिला गंगा समिति से Original Application में उनके जनपद से सम्बन्धित उठाये गये बिन्दुओं पर Status Report वांछित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 पर प्रस्तरवार आख्या निम्नवत है-

Alaknanda basin-

1- Untapped Sewage- नगर पंचायत कीर्तिनगर एवं बेसिन क्षेत्रान्तर्गत अलकनन्दा नदी के आसपास कहीं भी खुला डम्प नहीं किया जाता है। निकाय द्वारा नदियों के आसपास नियमित रूप से सफाई की जाती है। अलकनन्दा नदी पर स्थित घाटों में नियमित रूप से सफाई की जाती है। निकाय क्षेत्रान्तर्गत 03 नाले हैं, जिन्हे जाले के साथ एस0टी0पी0 (10 KLD एवं 50 KLD) से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त सोक्ता पिट बने हुए हैं, जिससे नदी में सीवेज बहाये जाने की स्थिति नहीं है।

3- High Tourist Influx at all Prayags leading to pollution- कीर्तिनगर क्षेत्रान्तर्गत नगर क्षेत्र में 25 घाट स्थित है, जिनमें नियमित रूप से सफाई कार्य किया जाता है। उक्त घाटों में स्थानीय लोगों द्वारा ही पर्व त्यौहार में स्नान आदि हेतु उपयोग किया जाता है। चारधाम यात्रा में आने-जाने वाले यात्रियों द्वारा प्रायः इन घाटों पर स्नान आदि नहीं किया जाता है। कीर्तिनगर क्षेत्रान्तर्गत स्नान घाटों एवं अलकनन्दा बेसिन क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। पर्यटकों की संख्या न्यून होने से प्रदूषण की स्थिति में सुधार है।

अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कीर्तिनगर, परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं पर्यटन अधिकारी टिहरी गढ़वाल की विस्तृत आख्या संलग्न है।

Ganga basin-

1-Devprayag Sewage/Fc

Status of STP operating and proposed-

देवप्रयाग निकाय क्षेत्रान्तर्गत 03 एस0टी0पी0 निर्मित है। वार्ड नं0-1 शांति बाजार में 75 KLD; वार्ड नं0-2 में 150 KLD एवं वार्ड नं0-04 में भी एस0टी0पी0 निर्मित जो जिला पौड़ी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत है। इसके अतिरिक्त सोक्ता पिट बने हुए हैं। सेप्टेज सक्शन वाहन का भी उपयोग किया जाता है। नदी में सीवेज बहाये जाने की स्थिति नहीं है। निर्मित घाटों में नियमित रूप से सफाई की जाती है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवप्रयाग एवं परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम की विस्तृत आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या सम्प्रेषित।

संलग्न-यथोपरि।

उप जिलाधिकारी,
कीर्तिनगर।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय जिला गंगा समिति टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ।

उप जिलाधिकारी,
कीर्तिनगर।

Scanned with OKEN Scanner

367

25083

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
बद्रीनाथ रोड, श्रीनगर गढ़वाल

**Office Of Project Manager,
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam
Srinagar-Garhwal-246174**

Tel 01346 287113 Email <pmuganga.uppcl@gmail.com>

पत्रांक 099/NGRBA/19 दि० 04/10/23 | प्रेषण का माध्यम | ई-मेल | डाक द्वारा

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सदस्य सचिव,
जिला गंगा समिति,
टिहरी गढ़वाल।

विषयः- **Regarding Compliance of Direction passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in PIL (O.A. No 200 of 2014 –M.C. Metha's matter to Ganga Pollution and its cleaning etc.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 669/3–2 नई टिहरी दिनांक 04.10.2023 के अनुपालन में इस इकाई से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं पर आख्या निम्नवत् है :–

Cities/Panchayat	Issues	Compliance
Kirtinagar	Untapped Sewage	1. इस इकाई द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत कीर्तिनगर में 02 नग नालों को टैप कर इनके श्राव को दो नग एस0टी0पी0 क्रमशः 50 के0एल0डी0 एवं 10 के0एल0डी0 के माध्यम से शोधन किया जा रहा है। 2. उक्त योजना उत्तराखण्ड जल संस्थान, देवप्रयाग के पत्रांक 312/योजना हस्तान्तरण/2021–22 दिनांक 08.06.2021 द्वारा हस्तगत कर, योजना का संचालन एवं रखरखाव उत्तराखण्ड जल संस्थान, देवप्रयाग द्वारा किया जा रहा है।
Devprayag	Untapped Sewage	1. इस इकाई द्वारा एन0जी0आर0बी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के अन्तर्गत देवप्रयाग में 03 नग नालों के श्राव को टैप एवं सीयर नेटवर्क 6.30 किमी के माध्यम से इनके श्राव को तीन नग एस0टी0पी0 क्रमशः 1.40 एम0एल0डी0, 150 के0एल0डी0 एवं 75 के0एल0डी0 के माध्यम से शोधन किया जा रहा है। 2. बाह बाजार, देवप्रयाग में बिछायी गयी सीवर लाईन एवं 1.40 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 बाह बाजार, देवप्रयाग का संचालन एवं रखरखाव उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,
4/10/2023
(रविन्द्र सिंह)
परियोजना प्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा समिति टिहरी गढ़वाल।
2. महाप्रबन्धक निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।

4/10/2023
परियोजना प्रबन्धक

Chini 2022-23 works

25084

368

कार्यालय :– नगर पंचायत कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 423 /न0पा0प0/सूचना/2023–24 दिनांक 13 अक्टूबर, 2023

सेवामें,

प्रभागीय वन अधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग–नई टिहरी।

विषय :– **Regarding Compliance of Directions Passed by the Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench,New Delhi in PIL(O/A No.2014-M.C Mehra,S matter Related to Ganga Pollution and its Cleaning etc.**

महोदय

उपरोक्त विषयक मुआपके पत्र संख्या–669/3–2 नई टिहरी दिनिांक 04/10/2023 के कम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/09/2023 के अनुपालन में सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर महोदय की सेवामें संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका पंचायत
कीर्तिनगर।

प्रतिलिपि :– 1– जिला अधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल की सेवामें सादर सूचनार्थ।
2– मुख्य विकास अधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल की सेवामें सादर सूचनार्थ।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका पंचायत
कीर्तिनगर।

369

25085

नगर पंचायत - कीर्तिनगर, जैविक व अजैविक कूड़े का प्रतिदिन विवरण

Total Waste	1000	Kg	%
Wet	350	Kg	35%
Dry	650	Kg	65%
		Kg	
Plastic	162.5	Kg	25%
Rubber	71.5	Kg	11%
Gatta and Paper	45.5	Kg	7%
Tin & Others	52	Kg	8%
Glass	97.5	Kg	15%
Cloths	117	Kg	18%
Polythene	65	Kg	10%
Iron	19.5	Kg	3%
Thermacol	6.5	Kg	1%
Juite	13	Kg	2%

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

25087

370

DAILY INCOMEING WASTE - FEBRUARY' 2023

Date	Vehicle Number		Total Weight
	UK10CA0643 (Weight in Kg)	UK10CA1068 (Weight in Kg)	(Weight in Kg)
01-Feb-23	490	400	890
02-Feb-23	555	365	920
03-Feb-23	400	595	995
04-Feb-23	430	355	785
05-Feb-23	450	570	1020
06-Feb-23	360	640	1000
07-Feb-23	515	565	1080
08-Feb-23	640	620	1260
09-Feb-23	430	540	970
10-Feb-23	515	480	995
11-Feb-23	390	640	1030
12-Feb-23	485	620	1105
13-Feb-23	355	615	970
14-Feb-23	600	500	1100
15-Feb-23	390	600	990
16-Feb-23	455	440	895
17-Feb-23	480	510	990
18-Feb-23	640	450	1090
19-Feb-23	595	640	1235
20-Feb-23	575	650	1225
21-Feb-23	600	520	1120
22-Feb-23	420	460	880
23-Feb-23	570	500	1070
24-Feb-23	650	465	1115
25-Feb-23	390	365	755
26-Feb-23	650	640	1290
27-Feb-23	370	350	720
28-Feb-23	420	450	870
Total	13820	14545	28365
Average Waste Collection per Day (in Kg)			945.50
Average Waste Collection per Day (in Ton)			0.95

GROW GREEN PMC SERVICES

Authorised Signatory

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत परिषद
सिंदी (वर्धा)

25088

371

DAILY INCOMING WASTE - MARCH

Date	Vehicle Number UK10CA0643 (Weight in Kg)	UK10CA1068 (Weight in Kg)	Total Weight (Weight in Kg)
01-Mar-23	650	485	1135
02-Mar-23	540	360	900
03-Mar-23	640	600	1240
04-Mar-23	350	455	805
05-Mar-23	490	495	985
06-Mar-23	455	500	955
07-Mar-23	475	545	1020
08-Mar-23	500	435	935
09-Mar-23	485	520	1005
10-Mar-23	610	480	1090
11-Mar-23	645	475	1120
12-Mar-23	605	505	1110
13-Mar-23	360	350	710
14-Mar-23	560	480	1040
15-Mar-23	490	605	1095
16-Mar-23	555	390	945
17-Mar-23	520	510	1030
18-Mar-23	405	350	755
19-Mar-23	630	420	1050
20-Mar-23	450	450	900
21-Mar-23	444	350	794
22-Mar-23	490	460	950
23-Mar-23	580	510	1090
24-Mar-23	625	360	985
25-Mar-23	595	480	1075
26-Mar-23	535	500	1035
27-Mar-23	595	450	1045
28-Mar-23	540	500	1040
29-Mar-23	450	405	855
30-Mar-23	350	360	710
31-Mar-23	445	340	785
Total	**16064**	**14125**	**30189**
Average Waste Collection per Day (in Kg)			**1006.30**
Average Waste Collection per Day (in Ton)			**1.01**

GROW GREEN PMC SERVICES

Authorised Signatory

अधिवासी अभियंता
नगर पंचायत कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

DAILY INCOMING WASTE - APRIL 2023

25089

372

Date	Vehicle Number		Total Weight
	UK10CA0643 (Weight in Kg)	UK10CA1068 (Weight in Kg)	(Weight in Kg)
01-Apr-23	620	520	1140
02-Apr-23	355	420	775
03-Apr-23	560	360	920
04-Apr-23	610	530	1140
05-Apr-23	525	495	1020
06-Apr-23	365	500	865
07-Apr-23	485	375	860
08-Apr-23	600	565	1165
09-Apr-23	444	640	1084
10-Apr-23	520	480	1000
11-Apr-23	520	465	985
12-Apr-23	600	510	1110
13-Apr-23	360	600	960
14-Apr-23	500	360	860
15-Apr-23	620	350	970
16-Apr-23	500	555	1055
17-Apr-23	520	510	1030
18-Apr-23	555	425	980
19-Apr-23	410	440	850
20-Apr-23	360	325	685
21-Apr-23	605	625	1230
22-Apr-23	530	500	1030
23-Apr-23	620	420	1040
24-Apr-23	630	500	1130
25-Apr-23	500	320	820
26-Apr-23	600	620	1220
27-Apr-23	360	655	1015
28-Apr-23	455	420	875
29-Apr-23	400	605	1005
30-Apr-23	600	355	955
Total	**15329**	**14445**	**29774**
Average Waste Collection per Day (in Kg)			**992.47**
Average Waste Collection per Day (in Ton)			**0.99**

GROW GREEN PMC SERVICES

Authorised Signatory

कार्यपालसी अधिकारी
नगर पंचायत कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

DAILY INCOMING WASTE - MAY 2023

25090

373

Date	Vehicle Number		Total Weight
	UK10CA0643 (Weight in Kg)	UK10CA1068 (Weight in Kg)	(Weight in Kg)
01-May-23	555	490	1045
02-May-23	360	470	830
03-May-23	560	360	920
04-May-23	620	530	1150
05-May-23	450	495	945
06-May-23	460	500	960
07-May-23	480	620	1100
08-May-23	600	565	1165
09-May-23	444	640	1084
10-May-23	520	480	1000
11-May-23	520	465	985
12-May-23	600	510	1110
13-May-23	360	600	960
14-May-23	500	360	860
15-May-23	620	350	970
16-May-23	500	555	1055
17-May-23	520	510	1030
18-May-23	555	425	980
19-May-23	410	625	1035
20-May-23	360	355	715
21-May-23	605	640	1245
22-May-23	530	605	1135
23-May-23	620	520	1140
24-May-23	630	400	1030
25-May-23	350	590	940
26-May-23	600	360	960
27-May-23	360	465	825
28-May-23	455	350	805
29-May-23	400	605	1005
30-May-23	600	355	955
31-May-23	455	450	905
Total	**15599**	**15245**	**30844**
Average Waste Collection per Day (in Kg)			**1028.13**
Average Waste Collection per Day (in Ton)			**1.03**

GROW GREEN PMC SERVICES

Authorised Signatory

अधिकारी अधिकारी
नगर पंचायत वेलिंगनगर
जिला गढ़वाल

MSW KIRTINAGAR

Date: June'23
Page No.

25091

374

Date	UK09CA1101 (Weight in kg)	UK09CA0762 (Weight in kg)	Total Weight (Kg)
1/Jun/2023	350	390	740
1/Jun/23	480	490	970
1/Jun/23	560	510	1070
1/Jun/23	620	520	1140
1/Jun/23	450	495	945
1/Jun/23	440	500	940
1/Jun/23	500	365	865
1/Jun/23	555	565	1120
1/Jun/23	485	620	1105
2/Jun/23	515	490	1005
1/Jun/23	420	475	895
2/Jun/23	300	505	805
1/Jun/23	0	615	615
1/Jun/23	500	470	970
1/Jun/23	480	600	1080
6/Jun/23	555	490	1045
7/Jun/23	515	0	515
8/Jun/23	590	425	1015
9/Jun/23	455	630	1085
0/Jun/23	530	535	1065
1/Jun/23	580	500	1080
2/Jun/23	490	460	950
3/Jun/23	560	505	1065
4/Jun/23	615	595	1210
5/Jun/23	0	350	350
6/Jun/23	530	580	1110
7/Jun/23	450	350	800
28/Jun/23	395	495	890
29/Jun/23	450	605	1055
30/Jun/23	445	535	980
Total	13815	14665	28480

Total Waste Collection in June month – 28480 Kg
Average waste Collection per Day (in Kg) – 949.33
Average waste Collection per day (in Ton) – 0.95

upto End of May'23 = 119.15 Ton
June'23 = 28.48 Ton
147.63 Ton

Date: June'23
Page No.

अविशासी अधिशासी
पंचायत कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

MSW KIRTINAGAR

Date July'23
Page No.

25092

WASTE LOG BOOK

Date July'23
Page No.

375

Date	UK09CA1101		UK09CA0762		Total Weight (Kg)
	Trips	Weight (Kg)	Trips	Weight (Kg)	
01.07.23	01	300	01	350	865
02.07.23	01	350	01	325	850
03.07.23	01	325	01	490	815
04.07.23	01	490	01	565	1100
05.07.23	01	505	01	425	930
06.07.23	01	245	01	465	710
07.07.23	01	490	—	—	490
08.07.23	01	525	01	615	1140
09.07.23	01	210	01	585	795
10.07.23	01	280	01	565	846
11.07.23	01	580	01	495	1075
12.07.23	01	550	01	250	800
13.07.23	01	450	01	535	985
14.07.23	01	420	01	530	950
15.07.23	01	460	01	310	770
16.07.23	01	390	01	350	740
17.07.23	01	515	01	480	995
18.07.23	01	475	01	490	965
19.07.23	01	480	01	425	905
20.07.23	01	565	01	365	930
21.07.23	01	610	01	265	875
22.07.23	01	525	—	—	525
23.07.23	01	240	01	620	860
24.07.23	01	540	01	370	910
25.07.23	01	460	01	485	945
26.07.23	01	480	01	395	875
27.07.23	01	300	01	555	855

Date	UK09CA1101		UK09CA0762		Total Weight (Kg)
	Trips	Weight	Trips	Weight	
28.07.23	01	460	01	465	925
29.07.23	—	—	—	—	—
30.07.23	—	—	01	620	620
31.07.23	01	465	01	320	785
		12735		12570	25305

Total Waste in July Month = 25.30 Ton
Average Waste Per Day = 0.816 Ton
or 816 kg

(1) Plastic Bottles on 01/08/23 = 830 kg
Via Vehicle No.

Upto End of June'23 = 147.63 Ton
July'23 = 25.30 Ton
172.93 Ton

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

25093

SOLID WASTE MANAGEMENT, KIRTINAGAR

Date: August '23
Page No. 9

Date	UK09CA1101 (Weight in Kg)	UK09CA0762 (Weight in Kg)	Total Weight (Kg)
01.08	0	550	550
02.08	430	290	720
03.08	630	315	945
04.08	455	520	975
05.08	650	215	865
06.08	380	500	880
07.08	415	320	735
08.08	385	465	850
09.08	505	265	770
10.08	520	300	820
11.08	485	455	940
12.08	315	405	720
13.08	295	540	835
14.08	555	0	555
15.08	0	0	0
16.08	440	390	830
17.08	435	415	850
18.08	395	360	755
19.08	280	560	840
20.08	600	255	855
21.08	380	485	865
22.08	590	275	865
23.08	315	465	780
24.08	380	405	785
25.08	450	355	805
26.08	495	390	885

LOG BOOK

Date: August '23
Page No. 8

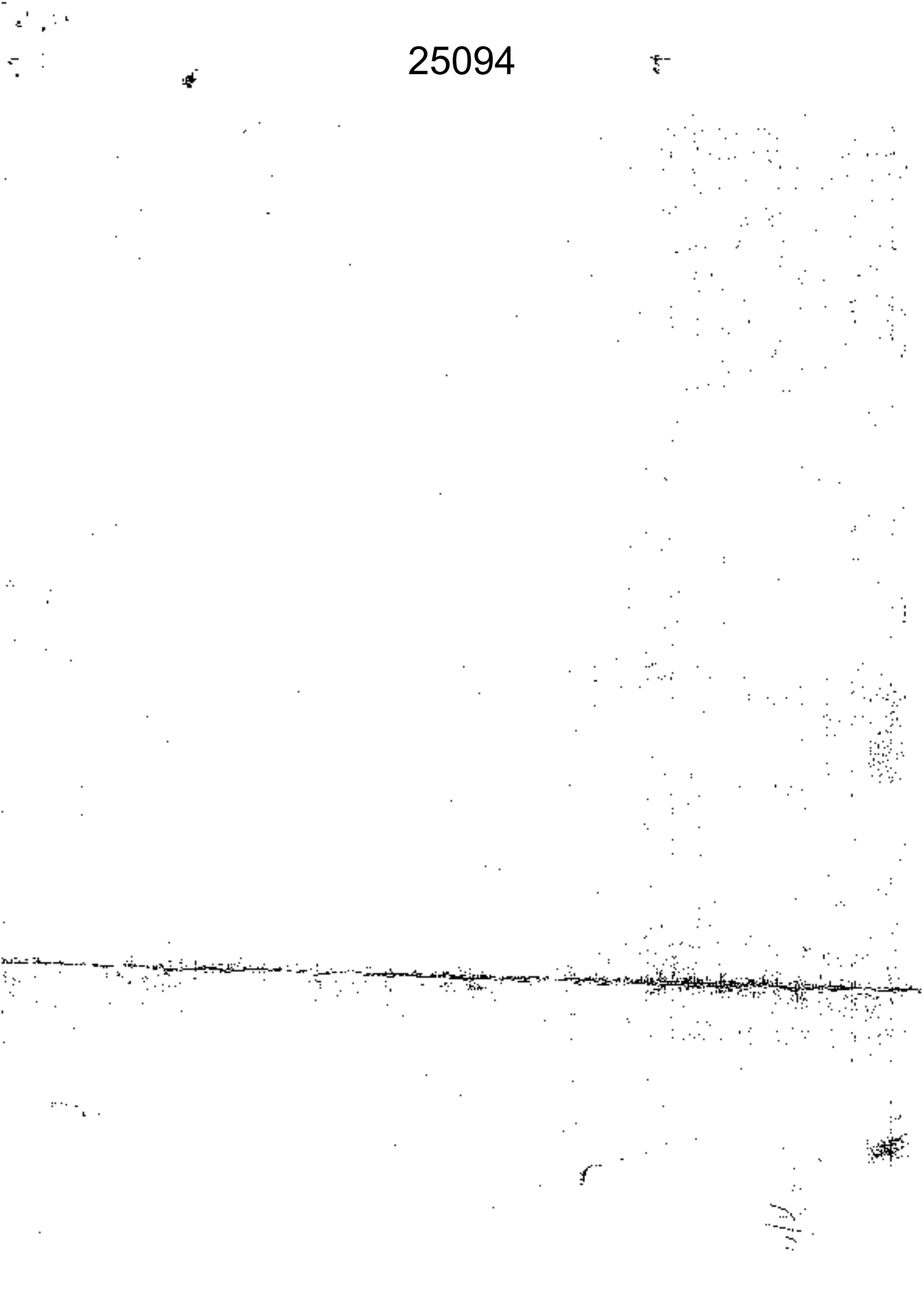
Date	UK09CA1101 (Weight in Kg)	UK09CA0762 (Weight in Kg)	Total Weight (Kg)
27.08	525	400	925
28.08	505	415	920
29.08	330	340	670
30.08	645	0	645
31.08	485	480	965
	13270	11130	24400

Total Waste Collection in August Month = 24400 Kg
Waste Collection in Ton = 24.4 Ton
Avg. Waste Collection Per Day = 787.09 Kg
= 0.78 Ton/Day

upto end of July '23 = 172.93 Ton
Aug '23 = 24.40 Ton

197.33 Ton

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल



MSW KIRTINAGAR

Date September '23
Page No.

25095

Date September '23
Page No.

377

Date	UK09CA1101 (Weight in kg)	UK09CA0762 (Weight in kg)	Total Weight (kg)
1/sep/23	510	485	995
2/sep/23	480	490	970
3/sep/23	560	510	1070
4/sep/23	620	0	620
5/sep/23	450	495	945
6/sep/23	440	350	790
7/sep/23	365	490	855
8/sep/23	0	565	565
9/sep/23	485	620	1105
10/sep/23	515	490	1005
11/sep/23	520	475	995
12/sep/23	605	505	1110
13/sep/23	390	615	1005
14/sep/23	500	470	970
15/sep/23	480	0	480
16/sep/23	555	490	1045
17/sep/23	515	510	1025
18/sep/23	590	425	1015
19/sep/23	455	630	1085
20/sep/23	0	535	535
21/sep/23	580	500	1080
22/sep/23	490	460	950
23/sep/23	560	505	1065
24/sep/23	615	495	1110
25/sep/23	595	0	595
26/sep/23	530	580	1110
27/sep/23	520	450	970
28/sep/23	390	495	885
29/sep/23	450	605	1055
30/sep/23	445	535	980
Total	14210	13775	27985

Total waste collection in September month – 27985 kg
Average waste collection per day (in kg) – 932.83
Average waste collection per day (in ton) – 0.93

upto End of August '23 = 197.33 Ton
September '23 = 27.98 Ton
22531 Ton

W

25096

Detailed Gap Analysis (Capacity Vs Generation of Sewerage

Sl. NO.	Town	Sewage Generation	STP Capacity (MLD)		Sewage Generation Gap
		Year 2040	Existing	Under Development/ Approved	
1	Kirtinagar	0.216	0.06	0	0.16
2	Devprayag	0.475	1.63	0.005	0.00

Project manager

Construction & maintenance unit(Ganga)

Uttarakhand Pejal Niagam Srinagar

25098

3-79

Detailed Gap Analysis (Capacity Vs Generation of Sewerage

Sl. NO.	Town	Sewage Generation Gap	Action Plan
1	2	3	
2	Kirtinagar	0.156	2 Nos STP have been constructed for nala tappings There is no Actin Plan Guideleine decided for Kirtinagar Sewerage Scheme by NMCG, New Delhi. At Present Co-treatment of 30 KLD has been also taken into consideration for Kirtinagar Saptage treatment and accordingly additional units as mentioned in the Sanctioned DPR for co treatment of septage in existing 3.50 MLD STP, Nursery Road, Srinagar. Tendering work for co-treatment plant is in progress
5	Devprayag	0	There are three number STPs exists in town having 1.40 MLD-Soil Bio-Technology (Bah Bazar), 0.150 MLD-SBR Technology (Sangam Bazar) and 0.075 MLD-SBR Technology (Shanti Bazar) capacity respectively. At present 0.100 MLD, 0.140 MLD and 0.050 MLD sewage is being treated in 1.40 MLD STP, 0.150 MLD STP and 0.075 MLD STP respectively. Co-treatment of 5.0 KLD has been taken into Tendering work and accordingly additional units as mentioned in the Sanctioned DPR for co treatment of septage in existing 1.4 MLD STP at Devprayag.

Project manager

Construction & maintenance unit(Ganga)

Uttarakhand Pejal Niagam Srinagar

25099

ANNEXURE-2-(17) 380

कार्यालय–नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती–ढालवाला टिहरी गढवाल

Email:-nppmkrd@gmail.com or Phone No. 0135-2430148

पत्रांक 777/अन्य/2023–2024 दिनांक 21/10/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति
टिहरी गढवाल।

विषयः Regarding compliance of Directions passed by the Hon,ble NGT Principal Bench, New Dehli in PIL (O.A NO.200 of 2014-M.C. Mehta,s matter related to Ganga pollution and its cleaning etc.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र पत्रांक 669/3–2 , दिनांक 4 अक्टूबर 2023 के कम में सादर अवगत कराना है कि वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर निम्न प्रकार से है–

नगरपालिका का नाम	समस्या(issue)	कार्यवाही
नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती–ढालवाला	Rishikesh also has SIDC Industrial Estate at Munikireti.	नगरपालिका परिषद मुनिकीरेती–ढालवाला के अंतर्गत SIDC Industrial Estate स्थित है। उक्त क्षेत्र का प्रबंधन सिडकुल प्रशासन द्वारा किया जाता है। उक्त क्षेत्र से नगरपालिका द्वारा सूखा ठोस अपशिष्ट एकत्रित एवं उसका वैज्ञानिक रूप से निस्तारण कराया जाता है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिकापरिषद मुनिकीरेती–ढालवाला

ANNEXURE-2 - (18) 381

25100

प्रेषक,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल

पत्रांक 695 / जि0उ0 / औ0आस्थान / 2023–24 दिनांक 21 अक्टूबर, 2023

विषयः– **औद्योगिक क्षेत्र ढालवाला, में एन0जी0पी0टी0 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

दिनांक 16–10–2023 को आपके द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के क्रम में एन0जी0पी0टी0 के तहत औद्योगिक आस्थान ढालवाला का संयुक्त निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबन्धक रिंडकुल एवं मेरे द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान स्पष्ट हुआ है कि औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सी0ई0टी0पी0 / एस0टी0पी0 स्थापित नहीं है। कार्यरत इकाईयों द्वारा अपने सोकता पिट स्थापित किये गये हैं, कोई भी दूषित जल इकाईयों द्वारा उत्सर्जित नही किया जाता है।

अतः महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
नरेन्द्रनगर, टिहरी
गढ़वाल।